




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 61]  
No. 61]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 16, 1990/माघ 27, 1911  
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 16, 1990/MAGHA 27, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

श्रम मंत्रालय  
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1990

सा० का० नि० 79(अ).—डाक कर्मकार (सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 (1986 का 54) की धारा 22 की अपेक्षानुसार, डाक कर्मकार (सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण) नियम, 1987 का प्रारूप, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 937(अ), तारीख 27 नवम्बर, 1987 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 27 नवम्बर, 1987 के पृष्ठ 1 पर प्रकाशित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से चौत्तالیस दिन की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे; जिनमें उससे प्रभावित होने की सम्भावना थी।

और उक्त राजपत्र 18 दिसम्बर, 1987 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20 द्वारा प्रकृत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) नियम, 1990 है।
- (2) ये महापत्तन अधिनियम, 1963 (1963 का 38) में यथा परिभाषित भारत में सभी महापत्तनों को लागू होंगे।
- (3) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के अवसान के बाद लागू होंगे।

2. परिभाषाएं :

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "अधिनियम" से डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 (1986 का 54) अभिप्रेत है;
- (ख) "नियम" से याक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम, 1989 अभिप्रेत है; और

(ग) इन नियमों में प्रयुक्त सभी शब्दों और अधिनियम या विनियम में परिभाषित सभी परिभाषाओं के वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः अधिनियम और विनियम में हैं।

### 3. निरीक्षण प्रक्रिया :

निरीक्षक, अधिनियम और विनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

### 4. नियोजक को सूचना :

निरीक्षक, प्रत्येक निरीक्षण के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, अधिनियम या विनियमों के उपबन्धों का अनुपालन बताते हुए पीत के स्वामी या मास्टर या भारसाधक अधिकारी या उनके अभिकर्ता या डाक कर्मचारियों के नियोजक को विनियमों से संलग्न प्ररूप 9 में एक सुधार सूचना का एक प्रतिशोध सूचना जारी करेगा।

### 5. पूर्व निरीक्षण रिपोर्टों का अनुपालन :

कोई निरीक्षक, प्रत्येक निरीक्षण पर, यह अभिनिश्चित करेगा कि कितने परिसीमा तक पूर्व निरीक्षण में अधिसूचित की गई किसी कमी को परिशुद्ध किया गया है और पहले जारी की गई सूचना का अनुपालन किया गया है उसके निष्कर्ष और कोई कमियां जो चालू निरीक्षण के दौरान पता लगे इस अधिनियम या विनियमों के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश सहित इस प्रयोजन के लिए रखे जाने वाले एक निरीक्षण रजिस्टर में अभिलिखित की जाएगी।

### 6. सूचनाओं की तामील, किस पर की जाएगी :

इस अधिनियम या विनियमों के अधीन तामील किए जाने के लिए अपेक्षित या आशयित किसी सूचना या आदेश की तामील निम्नलिखित पर की जा सकेगी, —

- किसी व्यक्ति पर उसको उसे प्रदत्त करके या, यथास्थिति पीत, परिसरों या रजिस्ट्रीकृत कार्यालयों में उसे छोड़कर या उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज कर।
- किसी फर्म पर, उस फर्म के किसी भागीदार को प्रदत्त करके या फर्म के कार्यालय में उसे छोड़कर या उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज कर।
- किसी कम्पनी पर उसके निदेशकों में से किसी को या डाक परिसरों में संक्रिया के भार साधक किसी व्यक्ति को परिदत्त करके या उसे कम्पनी कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज कर।

### 7. हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना :

कोई निरीक्षक, जैसा आवश्यक समझा जाए, हेतुक दर्शित करने की लिए सूचना और प्रतिषेध आदेश जारी करेगा तथा ऐसे पत्तन प्राधिकार फर्म या कम्पनी को, अभियोजित करेगा जो स्वयं या अपने अभिकर्ता के माध्यम से अधिनियम और विनियमों के अधीन उपबन्धों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी है।

### 8. दुर्घटनाओं के कारणों की जांच :

कोई निरीक्षक किसी ऐसी दुर्घटना या खतरनाक घटना के कारणों के बारे में जांच करेगा जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण है कि वह उत्पामक साधित, खुले गियर, परिवहन उपस्कर, आदि के एकाएक गिरने या खराब हो जाने अथवा इस अधिनियम या विनियमों के उपबन्धों में से किसी के अनुपालन के परिणामस्वरूप कारित हुई थी।

### 9. सलाहकार समिति :

(क) अधिनियम की धारा 9 के अधीन सलाहकार समिति में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित नौ सदस्य होंगे, अर्थात् :—

- मुख्य निरीक्षक और केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले दो अन्य सदस्य;
- डाक कर्मचारियों के नियोजकों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन सदस्य जैसा केन्द्रीय सरकार उचित समझे;
- डाक कर्मचारियों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन सदस्य जैसा केन्द्रीय सरकार उचित समझे :

परन्तु सलाहकार समिति में होने वाली कोई गिनति, यथासंभव शीघ्र केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उपनियम में उल्लेख रूप से संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले नए सदस्यों को नियुक्त करके भरी जाएगी:

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार, कोई कारण बनाए बिना, सलाहकार समिति से किसी सदस्य को हटा सकेगी।

(ख) मुख्य निरीक्षक सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा।

(ग) समिति के सदस्य तीन वर्ष के अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे।

(घ) मुख्य निरीक्षक के संगठन का एक पदधारी सलाहकार समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा और समिति की बैठक में हाजिर होने तथा भाग लेने का अधिकारी होगा। उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(ङ) (i) अध्यक्ष कम से कम 15 दिन की सूचना देकर बहुधा जब भी आवश्यक समझा जाए, सलाहकार समिति की बैठकों को संयोजित करेगा। अध्यक्ष बैठक किए जाने के पूर्व बैठक के लिए कार्यवृत्त सदस्यों को भेजेगा।

(ii) समिति द्वारा किए गए विनिश्चयों के अध्यक्ष द्वारा केन्द्रीय सरकार को, उन पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में टिप्पणियां और सिफारिशों सहित भेजा जाएगा।

(iii) सलाहकार समिति के विनिश्चयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अध्यक्ष द्वारा अगली बैठक में समिति के सामने प्रस्तुत की जाएगी।

10. केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 10 के उपबन्ध के अधीन डाक कर्मकार से संक्षिप्त किसी दुर्घटना, रोग के कारणों की जांच करने के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया कोई सक्षम व्यक्ति निम्नलिखित रीति से जांच करेगा:—

(क) जांच करने की तारीख, समय और स्थान नियत किया जाएगा और उसमें परिवर्तन किया जा सकेगा, और ऐसी परिवर्तित तारीख, समय और स्थान के बारे में कम से कम तीस दिन की लिखित सूचना जांच में उपसंज्ञान होने के हकदार प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम और पता सक्षम व्यक्ति को ज्ञात है, दी जाएगी:

परन्तु—

(i) ऐसे सभी व्यक्तियों को सहमति से सक्षम व्यक्ति सूचना की ऐसी लघुतर अवधि दे सकेगा, जो उन व्यक्तियों द्वारा तय पायी जाए;

(ii) जहां जांच के लिए नियत समय या स्थान में परिवर्तन करना आवश्यक या सलाह योग्य हो, वहां सक्षम व्यक्ति ऐसे परिवर्तन की, जो उसे परिस्थितियों में युक्तियुक्त प्रतीत हो, ऐसी सूचना देगा।

(ख) इन नियमों के पैरा (क) के अधीन दी गई सूचना में सक्षम व्यक्ति का नाम और जांच में सक्षम व्यक्ति की सहायता करने के लिए नियुक्त किए गए असेसरों के, यदि कोई हों, नाम कथित होंगे।

(ग) इस नियम के प्रांमो उरबंभों पर प्ररिभूत प्रभार डने डिनः सक्षम ब्यक्ति उन ब्यक्तियों को, जो जांच को विषय वस्तु से किसी भी प्रकार संबंधित हैं, अधिसूचित करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित एक या अधिक उपाय करेगा, अर्थात् :—

(i) एक या अधिक समाचारपत्रों में, जिनमें जहाँ उचित हो, उन परिशेव/क्षेत्र में, जिसमें जांच का विषय वस्तु उद्भूत हुई था, परिचालित होने वाले समाचारपत्रों में, जांच का सूचना प्रकाशित करेगा; और

(ii) जांच का ऐसी अन्य सूचना देगा, जो सक्षम व्यक्ति को उचित प्रतीत हो;

और इस नियम के प्रांम (क) में अन्विविष्ट सूचना को अधिक के बारे में अवधारण किसी ऐसी सूचना को लागू नहीं होंगी।

11. जांच में उपसंजात होने के लिए व्यक्ति :

(1) जांच में उपसंजात होने के लिए हकदार व्यक्ति निम्नलिखित होंगे—

(क) विनियम 2(घ) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम व्यक्ति;

(ख) कोई संबंधित प्रवर्तन प्राधिकारी;

(ग) कोई नियोजक संगम या नियोजितियों का ट्रेड यूनियन;

(घ) कोई व्यक्ति, जो उस दुर्घटना, घटना, स्थिति, रोग या अन्य मामले के परिणामस्वरूप, जो जांच का विषय वस्तु है, क्षतिग्रस्त हुआ था जिसने नुकसान उठाया था या उसका प्रतिनिधि;

(ङ) किसी ऐसे परिसर का स्वामी, जिसमें दुर्घटना, घटना, स्थिति या अन्य मामला घटा या उद्भूत हुआ था;

(च) डाक कर्म को करने वाला ऐसा व्यक्ति जिसने वह दुर्घटना, घटना, स्थिति या अन्य मामला जो जांच का विषय वस्तु है, पैदा हुई है; और

(छ) नियुक्त किए गए सक्षम व्यक्ति के विवेक से कोई अन्य व्यक्ति।

(2) निम्नलिखित जांच में प्रतिनिधित्व करेंगे—

(क) निर्गमित निकाय का प्रतिनिधित्व उसके सचिव या उस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य अधिकारी या कार्ड सेल अथवा सालीसिटर द्वारा किया जा सकेगा;

(ख) किसी सरकारी विभाग, नियोजक संगम या ट्रेड यूनियन का प्रतिनिधित्व काउन्सेल या सालीसिटर द्वारा किया जा सकेगा;

(ग) जहाँ दो या अधिक व्यक्ति जांच का विषय वस्तु में समान हित रखते हैं वहाँ सक्षम व्यक्ति इस प्रकार हितवद्ध कुछ या सभी व्यक्तियों की प्रसुविधा के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को उपसंजात होने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(3) अधिनियम का धारा 10 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम व्यक्ति स्वप्रेरणा से या उपसंजात होने के लिए हकदार अथवा अनुज्ञात किसी व्यक्ति के आवेदन पर तात्त्विक साक्ष्य देने में समर्थ होने के लिए संभावित प्रतीत होने वाले किसी व्यक्ति पर या तात्त्विक साक्ष्य होने के लिए संभावित किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सूचना को तामील करा सकेगा जिसमें यह अपेक्षा की जाएगी कि वह व्यक्ति जांच के लिए साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए सूचना में विनिश्चित समय और स्थान पर हज़िर हो।

(4) कोई व्यक्ति जिस पर उपनियम (3) के अधीन सूचना की तामील की गई है या तो जर्ज के समय या उसके पूर्व उस अपेक्षा में परिवर्तन करने या उसे प्रगाप्त करने के लिए सक्षम व्यक्ति को आवेदन कर

सकेगा और जहाँ वह ऐसी जांच के पूर्व करता है वहाँ वह अपने आवेदन की सूचना उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, देगा जिसने उपनियम (3) के अधीन सूचना के लिए तामील किए जाने के लिए आवेदन किया था।

(5) इन नियमों में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी जांच में या उसके संबंध में प्रक्रिया सक्षम व्यक्ति के विवेकानुसार होगी, जो सुनवाई के प्रारम्भ पर प्रक्रिया का कथन करेगा जो वह, जांच में उपसंजात होने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी निवेदन पर विचार किए जाने के अधीन होगी, अपनाने की प्रस्थापना करता है और वह उन व्यक्तियों को सूचित करेगा कि वह सुनवाई से उद्भूत होने वाले किसी स्थल निरीक्षण की बाबत क्या प्रस्थापना करता है।

(6) नियम 12 के उपनियम (1) में उपबन्धित के सिवाय जांच सार्वजनिक रूप से की जाएगी।

12. सार्वजनिक रूप से जांच:

(1) अधिनियम की धारा 10 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम व्यक्ति नियम 10 के अधीन जांच सार्वजनिक रूप से करेगा, जब तक कि,—

(क) केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि जांच के विषय या उसका कोई हिस्सा इस प्रकृति का है कि उनकी सार्वजनिक रूप से जांच करना राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के विपरीत होगा और सक्षम व्यक्ति को बन्द कमरे में जांच करने का निदेश देती है; या

(ख) जांच के किसी पक्षकार द्वारा उसे दिए गए किसी आवेदन पर, जांच या उसका वह भाग बन्द कमरे में करने का निर्णय करता है, यदि उसकी यह राय है कि सार्वजनिक रूप से जांच की जाने से किसी व्यापारिक रहस्य से संबंधित सूचना प्रकट होने की संभावना है।

उक्त उपप्रांम (क) या (ख) में वर्णित परिस्थितियों में साक्ष्य की सुनवाई से किसी व्यक्ति को प्रकट की गई सूचना जांच के प्रयोजन के लिए ही उसके द्वारा प्रकट की जाएगी अन्यथा नहीं।

(2) उपसंजात होने के लिए हकदार या अनुज्ञात व्यक्तियों की सुनवाई ऐसे कम से की जाएगी जैसा अधिनियम की धारा 10 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम व्यक्ति अवधारित करे।

(3) उपसंजात होने के लिए हकदार व्यक्ति प्रारम्भिक कथन करने के लिए, साक्ष्य पेश करने के लिए और साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों की प्रतिपरीक्षा करने के लिए हकदार होंगे किन्तु जांच में उपसंजात होने वाला कोई अन्य व्यक्ति ऐसा केवल अधिनियम की धारा 10 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम व्यक्ति द्वारा अनुज्ञात सीमा तक कर सकेगा।

(4) जहाँ सक्षम व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करता है वहाँ साक्ष्य शपथ पर साक्ष्य देंगे और उस प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 10 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम व्यक्ति सम्यक् प्ररूप में शपथ दिलवाएगा।

(5) कोई साक्ष्य सक्षम व्यक्ति के विवेक से ग्रहण किया जा सकेगा जो निदेशित कर सकेगा कि साक्ष्य में दिए जाने वाले दस्तावेजों का जांच में उपसंजात होने के लिए हकदार या अनुज्ञात किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा और यह कि उसको उसकी प्रतियां देने या प्राप्त करने के लिए सुविधाएं दी जा सकेंगी।

(6) अधिनियम की धारा 10 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम व्यक्ति किसी व्यक्ति से जांच के पूर्व उसे प्राप्त किसी लिखित व्यपदेशन या कथन पर विचार करने के लिए (जांच में उसको प्रकट करने और जांच में उपसंजात होने वाले व्यक्ति को उसकी प्रतियां उपलब्ध करवाने के अधीन रहते हुए) हकदार होगा।

(7) अधिनियम की धारा 10 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम व्यक्ति समय-समय पर जांच को स्थगित कर सकेगा और जहां वह ऐसा करता है वहां जांच में उपस्थित होने के लिए हकदार या अनुज्ञात प्रत्येक व्यक्ति को स्थगित जांच की तारीख, समय और स्थान की युक्तियुक्त सूचना देना :

परन्तु जहां स्थगित जांच की तारीख, समय और स्थान की घोषणा जांच में की जाती है वहां कोई और सूचना अपेक्षित नहीं होगी।

(8) अधिनियम की धारा 10 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम व्यक्ति और जांच में उसकी सहायता करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति जहां जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक है, किसी ऐसे युक्तियुक्त समय पर किसी ऐसे पोत परिसर में और उनमें कोई वस्तु जिससे जांच संबंधित है, प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा।

(9) (क) अधिनियम की धारा 10 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम व्यक्ति जांच समाप्त करने के पश्चात् केंद्रीय सरकार को लिखित रिपोर्ट देना जिसमें सक्षम व्यक्ति के तथ्यों के निष्कर्ष और उसकी सिफारिशें, यदि कोई हों, या कोई सिफारिश न करने के लिए उसके कारण, सम्मिलित होंगे।

(ख) वहां के सिवाय, जहां उक्त रिपोर्टें, अधिनियम की धारा 10 के अनुसरण में, पूर्णतः या भागतः प्रकाशित की जाती हैं, केंद्रीय सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को जो जांच में उपसंजात हुआ था रिपोर्ट की प्रति या उसका उतना भाग जो अधिनियम की धारा 10 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम व्यक्ति ठीक सभरे, भेजेगा।

[फा.सं. एस-65013/1/88-औ.सु.एवं स्वा-II]

## MINISTRY OF LABOUR

### NOTIFICATIONS

New Delhi. the 16th February 1990

G.S.R. 79(E).—Whereas the draft of Dock workers (Safety, Health and Welfare) Rules, 1987, was published as required by sub-section (1) of section 22 of the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act, 1986 (54 of 1986), in Part II, Section 3(i) of the Gazette of India Extra-ordinary, dated the 27th November, 1987 with notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. G.S.R. 937 (E), dated the 27th November, 1987, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said draft notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 18th December, 1987.

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 20 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

#### 1. Short title, application and commencement :

(1) These rules may be called the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Rules, 1990.

(2) They shall apply to all major ports in India as defined in the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963).

(3) They shall come into force after expiry of 30 days from the date of their publication in the Official Gazette.

#### 2. Definitions :

In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act, 1986 (54 of 1986);

(b) "Regulations" means the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Regulations, 1989; and

(c) All the words used in these rules and not defined but defined in the Act or the regulations shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and the regulations.

#### 3. Inspection procedure :

An Inspector shall exercise the powers conferred upon him under the Act and the regulations.

#### 4. Notice to employer :

The Inspector shall, after every inspection visit, may be deemed necessary, issue an improvement notice or a prohibition notice pointing out the non-compliance of provisions of the Act or the regulations to the owner or master or officer-in-charge of the ship or their agent or the employer of the dock workers in Form IX appended to the regulations

#### 5. Compliance of previous inspection reports :

An Inspector shall, at each inspection, ascertain to what extent any shortcomings notified at a previous inspection have been rectified and the notices previously issued have been complied with. His findings and any shortcomings which may come to light during the inspection, together with any order passed by him under the Act or the regulations shall be recorded in an inspection register required to be maintained for the purpose.

#### 6. Notice to whom served :

Any notice or order required or intended to be served under the Act or the regulations, may be served,—

(a) On any person by delivering it to him, or by leaving it at, or sending it by Registered Post to the ship, premises or registered office as the case may be.

(b) On any firm by delivering it to any partner of the firm or by leaving it at, or sending it by Registered post to the office of the firm.

(c) On any company by delivering it to any of the directors or the person in charge of operations in the dock premises or by sending it by Registered post to the office of the company.



**7. Show cause notice :**

An Inspector may, as deemed necessary, issue show cause notice and prohibition order and prosecute the port authority, firm or company, who by himself or through his agent is responsible for non-compliance of the provisions under the Act and the regulations.

**8. Inquiry into causes of accidents :**

An Inspector shall conduct inquiry into causes of any accident or dangerous occurrence, which he has reason to believe was caused as a result of collapse or failure of lifting appliance, loose gear, transport equipment, etc., or non-compliance with any of the provisions of the Act or the regulations.

**9. Advisory Committee :**

(a) The Advisory Committee under Section 9 of the Act shall consist of the following nine members to be appointed by the Central Government, namely ;—

- (i) The Chief Inspector and other two members representing the Central Government.
- (ii) Three members representing organisation of employers of dock workers as the Central Government may consider appropriate.
- (iii) Three members representing organisations of dock workers, as the Central Government may consider appropriate :

Provided that any vacancy occurring in the Advisory Committee shall, as soon as possible, be filled by the Central Government by appointing new members representing the organisations as provided in this sub-rule;

Provided further that the Central Government may remove any member from the Advisory Committee, without assigning any reasons.

- (b) The Chief Inspector shall be the Chairman of the Advisory Committee.
- (c) The members of the Committee shall be appointed for a period of three years.
- (d) An official of the organisation of the Chief Inspector shall function as the Secretary to the Advisory Committee and shall be entitled to attend and take part in the meetings of the Committee. He shall not have a right to vote.
- (e) (i) The Chairman shall convene meetings of the Advisory Committee, as often as considered necessary, by giving notice of at least 15 days. The Chairman shall also forward to the members the agenda for the meeting before the meeting is held.  
(ii) The decisions taken by the Committee shall be forwarded by the Chairman to the Central Government, along with comments and recommendations on the action to be taken thereon.

(iii) A report of the action taken on the decisions of the Advisory Committee shall be presented to the Committee by the Chairman at its next meeting.

10. Any competent person appointed by Central Government for the purposes of inquiring into the causes of any accident, diseases connected with dock work under the provision of section 10 of the Act shall make the inquiry in the following manner :—

- (a) date, time and place of holding the inquiry shall be fixed and may be varied, notice of which shall be given not less than 30 days in writing of such date, time and place to every person entitled to appear at the inquiry whose name and address are known to the competent person :

Provided that ,—

- (i) with the consent of all such persons, the competent person may give such lesser period of notice as shall be agreed to with those persons; and
- (ii) where it becomes necessary or advisable to vary the time or place fixed for the inquiry, the competent person shall give such notice of the variation as may appear to it to be reasonable in the circumstances.
- (b) The notice given under paragraph (a) of this rule shall state the name of the competent person and the names of assessors, if any, appointed to assist the competent person in the inquiry.
- (c) Without prejudice to the foregoing provisions of this rule, the competent person shall also for the purpose of notifying to the persons who may in any way be concerned with the subject matter of the inquiry, take one or more of the following steps, namely :—
  - (i) publish notice of the inquiry in one or more newspapers, including, where appropriate, newspapers circulating in the locality/area in which the subject matter of the inquiry arose; and
  - (ii) give such other notice of the inquiry as appears to the competent person to be appropriate;

and the requirements as to the period of notice contained in paragraph (a) of this rule shall not apply to any such notices.

**11. Persons to appear at inquiry :**

- (1) The person entitled to appear at the inquiry shall be—
  - (a) any competent person under regulation 2(a) ;
  - (b) any enforcing authority concerned;
  - (c) any employers' association or trade union of employees;

- (d) any person who was injured or suffered damage as a result of the accident occurrence, situation, disease or other matter which is the subject of the inquiry, or his representative;
- (e) the owner of any premises in which the accident, occurrence, situation or other matter occurred or arose;
- (f) any person carrying on dock work giving rise to the accident, occurrence, situation or other matter which is the subject of the inquiry; and
- (g) any other person at the discretion of the appointed competent person.

(2) The following shall represent at the inquiry—

- (a) a corporate body may be represented by its secretary or by any other officer appointed for the purpose, or by counsel or solicitor;
- (b) a Government department, an employers' association or a trade union may be represented by a counsel or a solicitor;
- (c) where there are two or more persons having a similar interest in the matter under inquiry, the competent person may allow one or more persons to appear for the benefit of some or all persons so interested.

(3) The competent person appointed by the Central Government under section 10 of the Act, may, either of his own motion or on the application of any person entitled or permitted to appear, cause to be served on any person appearing to him to be likely to be able to give material evidence or to produce any document likely to be material evidence, a notice requiring that person to attend at the inquiry at the time and place specified in the notice to give evidence or produce the document.

(4) A person on whom a notice is served under sub-rule (3) may apply to the competent person either at or before the inquiry to vary or set aside the requirement, and where he does so before the inquiry he shall give notice of his application to the person, if any, who applied for the notice under sub-rule (3) to be served;

(5) Except as otherwise provided in these rules, the procedure at and in connection with an inquiry shall be at the discretion of the competent person who shall state at the commencement of the hearing the procedure which, subject to consideration of any submission by the persons appearing at the inquiry, he proposed to adopt and shall inform those persons what he proposes as regards any site inspection arising out of the hearing.

(6) Except as provided in sub-rule (1) of rule 12 the inquiry shall be held in public.

#### 12. Inquiry in public :

(1) The competent person appointed by the Central Government under Section 10 of the Act, shall conduct the inquiry under rule 10 in public, unless,—

- (a) the Central Government is of the opinion that the matters of the inquiry or any part of it are of such nature that it would be against the interests of national security to hold the inquiry in public and directs the competent person to hold the inquiry in camera; or
- (b) on an application made to him by any party to the inquiry, decides to hold the inquiry or such part of it in camera, if he is of the opinion that the holding of public inquiry will lead to disclosure of information relating to a trade secret.

Information disclosed to any person by the hearing of evidence in the circumstances mentioned in subparagraphs (a) or (b) above shall not be disclosed by him except for the purposes of the inquiry.

(2) Persons entitled or permitted to appear shall be heard in such order as the competent person appointed by the Central Government under section 10 of the Act, may determine.

(3) Persons entitled to appear shall be entitled to make an opening statement, to call evidence and to cross-examine persons giving evidence, but any other person appearing at the inquiry may do so only to the extent permitted by the competent person appointed by the Central Government under section 10 of the Act.

(4) Where the competent person appointed by the Central Government under section 10 of the Act, so requires, witnesses shall give evidence on oath, and for that purpose he may administer on oath in due form.

(5) Any evidence may be admitted at the discretion of the competent person appointed by the Central Government under section 10 of the Act, who may direct that documents to be tendered in evidence may be inspected by any person entitled or permitted to appear at the inquiry and that facilities be afforded to him to take or obtain copies thereof.

(6) The competent person appointed by the Central Government under section 10 of the Act, shall be entitled (subject to disclosure thereof at the inquiry and making available copies thereof to the persons appearing at the inquiry) to take into account any written representation or statement received by him before the inquiry from any person.

(7) The competent person appointed by the Central Government under the Section 10 of the Act, may from time to time adjourn the inquiry and where he does so shall give reasonable notice to every person entitled or permitted to appear at the inquiry of the date, time and place of the adjourned inquiry. Provided that where the date, time and place of the adjourned inquiry are announced at the inquiry, no further notice shall be required.

(8) The competent person appointed by the Central Government under section 10 of the Act, and any person appointed to assist him in the inquiry may, where necessary for the purpose of the inquiry,

at any reasonable time enter and make an inspection of any ship premises to which the inquiry relates and anything in them.

(9) (a) The competent person appointed by the Central Government under section 10 of the Act, shall after the close of the inquiry make a report in writing to the Central Government, which shall include the findings of the facts and his recommendations, if any, or his reasons for making any recommendation.

(b) Except where the said report is to be published, in whole or in part, the Central Government shall send to any person who appeared at the inquiry a copy of the report or so much of it as the competent person appointed by the Central Government under section 10 of the Act, thinks fit.

[F. No. S-65013|1|88-Eac|ISH.II]

सा. का. नि. 80 (अ).—डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 (1986 का 54) की धारा 22 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम, 1987 का प्रारूप

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 939(अ), तारीख 27 नवम्बर, 1987 के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखण्ड (i), तारीख 27 नवम्बर, 1987 को प्रकाशित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी।

और उक्त राजपत्र 6 जनवरी, 1988 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

#### भाग 1

#### साधारण

#### 1. सक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ:

(1) इन विनियमों का नाम डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम, 1990 है।

(2) ये महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 (1963 का 38) में यथापरिभाषित भारत में सभी महापत्तनों को लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन से 30 दिन के अवसान के बाद प्रवृत्त होंगे।

#### 2. परिभाषाएं:

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 (1986 का 54) अभिप्रेत है;

(ख) "पहुंच" से बाहर जाना भी सम्मिलित है;

(ग) "अधिकृत व्यक्ति" से नियोजक, पोत का मास्टर या एक उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है जो विनिर्दिष्ट कार्य या कार्यों के करने का जिम्मा ले और जिम्मेदार कार्य या कार्यों का जिम्मा लेने के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी और अनुभव हो;

(घ) "सक्षम व्यक्ति" से—

(1) भारत में किसी परीक्षण स्थापन का ऐसा व्यक्ति, जो उत्पाक साधित, खुला गियर या तार रस्सों का परीक्षण, परीक्षा या तापानुशीलन और प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए मुख्य निरीक्षक के अन्तर्गत है;

(2) कोई अन्य व्यक्ति, जो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा अंगीकृत दुर्घटना के विरुद्ध संरक्षण (गोदी मजदूर) कन्वेंशन (पुनरीकृत), 1932 (सं. 32) और डॉक कार्य में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित कन्वेंशन (सं. 152), 1979 के क्रियान्वयन के लिए, उपखण्ड (1) में वर्णित किसी भी प्रयोजन के लिए, अन्य देशों में प्रवृत्त सुमंगत विनियमों के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यताप्राप्त है, अभिप्रेत है।

(ङ) "आधान" से परिवहन उपस्कर की कोई वस्तु अभिप्रेत है जो स्थायी प्रकृति की हो और तदनुसार बार-बार प्रयोग के लिए काफी मजबूत हो जैसा कि राष्ट्रीय या किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया है;

(च) "कन्टेनर टर्मिनल" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जहां परिवहन साधनों के बीच आधानों को प्राप्त करने, भंडारण, प्रेषण और विनियम मुख्यतः उत्पाक साधितों और परिवहन उपस्कर की सहायता से किया जाता है और इसके अन्तर्गत सहयुक्त सड़क यान, प्रतीक्षा, स्थलों, नियंत्रक विनियम ग्रिड, भंडार स्थान तथा प्रस्थान सड़क यान प्रस्थान भी आते हैं, किन्तु निम्नलिखित नहीं आते हैं;

(1) ऐसे टर्मिनल जहां एक ही संचालन क्षेत्र का उपयोग करते हुए एक साथ आधानबन्द स्थोरा और खुला भार विभाजन स्थोरा के महत्वपूर्ण मन्त्रा लादी-उतारी जाती है;

(2) सभी रेल टर्मिनल और सभी अन्तः भू-डिपो;

(3) आधानों की अन्तर्वस्तु का भरा जाना और विपणन करना; और

(4) पोत बोर्ड और पोत पार्श्व संचालन स्थलों एलओ एलओ और आरओ आरओ जलयान;

(छ) "कन्वेयर" से ऐसी यांत्रिक युक्ति अभिप्रेत है जिसका प्रयोग डॉक कर्म में एकल पेकेजों या टोस खुला स्थोरा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करने के लिए किया जाए;

(ज) "खतरनाक माल" से ऐसा स्थोरा अभिप्रेत है जिसमें उसकी विस्फोटकता, ज्वलनशीलता, रेडियो एक्टिवता, विषैले या संक्षारक गुण या समरूप लक्षणों के कारण हैडिलिंग, परिवहन या भंडारण के समक्ष क्षति करे, मानव यंत्र के प्रतिकूल प्रभाव डाले, जीवन या सम्पत्ति को हानि पहुंचाएँ और जिसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मानकों द्वारा इस रूप में वर्गीकृत किया गया है;

(झ) "डोक" से कोई डॉक, घाट, घट्टी या तट अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत स्वामियों, न्यासियों या संरक्षकों के ऐसे भंडारण या भंडार स्थान आते हैं जो डॉक, घाट, घट्टी या तट के भीतर या समीप अवस्थित हों और कोई रेल मार्ग या साइडिंग जिसका प्रयोग डॉक, घाट, घट्टी या तट के संबंध में किया जाता है किन्तु जो भारतीय रेल का अंग नहीं है।

- (अ) "प्ररूप" से इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है,
- (ट) "डैकवार" से किसी डैक का द्वारा अभिप्रेत है जिसका उपयोग डैक कर्म के प्रयोजनों के लिए या ट्रिगिंग या संवातन या सफाई के लिए किया जाता हो,
- (ठ) "हैचपथ" से डैक के ऊपर से तल तक हैचों के बर्तों के नीचे का संपूर्ण स्थान अभिप्रेत है,
- (ड) "निरीक्षक" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत मुख्य निरीक्षक भी आता है,
- (ढ) "उत्पाक साधन" से ऐसे सभी स्थायी या चलायमान स्थायी उठाई-धराई साधन अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत उनके स्थायी संलग्नक जैसे त्रेन, डेरिक, तट आधारित शक्ति चालित रेम्प भी आते हैं, जिनका प्रयोग डैक कर्म के संबंध में तट पर या पोत पर स्थायी को निर्लंबित करने, ऊपर ले जाने या नीचे ले आने या उन्हें निर्लंबित या अलंबित अवस्था में एक स्थिति से दूसरी स्थिति में ले जाने में किया जाए और इसमें उत्पाक मशीनरी सम्मिलित है,
- (ण) "खुला गियर" (लूज गियर) से हुक, शैकल, स्विबेल, जंजीर, स्लिंग, उत्पाक बीम, आधान त्वरक (कन्टेनर स्पीडर) ट्रे और ऐसा ही अन्य कोई गियर अभिप्रेत है जिसके माध्यम से किसी उत्पाक साधन के साथ भार को संलग्न किया जा सके और जिसमें उत्पाकन युक्ति सम्मिलित है,
- (त) "पत्तन" से ऐसा पत्तन अभिप्रेत है जो भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) के अधीन परिभाषित है,
- (थ) "पत्तन प्राधिकारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास डैक का साधारण प्रबन्ध और नियंत्रण है,

परन्तु यदि किसी अन्य व्यक्ति के पत्तन के किसी भाग पर अधिभोग के अन्तर्गत अधिकार द्वारा ऐसे भाग पर साधारण प्रबन्ध और नियंत्रण अर्जित कर लिया है तो उस भाग की बाबत उसे "पत्तन प्राधिकारी" समझा जाएगा,

- (द) "परिसर" से डैक, घाट, ष्ट्री, भण्डार, भंडारण स्थान या उत्तराई स्थान अभिप्रेत है जहाँ डैक कर्म किया जाता है,
- (ध) "विहित" से अभिप्रेत है केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया गया,
- (न) "घिरनी अलंब" से घिरनी, अलंब, जिन और समान गियर अभिप्रेत है जो त्रेन ब्लाक से भिन्न है और जिसे ऐसे त्रेन के साथ जिससे यह स्थायी रूप से संलग्न है, प्रयोग के लिए विशेष रूप से बनाया गया है,
- (प) "उत्तरदायी व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत जो, यथास्थिति, नियोजक, पोत के मास्टर, गियर के स्वामी या पत्तन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किया गया है और जो विनिर्दिष्ट कर्तव्य या कर्तव्यों के पालन के लिए उत्तरदायी होगा और जिसे पर्याप्त जानकारी और अनुभव है तथा जिसके पास कर्तव्य या कर्तव्यों के समुचित पालनार्थ आवश्यक प्राधिकार है,
- (फ) "सुरक्षित कार्यकारी भार" से खुला (लूज) गियर या उत्पाक साधन की किसी वस्तु के संबंध में ऐसा भार अभिप्रेत है जो ऐसा अधिकतम भार है जिसे सामान्य कार्यकारी स्थिति में सुरक्षित रूप से जैसा सक्षम व्यक्ति द्वारा निर्धारित और प्रमाणित किया गया हो, अधिरोपित किया जाए,
- (ब) "अनुसूची" से इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है,
- (श) "पोत" से किसी प्रकार का पोत, जलयान, बजरा, नौका या हॉबैर क्राफ्ट अभिप्रेत है जिसमें युद्धपोत और वैश्वी नाव सम्मिलित नहीं हैं,

(म) "परीक्षण स्थापन" से ऐसा स्थापन अभिप्रेत है जिसमें परीक्षा और परीक्षा संबंधी सुविधाएँ हैं जैसा कि विनियमों के अधीन अपेक्षानुसार उत्पाक साधन या खुला गियर या तार रस्से का परीक्षण, परीक्षा, तायनशुशिलन या प्रमाणीकरण आदि करने के लिए मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित है,

(य) "परिवहन उपस्कर" से विद्युत् चालित और हस्तचालित ट्रक दुभासी उत्पाक ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रेलर लोकोमोटिव, प्राइम मूवर और अन्य ऐसे उपस्कर जो डैक कर्म में प्रयोग में आते हैं, अभिप्रेत हैं,

(यय) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं और प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं।

### 3. निरीक्षणों का शक्तियाँ:

(क) निरीक्षक, ऐसे किसी पत्तन में जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है,—

- (i) ऐसी सहायता (यदि कोई हो) जिसे वह व्यक्ति समझता के साथ किसी पोत, डैक, भंडारण या अन्य परिसर में प्रवेश कर सकेगा जहाँ कोई डैक कर्म किया जा रहा हो या जहाँ उसे ऐसा विश्वास करने का कारण है कि कोई डैक कर्मचारी है;
- (ii) ऐसे पोत, डैक, उत्पाक साधन, खुला गियर, उत्पाक युक्ति, मंच परिवहन उपस्कर, भण्डारण या अन्य परिसरों की परीक्षा कर सकेगा जिनका किसी डैक कर्म के लिए उपयोग किया गया है या उपयोग किया जाने वाला है;
- (iii) डैक कर्मचारियों के नियोजन से संबंधित किसी रजिस्टर, मस्टर रोल या अन्य दस्तावेज पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा और उस दस्तावेज की परीक्षा कर सकेगा ;
- (iv) किसी व्यक्ति का स्थल पर या अन्यथा ऐसा साक्ष्य ले सकेगा जिसे वह आवश्यक समझे :

परन्तु, किसी व्यक्ति को, उपविनियम 3(क) (iv) के अधीन किसी प्रश्न का उत्तर या कोई ऐसा साक्ष्य देने के लिए, जो उसे अपराध में फंसाता हो, विवश नहीं किया जाएगा;

- (v) रजिस्ट्रों, अभिलेखों या अन्य दस्तावेजों या उसके किसी भाग की प्रतियाँ, जिन्हें वह किसी ऐसे अपराध के संबंध में, जिसके बारे में उसे विश्वास करने का कारण है कि अपराध किया गया है या किसी जांच के प्रयोजन के लिए सुसंगत समझता है, ले सकेगा ;
- (vi) ऐसे फोटोग्राफ, स्केप, नमूना, वजन, माप या अभिलेख जिसे वह किसी परीक्षा या जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझता है, ले सकेगा ;
- (vii) किसी दुर्घटना या खतरनाक घटना के कारण की जांच कर सकेगा जिसके बारे में उसे विश्वास करने का कारण है कि वह किसी उत्पाक साधन, खुला गियर, परिवहन उपस्कर मंच के ढह जाने या विफल होने का या अधिनियम या विनियमों के उपबंधों में से किसी के अवनुपालन का परिणाम है ;
- (viii) अधिनियम या विनियमों के अधीन उत्पन्न होने वाले सुरक्षा, स्वास्थ्य, और कल्याण उपबंधों से संबंधी कारण बताओ सूचना जारी कर सकेगा ;
- (ix) किसी न्यायालय के समक्ष ऐसी शिकायत या अन्य कार्यवाहियों का अभियोजन, संचालन या प्रतिरक्षा कर सकेगा जो अधिनियम या विनियमों के अधीन उत्पन्न हों ;

(x) पत्तन प्राधिकारी, डॉक थ्रम बोर्ड और अन्य डॉक कर्मकारों के नियोजक को, यदि आवश्यक समझा जाए डॉक कर्मकारों की स्वास्थ्य परीक्षण करवाने का निदेश दे सकेगा।

(ख) यथास्थिति, कोई व्यक्ति जिनके हाथ में परिसर का सामान्य प्रबन्ध और नियंत्रण है, या पोत का स्वामी, मास्टर, भारसाधक अधिकारी या अभिकर्ता निरीक्षक द्वारा प्रवेश, निरीक्षण, परीक्षा, जांच के लिए या अन्यथा अधिनियम या विनियम के अधीन उस पोत या परिसर के संबंध में अपनी शक्ति का प्रयोग करने लिए अपेक्षित साधनों की व्यवस्था करेगा जिसमें लांच या परिवहन के अन्य साधन की व्यवस्था भी सम्मिलित होगी।

#### 4. निरीक्षण की सूचना :

(1) निरीक्षक ऐसे दोषों और कमियों को, जो निरीक्षण और परीक्षण के दौरान उसके ध्यान में आए और जिन्हें वह बताना चाहे उक्त अधिनियम या विनियमों के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश के साथ निम्नलिखित को प्रख 9 में अधिमूचित कर सकेगा।

(i) पोत का स्वामी, मास्टर, भारसाधक अधिकारी या अभिकर्ता; या

(ii) पत्तन प्राधिकारी; या

(iii) उत्पाक साधित्र, खुला गियर, उत्पाक युक्ति और परिवहन उपस्कर के स्वामी; या

(iv) डॉक कर्मकारों के नियोजक।

(2) जब कोई निरीक्षक उपरोक्त उप विनियम (क) के अधीन, किसी डॉक, उत्पाक साधित्र, खुला गियर, उत्पाक युक्तियां, परिवहन उपस्कर, सीढ़ियां या पाइ या मंच के संबंध में सूचना देता है तब वह उस सूचना में जहां डॉक कर्मकार के जीवन, उसकी सुरक्षा या स्वास्थ्य के लिए परिस्थितियां खतरनाक हैं, डॉक को प्रतिषिद्ध कर सकेगा और ऐसे डॉक, उत्पाक साधित्र, खुला गियर, उत्पाक युक्ति, परिवहन उपस्कर, सीढ़ियों या मंच का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक सूचना में विनिर्दिष्ट दोष या दोषों को दूर नहीं कर दिया जाता और निरीक्षक प्रतिषेधात्मक आदेश वापिस नहीं ले लेता है।

5. अपील : अधिनियम की धारा 5 के अधीन मुख्य निरीक्षक द्वारा पारित किसी आदेश से व्यक्ति कोई व्यक्ति, उसको आदेश की संसूचना की तारीख से 15 दिन के भीतर, सचिव, भारत सरकार, थ्रम मंत्रालय, नई दिल्ली को अपील प्रस्तुत करेगा और अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।

#### 6. शास्तियां

इन विनियमों में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति जो इन विनियमों में से विनियम के पालन के लिए जिम्मेदार है, ऐसे विनियमों का उल्लंघन करता है, अपराध का दोषी होगा और ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा और यदि उल्लंघन दोष सिद्धि के बाद भी जारी रहता है, ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दंडित होगा जो उक्त उल्लंघन के जारी रहने तक प्रति दिन के लिए 100 रुपया तक हो सकेगा।

#### भाग 2

#### जिम्मेदारियां

#### 7. जिम्मेदारियां :

(1) पत्तन प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विनियमन 9 से 12, 15 से 23, 61 (1) और (8), 80 (2) (3), 81 83, 85 (12), 89, 91 (3) (6), 92 (3), 93 (1), (3) और (4), 94 से 115 का पालन करें।

(2) किसी पोत के स्वामी या मास्टर या भारसाधक अधिकारी और अभिकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह विनियम 12, 16 (1) से (3) 17 (1) (क), 24 से 37, 76, 80 (1), 99 (1) और 101 (1) और (3) का पालन करें।

(3) (क) तट पर या पोत के फलक पर डॉक कार्य में प्रयुक्त उत्पाक साधित्र, खुला गियर और परिवहन उपस्कर या अन्य कोई उपस्कर के स्वामी का कर्तव्य होगा कि वह विनियम 17 (4), 27, 40 से 49 51, 52 (1) से (4), 54, 57 (1) से (4), (6) और (7), 59 (1) से (3), 60, 62, 63, 64, 84 (1), 85 (5), 87 और 88 का पालन करें।

(ख) पोत, जो भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं है, के फलक पर डॉक कार्य में प्रयुक्त होने वाले उत्पाक साधित्र, खुला गियर, या अन्य कोई उपस्कर के मामले में उस पोत के मास्टर या मुख्य अधिकारी और पोत के अभिकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह विनियम 27, 40 से 49, 51, 52 (1) से (4), 54, 87 और 88 का पालन करे।

(4) (क) प्रत्येक नियोजक और उसके द्वारा नियोजित सभी अभिकर्ता, कर्मचारियों और डॉक कर्मकारों का यह कर्तव्य होगा कि वे विनियम 11 (1) और (2), 17 (5), 77 (5), 85 (8) और 86(8) का पालन करें।

(ख) प्रत्येक नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह विनियम 13, 14, 16 (4), 17(4) और (5), 18, 20 (2), 24 (7) और (9), 25, 28, 29(2), 31, 32, (3), (6), (8) और (9), 33 से 39, 45 (1) (2) और (3), 52 (5), 53 से 56, 57 (4) (ड0), (5), (6) और (8), 58, 59 (4) 61(ख) और (10) 62(13), (17), 64 से 75, 77 से 82, 84 (2), 85 [सिवाय 85 (12)], 86, 87 (2), 88 (4) से (8), 89 से 93, 95, 98, 107, 109 (2), 110, 114 (4), 116 और 117 का पालन करें।

परन्तु जहां डॉक कार्य किसी नौबरक या पोत के स्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां पोत के स्वामी, मास्टर या भारसाधक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह, जहां तक निम्नलिखित का संबंध है, विनियम 33(1) का पालन करे :-

(i) कोई ऐस हैच जिसे उक्त नौबरक या अन्य व्यक्ति ने डॉक कार्य के प्रयोजन के लिए ग्रहण नहीं किया है; और

(ii) कोई ऐस हैच जिसे उक्त नौबरक या अन्य व्यक्ति द्वारा डॉक कार्य के प्रयोजन के लिए ग्रहण करने के परन्तु (अ) पोत के स्वामी, मास्टर या भारसाधक अधिकारी को प्रख 1 में लिखित सूचना द्वारा उक्त व्यक्ति द्वारा या उसकी और से यह रिपोर्ट किया गया है कि वह हैच जिस पर डॉक कार्य पूरा कर दिया गया है या तत्समय पूरा कर लिया गया है (आ) विनियम 33 (1) द्वारा यथाअपेक्षित व्यक्तियों द्वारा बाड़ लगाकर बंदक छोड़ दिया गया है या पोत के स्वामी द्वारा या उसकी और से प्रयोग में ले लिया गया है, और किसी भी दशा में, यथापूर्वोक्त ऐसी लिखित सूचना द्वारा इस प्रकार रिपोर्ट किया गया है पोत के स्वामी, मास्टर या भारसाधक अधिकारी यह कर्तव्य होगा कि वह यथापूर्वोक्त ऐसी लिखित सूचना की लिखित पावती शीघ्र दे।

(5) प्रत्येक डॉक कर्मकार का यह कर्तव्य होगा कि वह इन विनियमों की ऐसी अपेक्षाओं का पालन करे जो उनके किसी कार्य के अनुपालन या उससे विरत रहने से संबंधित हो और इन विनियमों को अपेक्षा को कार्यान्वित करने में सहयोग दें और यदि उसे इस बात का पता चले कि उत्पाक साधित्र, खुला गियर, उत्पाक, युक्ति, परिवहन और परिवहन उपस्कर या अन्य उपस्कर में कोई दोष है तो वह ऐसे दोष के बारे में बिना अनुचित विलंब के अपने नियोजक या फोरमैन या प्राधिकार रखने वाले अन्य व्यक्ति को इसकी रिपोर्ट करे।

(6) कोई भी व्यक्ति, जब तक वह सम्यक् रूप से प्राधिकृत न किया गया हो या किसी आवश्यकता की दशा में अधिनियम या इन विनियमों के अधीन उपबंधित की जाने के लिए अपेक्षित किसी बाड़, गैंगवें गियर, सोड़ी, हैच छादन, प्राणरक्षक साधित, प्रकाश या किसी अन्य वस्तु न तो हटाएगा और न उसमें कोई हस्तक्षेप करेगा। यदि हटाया जाता है तो ऐसी वस्तुओं को ऐसी अवधि के अन्त में पुनः स्थापित किया जाएगा। जिसके दौरान उनका हटाया जाना आवश्यक था और ऐसा उन व्यक्तियों द्वारा जाएगा जो उस समय कार्य के अन्त में लगे हुए थे जिस समय हटाए जाने की आवश्यकता पड़ी थी।

(7)(क) कोई भी नियोजक, डॉक कर्मकारों द्वारा ऐसे उत्पाक साधित, खुला गियर, उत्पाक युक्ति, या प्रवेश और परिवहन उपस्कर के प्रयोग को अनुज्ञान नहीं करेगा जो विनियम 17(4), 27, 40 से 49, 51, 52(1) से (4), 54, 57 (1) से (4), (6) और (7), 59 (1) से (3), 60, 62, 87 और 88 को अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता ;

(ख) यदि कोई व्यक्ति जिसका कर्तव्य उपविनियम (2) में उल्लिखित विनियमों का पालन करना है, ऐसा करने में असफल रहता है तो डॉक कर्मकारों के नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे विनियमों का, ऐसी असफलता के पश्चात् कम से कम समुचित व्यवहार्य समय के भीतर पालन करे।

8. किसी पोत के तत्समय भारसाधक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह, विनियम 51 के अधीन अपेक्षित रजिस्टर और प्रमाणपत्र निरीक्षण और परीक्षण के लिए पेश करे।

9. प्रत्येक डॉक कर्मकार, इन विनियमों में उपबंधित पहुँच के साधन का प्रयोग करेगा और कोई भी व्यक्ति इसके अनुसार उपबंधित के सिवाय पहुँच के साधन का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य को न तो प्राधिकृत करेगा और न आदेश देगा।

10. कोई भी व्यक्ति गियर के समायोजन के प्रयोजन के लिए और उन्हें चालू या बंद करने के लिए न तो हैच भीम पर और न ही किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्राधिकृत करेगा या आदेश देगा।

(11) डॉक थ्रम बोर्ड और डॉक कर्मकारों के अन्य प्रत्येक नियोजक का कर्तव्य होगा कि वह विनियम 74, 89, 91(3), 92, 93 (1), (3) और (4), 103, 107, 108 से 111 का पालन करें।

(12) सक्षम व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह विनियम 41, 47, 48 और 50 का पालन करे।

8. छूट :

मुख्य निरीक्षक, लिखित आदेश (जो उसके विवेकानुसार किसी भी समय वापिस लिया जा सकेगा) द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जैसी इसमें विनिर्दिष्ट की जाए, इन विनियमों की सभी या किसी अपेक्षा से निम्नलिखित को छूट दे सकेगी :—

(क) किसी डॉक या डॉक का भाग, यदि उसका समाधान हो जाता है कि उस डॉक में डॉक कार्य यथा-कदा किया जाता है या यातायात थोड़ा है और छोटे पोत तथा मत्स्य जलयानों तक सीमित है;

(ख) कोई साधित, गियर, उपस्कर या युक्ति या साधित, गियर, उपस्कर या युक्ति का कोई वर्ष या प्रकार, यदि उसका समाधान हो जाता है कि वे अपेक्षाएं जिनकी बावत छूट दी गई है, आवश्यक नहीं हैं या समानतः प्रभावी उपाय कर लिए गए हैं ;

परन्तु वह इस विनियम के अधीन प्रदान नहीं करेगा जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी छूट डॉक कर्मकार के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के अर्थ में आवश्यक नहीं बनेगी।

भाग 3

सुरक्षा

क. कार्य स्थल

9. सतह :

(1) किसी डॉक पर प्रत्येक नियमित पहुँच मार्ग जिसका डॉक कर्मकारों को कार्य-स्थल को जाने या वहाँ से जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और डॉक के भीतर ऐसा प्रत्येक स्थल—

(क) ऐसी वस्तुओं से साफ और मुक्त रखा जाएगा जिससे किसलन, लड़खड़ाहट या गिरना कारित हो;

(ख) डॉक कर्मकारों की सुरक्षा का सम्यक् रूप से ध्यान रखते हुए मरम्मत करके अच्छी हालत में रखा जाएगा।

(2) डॉक में सभी क्षेत्रों में नालियों की उचित व्यवस्था होगी और झड़ों भाण्डागारों तथा भण्डार स्थानों तक सुरक्षित रूप से पहुँचने को और स्थीरा तथा उपस्कर की सुरक्षित उठाई धराई को मुक्त बनाने के उद्देश्य से उन्हें संतुलित किया जाएगा।

(3) नालियों के पूल और कैच बेसिन को उचित रूप से ढका या बन्द किया जाएगा।

(4) डॉक के सभी क्षेत्र और सभी पहुँच मार्ग जिन पर उत्पाक साधित और उपस्कर का प्रयोग किया जाता है, मजबूती से बनाए जाएंगे, उनकी सतह अच्छी सामग्री से बनाई जाएगी और पर्याप्त रूप से समतल बनाया जाएगा और छिद्र तथा दरार से मुक्त होगा जिससे कि स्थीरा का परिवहन सुरक्षित रूप से हो सके और उनका उचित रूप से अनुरक्षण किया जाएगा।

(5) डॉक में कोई कार्य स्थल जो क्षतिग्रस्त है या मरम्मत-अधीन है अन्य क्षेत्रों से प्रभावी रूप से निरुद्ध कर दिया जाएगा और जब आवश्यक हो रात्रि में चेतावनी प्रकाशन की व्यवस्था की जाएगी।

(6) जल द्वारा परिवहन के लिए आशयित यानों में चढ़ने या उतरने के लिए डॉक कर्मकारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी उतरने के स्थानों को, उनकी प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुए, मरम्मत द्वारा अच्छी हालत में रखा जाएगा।

10. खतरनाक स्थानों की बाड़ लगाना :

(1) डॉक के निम्नलिखित हिस्से और पहुँच मार्ग यातायात और कार्यकरण को ध्यान में रखते हुए यथासहज बाड़ से अनुरक्षित किया जाएगा। बाड़ की ऊँचाई किसी भी स्थान पर एक मीटर से कम नहीं होगी और बाड़ अच्छी हालत में रखी जाएगी :—

(क) किसी डॉक के सभी कटाव, खतरनाक कोने और अन्य खतरनाक भाग या सिरे,

(ख) पुल, बेसिन और डॉक द्वार के ऊपर थोड़े ऐसे पार्श्व पैदल मार्ग जो डॉक कर्मकारों के साधारण उपयोग में हैं और ऐसे पैदल मार्ग के प्रवेश की प्रत्येक ओर, अन्त में प्रत्येक ओर पर्याप्त दूरी के लिए जो 4.5 मीटर से अधिक नहीं होगी;

परन्तु उन बाड़ों के मामले में जो इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से पहले विनिर्मित की गई थीं, बाड़ की ऊँचाई का किमी की स्थान पर 75 सेंटीमीटर से कम न होना पर्याप्त होगा।

(2) पार्श्व आर केबिलों के लिए नाली, गड्ढा, खाई और परि-संकट-नश रिबर और उत्खनन सुरक्षित रूप से ढक दिए जाएंगे या पर्याप्त रूप से बाड़मुक्त होंगे।

(3) जहाँ घाट या घट्टी पानी की ओर अस्वास्थ्यक ढलान वाली है वहाँ बाहरी किनारा यथासाध्य संरक्षित किया जाएगा।

11 रास्ते खाली रखे जाएंगे :

(1) जहाँ डॉक कर्मकार नियोजित किए गए हैं वहाँ डॉक के किसी क्षेत्र पर स्थौर इस प्रकार संशयित नहीं किया जाएगा या परिवहन उपस्कर या उन्मामक साधित इस प्रकार नहीं रखे जाएंगे जिससे कि पोत, चैन, प्राणरक्षक साधित, अग्निशामक उपस्कर और इन विनियमों के अधीन उल्लिखित कल्याणकारी सुविधाओं के लिए पहुंच में बाधा आती हो ।

(2) जहाँ कोई जगह किसी घाट या घट्टी के किनारे के साथ छोड़ी जाती है वहाँ वह कम से कम 90 सें. मी. चौड़ी होगी और उपयोग में स्थिर संरचनाओं, संयंत्र और साधितों से भिन्न सभी बाधाओं से खाली रखी जाएगी ।

(3) जहाँ किसी डॉक के कार्य क्षेत्र परिचिष्ट है और यातायात उचित ठहराता है वहाँ पैदल यात्रियों के लिए एक पृथक द्वार या रास्ते की व्यवस्था की जाएगी ।

12. रेलिंग और बाड़ :

(1) पोत पर चढ़ने, उतरने के लिए हुंचपथ, स्थल सीढ़ी, रिंगवे, निसैनी और किसी अन्य खतरनाक स्थान की बाड़ के लिए सभी रेलिंग ठोस सामग्री, अच्छा विनियोग और पर्याप्त शक्तिशाली होंगे और इन विनियमों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो--

(क) कम से कम एक मीटर ऊंची होगी, और

(ख) दो रेलों या दो खोंची रस्सी या चैन जो टेक और टो बोर्ड से अलंबित होगी ।

(2) मध्यवर्ती रेल, रस्ता या जंजीर 50 सें. मी. ऊंची होगी ।

(3) टेके 2 मीटर पार्श्व से अधिक दूरी पर नहीं होंगे और अनवधानता से बाहर निकलने से सुरक्षित होंगे ।

(4) टो बोर्ड कम से कम 15 सें. मी. ऊंचा होगा ।

(5) रेलिंग तीक्ष्ण धार रहित होंगे ।

(6) हैचपथ, ऊंचे प्लेटफार्म आदि की अस्थाई बाड़ युक्तियुक्त रूप से अस्थासाध्य, एक मीटर की ऊंचाई तक और निम्नलिखित में किसी की होगी--

(क) दो खोंची रस्सी या जंजीर टेके सहित, या

(ख) ठीक प्रकार से विशिष्ट कोशी और सुरक्षित रूप से जकड़ा हुआ सुरक्षा जाल ।

(7) परिवहन जलयान पर पहुंचने की सीढ़ी काप्ट या रबड़ चपलान से उपस्करित होगी जिससे कि सोपान पार्श्व और जलयान पार्श्व के बीच 30 सें. मी. से अधिक दूरी अनुरक्षित हो सके ।

13. मंच निर्माण और अनुरक्षण

(1) मंच निर्माण के लिए सुविधाजनक स्थान या स्थानों पर, ठोस और सारवान् सामग्री की पर्याप्त प्रति उपलब्ध की जाएगी ।

(2) सभी मंचों का--

(क) ठोस और सारवान् सामग्री से सुरक्षित रूप से विनिर्माण किया जायेगा । और उस दशा में अनुरक्षित किया जाएगा जिसमें सभी डॉक कर्मकारों की सुरक्षा अनिश्चित हो सके, और

(ख) किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा नियमित और अंतराल से बार-बार निरीक्षण किया जाएगा ।

(3) मंच के लिए उपयोग में आणवित सभी फलक और रस्सों की

(क) उपयोग में लाने से पहले सावधानीपूर्वक परीक्षा की जाएगी और

(ख) मंच खोलने के पश्चात् पुनः उपभोग करने से पहले किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा पुनः परीक्षा की जाएगी ।

(4) फिसलन रोकने के लिए मंच के सभी फलक सुरक्षित रूप से जकड़ दिए जाएंगे ।

(5) सभी मंच पर्याप्त रूप से चौड़े होंगे जिससे उतमें कार्य करने वाले डॉक कर्मकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके । विशेष रूप से, त्त, सतह, डैक, वासम, डैक या टैक टाप से 2 मीटर या अधिक ऊंचाई पर कोई मंच 30 सें. मी. चौड़ाई से कम नहीं होगा ।

(6) निसैनीक डंडों पर अलंबित फलक मंच के अलंब हेतु प्रयोग नहीं किए जाएंगे ।

(7) (क) रस्सों और चैन से निलंबित मंच यथासाध्य सुरक्षित किया जाएगा जिससे उसका झूलना रोक जा सके, और

(ख) मंचों के निलंबन में उन रस्सों या जंजीर का प्रयोग नहीं किया जाएगा जो उपयुक्त क्वालिटी की पर्याप्त मजबूत और प्रत्यक्ष दोषों से मुक्त न हो । फाइबर रस्सा तीक्ष्ण धार के ऊपर से पास नहीं किया जाएगा ।

(8) मंच से आने-जाने के लिए डॉक कर्मकारों के सुरक्षित पहुंच मार्ग का प्रबन्ध किया जाएगा और मंच के निलंबन में प्रयोग किए गए रस्सों का पहुंच मार्ग के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा ।

14. मंच पर कार्य:

(1) किसी मंच फलक पर एक समय में दो व्यक्तियों से अधिक को कार्य करने के लिए समनज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(2) अब डॉक कर्मकार को मंच पर 2.5 सें. मी. से अधिक ऊंचाई पर नियोजित किया जाए तब उसकी बचाव-रस्सी से उपस्करित सुरक्षा पट्टि द्वारा सुरक्षा की जाएगी जो किसी स्थिर संरचना से सुरक्षित न्यूनतम ढोला होगा ।

(3) प्रत्येक उपयोग से पूर्व पट्टे और तूचाव-रस्सी को शुष्क विगलन रासायनिक नुकसानी और उसकी शक्ति को प्रभावित करने वाली अन्य खरबी के लिए जांच की जाएगी । खरब पट्टों का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(4) जब मंच के ऊपर से लदे हुए स्लिग पास होना हो और वस्तुओं के गिरने का खतरा हो, मंच पर कार्य नहीं किया जाएगा ।

15. प्राणरक्षक साधित :

डॉक कर्मकारों के डूबने से बचाव की व्यवस्था और अनुरक्षण किया जाएगा और जिसके अन्तर्गत होगा :--

(क) जीवन-रक्षक साधितों का प्रदाय किया जाना, घाट या पट्टी पर चालू हालत में रखना जो सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर युक्तियुक्त रूप से पर्याप्त हों, और

(ख) युक्तियुक्त अंतराल से जल सतह पर या नजदीक में वे उपाय जो व्यक्ति को स्वयं को संभालने या जल से बाहर आने के लिए सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर युक्तियुक्त रूप से पर्याप्त हों ।

16. प्रदीपन :

(1) डॉक में और पोत पर वे सभी क्षेत्र जहाँ गोदी कार्य किया जाता है और ऐसे क्षेत्रों और स्थानों के सभी पहुंच मार्गों को, जिसमें डॉक कर्मकारों का अपने नियोजन के अनुक्रम में जाना अपेक्षित है समुचित रूप से सुरक्षापूर्वक और दक्षतापूर्वक प्रकाशयुक्त किया जाएगा ।

(2) डाँक पर उन क्षेत्रों में साधारण प्रदीपन कम से कम 10 लक्स होगा। जहाँ से डाँक कर्मकारों को निकलना पड़ता है और उन स्थानों में जहाँ डाँक कर्मकार नियोजित हैं, प्रदीपन, विशेष रूप से खतरनाक स्थानों पर किसी अतिरिक्त प्रदीपन की आवश्यकता के उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाँक बिना कम से कम 25 लक्स होगा।

(3) कृत्रिम प्रकाश के साधन, जहाँ तक साध्य हो ऐसे होंगे और ऐसे रखे जाएंगे कि उस विस्तार तक चकाचौंध या प्रतिबिम्ब के बनने का निवारण किया जा सके जिससे किसी डाँक कर्मकार को दुर्घटना की जोखिम कारित न हो।

(4) वहनीय प्रकाश अच्छे दशा में बनाया रखा जाएगा और निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा

- (क) वे पर्याप्त परावर्तकों और रोक से सुसज्जित किए जाएंगे और
- (ख) वे हँकी इयुटेड विद्युत कार्य से सुसज्जित होंगी और साथ ही संयोजन और विद्युत रोधन सुरक्षित दशा में बनाया रखा जाएगा।

#### 17. अग्नि परिव्राण :

(1) उन स्थानों में, जहाँ डाँक कर्मकार नियोजित किए जाते हैं, वहाँ—

- (क) पर्याप्त और उपयुक्त अग्निशामक उपस्कर, और
- (ख) राष्ट्रीय मानकों के अनुसार व्यापक दबाव पर पर्याप्त जल प्रदाय की व्यवस्था की जाएगी।

(2) अग्निशमन उपस्कर उपयोग करके के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति सभी कार्य घंटों के दौरान सुगमता से उपलब्ध होंगे।

(3) अग्निशमक उपस्कर उचित रूप में रखे जाएंगे और उनका नियमित अन्तरालों पर निरीक्षण पर किया जाएगा तथा उस आशय का अभिलेख रखा जाएगा।

(4) उपयुक्त प्रकार के वहनीय अग्निशमक उपस्कर को प्रत्येक बिहार-नौका या नौका अथवा डाँक कर्मकारों के परिवहन के लिए प्रयोग किए जाने वाले अन्य यान में तथा कैबिन में भी जिसके अन्तर्गत चल क्रेन भी हैं व्यवस्था की जाएगी।

(5) किसी पोत के पैटा में, घाट पर, भांडागारों और अभिवहन क्षेत्रों में धूम्रपान अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और धूम्रपान मना है या कोई अन्य चेतावनीयक्त सचनएँ ऐसे स्थानों पर संप्रदर्शित की जाएगी।

#### 18. अत्याधिक शोर, आदि :

कार्य स्थल पर अत्याधिक शोर, कंपन और वायुप्रदूषण के अपहानिकर प्रभावों से डाँक कर्मकारों के बचाव के लिए पर्याप्त रूप से पूर्वावधानियाँ बरती जाएँगी। किसी भी स्थिति में शोर-का प्रबलता स्तर अनुसूची VII में अधिकथित सीमा से अधिक नहीं होगा

#### ख. भांडागार और भंडार स्थान

##### 19. विनिर्माण :

(1) भांडागार और भंडार स्थान के सभी तल, दीवारों, सौथान, सीढ़ियों, रास्ते, झूट और गैंगवे को अच्छी सामग्री से बनाया जाएगा और उन्हें उचित रूप में बनाए रखा जाएगा।

(2) रैम्प की ढलान इस प्रकार की होगी जिससे उसका उपयोग करने वाले परिवहन उपस्कर या यान की स्थिरता को खतरा न हो

20. तल भार

(1) किसी भांडागार या भंडार स्थान के किसी तल द्वारा वहन किया जाने वाला प्रति वर्ग मीटर अधिकतम भार और ऐसे तल पर उपयोग किए जाने वाले किसी उत्पादक साधन और परिवहन उपस्कर का अधिकतम भार किन्हीं सहजदृश्य स्थानों पर संप्रदर्शित किया जाएगा।

(2) भार उपविनियम (1) में निर्दिष्ट अधिकतम भार से अधिक नहीं होगा।

##### 21. सीढ़ियाँ :

(1) किसी भांडागार या भंडार स्थान में प्रत्येक सीढ़ी के लिए कम से कम एक मीटर की ऊंचाई की पर्याप्त रेलिंग की व्यवस्था की जाएगी और बनाए रखा जाएगा जो, यदि सीढ़ी एक ओर से खुली है तो वह उसी ओर होगी और ऐसी सीढ़ी का दशा में जो दो ओर खुला है, ऐसी रेलिंग की दोनों ओर व्यवस्था की जाएगी और बनाए रखी जाएगी।

(3) सीढ़ी जिस ओर से भी खुली होगी उसके किसी भी निचला रेलिंग या किसी अन्य प्रभावों साधन से भी बचाव की व्यवस्था की जाएगी और वह बनाए रखा जाएगा।

##### 22. खुले स्थान :

तलों और दीवारों में सभी खुले स्थान, जहाँ तक वे खतरा उत्पन्न करते हैं, प्रावो डेग से संरक्षित किए जाएंगे।

##### 23. अग्नि की दशा में बच निकलने के साधन

(1) सभी भांडागार और भंडार स्थानों में अग्नि की दशा में उसमें नियोजित डाँक कर्मकारों की बच निकलने के पर्याप्त साधन प्रदान किए जाएंगे और उन साधनों से भिन्न जो निकास के सामान्य प्रयोग में हैं बच निकलने के सभी साधन डाँक कर्मकारों के बहुमत द्वारा समझी जाने वाली भाषा में सुस्पष्ट रूप से चिह्नित किए जाएंगे।

(2) अग्नि की दशा में बच निकलने के प्रत्येक साधन तक पहुँचने के लिए सभी डाँक कर्मकारों के उपयोग के लिए अवाध रूप से गुजरने का रास्ता बनाए रखा जाएगा।

(3) प्रत्येक डाँक में अग्नि की दशा में उसमें नियोजित प्रत्येक डाँक कर्मकार का चेतावनी देने के लिए प्रभावी और सुस्पष्ट श्रव्य साधन की व्यवस्था की जाएगी।

##### ग. पहुँच के साधन

24. सट और पोत के बीच पहुँच : (1) जब कोई पोत डाँक कार्य के प्रयोजन के लिए किसी घाट या घट्टी पर खड़ा हो तो पोत के लिए पहुँच के पर्याप्त और सुरक्षित साधन उचित रूप से प्रतिष्ठापित और सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाएगी।

(2) उप विनियम (1) द्वारा अपेक्षित साधन निम्नलिखित होंगे : जहाँ साध्य हो, वहाँ पोत-सीढ़ी या गैंगवे या वैसा ही सन्निर्माण,—

(i) तोपनों में कम से कम 55 से.मी. चौड़ा होगा और स्थायी फिक्सलन रहित घरातल वाले सौथानों सहित पर्याप्त गहराई का होगा ;

(ii) उच्चतर और निम्नतर रेलिंग, कसे हुए रस्सों या जंजीरों के द्वारा या उसी के समान अन्य सुरक्षित साधनों के द्वारा पूर्ण एक मीटर की ऊंचाई तक प्रत्येक साइड को इसकी लंबाई को पूर्णतः उचित रूप में सुरक्षित और उचित रूप में बाड़युक्त किया जाएगा, सिवाय इसके कि पोत सीढ़ी के मामले में किसी बाड़ केवल एक किनारे पर आवश्यक होगी; परन्तु यह तब जब कि अन्य किनारा पोत के किनारे द्वारा उचित रूप से संरक्षित हो ;



- (iii) उपयुक्त सामग्री से निर्मित होगा और अच्छी दशा में अनुरक्षित रखा जाएगा तथा उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त होगा ;
- (iv) ऐसी दशा में बनाए रखा जाएगा जिससे कि फिसलन रोक जा सके ।
- (v) सीढ़ी के दोनों किनारों में से किसी पर लगाया गया एक प्लेट-फार्म और डॉक पर टिका निम्नतर प्लेटफार्म या सोपानाम विश्रामी लगाया जाएगा ।
- (vi) ज्वार और ड्राफ्ट की दशाओं को ध्यान में लाए बिना क्षैतिज के 40 डिग्री से अनाधिक कोण बनाए रखा जाएगा ।

(3) यदि स्थिर सोपानाम सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है और कोण इतना नीचे है कि डॉक कर्मचारों को सोपानामों के किनारों पर चलना पड़े तो क्लोर युक्त डाक बोर्ड बिछा दिए जाएंगे और सीढ़ी से जोड़ दिए जाएंगे ।

(4) जब कभी पोत और तट के बीच डॉक कर्मचारों के गिरने का खतरा ही तो सुरक्षा जाल या अन्य उपयुक्त संरक्षण ऐसी रीति में पोत सीढ़ी के नीचे सज्जित किया जाएगा जिससे कि डॉक कर्मचारों को गिरने से रोका जा सके ।

(5) यदि पोत सीढ़ी या गैंगवे टिकना संभव नहीं है और उसका पाया घाट या धट्टी के किनारे से 30 से.मी. से अधिक दूर है तो उनके बीच की खाली जगह में दृढ़ केवल पार-पथ बनाया जाएगा जिसे मध्य रेलों के साथ कम से कम एक मीटर की लंबाई की दोनों किनारों पर रेलिंग से सुसज्जित किया जाएगा ।

(6) पोत की पहुंच, भार के बोलायमान अर्थव्यास के भीतर नहीं होगी ।

(7) जब पहुंच मार्ग का ऊपरी सिरा बुलवर्क के शीर्ष के साथ क्लश पर या फ्लश में उतरता है, तब बुलवर्क के सीधे और डेक के बीच समुचित रूप से सुरक्षित और एक मीटर ऊंचाई की कम से कम एक मजबूत हैंडरेल से सुसज्जित मजबूत सोपानाम की व्यवस्था की जाएगी और वे सोपान यथाशक्यसाध्य गैंगवे की सीध में होंगे ।

(8) पहुंच मार्ग के लिए बोलायमान डेरिक्स या रज्जू सीढ़ी का उपयोग प्रतिसिद्ध होगा ।

25. पोत और अन्य जलयान के बीच पहुंच मार्ग ;

(1) जब कोई पोत किसी अन्य पोत के साथ-साथ है और कर्मचारों को एक से दूसरे पर जाना हो तो उनके उपयोग के लिए पहुंच-मार्ग के पर्याप्त और सुरक्षित साधनों की व्यवस्था की जाएगी जब तक कि परिस्थितियों ऐसी न हो कि एक से दूसरे तक जाना असम्भव जोखिम पूर्ण हो और किसी विशेष साधन की सहायता के बिना असंभव हो ।

(2) यदि दूसरा पोत बार्ज, फ्लैट कोल या सापेक्षतः निम्न अवधि फलक के बैसे ही अन्य यान के रूप में चलाया जा रहा है तो, पहुंच के साधनों की व्यवस्था उस पोत द्वारा की जाएगी जिसका अबाध फलक अधिक ऊंचा है ।

(3) पोत और अन्य जलयान के बीच तक पहुंच के साधन के रूप में प्रयुक्त रज्जू सीढ़ी,—

(क) अच्छी विनिर्मिति की पर्याप्त मजबूत उपयुक्त और मजबूत सामग्री से बनी होगी और उसे उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है, उचित दशा में रखा जाएगा ;

(ख) अपने ऊपरी किनारे पर पर्याप्त रूप से सुरक्षित इस प्रकार होंगी कि जब सीढ़ी का उपयोग किया जाए, उसके अतिरिक्त बेल्लित भाग की किसी संभावित नीचे की और फिसलन से रोकने के लिए दृढ़ और सुरक्षित हो ।

(ग) इसमें ऐसे सोपानाम होंगे जो चपेट होंगे और जिनकी चौड़ाई और गहराई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर होगी तथा इस प्रकार सन्निर्मित होंगे जो कि फिसलन को रोक सकें ;

(घ) सीढ़ी को व्यावर्तन से रोकने के लिए जहां तक व्यवहार्य हों उपयुक्त व्यवस्था की जाए ; और

(ङ) तल सोपानाम निम्न अवतरण स्थान से सुरक्षित दूरी पर हों ।

26. डेक और पेटा के बीच की पहुंच :

(1) यदि डेक के स्तर से पेटा के तल तक की गहराई 1.5 मीटर से अधिक है तो उस डेक से पेटा तक जिसमें कार्य हो रहा है सुरक्षित पहुंच मार्ग की व्यवस्था की जाएगी ।

(2) जहां व्यवहार्य हो, वहां पेटा तक पहुंच, 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर के स्पष्ट आकार के पृथक पहुंच हैंचों द्वारा होगी । जिसमें प्रत्येक डेक-से निम्न पेटा तक से होकर ढलवा सीढ़ी और हंड रेल होंगी और किसी प्रवेश हैंच के लिए, जब वह खुली स्थिति में हो, प्रभावः रूप से सुरक्षित कब्जेदार ढक्कन होंगे ।

(3) जब हैंचवे की लंबाई 7 मीटर से अधिक हो तब किसी स्थिर अवलंब सीढ़ी की हैंचवे के अगले पिछले भाग के ऊपर या उसके निकट दोनों पर फिट किया जाएगा ।

(4) स्थिर पेटा सीढ़ी अच्छी हालत में मरम्मत की हुई अनुरक्षित की जाएगी तथा निम्नलिखित उपबंधों का भी अनुपालन किया जाएगा :-

(क) सीढ़ियां अपने उर्ध्वार में कम से कम 30 सेंटीमीटर होंगी और सीढ़ियों के पीछे कम से कम 12 सेंटीमीटर का स्वच्छंद पादकोष्ठ छोड़ा जाएगा,

(ख) रंग से इस प्रकार बांधा जाएगा कि वे झुके नहीं और रंग के बीच का अंतराल 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगा,

(ग) रंग में एक पर्याप्त हल्का लगा होगा,

(घ) सीढ़ियां पर्याप्त रूप से लंबी होंगी, और

(ङ) प्रत्येक छ मीटर या उसके किसी भाग की लंबाई के लिए किसी समुचित अवतरण प्लेटफार्म की व्यवस्था की जाएगी ।

(5) डेक को संयोजित करने वाली स्थिर पेटा सीढ़ियां तब तक उसी सीधों पंक्ति में रहेंगी जब तक कि प्रत्येक डेक के बीच में सीढ़ियों के सुरक्षित चढ़ाई और उतराई के लिए उपाय नहीं कर लिए जाते ।

(क) यदि स्थिर पेटा सीढ़ियों की कोमिंग की ओर नहीं बढ़ाया जा सकता तो उसी सीध में जिसमें सीढ़ियां हैं, 30 सेंटीमीटर के अंतराल पर कोमिंग में मजबूत क्लीट फिट की जाएगी और अंतराल की कम से कम चौड़ाई 30 सेंटीमीटर होगी तथा कम से कम 12 सेंटीमीटर के स्वच्छंद पाद कोष्ठ की व्यवस्था की जाएगी और उसे इस प्रकार बनाया जाएगा कि किसी भी ओर पैर न फिसले ।

(ख) ऐसे कोमिंग जो डेक के ऊपर 90 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचे हैं बाहर की ओर इस उपविनियम में निर्दिष्ट आवश्यक क्लीट्स की व्यवस्था की जाएगी ।

(7) प्रत्येक आर पर्याप्त हल्ये और पर्याप्त सहित शैपट सूत्रों की व्यवस्था की जाएगी ।

(8) पेटा सीढ़ी और सीढ़ियों तक पहुंच मार्ग कम से कम 40 सेंटीमीटर चौड़ा होगा अरु बाधरहित होगा, अरु यदि एक या दोनों ओर कोई खतरनाक गतिमान भाग है तो वह कम से कम 50 सेंटीमीटर चौड़ा होगा

(9) सीढ़ी पाद स्थल के प्रत्येक छेद पर गहराई जिसमें सीढ़ी के पीछे कोई उपहृ शामिल है उसी से चौड़ाई के लिए कम से कम 12 सें.मी. जोड़ने के लिए स्थिरा का सीढ़ी से पर्याप्त दूरी पर चढ़ा लगाया जाएगा ।

27. उद्योगिक साधनों तक पहुँच के साधन और बाड़ :

(1) किसी उद्योगिक साधन के प्रत्येक भाग पर पहुँच के सुरक्षित साधनों की व्यवस्था की जाएगी ।

(2) यांत्रिक शक्ति से चालित प्रत्येक क्रेन या टिप पर प्रचालक का प्लेटफार्म पहुँच के सुरक्षित साधनों के साथ सुरक्षित रूप से बाड़युक्त होगा । विशेषतः जहाँ पहुँच एक सीढ़ी द्वारा है—

(क) सीढ़ी के किनारे प्लेटफार्म से पर युक्तियुक्त दूरी तक विस्तारित होंगे या अन्य कोई उपयुक्त हैंडहोल्ड की व्यवस्था की जाएगी :

(ख) प्लेटफार्म पर उतराई स्थान बाधा रहित और फिसलन से मुक्त रखा जाएगा, और

(ग) जहाँ सीढ़ी उर्ध्वाधर है और छह मीटर से अधिक ऊँची है, उस दशा में प्रत्येक छह मीटर और उसके भाग के पश्चात् एक विश्राम स्थान की व्यवस्था की जाएगी ।

28. सीढ़ियाँ :

(1) डॉक कर्मकारों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी धातु, लकड़ी रस्सों की या अन्य सीढ़ियाँ, उस कार्य के लिए जिसके लिए आशयित हैं मजबूत सामग्री, अच्छी विनिर्मात और पर्याप्त शक्ति की हॉरी और उनका उचित रूप से अनुरक्षण किया जाएगा और तैल तथा अन्य फिसलने वाली सामग्री से मुक्त रखा जाएगा ।

(2) लकड़ी की सीढ़ियाँ पेट नहीं की जाएगी पर तु निर्मल बार्निश या अन्य पारदर्शी परिरक्षी से आच्छादित की जाएगी ।

(3) वह सीढ़ी प्रयोग नहीं की जाएगी, जिसमें—

(क) कोई डंडा गायब या नुटिपूर्ण है, या

(ख) कोई डंडा उसके आलंब के लिए कौल, झूल या अन्य समान फिक्सिंग पर अवलंबित है ।

(4) किसी उन्नतवायी व्यक्ति द्वारा प्रत्येक सीढ़ी का यथोचित अंतराल से निरीक्षण किया जाएगा और यदि किसी सीढ़ी में कोई नुटि पाई जाती है, तो वह सीढ़ी तत्काल सेवा से पृथक कर दी जाएगी ।

घ-- डेक हैचपथाआदि

29. बुलवर्क रेल :

(1) सभी ऐसे ऊपरी डेकों के जिनमें डॉक कर्मकार, डॉक कार्य करने के प्रयोजन के लिए पहुँच रखते हैं बाहरी किनारे पर डेक के ऊपर एक मीटर की ऊँचाई तक किसी बुलवर्क या गार्ड रेलों की व्यवस्था की जाएगी जो इस प्रकार डिजाइन किए हुए, सम्मिलित और लगे हुए होंगे कि किसी डॉक कर्मकार को घटनाबाह्य बाहर गिरने से रोक सके ।

(2) बुलवर्क या गार्ड रेलें निरंतर होंगी वहाँ के सिवाय जहाँ डॉक कार्य के प्रयोजन के लिए सेक्शन को हटाना पड़े और ऐसे सेक्शनों का आवश्यक न्यूनतम दूरी से परे विस्तार नहीं किया जाएगा ।

30. डेक सीढ़ियाँ :

ऐसी सीढ़ियाँ जो ऊपरी डेक या पुल डेक या बिच डेक से मुख्य डेक तक जाती हैं इस प्रकार स्थित होंगी कि वे यथासंभव साध्य डॉक कर्मकारों के जोखिम को निम्न दशाओं में कम कर सकें—

(क) लदाई और उतराई के दौरान स्थोरा से आघात पहचाने पर, और

(ख) यदि सोपान से गिरने हैं तो किसी खुले पेटे में सीधा गिरने पर ।

31. ढाँचा डेक :

(1) जब किसी ढाँचा डेक पर डॉक कार्य हो रहा हो, सुरक्षित कार्यकरण धरातल सुनिश्चित करने के लिए उद्युक्त रैजिंगों सहित यथोचित मंच को व्यवस्था तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि डेक के नीचे का स्थान स्थोरा से ऐसे डेक से 60 सेंटीमीटर का दूरी तक नहीं भर जाता ।

(2) जब पेरा साँढ़ी से ढाँचा तक डेक तक पहुँच योग्य न हो, तब ऐसे पहुँच के सुरक्षित माधन के रूप में वहनीय सीढ़ी का व्यवस्था की जाएगी ।

32. कार्यकरण स्थान :

(1) डेक स्थोरा, भरे जाएँगे, या प्रभावो उपाय किए जाएँगे, ताकि

(क) बिच, पेटा सीढ़ी और संकेतकों के स्टैंड तक सुरक्षित पहुँच की व्यवस्था की जाए;

(ख) लदाई और उतराई के दौरान प्रयुक्त बिच और क्रेन सुरक्षापूर्ण कार्य कर सकें ।

(2) डेक स्थोरा, पेटा सीढ़ी और बिच के लिए सुरक्षित पहुँच सुरक्षित रूप से संस्थापित सोपानों या मोढ़ियों के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी ।

(3) जब संकेतक को हैच के स्क्वेयर से पोन का और जाना होता है तो कम से कम 90 सेंटीमीटर तक फैला धैल खुला रखा जाएगा

(4) यदि डेक स्थोरा की सतह खूरदुरी है तो डॉक कर्मकारों के सुरक्षित जाने के लिए समुचित उपाय किए जाएँगे ।

(5) जब डेक स्थोरा पोत के बुलवर्क या हैच कोमिंग के मुकाबले भरा है और इतनी ऊँचाई पर है कि डॉक कर्मकारों के फलक या खुले पेटे में गिरने का खतरा है तो ऐसे गिरने से बचाने के लिए समुचित बाड़ लगाई जाएगी ।

(6) जब डेक पर कोई स्थोरा है, उपयुक्त इंतजाम करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संकेतक और क्रेन या बिच आपरेटर के बीच दृश्यमानतः अवरोधित न हो ।

(7) ऐसे सभी स्थान जैसे डैक, मंच आदि समुचित रूप से स्वच्छ होने चाहिए और उन्हें ऐसी वस्तुओं से मुक्त रखा जाना चाहिए जिससे फिसलन, लड़खड़ाना या गिरना कारित हो ।

(8) जब कोमिंग इतना ऊँचा हो कि संकेतक समुचित रूप से पेटे को न देख सके तो समुचित साँढ़ी या प्लेटफार्म इस रीति से लगाया जाना चाहिए कि प्लेटफार्म के शीर्ष और कोमिंग के ऊपरी किनारे के बीच की दूरी एक मीटर से कम न हो ।

(9) प्रत्येक हैच के चारों ओर माफ और बाधा रहित स्थान जो कम से कम 90 सेंटीमीटर विस्तृत हो और जहाँ ऐसा संभव न हो वहाँ उतना चौड़ा जितना युक्तियुक्त रूप से संभव हो रखा जाएगा ।

(10) डॉक कर्म के संबंध से प्रयुक्त पोत का कोई भाग प्रत्यक्ष नुटि से मुक्त होगा और उसे अच्छी चालू हालत में रखा जाएगा ।

33. हैचवे के चारों ओर बाड़ लगाना :

(1) किसी पेटे के ऐसे प्रत्येक हैचवे, जो गहराई में 1.5 मीटर से अधिक है और जो 75 मीट्रीमीटर की किसी स्पष्ट ऊँचाई तक षड़वाल से संरक्षित नहीं है, जब वह उपयोग में नहीं है, तो पेटे में डॉक कर्मकारों को गिरने से रोकने के लिए उसे एक मीटर की ऊँचाई तक बाड़ लगाई जाएगी या सुरक्षित रूप से ढका जाएगा ।

(2) यदि किसी हैच में दो डेकों पर डॉक कर्म कार्य साथ-साथ किया जा रहा हो तो उच्चतर डेक के खुले सिरे को, फलक या जाल या किसी अन्य उपयुक्त ढंग से डॉक कर्मकारों या स्थोरा को गिरने से

रोकने के लिए, एक मीटर की ऊंचाई तक संरक्षित किया जाएगा और सुरक्षित जालों को, जब रिंग किया जाए, हैच अच्छादनों से बांधा नहीं जाएगा।

(3) जब किसी हैच सेक्शन या 2-5 मीटर से अधिक ही ऊंचाई के नौभरण स्थोरा के किसी किनारे को उस प्रकार खुला रखा जाता है कि इससे डॉक कर्मचारियों के गिरने का खतरा पैदा होता है तो किनारे को कसे हुए रस्से, सुरक्षा जाल या रेलिंग द्वारा एक मीटर की ऊंचाई तक सुरक्षित किया जाएगा।

(4) किसी भागत: आच्छादित हैच या किसी स्टेक पर किसी पेटे में नियोजित डॉक कर्मचारियों को, जाल फैलाकर या कुछ अन्य उपयुक्त तराकों द्वारा गिरने के खतरे से सुरक्षा की जाएगी।

### 34. हैच छादन, हैच बीम आदि

(1) हैच छादन के लिए प्रयुक्त सभी अग्र और पश्च्य बीमों और आर-पार बीमों में उनके ऊपर नीचे उत्पादन के लिए ऐसे उपयुक्त गियर होंगे कि किसी डॉक कर्मकार को या ऐसे गियर के समायोजन के लिए ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) सभी हैच छादन और बीम ऐसे डैक और हैच को जिनसे वे संबंधित हैं और उनमें उनकी स्थिति को उपदर्शन करने के लिए सादा रूप से चिह्नित किए जाएंगे।

(3) सभी हैच छादन और बीम उनके चिह्निकन के अनुसार बदले जाएंगे:

परन्तु यह कि यह विनियम ऐसे मामलों में जहां पीत के सभी हैच छादन और बीम अन्तःपरिवर्तनीय हैं या ऐसी स्थिति चिह्निकित करने का बाधत जहां किसी हैच के सभी हैच छादन अन्तःपरिवर्तनीय हैं लागू नहीं होंगे।

(4) सभी अग्र और पश्च्य बीम तथा आर-पार बीम जिसके अन्तर्गत हैच छादन के लिए प्रयुक्त सरकवा बीम और पथ भी हैं और सभी हैच छादन अच्छी दशा में रखे जाएंगे।

(5) सभी हैच छादनों पर, उनके आकार और भार को ध्यान में रखते हुए, तब तक पर्याप्त हथ्यों की व्यवस्था की जाएगी जब तक कि हैच या हैच छादन का सन्निर्माण उस प्रकार न हो कि हथ्ये की व्यवस्था करना अनावश्यक हो।

(6) हैच छादन का उपयोग मंच के सन्निर्माण या किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए जो उनकी नुकसानों का आभास कराए नहीं किया जाएगा।

(7) हैच छादन और बीम तब नहीं हटाए और बदले जाएंगे जब हैच के अधीन पेटे में डॉक कार्य चल रहा है। लदाई या उतराई से पूर्व ऐसा हैच छादन बीम को विस्थापन के विरुद्ध पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं है, हटा दिया जाएगा।

(8) विद्युत चालित हैच छादनों को खोलने या बन्द करने की अनुज्ञा केवल किसी प्राधिकृत व्यक्ति को दी जाएगी।

(9) आच्छादनों को पीछे मूड़ने से रोकने के लिए ऐसे हैच छादन फ़िट किए जाएंगे जिनमें जाला लगाने की व्यवस्था हो।

(10) हैच छादन ऐसी रस्से से खोले या बन्द नहीं किए जाएंगे जिसमें किसी डॉक कर्मकार को क्षतिकारित होना संभाव्य हो।

### 35. डैक द्वारों को खोलना और बन्द करना :

(1) भार के सुरक्षित ऊपर ले जाने या उतारने के लिए हैचपथ पर्याप्त रूप से खोला जाएगा।

(2) किसी डैक द्वार से कोई हैच छादन या हैचबीम हटाया या प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा जबतक हैच कोमिंग के चारों ओर कार्यकरण स्थल कम से कम 60 सेंटीमीटर विस्तृत बंधारहित न हो और जहां ऐसा संभव न हो वहां उतना विस्तृत जितना युक्तिगुबन रूप से सख्त हो रखा जाएगा।

(3) हैच को तारकीलिन से आच्छादित करने के पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हैच छादनों से कोई अनावृत्त नहीं रह गया है और सभी हैच आच्छादक रूप से लगे हैं।

### 36. हैच छादनों और बीमों की उठाई-धराई :

(1) 55 किनोग्राम भार से अधिक कोई हैच छादन और हैच के सभी बीम केवल बीम या अन्य उपयुक्त यांत्रिक साधनों द्वारा हटाए या प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(2) जब प्रतिस्थापित किया जाए, हैच छादन और बीम उन पर चिह्नों द्वारा उपदर्शित स्थिति में हैचों पर स्थापित किया जाएगा और पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया जाएगा।

(3) हैच छादन और बीम हटाए या बदले नहीं जाएंगे जब डॉक कर्मकार हैच की सतह से नीचे उस स्थिति में है कि किसी हैच छादन या बीम गिरने से वह प्रभावित हो सकता है।

(4) हैच छादन तारकीलिन अग्र और पश्च्य बीम और आर-पार बीम जिन्हें हटाया गया है उन्हें इस प्रकार रखा चट्टा तूट्टु या सुरक्षित किया जाएगा जिसमें कि वे पेटा में न गिरें या अन्यथा खतरा उत्पन्न करें।

(5) हैच छादनों और बीमों को इस प्रकार रखा जाएगा कि बलवर्क से हैच कोमिंग या अग्रे पीछे जाने का सुरक्षित रास्ता बचा रहे।

(6) हैच छादन या तो कोमिंग से अनधिक ऊंचे और उससे दूर साफ मुथरे ढेरों में व्यवस्थित किए जाएंगे या कोमिंग और रेल के उनके बीच कोई जगह न छोड़ते हुए एक ऊंचाई में फैलाए जाएंगे। दर की ऊंचाई इस प्रकार विनिर्मित की जाएगी कि यदि घटनावश किसी स्लिंग से आघात पहुंचने पर नीचे पीत की ओर डॉक कर्मकार को संकटापन्न न करे।

### 37. हैच छादन और हैच बीम को सुरक्षित करना :

(1) जहां कोई हैच बीम हैच में उसकी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए किसी स्थायी युक्ति से फिट किया गया है उक्त युक्ति और कोमिंग में उनकी तत्स्थानी फिटिंग का प्रभावी और उचित रूप से अनुरक्षण किया जाएगा।

(2) डॉक कार्य के उपयोग में किसी हैच बीम यदि उनकी हटाया नहीं गया है उनकी विस्थापित होने से रोकने के लिए पर्याप्त रूप से सुरक्षित किए जाएंगे।

(3) हैच छादनों के आलंब कोई स्लाइडिंग या रोलिंग हैच बीम, जिन्हें अंतः ली खुलैच की स्थिति में छोड़ दिया गया है हैच बीमों का अतिज संचलन रोकने के लिए पर्याप्त रूप से रक्षित किए जाएंगे।

(4) प्रत्येक स्लाइडिंग या रोलिंग हैच बीम और इसके भाइड इस प्रकार सन्निमित और अनुरक्षित किए जाएंगे कि घटनावश हैच बीम इसके भाइड से विस्थापित होने का दावी न हो।

(5) यांत्रिक प्रचालित हैच छादन जब उनकी धराई की जाए संचलन रोकने के लिए पर्याप्त रूप से सुरक्षित किए जाएंगे।

### 38. पेटा से निकलना :

डॉक कर्मकारों के निकलने को सुकर बनाये के लिए जब वे पेटा में या डैक या विन या हाप के बीच कीयला या अन्य खुला स्थान की उठाई-धराई कर रहे हों पूर्वावधानियां बरती जाएंगी।

39. खतरनाक और हानिकारक पर्यावरण : जब अन्तर्दहन इंजिन पेटा मध्यस्थ डेक या किसी ऐसे अन्य कार्यस्थल में परिष्कृत हो जाता है जहाँ न तो प्राकृतिक संवातन और न ही पीत की संवातन पद्धति वातावरण के कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को प्रति दस लाख 50 भाग से कम रखने के लिए पर्याप्त है, उक्त स्थानों पर डाक कर्मकारों के स्वास्थ्य परिसंकेतों की प्रच्छन्नता को दूर करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त उपाय किए जाएँ।

(2) किसी भी डाक कर्मकार को किसी पेटा या किसी जलयान के टैंक में, जिनमें धूल धूम या अन्य अपद्रव्य उसी प्रकृति के और उस विस्तार तक जो डाक कर्मकारों के लिए हानिकारक या घातक हो सकते हैं, निकाले जाते हैं या जिनमें विस्फोटक विषैले अपायकर या गैसीय स्थोरा वहन या भंडार किए गए हैं या जिनमें शुष्क बर्फ प्रशीतक के रूप में उपयोग की गई है या जो धूमित किए गए हैं या जिनमें आक्सीजन की कमी की संभावना है, तब तक प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा तब तक धूल धूम या अन्य अपद्रव्यों और संभाव्य खतरों को दूर करने के लिए और उन्हें आगे प्रवेश रोकने के लिए व्यावहारिक कदम नहीं उठाए जाते हैं और ऐसा पेटा या टैंक डाक कर्मकारों के प्रवेश के लिए मक्षम प्राधिकारी द्वारा सुरक्षित और उपयुक्त प्रभावित नहीं कर दिया जाता है।

(3) जब डाक कर्मकार प्रयुज अनाज, उर्वरक, सोमेंट और अन्य ऐसी ही स्थोरा की उठाई धराई में अत्यधिक मात्रा में धूल के लिए प्रच्छन्न हो जाते हैं तो उनकी उपयुक्त स्वस्थ मंत्रात्मक उपस्कर द्वारा संरक्षा की जाएगी।

#### ड. उत्पाक साधित और गियर

##### 40. उत्पाक साधितों का निर्माण और अनुरक्षण

(1) साधारण—सभी उत्पाक साधित, इसमें उसके सभी पुर्जों, कार्यकारी गियर चाहे स्थिर या जंगम या सम्मिलित हैं और ऐसे साधित के लगने लगाने या स्थिर करने में प्रयुक्त कोई संयंत्र या गियर,—

(क) अच्छी संरचना, ठोस सामग्री, उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए प्रयोग में आता है, पर्याप्त क्षमता वाला होगा तथा प्रत्यक्ष त्रुटियों में मुक्त होगा; और

(ख) उसकी ठीक से मरम्मत की जाएगी और चालू हालत में रखा जाएगा।

##### (2) ड्रम

(क) प्रत्येक ड्रम या पुर्जा जिसके चारों ओर किसी उत्पाक साधित की डोरी चलती है, प्रयोग की जा रही डोरी के अनुसार पर्याप्त व्यास और मरम्मत वाली होगी।

(ख) कोई रज्जु जो उत्पाक साधित के वाईडिंग ड्रम पर समाप्त होती है इससे सुरक्षित रूप में बंधी होगी और कम से कम रज्जु तीन पूर्ण फेरों तक उत्पाक साधित की प्रत्येक संचालन स्थिति में इस तक सीमित रहेगी।

(ग) ड्रम के कोर को अंतिम परत से बाहर रज्जु के व्यास के दुगुनी तक खड़ा होना चाहिए और यदि यह ऊंचाई उपलब्ध न हो तो रज्जु के ड्रम से छूट जाने को रोकने के लिए अन्य उपाय जैसे प्रतिरोधिक मुश्किल व्यवस्था की जाएगी।

##### (3) ब्रेक

प्रत्येक उत्पाक साधित में सक्षम ब्रेक या ब्रेकें लगे होने चाहिए जो—

(क) किसी निलंबित भार (उसके अन्तर्गत ऐसे परीक्षण भार भी आते हैं जो विनियमों के अनुसार लागू हैं) के गिरने को रोक सकने में और नीचे लाते समय भार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित रख सकने में सक्षम हों;

(ख) बिना धक्के के कार्य कर चुके हैं;

(ग) ऐसे ढक्कन वाले हों जिन्हें सरलतापूर्वक ठरवाइडय करने के लिए हटाया जा सके; और

(घ) जिसमें समायोजन के साधारण और सरलता से प्राप्त संघन लगे हों;

परन्तु यह विनियम बाष्प विच को लागू नहीं होगा जिसका संचालन इस प्रकार किया जा सकता है कि विच इतनी सुरक्षित रहे कि वह तब होती जब इस विनियम के अनुसार ब्रेक या ब्रेकों की व्यवस्था की गई होती।

##### (4) नियंत्रण :

उत्पाक साधित के नियंत्रण, को,—

(क) इस प्रकार स्थित किया जाएगा कि चालक को अपने स्टैंड या सीट पर संचालन के लिए पर्याप्त जगह हो और यथा साध्य ब्रेक कर्म का अबाधित परिदृश्य हो तथा वह भार और रज्जु से मुक्त रहे और उस पर से कोई भार नहीं गुजरे;

(ख) सरल संचालन के लिए अग्रगण्य मैट्रिक बातों का सम्पक ध्यान रखते हुए स्थापित किया जाएगा;

(ग) इस प्रकार अवस्थित किया जाएगा कि चालक को ही ब्लाक की लाइट में नहीं रहना पड़े;

(घ) उनके ऊपर या उनके मन्किट उनका प्रयोजन और संचालन का ढंग उपदेशित करने के लिए स्पष्ट चिह्नांकन हो;

(ङ) जहां आवश्यक हो, आकस्मिक संचालन और विस्थापन को रोकने के लिए उपयुक्त रोक युक्ति की व्यवस्था की जाएगी;

(च) जहां तक साध्य हो, परिणामी भार क्रिया की दिशा में चलेगा; और

(छ) जहां स्वचालित ब्रेक लगे हैं, विजली बंद होने की दशा में आने वाले न्यूट्रल अवस्था में आ जाएंगे।

##### 41. उत्पाक साधितों का परीक्षण और मामयिक परीक्षा :

प्रथम बार प्रयोग के लिए जाने से पहले या कोई परिवर्तन किए जाने के पश्चात् या इसकी क्षमता या स्थायित्व को प्रभावित करने वाली मरम्मत के पश्चात् और कम से कम प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार सभी उत्पाक साधितों की इसके अन्तर्गत सभी पुर्जों और गियर भी आते हैं चाहे वे स्थिर हों या स्थिर, जांच और परीक्षा अनुसूची 1 में दी गई रीति से किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(2) प्रत्येक 12 मास में कम से कम एक बार सभी उत्पाक साधितों की पूरी परीक्षा किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा की जाएगी जहां ऐसी परीक्षा करने वाले सक्षम व्यक्ति को यह राय हो कि उत्पाक साधित सुरक्षापूर्वक आगे कार्य नहीं कर सकते वहां वह तुरन्त उत्पाक साधित के स्वामी को या यदि उत्पाक साधित ऐसे पीत परले जाया जा रहा है जो भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो पीत के मालिक या भारसाधक अधिकारी को अपनी राय की लिखित सूचना देगा।

(3) इस विनियम के प्रयोजन के लिए पूरी परीक्षा से अभिप्रेत होगा ऐसी चाकू परीक्षा जो यदि आवश्यक हो, अन्य उपायों जैसे हैमर परीक्षण द्वारा इतनी सावधानीपूर्वक पूरी की जाएगी जितनी परीक्षा की जाने वाले पुर्जों की सुरक्षा के संबंध में विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए स्थितियां अनुज्ञात करें और इस प्रयोजन के लिए, यदि आवश्यक हो, उत्पाक साधित और गियर के पुर्जों खोल दिए जाएंगे।

##### 42. स्वचालित सुरक्षित भार सूचक :

(1) प्रत्येक त्रेन में जिसकी संरचना इस प्रकार हुई है कि जिनके ऊपर उठाने या नीचे ले जाने से या अन्यथा सुरक्षित कार्यकारी भार को ले जाया जा सके, एक स्वचालित कार्यकारी भार सूचक लगा होगा जो संचालकों को जब कभी सुरक्षित कार्यकारी भार अधिक हो जाता है, चेतावनी भी देगा।

(2) ऐसा कट आउट (छिनर्गत) लगाया जाएगा जो जब कभी संभव हुआ सुरक्षित कार्यकारी भार के अधिक हो जाने की दशा में, फ्रेन उत्पापक पुर्जे को क्रिया को स्वतः रद्द कर दे।

(3) जहां स्वचालित सुरक्षित भार सूचक प्रतिष्ठापित करना संभव नहीं है, वहां उपनियम (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे, ऐसी दशा में फ्रेन पर ऐसी सारणी की व्यवस्था करना जिनके तत्संबंधी झुकाव या जिनकी रेडि पर सुरक्षित कार्यकारी भार को दर्शाती हो, पर्याप्त अनुपालन समझा जाएगा।

43. पोट के डेरिकों को रिग करना :

(1) प्रत्येक पोट में चालू और सुसंगत रिग संबंधी योजना और उसके डेरिकों तथा सहायक गियरों के सुरक्षित रिग के लिए आवश्यक कोई अन्य सुसंगत जानकारी सुलभ होगी।

(2) ऐसी सभी रिग संबंधी योजनाएँ किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित होंगी।

44. डेरिक फुट का सुनिश्चित किया जाना :

किसी डेरिक के फुट को इसके साफिट या आलम्बनों से उठा लिए जाने को रोकने के लिए समुचित उपाय किए जाएंगे।

45. विचें

(1) साधारण

(क) विचों का प्रयोग नहीं किया जाएगा यदि नियंत्रण उस्तोलक अत्यधिक घर्षण या अत्यधिक हिलाने से चालू होता है ;

(ख) दोतरफा गियर विचों का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक गियर क्षिपट को लाक करने को निश्चयात्मक उपाय नहीं कर लिया जाता ;

(ग) दो गियर विच पर गियर बदलते समय विच पर फाल और स्थोरा हुक समंजन से भिन्न कोई अन्य भार नहीं होगा ;

(घ) जहां आवश्यक हों, विच प्रचालक को मौसम के विरुद्ध पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ,

(च) विच प्रचालकों के लिए ऐसे अस्थायी आसनो और आश्रयों का जो विच प्रचालक या अन्य डाक कर्मचारों के लिए ख तरे पैदा करे प्रयोग अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ज) जब विच को अकेला छोड़ दिया जाए तब नियंत्रण लीवर को निष्क्रिय स्थिति में रखा जाएगा और जब कभी संभव हो, विद्युत प्रवाह बंद कर दिया जाएगा।

(2) वाष्प विच :

डाक कर्म में प्रयुक्त प्रत्येक वाष्प विच में,—

(4) निकलते हुए वाष्प को डेक के किसी भाग या अन्य कर्म स्थल को धुंधला करने या किसी डाँक कर्मकार को अन्यथा बाधित करने या घायल करने से प्रवारित करने के लिए उपाय किए जाएंगे ;

(ख) ऐसे विस्तार नियंत्रण लीवर को जो अपने भार की ओर प्रवृत्त होते हों, प्रति संतुलित किया जाएगा ;

(ग) चक्र किस्म के नियंत्रण पर छोटे हैडलूमों के सिवाय विच प्रचालकों को विच नियंत्रण विस्तार लीवरों का प्रयोग करना तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि उनकी व्यवस्था पोट द्वारा या नियोजक द्वारा न की गई हो और ऐसे लीवर पर्याप्त शक्ति वाले तथा सुरक्षित होंगे और आनंद पर और स्थायी नियंत्रण लीवर पर धातु योजनाओं से कसे होंगे।

(3) विद्युत विच (भ्रमणी) :

(क) किसी दोष की दशा में, डाँक कर्मचारों को विद्युत निबंधन सर्किट के साथ हस्तक्षेप करने का समायोजित करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) विद्युत विचों का डाँक कार्ड के लिए ऐसी दशा में प्रयोग नहीं किया जाएगा जहाँ—

(i) विद्युत चुंबकीय ब्रेक भार को संभाल के योग्य नहीं है ; और

(ii) एक या दो नियंत्रण बिन्दु, चाहे ऊपर उठाए हुए हों या नीचे किए गए हों, ठीक प्रकार से प्रचालित नहीं है।

46. खुले गियरों का निर्माण और आरक्षण :

(1) प्रत्येक खुला गियर—

(क) उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है, अच्छे डिजाइन और विनिर्माण, मजबूत सामग्री और पर्याप्त शक्ति का होगा ; और

(ख) उसकी ठीक से मरम्मत की जाएगी और चालू हालत में रखा जाएगा।

(2) खुले गियर के संघटकों का नवीकरण किया जाएगा यदि घर्षण द्वारा किसी बिन्दु पर किसी विमा में 10 प्रतिशत या उससे अधिक की कमी होती है।

(3) (क) जंजीरों का प्रयोग से हटा लिया जाएगा जब वे फील जाए और उनकी लंबाई 5 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाए या जब जंजीर की कड़ी विरूपित हो जाए या अन्यथा क्षतिग्रस्त हो जाए या उठे हुए स्कार्फ या दोषपूर्ण वेल्ड प्रकट हो जाएं।

(ख) जंजीरों से संलग्न रिग, हुक, स्विबेल और सीमा बंध उसी सामग्री के होंगे, जिसकी जंजीर है।

(4) किसी चुम्बकीय उत्पापक युक्ति को विद्युत के प्रदाय की वोल्टता के घटबढ़ + 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

47. खुले गियरों का परीक्षण और कालिक परीक्षा :

(1) आरंभिक रूप से विनिर्माता के लिए, सभी खुले गियरों को प्रयोग में लाने से पूर्व या किसी ऐसे पुर्जे का जिससे इसकी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो, कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करने या मरम्मत करने के पश्चात् अनुसूची 1 में निर्दिष्ट रीति से, किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा परीक्षण किया जाएगा और इसके पश्चात् कम से कम प्रत्येक पांच वर्षों में गियर के स्वामी के लिए एक बार पुनः परख की जाएगी।

(2) सभी खुले गियरों की कम से कम 12 मास में एक बार किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा संपूर्ण परीक्षा की जाएगी। इसके अलावा जंजीरों की कम से कम एक बार प्रत्येक मास में किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा संपूर्ण परीक्षा की जाएगी।

48. रस्से :

(1) डाँक कार्य में कोई रस्सा प्रयोग नहीं किया जाएगा जब तक—

(क) यह उपयुक्त किस्म का न हो और किसी पेटेंट दोष से मुक्त न हो, और

(ख) तार, रस्से की दशा में, इसकी अनुसूची 1 में निर्दिष्ट रीति से किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा परीक्षण या परीक्षा न कर ली गई हो।

(2) डाँक कार्य में प्रयोग में आने वाले उत्पापक साधित या खुले गियर की प्रत्येक तार रस्सी का प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, परन्तु यह कि ऐसे रस्से में किसी तार के टूट जाने के पश्चात् कम से कम एक महीने में एक बार निरीक्षण किया जाएगा।

(3) डाक कार्य में किसी तार रस्सी का प्रयोग नहीं किया जाएगा यदि छोट्ट व्यासों की किसी लंबाई में टूटी हुई दृश्य तारों की कुल संख्या तारों की कुल संख्या से 10 प्रतिशत से बढ़ जाए या रस्सी से यह प्रकट हो कि वह अत्यधिक घिस चुकी है, संसाराण हो चुका है या कोई अन्य ऐसा दोष है जो उस व्यक्ति को, जिसने उसका निरीक्षण किया या निरीक्षक की राय में इसे प्रयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है।

(4) हुक, रिग और तार रस्सों के अन्य ऐसे पुर्जों के जोड़ के लिए आई स्पलाइसेज और लूप उपयुक्त अंगुलिक के बने होंगे।

(5) किसी तार रस्से में बना हुआ अंगुलित या लूप स्पलाइस निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होगा—

(क) तार रस्सा या रस्सा स्लिंग में रस्से के पूर्ण स्ट्रांड सहित कम से कम तीन टक होंगे और सभी दशाओं में प्रत्येक स्ट्रांड और स्ट्रांडों में से आधी तारों सहित दो टक काटकर रस्से के बल के विरुद्ध टक किया जाएगा ;

(ख) किसी स्पलाइस या तार रस्से और रस्सा स्लिंगों में स्ट्रांडों के बाहर निकले हुए सिरे टके हुए या ऐसे अभिक्रियित होंगे जिससे कोई तीखे किनारे छूट न जाए ;

(ग) तन्तु रस्सा या रस्सा स्लिंग में ऐसे टक के कम से कम चार टक टेल होंगे जिन्हें उपयुक्त रीति से विप किया गया हो ; और

(घ) संश्लिष्ट तन्तु रस्सा या रस्सा स्लिंग के पूर्ण स्ट्रांड सहित कम से कम चार टक होंगे जिसके पश्चात् प्रत्येक और शेष तन्तुओं के आधे के साथ अंतिम टक में से आधे तन्तु के साथ कट होगा। कम की गई तन्तुओं की संख्या सहित टकों वाला स्पलाइसेज का भाग उपयुक्त टेल या अन्य सामग्री से सुरक्षित रूप से ढका हुआ होगा ;

परन्तु यह उपविनियम स्पलाइस के ऐसे अन्य रूप के प्रयोग का विचारण करने के लिए प्रवर्तित नहीं होगा जिसे उतना दक्ष दिखाया जा सके जितना इस विनियम में अधिकथित है।

#### 49. खुले गियरों का ऊष्मा-उपचार

(1) डेरिक्स या मस्तूलों से संलग्न ब्राइडल-चेनों से भिन्न सभी चेने और उधर से ले जाने और नीचे लाने के काम में प्रयुक्त सभी रिग, हुक, पाश और स्विबेल जब तक कि उसे ऐसी अभिक्रिया के अधीन न बनाया जाए जैसी कोई निरीक्षक, मुख्य निरीक्षक की पुष्टि के अधीन रहते हुए, अनुमोदित करे, किसी सक्षम व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन और निम्नलिखित अन्तरालों पर प्रभावी रूप से तापानुशीलित किया जाए :-

(क) छह मास में कम से कम एक बार साधारण प्रयोग में 12.85 मि.मी. और अधिक छोटी अंजीरों, रिग, हुक, पाश और स्विबेल; और

(ख) प्रत्येक बारह मास में कम से कम एक बार साधारण प्रयोग में सभी अन्य अंजीरों, रिग, हुक, पाश और स्विबेल :

परन्तु यह कि हस्तचालित क्रेनों और अन्य ऊपर से जाने वाले साधनों पर अनन्य रूप से प्रयुक्त ऐसे गियर की दशा में, उपखण्ड (क) में छह मास के स्थान पर बारह मास और उपखण्ड (ख) में बारह मास के स्थान पर दो वर्ष रखे जाएंगे :

परन्तु यह भी कि जहाँ किसी निरीक्षक की यह राय हो कि किसी ऐसे गियर या ऐसे गियर के वर्ग के आकार, डिजाइन, सामग्री या प्रयोग की आवृत्ति के कारण तापानुशीलन के संबंध में इस विनियम की अपेक्षा डॉक कर्मचारियों की संरक्षा के लिए आवश्यक नहीं है, वहाँ वह लिखित रूप में यह प्रमाणित कर सकेगा (जिसका यह अपने विवेकानुसार प्रति-संहरण कर सकेगा) और मुख्य निरीक्षक द्वारा पुष्टि के अधीन रहते

हूँ, ऐसे गियरों या गियरों के वर्ग को ऐसी शर्तों के अधीन, जैसी ऐसे प्रमाणपत्र में चिनिदिष्ट की जाए, ऐसी अपेक्षाओं से छूट दे सकेगा।

(2) उपविनियम (1) निम्नलिखित को लागू नहीं होगा :—

(1) चक्रवर्त या चक्रदलित पहियों पर चलने वाली पिच्छ अंजीर  
(2) पिच्छ अंजीर, पुली ब्लाक्स या तोल मशीनों से स्थायी रूप से संलग्न रिग, हुक और स्विबेल; और

(3) ऐसे हुक और स्विबेल जिनमें बाल वेयरिंग या अन्य ब्रससंघ्य पुर्जे हैं।

(3) उच्च तनन स्टील या एलाय स्टील से बनी सभी अंजीरों और खुले गियर स्पष्ट रूप से अनुमोदित चिन्ह से चिन्हित किए जाएंगे जिससे यह दक्षित हो कि वे इस प्रकार बने हैं। उच्च तनन स्टील का एलाय स्टील से बनी किसी अंजीर या खुले गियरों का किसी भी प्रकार से ऊष्मा-उपचार नहीं किया जाएगा, सिवाय वहाँ जहाँ भरसमत के प्रयोजन के लिए और किसी सक्षम व्यक्ति के निदेशाधीन आवश्यक हो

(4) यदि पिटवां लौह के गियर का पूर्व इतिहास ज्ञात नहीं या यदि इस बात का संदेह है कि गियर को गलत तापमान पर ऊष्मा उपचारित किया गया है तो उसे डॉक कार्य के लिए प्रयोग करने से पूर्व सामान्य किया जाएगा।

50. प्रमाणपत्र का वास्तविक परीक्षक, परीक्षा आदि के बाद दिया जाना:

सक्षम व्यक्ति, विनियम 41, 47, 48 या 49 के प्रयोजन के लिए प्रमाणपत्र केवल वास्तविक परीक्षण, या यथास्थिति उक्त विनियमों में चिनिदिष्ट साधनों की परीक्षा के बाद ही देगा।

51. कालिक परीक्षण, परीक्षा और उसके प्रमाणपत्रों का रजिस्टर :

(1) प्ररूप 2 में एक रजिस्टर रखा जाएगा और उसमें विनियम 41, 47 और 49 की अपेक्षानुसार उत्पाक साधनों, खुले गियरों और उष्माउपचार परीक्षण और परीक्षा की विशिष्टियां प्रविष्टि की जाएंगी।

(2) सक्षम व्यक्तियों से प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाएंगे और प्रत्येक के सामने दक्षित प्ररूप में, निम्नलिखित के संबंध में, प्ररूप 2 में रजिस्टर से संलग्न किए जाएंगे :—

(क) विनियम 41 और 47 के अधीन आरंभिक और कालिक परीक्षण और परीक्षा—

(1) प्ररूप 3 में बिन्डे, डेरिक और उनके आवश्यक गियर,  
(2) प्ररूप 4 में क्रेन या उत्तोलक और उनके आवश्यक गियर;

(ख) प्ररूप 5 में विनियम 47 के अधीन खुले गियरों के परीक्षण परीक्षा और पुनःपरीक्षा;

(ग) प्ररूप 6 में विनियम 48 के अधीन तार-रस्सों का परीक्षण और परीक्षा;

(घ) प्ररूप 7 में और विनियम 49 के उपविनियम (1) के अधीन खुले गियरों का उष्माउपचार और परीक्षा;

(घ) जब तक अपेक्षित विशिष्टियां प्ररूप 2 में रजिस्टर में प्रविष्टि न की गई हों, प्ररूप 8 में विनियम 47 के उपविनियम (2) के अधीन खुले गियरों की वार्षिक संपूर्ण परीक्षा।

(ङ) रजिस्टर और रजिस्टर से संलग्न प्रमाणपत्र—

(क) पोत के उत्पाक साधनों, खुले गियर और तार रस्सों के बारे में, पोत के फलक पर रखे जाएंगे;

(ख) अन्य उत्पाक साधनों, खुले गियरों और तार रस्सों के बारे में, स्वामी के परिसर में रखे जाएंगे;

(ग) मांगे जाने पर निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे; और

(3) अंतिम प्रविष्टि की तारीख से कम से कम पांच वर्ष तक रखे जाएंगे।

(4) कोई भी उत्पाक साधित, खुले गियर जिसके संबंध में प्रविष्टि की जानी अपेक्षित है और परीक्षण और परीक्षा प्रमाणपत्र प्ररूप 2 में रजिस्टर में संलग्न किए जाने अपेक्षित हैं, तब तक डॉक कार्य के लिए उपयोग नहीं किए जाएंगे जब तक कि अपेक्षित प्रविष्टि रजिस्टर में न कर दी गई हो और अपेक्षित प्रमाणपत्र इस प्रकार संलग्न न कर दिए गए हों।

#### 52. सुवहनीय भार का चिह्निकन :

(1) प्रत्येक उत्पाक साधित और खुले गियर का प्रत्येक अंग उसका सुवहनीय भार और पहचान चिन्ह, स्टॉप द्वारा या जहाँ यह असाध्य हो, अन्य उपयुक्त साधन द्वारा सुपाठ्य रूप में चिह्नित किए जाएंगे।

(2) (क) प्रत्येक पोत का (डेरिक फ्रेम से भिन्न) उसके सुवहनीय भार के साथ स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा जब डेरिक का—

- (1) एकल प्ररचेज में,
- (2) निम्न स्थोरा ब्लॉक के साथ, और
- (3) सभी संभव ब्लॉक स्थितियों में सम्मिलित परचेजों में, उपयोग किया जाता है,

(ख) क्षैतिज का निम्नतर कोण भी जिसमें डेरिक उपयोग किया जा सके, सुपाठ्य रूप से चिह्नित किया जाएगा।

(3) प्रत्येक उत्पाक साधित (पोत के डेरिक से भिन्न) में, जिसका एक से अधिक सुवहनीय भार है, प्रभावी साधन लगाए जाएंगे जिससे कि प्रचालक उपयोग की प्रत्येक स्थिति में सुवहनीय भार अवधारित कर सके।

(4) खुले गियरों का उपयोग करने वाले किसी डॉक कर्मकार को ऐसी स्थितियों में ऐसी खुले गियरों के लिए सुवहनीय भार अभिनिश्चित करने के लिए समर्थकों के लिए साधनों की व्यवस्था की जाएगी जिसमें उनका उपयोग किया जा सके और ऐसे साधनों में,—

(क) जंजीर स्लिंग के विषय में, स्लिंग पर या उससे मजबूती से संलग्न टिकाऊ सामग्री की पट्टी या बलय पर साफ साफ अंकों या अक्षरों में सुवहनीय भार का चिह्निक, और

(ख) तार रस्सी के स्लिंग के विषय में, या तो ऊपर खंड (क) में विनिर्दिष्ट साधन या ऐसी सूचना या सूचनाएं, जो इस प्रकार संप्रदाशित की जाएं कि उन्हें कोई भी संबंधित डॉक कर्मकार सुगमता से पढ़ सके और जिन में उपयोग किए गए तार रस्सी के स्लिंग के विभिन्न आकारों के लिए सुवहनीय भार का विवरण दिया गया हो, सम्मिलित होंगे।

(5) कोई भी उत्पाक साधित या खुले गियर, तब तक उपयोग नहीं किए जाएंगे जब तक इस विनियम के उपबंधों के अनुसार चिह्नित न हों।

#### 53. उत्पाक साधितों और खुले गियरों की लदाई :

(1) किसी उत्पाक साधित, खुले गियर और तार रस्सों का, किसी असुरक्षित रीति और किसी ऐसी रीति में प्रयोग नहीं किया जाएगा जिससे डॉक कर्मकारों के जीवन को कोई जोखिम हो और उसे सिवाय परख के प्रयोजनों के लिए जैसा अनुसूची 1 में दिया गया है और किसी सक्षम व्यक्ति के निदेशाधीन, विशेषकर सुवहनीय भार या भारों से परे नहीं लाया जाएगा।

(2) उत्पाक साधितों और खुले गियरों या अन्य कोई स्थोरा हेडलिग साधितों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यदि,—

(क) किसी परीक्षण या परीक्षा के प्रमाणपत्र या विनिर्देशों में क्या उपबंधित अनुरक्षित किसी अधिप्रमाणित अभिलेख के निर्देश से निरोधक संतुष्ट नहीं है, और

(ख) निरीक्षक की दृष्टि में उत्पाक साधित, खुला गियर या अन्य कोई स्थोरा-हेडलिग साधित डॉक कार्य के प्रयोग के लिए सुरक्षित नहीं है।

#### 54. धिरनी आलंब :

कोई भी धिरनी आलंबन तब तक डॉक कार्य में उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक सुवहनीय भार और उसका पहचान चिन्ह उस पर स्पष्ट रूप से स्टांपित न हो।

#### 55. निर्वात और चुंबकीय उत्पाक युक्ति :

(1) जब कर्मकार पेदा में संक्रियाओं का निष्पादन कर रहे हों कोई निर्वात उत्पाक युक्ति या चुंबकीय उत्पाक युक्ति या अन्य कोई उत्पाक युक्ति जहाँ भार केवल आसंजक शक्ति द्वारा धारित किया जाता है, का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(2) किसी चुंबकीय उत्पाक युक्ति का डॉक कार्य के संबंध में उपयोग किया जाता है वैकल्पिक बिजली, जैसे बैटरी, की व्यवस्था की जाएगी जो मुख्य बिजली प्रदाय के विफल होने पर तत्काल संक्रिया में आएगी :

परन्तु चुंबकीय उत्पाक युक्तियाँ जो स्क्रैप धातु की लदाई या उतराई में प्रयोग की जाती हैं या उस प्रकृति के अन्य स्थोरा उठाई-धराई संक्रियाएँ जहाँ भार के डोलन परिक्षेप के भीतर कोई डॉक कर्मकार नहीं है, इस विनियम के उपबंध लागू नहीं होंगे।

#### 56. जंजीर और तार रस्सी में गाँठ लगाना :

कोई भी गाँठ वाली जंजीर या तार रस्सी डॉक कार्य में उपयोग नहीं की जाएगी।

#### च. परिवहन उपस्कर और संक्रियाएँ

#### 57. शक्ति ट्रक और हस्त ट्रक :

(1) सभी ट्रक/ट्रैक्टर और ट्रैक्टर उपस्कर उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए उनका उपयोग किया जाता है ठोस सामग्री के मजबूत निर्माण वाले, पर्याप्त रूप से शक्तिशाली होंगे और उनकी ठीक ढंग से मरम्मत की जाएगी :

परन्तु परिवहन निवार आधानों के परिवहन के लिए प्रयुक्त ट्रक और ट्रैक्टर उस आकार के होंगे कि आधानों को किसी प्रसंबन के बिना ले जाया जा सके और उनके चारों किनारों पर राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ब्यावृत्त तालों की व्यवस्था होगी और ये—

(1) सक्षम व्यक्ति द्वारा अनुमोदित होंगे, और

(2) जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा प्रत्येक मास में कम से कम एक बार उनका निरीक्षण किया जाएगा और अभिलेख रखा जाएगा

(2) किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा सभी ट्रकों और अन्य उपस्करों का निरीक्षण सप्ताह में एक बार किया जाएगा और जब किसी उपस्कर में कोई खतरनाक त्रुटि पाई जाए तो उसका प्रयोग तुरन्त बंद कर दिया जाएगा।

(3) शक्ति चालित ट्रकों और ट्रैक्टर प्रचायी ब्रेकों, अग्रवॉप और पुच्छ लैम्प से सुसज्जित होंगे और अच्छी मरम्मत तथा कार्यकारी स्थिति में रखा जाएगा।

(4) भारी और लंबी वस्तुओं का वहन करने के लिए शक्ति ट्रक और ट्रैक्टर ट्रक पर बगल की टैक लगी होगी जो—

(क) सार्वजनिक संरचना होगी और ब्रुदियों से मुक्त होगी,

(ख) टैंकों को बाहर निकालने से रोकने के लिए भार के आरार ऊपरी सिरे से संलग्न जंजीरों की व्यवस्था होगी ;

(ग) जब लदाई और उतराई की जा रही हो जहां कहीं आवश्यक हो टंक ठीक स्थिति में होंगी ।

(5) लारियों, ट्रकों, ट्रेलर और डिब्बों को लादने और खाली करने में डॉक कर्मचारियों के आने जाने के लिए सुरक्षित गैंगवे की व्यवस्था की जाएगी ।

(6) ट्रक और अन्य उपस्कर उनकी सुरक्षित वहन क्षमता से अधिक नहीं लादे जाएंगे, जो उन पर स्पष्टतः और साफ साफ चिन्हित होगी ।

(7) हस्त ट्रक के हथ्ये इस प्रकार डिजाइन किए होंगे, जो डॉक कर्मचारियों के हाथों को सुरक्षित रखें या अन्यथा अंगुलिपत्र सुरक्षकों की व्यवस्था की जाएगी ।

(8) (क) अप्राधिकृत व्यक्ति डॉक कार्य के संबंध में नियोजित परिवहन उपस्करों पर सवार नहीं होगा ।

(ख) परिवहन उपस्कर का चालक केवल किसी संकेतकर्ता के निदेशाधीन में उपस्कर चलाएगा :

परन्तु यह उपविनियम उस दशा में लागू नहीं होगा जब चालक की दृष्टि बाधित न हो ।

58. पेटा में आंतरिक वहन इंजनों का उपयोग :

(1) पेटा या स्थोरा स्थलों में डॉक कार्य के संबंध में आंतरिक वहन इंजनों का उपयोग नहीं किया जाएगा, जब तक—

(क) संवातन के साधनों पर्याप्त, और जहां आवश्यक हो, यांत्रिक संवातन की व्यवस्था न हो;

(ख) पर्याप्त अग्निशमन उपस्कर सुगमता से उपलब्ध न हो;

(ग) निर्वातक पाइपें, संयोजक और मफलरों को कसा हुआ न रखा हो;

(घ) निर्वातक को इस प्रकार न रखा हो जिससे कि प्रचालक और डॉक कर्मचारियों को असुविधा न हो;

(ङ) कोई विस्फोटक, ज्वलनशील तरल पदार्थ, गैस या वैसी ही खतरनाक, स्थोरा वहां न होना सुनिश्चित न कर लिया हो;

(च) इंजन के निर्वातक पर कोई स्फूर्तिरोधक फिट न कर दिया गया हो और इंजन की बार तापित सतह जो फिने हुए ईंधन को प्रज्वलित कर सकती है, उपयुक्त रूप से संरक्षित न कर दी गई हो;

(छ) डोक के ऊपर इंजन में पुनः ईंधन भर लिया गया हो; और

(ज) निर्वातक में राष्ट्रीय मानकों में विहित टीएलबी से ऊपर कार्बन मोनोक्साइड न हो ।

(2) आंतरिक वहन इंजन को जब वह डॉक कार्य के संबंध में उपयोग में नहीं है, बंद कर दिया जाएगा ।

(3) स्थोरा जगहों और स्थोरा पेटा में कार्य करने वाले आन्तरिक अंतर्दहन इंजनों के प्रचालक अकेले कार्य नहीं करेंगे ।

(4) जब कभी डॉक कर्म में प्रयोग के लिए आन्तरिक अंतर्दहन इंजनों को फलक पर लाया जाए तो इस की सूचना पोत के मास्टर या भारसाधक अधिकारी को दी जाएगी ।

59. फार्क लिफ्ट, बिजली द्वारा चालित ट्रकों या कारों का प्रयोग :

(1) बिजली द्वारा चालित ट्रक या कारें, फार्क लिफ्टें आदि कम से कम ऐसे प्रभावी यांत्रिक ब्रेकें युक्त और बंद द्वारा प्रचालित कर्ट कट आफ से सज्जित होंगी जो प्रचालक के वहन छोड़ते ही अपने आप प्रचालित हो जाएगी ।

(2) फार्क लिफ्ट ट्रक प्रचालक पतनशील वस्तुओं के संरक्षित रखने के लिए विरोपरि रक्षक से सज्जित होंगे ।

(3) फार्क लिफ्ट ट्रक और विद्युत कारों पर सुस्पष्ट रूप से कुल भार चिन्हित होगा ।

(4) जब फार्क ट्रक या विद्युत कार मध्यवर्ती डोक में प्रचालित की जाती है, तब यह सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएंगे कि कर्मरत सतह भार को आलंबित कर सके और ट्रक के चलने से हैच ढक्कन को हटाया नहीं जा सके ।

60. स्थायित्व परीक्षण :

सभी फार्क लिफ्ट ट्रकों और विद्युत कारों का राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्थायित्व के लिए परीक्षण किया जाएगा ।

61. डॉक रेलें :

(1) सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थोरा की संरचना या डेर और रेल पथ के बीच पर्याप्त निकास मार्ग छोड़ा जाएगा ।

(2) रेल इंजन चालक केवल किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दिए गए संकेतों पर ही कार्य करेंगे :

परन्तु रोक संकेतों पर हमेशा बिना उनके स्रोत पर ध्यान दिए कार्य किया जाएगा ।

(3) डिब्बों को खींचने या ढकेलने वाले पुन इंजन बहुत धीमे चलेंगे और ऐसे क्षेत्रों से जहां डॉक कर्मकार नियोजित होंगे गुजरते हुए उनके आगे एक आदमी पैदल चलेगा ।

(4) कोई रेल इंजन या जब तक चेतावनी के रूप में सक्षम ध्वनि संकेत, उस आदमी द्वारा जो रेल इंजन के आगे-आगे चल रहा है, नहीं दे दिया जाता है, जहां डॉक कर्मकार कार्यरत हैं जिनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है किसी रेल लाइन पर या ऐसा मोड़ आने पर जहां आगे का दृश्य बाधित होता हो या डॉक कर्मचारियों को खतरे के किसी अन्य बिन्दु पर नहीं चलाया जाएगा ।

(5) जब ऐसा रेल वैगन या वैगनों का समूह जो सीधे किसी रेल इंजन से जुड़ा हुआ नहीं है, चलाया जा रहा हो तो प्रत्येक वैगन या वैगनों के समूह के नियंत्रण के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा ।

(6) त्रेनों, पोत बिचों और डेरिकों का प्रयोग रेल वैगनों को चलाने के लिए नहीं किया जाएगा ।

(7) ऐसे परिसरों में जहां डॉक कर्मकार डॉक कर्म में लगे हुए हैं फलाई ऑटिंग का प्रतिषेध होगा और सभी ट्रेनों डिब्बों को काटने से पहले रोक दी जाएगी ।

(8) जहां तक साध्य हो जहाजी घाटों में निष्क्रिय वैगनों को उनके बीच थोड़े अंतराल से खड़ा हुआ नहीं छोड़ा जाएगा ।

(9) जब डॉक कर्मकार रेल वैगनों के बीच या उनके नीचे कार्य करने को अपेक्षित हों तब उन्हें एक पहरेदार दिया जाएगा जो उन्हें आवश्यक चेतावनी देने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(10) डॉक कर्मचारियों को खुले वैगनों के भीतर तब नियोजित नहीं किया जाएगा, जब—

(क) खुला स्थोरा की ब्रेकों के माध्यम से उठाई धराई की जा रही हो, या

(ख) वास्तविक स्थोरा की विद्युत चुम्बक के माध्यम से उठाई धराई की जा रही हो ।

(11) डिब्बों की खींचने या ढकेलने में प्रयोग में लाए जाने वाले रेल इंजन अच्छी मरम्मत और कार्यकारी स्थिति में रखे जाएंगे ।



(12) रेल डिब्बों को हटाने से पूर्व ट्रेन कर्मियों या सुनिश्चित करेंगे कि डिब्बों और संकट क्षेत्र से सभी डॉक कर्मकार परे हो गए हैं।

#### 62. कन्वेयर

(1) कन्वेयर ठोस सामग्री अच्छी बनावई और पर्याप्त बल वाले होंगे ताकि ऐसे भार को, जिनके लिए वे आशयति है सुरक्षापूर्वक आलंबन दे सकें और उनकी ठीक ढंग से मरम्मत की जाएगी।

(2) (क) प्रवहक (मशीनरी) की संरचना और प्रतिष्ठापन इस प्रकार किया जाएगा कि जगम और स्थावर पुर्जों और वस्तुओं के बीच खतरनाक बिन्दुओं से बचा जा सके।

(ख) जब कोई पारगमन मार्ग किसी खुले कन्वेयर से प्राप्त हो तो पारगमन मार्ग के भीतरी किनारे और कन्वेयर के बीच कम से कम 90 से.मी. का निवासी मार्ग छोड़ा जाएगा।

(3) जब डॉक कर्मकारों को कन्वेयर के ऊपर से जाना हो तो सुरक्षित और पर्याप्त प्रकाशयुक्त मार्ग प्रदान करने वाली नियमित पारगमन सुविधाएं की जानी चाहिए।

(4) जब ऐसे कन्वेयर जो पूर्णतः बन्द नहीं हैं, ऐसे स्थानों के ऊपर से गुजरते हैं जहां डाक कर्मकार नियोजित है या वे कन्वेयर के नीचे पड़ते हैं वहां ऐसे चादर या परदा लगाया जाना चाहिए जो कन्वेयर से गिरने वाली सामग्रियों को थाम ले।

(5) विद्युत चालित कन्वेयर के साथ लदान और उतराई स्टेशनों पर, प्रवेश करने और उटने की सीमाओं पर अन्य सुविधाजनक स्थानों पर, आर्थिक स्थितियों में कन्वेयर मशीनरी को रोक देने की युक्तियां लगी होंगी।

(8) अन्तरण बिन्दुओं पर पर्याप्त बाड़े लगे होंगे।

(7) ऐसे कन्वेयर से जो बोलन ऊपर की ओर होते हैं, ऐसी यांत्रिक युक्तियां लगी होनी चाहिए जो बिजली कट जाने की दशा में मशीनरी को उलटने से और बोलन को लदान बिन्दु को ओर वापस ले जाना प्रवारित करे।

(8) जहां दो या अधिक कन्वेयर एक साथ प्रचालित होते हों, वहां नियंत्रण युक्ति की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी ताकि कोई रुद्ध कन्वेयर को पोषण न प्रदान कर सके।

(9) कन्वेयर की भराई करने वाली टोकरीयों के शीर्ष फर्श से 90 से. मी. से कम ऊंचाई पर होने तक मूंह की रक्षा पर्याप्त ढंग से की जाएगी।

(10) (क) जहां कन्वेयर का विस्तार ऐसे बिन्दुओं तक हो जो नियंत्रण केन्द्र से दृश्यमान नहीं है, वहां उन्हें ऐसे गोमो, सीटियों या संकेत बलितियों से सज्जित किया जाएगा, जिनका प्रयोग प्रचालक मशीनरी चालू करने से पहले करेंगे ताकि खतरों के स्थानों पर उपस्थित डॉक कर्मकारों को चेतावनी दी जा सके।

(ख) जहां आवश्यक हो ऐसे प्रबन्ध किए जाएंगे जिससे कि डॉक कर्मकार प्रचालक के साथ सूचना संचार रखे सकें।

(11) कन्वेयर में स्वचालित और अचिरल स्नेहन पद्धति लगी होगी या स्नेहन सुविधा की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी ताकि तेल डालने वाला चलायमान भागों की खतरनाक निकटता में आए बिना ही तेल डाल सके और ग्रीसिंग कर सके।

(12) कन्वेयर का प्रत्येक तीन मास में एक बार अच्छी तरह से निरीक्षण जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा।

(13) कन्वेयर पर कोई डाक कर्मकार सवार नहीं होगा।

(14) बेल्ट कन्वेयर में बेल्टों और ड्रमों के निचों पर रक्षक लेटें होंगी।

(15) वार्षिक कन्वेयर के लिए अतीव्र के अंतर्ग्रहण द्वारा श्रीर निष्कामक पंखों को प्रभावपूर्ण धातु जाली या झंझरी से संरक्षित किया जाएगा।

(16) ग्रेजेटों रोलरों और शांटों की फ्रेमों की स्पिंदरों, तेज धारों और खुरदुरी सतहों से मुक्त रखा जाएगा।

(17) याक कर्मकारों के रास्ते के लिए ग्रेजीटी रोलरों और शूटों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(18) शूटों के साइड बोर्ड स्थोरा को गिराने से प्रवारित करने के लिए पर्याप्त ऊंचाई वाले होंगे।

(19) कन्वेयर को सफाई के लिये और सुरक्षित रास्ते से बाधाओं को हटाने के लिए समुचित प्रबन्ध किए जायेंगे।

#### 63. परिवहन उपस्कर प्रचालक

कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का और पर्याप्त रूप से सक्षम और विश्वसनीय न हो परिवहन उपस्कर प्रचालन के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।

64. मोबाइल क्रेन, चालकों, संकेतकों, आदि के लिए अर्हता

कोई व्यक्ति जब तक वह 18 वर्ष से अधिक आयु का और पर्याप्त रूप से सक्षम तथा विश्वसनीय न हो, उत्पादक साधिका, चाहे यांत्रिक शक्ति द्वारा या अन्यथा चालित हों, को चलाने या प्रचालन के लिए या ऐसे उत्पादक साधिका के चालक या प्रचालक को संकेत देने के लिए या पोत के डेरिक के लिए रिन्डर के रूप में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।

#### छ. स्थोरा का हर्डालिंग

#### 65. लदाई और उतराई संक्रिया :

(1) कोई भी स्थोरा किसी मध्यवर्ती डक में अवपात या दौला द्वारा तब तक लादा या उतारा नहीं जाएगा जब तक या तो उस डक में डक द्वार सुरक्षित रूप में छादित न कर दिया गया हो या कम-से-कम द्वैच छादन की एक संकेतन की चौड़ाई की निरापद उतराई प्लेटफार्म उसके आर-पार न रखा गया हो;

परन्तु यह विनियम उतराई-लदाई के किसी कार्य को लागू नहीं होगा जो पूर्ण रूप से आधे घंटे की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

(2) पेटा में या उसके बाहर कोई भी खुला गियर या कोई अन्य वस्तु नहीं फेंकी जाएगी।

(3) खुला स्थोरा की लदाई और उतराई के दौरान पेटा में नियोजित सभा डाक कर्मकारों का अभिलेख रखा जाएगा और निरीक्षक द्वारा मांग करने पर प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) जहां आवश्यक हो वहां स्थोरा को उसके खिचकने या अवपात को रोकने के लिए सुरक्षित या अवरुद्ध किया जाएगा। माल निकालते समय शेष स्थोरा को अवपात से रोकने के लिए जहां आवश्यक हो, पूर्वासाधनानियां बरती जाएंगी।

(5) (क) स्थोरा केवल पोत के बिच के साथ तभी घसोटा जाएगा जब रबर डेरिफ हील ब्लाक से सीधे ले जाया जाता है; और

(ख) धिरनी बालंब, रबर (वानक) को उचित शयता देने के लिए उपयोग की जाएगी जिससे कि उसे बाधाओं के विरुद्ध घसीटने से रोका जा सके।

(6) यदि चट्टा लगाने या चट्टा हटाने के प्रयोजन के लिए किसी क्षेत्र के पट्टे में 1.5 मीटर से कम है तो दुर्घटना से छुटकारा से सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय किए जायेंगे।

(7) भार उत्तोलन किए जाने से पूर्व सुरक्षित रूप में से तोले जायेंगे। खुला निभार या भार से लटका हुआ या बाहर निकला हुआ मलवा हटा दिया जाएगा और स्थायी के बाहर गिरने को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय किए जायेंगे।

(8) स्थायी चढ़ाने उतारने के निश्चयन के लिए प्रपट्टिका नियंत्रण जो क्रमशः दोला भार का उत्तोलन करते समय उत्पादक साक्षित से संलग्न रहेंगे, शकलों से जुड़े रहेंगे या उत्पादक साक्षित को हुक से संयोग से अलग होने से उन्हें रोकने के लिए अन्य निश्चयात्मक उपाय किए जायेंगे।

(9) जब उत्पादक साक्षित दोनों पर किसी भार के बिना चल रहा हो तो,—

(क) चालक को चलाने का संकेत देने के पूर्व दोले और जंजीरें साक्षित से सही रूप में हुक की जाएंगी;

(ख) नुकिले हुक, बहु प्रयोजन हुक और पंजे एक किनारे पर नहीं लटकाए जायेंगे किन्तु दोनों के माध्यम से पिरोए जायेंगे; और

(ग) प्रचालक साक्षित को डाक कर्मचारियों और वस्तुओं से दूर रखने के लिए पर्याप्त रूप से ऊपर उठायेंगे।

(10) किसी रस्ते या जंजीर के साथ जिससे रस्ते या जंजीर दोला को कोई क्षति होने की संभावना है, किसी भार के किनारे के संपर्क में आने को रोकने के लिए उपयुक्त पैकिंग का उपयोग करेंगे या अन्य प्रभावी उपाय किए जायेंगे।

(11) बाल्टियां, टब और ऐसे ही समरूप साक्षित उनके रिमरों के ऊपर भारित नहीं किए जायेंगे।

(12) कोई भी भार तब तक परिपट्टियों में पर उत्पापित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे परिपट्टिन उचित और सुरक्षित दोलन बिन्दु के रूप में अनुमोदित न हो। ऐसे भार का लाना ले जाना तभी अनुज्ञात किया जाएगा जब प्रत्येक संकेत क्षेत्र से हट गया हो।

(13) जब उत्पादक साक्षितों से कार्यरत हो, ढाल अभिकर्षण क्षैतिज अनुकर्षण और भार का आशयित दोलायन और उत्पादक युक्तियों प्रतिषिद्ध हैं।

66. चट्टा लगाना और चट्टा उठाना

(1) जहां स्थायी के चट्टा लगाने, चट्टा उठाने, भरने या निकालने भराई या खाली करने या उससे संबंधित उठाई धराई सहायता सहित सुरक्षित रूप से न की जा सकती हो वहां दुर्घटनाओं से बचने के लिए टेकबन्दी द्वारा या अन्यथा युक्तियुक्त उपाय किए जायेंगे।

(2) स्थायी का चट्टा ऐसी मजबूत नींव पर लगाया जाएगा जो अपनी जगह से हटे नहीं और स्थायी का भार उतना होगा जिससे फ्लोर पर प्रतिभरण न हो।

(3) स्थायी का चट्टा भंडारण या भंडारस्थलों के विभ्रजनों या दीवारों के पास तब तक नहीं सगया जाएगा। जब तक कि यह ज्ञात न हो कि भाग या दीवारें बचाव की सहन करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत हैं।

(4) स्थायी का ऐसी ऊंचाई पर और किसी रैमि में चट्टा नहीं लगाया जाएगा जो ढेर को अस्थिर बनाए।

(5) जहां डाक कर्मचारियों 1.5 मीटर से अधिक ऊंचाई के चट्टों पर काम कर रहे हैं वहां चट्टों पर सुरक्षित पहुंच मार्गों की व्यवस्था की जाएगी।

(6) चट्टा लगाने और हटाने का कार्य प्राधिकृत व्यक्तियों के पर्यवेक्षण में किया जाएगा।

67 ऐसी वस्तुओं की उठाई धराई जिनके भाग तेज और बाहर निकले गए हुए हैं :

तेज धार, फिनो, प्रपट्टों, छिपटों या बैसी ही खतरनाक बाहर निकले हुए भागों वाली वस्तुओं की उठाई धराई कर रहे डाक कर्मचारियों के लिए उपयुक्त संरक्षण उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी

68. गांठों के लिए हुक आदि :

जब पेटा में कार्य स्थल केवल डेकदार के बीच तक सीमित हो तब तक हुक न तो तेजी से पट्टों में और न ही कपास, ऊन, काफ, गनी बैग या अन्य बैसे ही मान की कसी हुई गांठों में कसे जायेंगे और न ही किसी बैरल को ऊपर ले जाने या नीचे लाने के लिए हुक का उपयोग किया जाएगा, जब सन्निर्माण या बैरल या हुक के कारण उनका उपयोग असुरक्षित संभाव्य है।

69. स्थायी प्लेटफार्म :

(1) स्थायी प्लेटफार्म (उनके सिवाय जो स्वतः स्थायी द्वारा बने हैं) अचली सामग्री से बने होंगे, ठीक और मजबूत रूप से संनिमित होंगे, पर्याप्त आलंबित होंगे और उनकी ठीक ढंग से मरम्मत की जाएगी।

(2) स्थायी प्लेटफार्म —

(क) स्थायी प्राप्त करने के लिए और उन पर कार्य कर रहे डाक कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आकार का होगा ;

(ख) यदि ऊपर (क) की अपेक्षाओं के अतिरिक्त 1.5 मीटर से अधिक ऊंचाई का है तो किसी किनारे पर स्थायी को प्राप्त करने या परिदान करने के लिए प्रयुक्त न किये जाने पर एक मीटर तक की ऊंचाई की सारवान बाड़ से सुरक्षित होगा; और

(ग) सुरक्षित पहुंच मार्ग अर्थात् सीढ़ियों या सोपान की व्यवस्था होगी।

(3) स्थायी प्लेटफार्म पर प्रतिभरण नहीं होगा।

(4) बहनीय ट्रेसिल इस प्रकार रखे जायेंगे कि वे सुस्थिर रह सकें।

70. सदाई और उतराई संक्रियाओं पर निर्बंधन :

(ड) कोई भी अन्य कार्य, उदाहरणार्थ, अनुसुरक्षण या मरम्मत कार्य, जैसे कि चालू क्षेपण या झलाई कार्य, ऐसे स्थान में नहीं किया जाएगा जहां डाक कार्य चल रहा हो यदि उससे डाक में कार्य करने वाले को खतरा या बाधा होने की संभावना है।

(2) जब डाक कर्मचारियों के एक से अधिक दल किसी पेटा में एक साथ डाक कार्य में नियोजित किए जाते हैं तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि—

(क) काम कर रहे दलों को एक दूसरे से खतरे का परिहार करने के लिए सदाई या उतराई संक्रियाओं का सामंजस्य कर लिया गया है;

(ख) एक दल का दोला स्थायी दूसरे दल के डाक कर्मचारियों को खतरा पैदा नहीं करेगा।

- (ग) जहाँ दल भिन्न-भिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे हैं वहाँ डॉक कर्मकारों को गिरने या स्थोरा के नीचे डॉक कर्मकारों पर गिरने से रोकने के लिए जाल लगाया जाएगा और उमे सुरक्षित रूप से मजबूती से बांधा जाएगा।
- (घ) पेटा के किसी सेक्शन में दलों की अति मोड़े का परिहार कर लिया गया है।

#### 71. मजदूरी में डॉक कार्य :

किसी भी डॉक कर्मकार को मजदूरी में लंगर डाले किसी पोत पर स्थोरा उठाई धराई के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा जब जब कार्य स्थितियाँ खतरनाक समझी जाती हैं।

#### 72. पोतों को घाट पर लगाने और स्थानांतरण के दौरान कार्य :

(1) जब पोत घाट पर लगाए जा रहे हों या वे स्थानांतरित किए जा रहे हों तो पेटा या डेकदार में या डेक पर डॉक कर्मकारों द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा।

(2) जब पोत का लंगर डाला जा रहा हो तो डॉक कर्मकारों को लंगर डालने के रस्सों से दूर रखा जाएगा और विशिष्टतया उन्हें हवीतों द्वारा खींचे जा रहे रस्सों के फंदों में खड़ा होने की अनुज्ञा नहीं होगी।

#### 73. संरक्षात्मक उपस्कर :

(1) जहाँ हानिकारक कर्मक के लिए संरक्षण के अन्य उपाय अव्यवहार्य या अपर्याप्त हैं, वहाँ डॉक कर्मकारों को ऐसे कर्मक के प्रभाव से बचाने के लिए पर्याप्त संरक्षात्मक कपड़ों और वैयक्तिक संरक्षात्मक उपस्कर की व्यवस्था की जाएगी।

(2) संरक्षात्मक कपड़े और वैयक्तिक संरक्षात्मक उपस्कर उपयुक्त क्वालिटी के होंगे और अच्छी हालत में अनुरक्षित होंगे तथा उपयुक्त अंतरालों पर साफ किए जाएंगे।

(3) जहाँ संरक्षात्मक उपस्कर और कपड़े विषैले या अन्य खतरनाक माल द्वारा संदूषित हो सकते हों वहाँ उनका किसी ऐसे पृथक स्थान में भंडारण किया जाएगा जहाँ वह डॉक कर्मकारों के कपड़ों और अन्य माल अमबाब को संदूषित न करे।

(4) प्रशीतन पेटा या कोष्ठ या प्रशीतन आधानों में नियोजित डॉक कर्मकारों के पूर्ण शारीरिक संरक्षण के लिए उपयुक्त संरक्षात्मक उपस्कर दिए जाएंगे।

#### 74. विच और क्रेन प्रचालक :

लदाई विचों या क्रेनों के प्रत्येक एकल या जोड़ों के लिए जिसका एक ही बिन्दु से प्रचालन किया जा सके एक विच या क्रेन प्रचालन होगा

- (क) जो 18 वर्ष से कम आयु का न हो;
- (ख) जो सक्षम और विश्वसनीय हो;
- (ग) जो विच क्रेन प्रचालन के अंतर्निहित जोखिम का ज्ञान रखता हो; और
- (घ) जिसकी अनुसूची 11 के अनुसार आवश्यक रूप से चिकित्सीय परीक्षा होगी।

#### 75. संकेतक :

(1) जब स्थोरा की किसी हैचपन पर फाल लदाई या उतराई की जा रही हो तब किसी संकेतक को नियोजित किया जाएगा, और जहाँ किसी हैचपथ पर एक से अधिक फाल काम कर रहा है तो प्रत्येक फाल की देखभाल के लिए पृथक संकेतक को नियुक्ति की जाएगी:

#### परन्तु यह कि—

(क) यह विनियम उस दशा में लागू नहीं होगा जब कोई बाजें, हल्के या अन्य वैसे ही जलयान पर लदाई या उतराई की जा रही हो, यदि क्रेन या विच का ऐसा चालक फाल पर कार्य कर रहा है जिसके पास पेटा के उन भागों को स्पष्ट और बिना किसी बाधा के देख सकता है जहाँ काम चल रहा है; और

(ख) जहाँ निरीक्षक की यह राय हो कि क्रेन या विच या उपयोग में अन्य साधनों की प्रकृति के कारण या किन्हीं अन्य विशेष व्यवस्थाओं के कारण, इस विनियम की अपेक्षाएँ डॉक कर्मकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं हैं वहाँ वह लिखित प्रमाणपत्र के द्वारा (जिसका वह अपने विवेकानुसार प्रतिसंहरण कर सकेगा) ऐसी अपेक्षाओं का ऐसी शर्तों के अधीन रहने हुए, जैसी ऐसे प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट की जाएं, निलंबन कर सकेगा।

(2) एक से अधिक संकेतक नियोजित किए जाएंगे जब निरीक्षक की राय में कर्मकारों की सुरक्षा के हित में ऐसा करना आवश्यक हो।

#### ज—खतरनाक माल की उठाई-धराई

#### 76. अधिसूचना :

(1) किसी पोत से, अनुसूची 2 में यथा प्रवर्गीकृत किसी खतरनाक माल को उतारने से पहले पोत का मास्टर या भारसमर्थक अधिकारी और अभिकर्ता डॉक कर्मकारों के नियोजक, पत्तन प्राधिकारी और अधिसूचित निरीक्षक को लिखित विवरण पेश करेगा जिसमें माल की पहचान और ऐसे जोखिम की प्रकृति का विनिर्देश होगा जो उनसे उत्पन्न हो सकती हो तो उनके प्रवर्ग विनिर्दिष्ट होंगे और इसकी प्राप्ति को अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा।

(2) लदान के लिए कोई खतरनाक माल प्राप्त किए जाने से पहले नोर्षक या उसका अभिकर्ता पत्तन (प्राधिकारी), निरीक्षक और खतरनाक माल की उठाई धराई करने वाले डॉक कर्मकारों के नियोजक को उपरोक्त उप विनियम (1) द्वारा यथापेक्षित जानकारी देगा।

#### 77. साधारण पूर्वाधानियाँ :

(1) खतरनाक माल की ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति के सर्वेक्षणार्थी, जो खतरों और बरती जाने वाली पूर्वाधानियों से परिचित हो लदाई उतराई तथा उठाई धराई को जाएगी और भंडारित किया जाएगा। खतरों या की जाने वाली पूर्वाधानियों को प्रकृति के बारे में संदेह की दशा में इन विनियमों के अधीन नियुक्त सुरक्षा अधिकारी से आवश्यक अनुदेश प्राप्त कर लिए जाएंगे।

(2) खतरनाक माल तब तक लदा, उतारा या भंडारित नहीं किया जाएगा जब तक वे समुचित ढंग से पैक तथा उलझे होने वाले खतरे को दशाने वाले लेबल से युक्त नहीं कर दिया जाता। डॉक कर्मकारों को स्थोरा की प्रकृति और उनको उठाई धराई में की जाने वाली विशेष पूर्वाधानियों के संबंध में पर्याप्त जानकारी दी जाएगी।

(3) खतरनाक मालों के आधानों की टूट-फूट या नुकसानों से प्रवारित करने के लिए विशेष पूर्वाधानियाँ जैसे चढ़ाई, रिलिंग, नेट, पेटियों और उच्च किनारों वाली प्रवट्टिकाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(4) खतरनाक मालों के लदान, उतारने या अन्यथा उसको उठाई-धराई में नियोजित डॉक कर्मकारों को समुचित संरक्षण उपस्कर प्रदान किए जाएंगे।

(5) खतरनाक माल को उड़ाई धराई वाले डॉक कर्मकार खाने पाने, पान और सुपारी या तम्बाकू लेने-से पहले अपने हाथों और चेहरे को साबुन से या किन्हीं अन्य सफाई कारकों द्वारा पूर्ण रूप से साफ करेंगे।

(6) केवल विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉक कर्मकार को सफाई, झाड़ू देने या फेंके हुए माल को उड़ाई धराई करने या खतरनाक माल के झाड़न के लिए नियोजित किए जाएंगे।

#### 78. विस्फोटक और ज्वलनशील स्थोरा :

(1) जहां विद्युत उपस्कर से विस्फोट का खतरा हो वहां सर्किट को निष्प्रवाह कर दिया जाएगा और जितनी देर खतरा बना रहता है उसे निष्प्रवाह रखा जाएगा जब तक कि ऐसे उपस्कर और सर्किट विस्फोटक वातावरण में प्रयोग के लिए सुरक्षित नहीं है तथा ऐसे वातावरण में अनसूक्तिग कारक शीजों की व्यवस्था और प्रयोग किया जाएगा।

(2) जब अत्यधिक ज्वलनशील स्थोरा की लवाई और उतराई चल रही है तो यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे कि आरंभिक आग को तुरन्त नियंत्रित किया जा सके।

#### 79. अन्य खतरनाक माल :

(1) धूमिल स्थोरा जैसे अन्न लादने या उतारने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थोरा उड़ाई धराई के लिए सुरक्षित है, पर्याप्त उपाय किए जाएंगे।

(2) जहां बाहक और संधारक पदार्थों को उड़ाई धराई की जा रही हो या अंधारित किया जा रहा हो वहां आध्यातों को नुकसानों से बचाने के लिए और किसी फेंके हुए माल को अहानिकर बनाने के लिए विशेष पूर्वविधानियां बरती जाएंगी।

(3) यदि चर्म, ऊन बाल, हड्डियां या प्राणियों के अन्य अंग को सभम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से ऐथेक्स के विरुद्ध विसंक्रमित अधि-प्रमाणित नहीं किया गया हो तो संबंधित डॉक कर्मकारों को,—

(क) संक्रमण की जोखिम और बरती जाने वाली पूर्वविधानियों के बारे में अनुद्विष्ट किया जाएगा;

(ख) सम्बन्धित किसम के वैयक्तिक संरक्षण उपस्कर प्रदान किए जाएंगे; और

(ग) विशेष चिकित्सीय पर्यवेक्षण में रखा जाएगा।

#### 80. टेट्राएथिल लैड (टी ई एल) मिश्रण की उड़ाई-धराई :

(1) टेट्राएथिल लैड (टी ई एल) मिश्रण को पोत से तब तक उतारा नहीं जाएगा जब तक कि :—

(क) वह सार्वजनिक संरचना वाले विशेष रूप से संरचित ऐसे इस्पात ड्रम में पैक न किया गया हो जो, भीतरी और बाहरी डाट द्वारा सीलबंद किया गया है और जिसमें अतिरिक्त पूर्वविधानी के रूप में खोल के ऊपर में उचित चक्रवाल लगाए गए हैं।

(ख) सभी ऐसे आधान, जिसमें टेट्राएथिल लैड मिश्रण रखे गए हों, मुस्पष्ट और टिकाऊ रूप में टेट्राएथिल लैड मिश्रण विष शब्दों से चिह्नित न हों, और

(ग) संरक्षण उपस्करों के दो ऐसे सेटों को जिनमें निम्नलिखित वस्तुएं रखी गई हों, व्यवस्था की गई हो जो टेट्राएथिल लैड मिश्रण के रिसने की दशा में प्रयोग के लिए तुरन्त उपलब्ध है :

(i) रबर के दस्ताने;

(ii) रबर के बूट;

(iii) रबर एप्रन या तेल चर्म सूट; और

(iv) अनुकूल स्वसिद्ध जो या तो कनह्वर किसम का हो जिसमें न्यूनतम 500 सी.सी. सक्रियित तारकोल अंतर्विष्ट हो या वायुपार बहन स्वसिद्ध जिससे स्वतंत्र रूप से ताशी हवा मिल सके।

(2) टेट्राएथिल लैड मिश्रण को उतारते समय निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे :

(क) पतल की परिमिता के भीतर कोई ऐसा पाल नहीं खोला जाएगा जिसमें टेट्राएथिल लैड मिश्रण हो;

(ख) उतारने की संक्रियाएं आरंभ करने से पहले टेट्राएथिल लैड मिश्रण के परेषण का जलयान पर किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। ऐसे किसी टेट्राएथिल लैड मिश्रण वाले ड्रम को जो रिसन का संकेत दे रहा हो, तब तक नहीं उतारा जाएगा जब तक कि उसकी मरम्मत सम्बन्धित रूप से नहीं कर दी जाती या उससे बड़े पाल या आधान में, जिसमें रिसन से पर्याप्त पूर्वविधानी हो, रख नहीं दिया जाता;

(ग) टेट्राएथिल लैड मिश्रण अन्तर्विष्ट करने वाले ड्रम किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पर्यवेक्षण में उतारे जाएंगे;

(घ) टेट्राएथिल लैड-मिश्रण अन्तर्विष्ट करने वाले ड्रम प्रत्येक ड्रम के लिए पृथक दोला प्रयोग करते हुए एक समय में अधिकतम दो ड्रम के साथ रस्सा दोनों में लादे और उतारे जाएंगे। किसी भी दशा में हुकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(ङ) टेट्राएथिल लैड मिश्रण अन्तर्विष्ट करने वाले ड्रमों को उड़ाई धराई करने वाले डॉक कर्मकारों को केनवस या चमड़े के भारी दस्ताने दिए जाएंगे और वे ऐसे दस्तानों का उपयोग करेंगे; और

(च) टेट्राएथिल लैड मिश्रण के किसी रिसन में बरतने के लिए अज्वलनशील विलायक की या किरोसिन और सायन तथा पानी को पर्याप्त मात्रा वहाँ आसान से उपलब्ध रखी जाएगी जहां टेट्राएथिल लैड मिश्रण की उड़ाई-धराई का काम किया जाता है।

(3) टेट्राएथिल लैड मिश्रण के रिसन की दशा में निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे :

(क) उस क्षेत्र में जिसमें टेट्राएथिल लैड मिश्रण का रिसन हुआ (जिसके अन्तर्गत ड्रम के बाहर रिसन भी है) निम्नलिखित रूप में कार्रवाई की जाएगी :

(i) किरोसिन या किसी अन्य हल्के तेल विलायक के साथ और उसके पश्चात् पानी से साफ करें। यदि धरातल अनुकूल हो तो साबुन के साथ उतना आग बना कर जितना संभव हो, पूरी तरह धोएं और पुनः पानी के साथ साफ करें;

(ii) यदि सामान्य विरंजक चूने (सी ए ओ सी 12) का प्रदाय शीघ्र प्राप्त करना संभव हो तो उस क्षेत्र में पहले विरंजक चूने और पानी के मिश्रण का पतले घोल के रूप में (शुष्क चूर्ण कभी प्रयोग न करें) पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए अनुकल्पतः किरोसिन में पांच प्रतिशत सल्फ्यूरिक क्लोराइड के घोल (एम ओ 2 सी 12) का उपयोग किया जा सकेगा;

(ख) यदि अवशेषक सामग्री जैसे कि लकड़ी का फर्श, निभार यह अन्य पैकिंग सामग्री का संदूषण होता है, तब ऐसी सामग्री उपर्युक्त कार्रवाई करने के पश्चात् उस स्थान से हटा दी जानी चाहिए जहां टेट्राएथिल लैड मिश्रण की उड़ाई-धराई की जा रही है;

(ग) कोई कपड़े, जो टेट्राएथिल लैड मिश्रण से संदूषित हो जाते हैं, तत्काल हटा दिए जाने चाहिए और किसी अज्वलनशील निर्जल धलाई नरल में बार-बार प्रक्षालन करके साफ करने चाहिए;

(ब) यदि टेढ़ाएथिल लैंड मिश्रण सूंचा जा सकता है तो वे डॉक कर्मकार जिन्हें टेढ़ाएथिल लैंड मिश्रण के रिसन के संबंध में कार्रवाई करने के लिए समनुदिष्ट नहीं किया गया है उस स्थान से हटा दिए जाएंगे; और

(७) ऐसे डॉक कर्मकार, जिन्हें टेढ़ाएथिल लैंड मिश्रण के रिसन के संबंध में कार्रवाई करने के लिए समनुदिष्ट किया गया है, उप विनियम (1) (ग) के अन्तर्गत वर्णित संरक्षा उपस्कर पहनेंगे।

(4) प्रशीतित स्थानों में टेढ़ाएथिल लैंड मिश्रण की उठाई-धराई करने के लिए उपयुक्त संरक्षा कपड़ों की व्यवस्था की जाएगी।

81. टूटे हुए या रिसने वाले आधान :

(1) जब खतरनाक माल के टूटे हुए या रिसने वाले आधानों से खतरा हो तो डॉक कर्मकारों को अन्तर्ग्रस्त क्षेत्र से हटा दिया जाएगा और कार्य आरंभ करने से पूर्व निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:—

(क) यदि स्थोरा खतरनाक गैसों या वाष्प उत्पन्न करता है तो—

(i) उन कर्मकारों के लिए, जो वृद्धिपूर्ण आधानों को हटाए, उपयुक्त श्वसन संरक्षत्मक उपस्कर उपलब्ध कराया जाएगा;

(ii) यदि आवश्यक हो तो उस क्षेत्र को संवातित किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण किया जाएगा कि वातावरण में गैसों और वाष्प का सांद्रण डॉक कार्य के लिए सुरक्षित है;

(ख) यदि स्थोरा संक्षारक पदार्थ है तो—

(i) क्षतिग्रस्त आधानों को हटाने में लगे हुए डॉक कर्मकारों को उपयुक्त निजी संरक्षत्मक उपस्कर उपलब्ध कराया जाएगा; और

(ii) गिरे हुए पदार्थ को साफ करने में उपयुक्त अवशोषक या निष्प्रभावी सामग्री का उपयोग किया जाएगा।

82. विषैले विलायक :

किन्हीं विलायकों के उपयोग के पूर्व ऐसे विलायकों के विषैले गुणों अभिनिश्चित किए जाएंगे और विषैले विलायकों से प्रच्छन्न डॉक कर्मकारों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पर्याप्त साधनों की व्यवस्था की जाएगी।

अ—दुलाई आधान टर्मिनल

83. टर्मिनलों पर बाड़ लगाना :

(1) जल पाथर्व को छोड़कर आधान टर्मिनल की परिसेमा को तार जाली या सारवान संरचना वाली और पर्याप्त सामर्थ्य और टिकाऊपन युक्त किन्हीं अन्य समुचित सामग्री से बाड़ा लगाना चाहिए जो कम से कम 1.5 मीटर ऊंची हो।

(2) आधान टर्मिनलों के प्रवेश और निकास बिन्दु पृथक-पृथक और सुस्पष्ट रूप से चिन्हित होंगे।

(3) जहाँ कहीं आधानों का चट्टा लगाया जाता है वहाँ फ्लोर की भार वहन क्षमता पर्याप्त होनी चाहिए।

(4) टर्मिनल मार्ग और पद यात्री पथों को उपदर्शित करने वाले उपयुक्त चिन्ह और संकेतक समुचित बिन्दुओं पर लगाए और बनाए रखे जाएंगे।

(5) बाहनों के ठहरने के लिए विशेष क्षेत्र, या मार्ग या उसके भाग की व्यवस्था की जाएगी। आधान टर्मिनलों के भीतर आधान की उठाई धराई से संबंधित उपस्कर और आधानों के परिवहन के लिए बाहनों से भिन्न किन्हीं निजी वाहन को आने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

458 GI/90—4

(6) ऐसे सभी क्षेत्रों को जहाँ उठाई धराई और परिवहन के लिए यांत्रिक उपकरण सक्रिय हों, गड्ढों, अनावश्यक उपस्कर और स्कावटों से मुक्त रखा जाएगा।

(7) सभी परिवालन क्षेत्रों में और वहाँ तक पहुंचने के मार्ग में विनियम 16 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट रूप में पर्याप्त और समुचित प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी।

84. उत्पापक साधित्र और अन्य उपस्कर :

(1) आधान टर्मिनलों को समुचित उत्पापक साधित्र और परिवहन उपस्कर से सज्जित रखा जाएगा और उनकी ठीक से मरम्मत की जाएगी और कार्यकारी हालत में रखा जाएगा।

(2) (क) खाली आधानों की उठाई धराई के लिए उपयोग में लाए गए फार्क लिफ्ट ट्रकों की दशा में फार्क की लंबाई आधानों की पूरी चौड़ाई के बराबर होगी और फार्क लिफ्ट की क्षमता आधान के वजन के अनुसार होगी।

(ख) आधानों की उठाई-धराई के लिए उन फार्क लिफ्ट ट्रकों को नियोजित नहीं किया जाएगा जिनमें फार्क पाकेट नहीं होगा।

85. आधान परिवालन :

(1) कन्टेनर स्प्रेटर के प्रयोग के पूर्व कर्म पर्यवेक्षक, फोरमैन या कोई अन्य प्राधिकृत व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि यह अच्छी काम चलाऊ हालत में है और उसका विनियम 47 (1) के उपबंधों के अनुसार परीक्षण कर लिया गया।

(2) एकल या बहुपाद युक्त स्लिंगों का प्रयोग आधानों उत्पापन के लिए नहीं किया जाएगा।

(3) प्रयोग किए गए आधान और स्प्रेटर के वजन के उत्पापक साधित्र की सुरक्षित वहनीय धार या प्रयोग में लाए गए परिवहन उपस्कर की तुलना में नोट किया जाएगा।

(4) जब माल की लदाई या उतराई की जा रही हो तब आधान को प्लंब के नीचे बर्गाकार रूप से उठाया जाएगा ताकि भार दोलायमान न हो।

(5) आधान की उठाई-धराई में नियोजित विशेष उत्पापक साधित्रों का प्रचालकों द्वारा केवल तभी प्रचालन किया जाएगा जब उनके पास उन संक्रियाओं के लिए पर्याप्त ज्ञान और कौशल हो।

(6) आधान की उठाई-धराई में नियोजित उत्पापक साधित्रों का प्रचालन किसी ऐसे संकेतक के मार्गदर्शन में किया जाएगा जो उचित रूप से प्रशिक्षित होगा। जब संकेतक क्रेन प्रचालक के साथ प्रभावी रूप से संपर्क करने की स्थिति में न हो तब अन्य प्रभावी संकेतक साधनों जैसे बाकी टाकी, लघुतरंग रेडियो आदि का प्रयोग किया जाएगा।

(7) जब किसी आधान को किसी चौकी में उतारा या उमसे उठाया जा रहा हो, तब कोई व्यक्ति, उसके मूल गति उत्पापक को केबिन में नहीं रहेगा।

(8) कोई व्यक्ति किसी आधान पर खड़ा नहीं रहेगा जब—

(क) वह उत्पापित या अवनबनित किया जा रहा हो।

(ख) दूसरा आधान उसके निकट उठाया या अवनबनित किया जा रहा हो।

(9) किसी भी व्यक्ति को ऐसे आधान विस्तारक द्वारा किसी आधान के शिखर तक नहीं उठाया जाएगा जो किसी क्रेन या अन्य साधित्र द्वारा उठाया जा रहा है।

(10) जब किसी आधान से शिखर तक पहुंचने के लिए किसी सीढ़ी का उपयोग किया जाता है, तब सीढ़ी मजबूत संरचना की होगी, जिसमें फिसलनरोधी युक्तियां या उपयुक्त सुरक्षा प्रबंधों की व्यवस्था

हीनी और बड़ा आवश्यक ही, कोई व्यक्ति जोड़ी के तले को पकड़ने के लिए होगा।

(11) जब कर्मकारों को आधानों के शिखर पर कार्य करना पड़े तब

(क) यह सुनिश्चित करना होगा कि फिसलन से बचने के लिए सतह शुष्क और साफ हो;

(ख) कर्मकारों को आधानों के शिखर पर जाने के लिए और आधानों को खोलने तथा बंद करने के काम को करने के लिए उपयुक्त और सुरक्षित साधनों की व्यवस्था होगी।

(12) पद यात्री आधान टर्मिनल के किसी भाग में उनके उपयोग के लिए चिन्हित आधानों से भिन्न किसी अन्य रास्ते को अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे।

(13) आधान, उसके परिवहनित किए जाने से पूर्व घुमावदार ताले द्वारा ब्रुक या चैसिस से मजबूती से कस दिया जाएगा।

(14) डाक कार्य में नियोजित सभी आधानों पर परीक्षण, अनुरक्षण निरीक्षण और अनुमोदन किसी सभ्य व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

86. भराई और खाली करना :

(1) भराई के लिए प्रयुक्त आधान स्वस्थ, शुष्क और दुर्गन्ध से मुक्त होंगे।

(2) आधानों की भराई के लिए समुचित बस्तियों की व्यवस्था की जाएगी और बर्सी फिटिंग सुरक्षित रूप से अवस्थित होंगी।

(3) चैसिस में चढ़ाए गए आधान समुचित रूप से सुरक्षित और प्रवर्तित होंगे और भराई या खाली करते समय समुचित बिज प्लेटों का उपयोग किया जाएगा।

(4) ऐसे खतरनाक माल जिसके एक साथ समूहीकृत करने की सिफारिश नहीं की गई है एक ही आधानप्रद में नहीं भरा जाएगा।

(5) ऐसे आधानों पर जिनमें खतरनाक माल भरा गया है अन्तर्राष्ट्रीय रूप से अनुमोदित लेवल लगाए जाएंगे।

(6) जब भराई या खाली करने के लिए फार्क लिफ्ट को नियोजित किया गया हो तब कोई भी अन्य व्यक्ति आधान के अन्दर की ओर नहीं होगा।

(7) किसी आधान की उस पर किन्हींकित क्षमता से अधिक नहीं भरा जाएगा और आधान इस प्रकार भरे जाएंगे कि आधानों के फर्श क्षेत्र के सर्वत्र भार विभाजन यथासंभव समान रहे।

(8) आधान-में भराई या खाली करने की संक्रिया के दौरान धूम्रपान की अनुज्ञा नहीं हो जाएगी।

(9) भराई कार्य पूरा होने पर, आधान पर दरवाजा समुचित रूप से किसी ताले या आधान सील द्वारा सुरक्षित रूप से बंद किया जाएगा।

(10) जब किसी आधान को खाली किया जाना हो तब किसी स्थोरा के बंद होने की संभावना को रोकने के लिए एक समय में केवल एक दरवाजा खोला जाएगा।

(11) प्रशोधन आधानों की भराई और खाली करने में नियोजित डॉक कर्मकारों के लिए समुचित संरक्षण वस्त्रों की व्यवस्था की जाएगी।

अ-प्रकीर्ण

87. मोटर आदि को बाड़ लगाना

(1) सभी मोटरों, वाहनों, जंजारों, और वर्षण गियर, पतिचालक बन्द, धुरा तंत्र, मशीनरी, के खतरनाक और चल भाग (आंत्रिक शक्ति से चालित हो या न हो) और वायु भली को सुरक्षित रूप से बाड़ लगाई जाएगी या असंवाहक ढकन लगाया जाएगा।

(2) मशीनरी के खतरनाक भागों की बाड़ की उच्च बलव नहीं बढ़ाया जाएगा जब मशीनरी चालू हालत का प्रयोग में ही। यदि बढ़ाया जाता है तो उसे मशीनरी के पुनः सामान्य प्रयोग में लाने से पूर्व पुनः स्थापित किया जाएगा।

(3) किसी मशीनरी के किसी भाग को, जो चालू हो और जिसमें सुरक्षित रूप से बाड़ न लगाई गई हो, परीक्षा, स्नेहन, समायोजन या मरम्मत, सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्तियों के सिवाय, नहीं की जाएगी।

(4) मशीन के पुर्जों को तभी साफ किया जाना चाहिए जब मशीन बन्द कर दी गई हो।

(5) जब मशीनरी सफाई या मरम्मत के लिए बन्द की गई हो, तब यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध होने चाहिए कि यह अपावधानी से पुनः चालू न हो जाए।

88. विद्युत उपस्कर

(1) विद्युत् उपस्कर या सर्किट को लगाने, समायोजित करने, परीक्षण मरम्मत या विस्थापित करने या हटाने के लिए केवल सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्तियों को ही अनुज्ञात किया जाएगा।

(2) प्रणाली के प्रत्येक भाग से सभी दाब काटने के लिए दक्ष और उपयुक्त रूप से अवस्थित साधनों की व्यवस्था की जाएगी, जैसा कि खतरे के निवारण के लिए आवश्यक हो।

(3) सभी सुबाह्य विद्युत् उपस्करों को ठीक चालू हालत में रखा जाएगा और इसका प्रयोग में लाने से पूर्व प्रतिदिन कम-से-कम एक बार किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

(4) बन्द स्थान में प्रयुक्त सुबाह्य विद्युत् प्रकाश या उपस्कर चौबीस बोल्ट या उससे कम का होना चाहिए।

(5) किसी ऐसे बन्द स्थान में जहाँ ज्वलनीय गैस, धुंध या गर्मि के होने की संभावना हो, केवल ज्वलनरोधी विद्युत् उपस्कर का प्रयोग करना चाहिए।

(6) विद्युत् उपस्कर के सभी जाने-नरट वाले धातु के पुर्जों को सुयोजित किया जाएगा या उन्हें सक्रिय होने से रोकने के लिए अन्य उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए।

(7) सुबाह्य या नम्य विद्युत् कंडक्टर हेवी इयूटी टाइप के होंगे और भारी, चालू गियर और चालू उपस्कर से मुक्त रखे जाएंगे।

(8) डाक कर्मकारों या उत्पाक साधक, कन्वेयर, परिवहन उपस्कर और मशीनरी के जाने-नरट वाले पुर्जों के अकस्मिक सम्पर्क में आने से उत्पन्न खतरे का निवारण करने के लिए सभी चल-कंडक्टरों को पर्याप्त रूप से विद्युत्रोधी बनाया जाएगा या बाड़ लगाई जाएगी।

89. भूमि पर डाक कर्मकारों के लिए परिवहन : डाक कर्मकारों को, उनके बूक किए जाने के स्थान से कार्य क्षेत्र तक या दो कार्य क्षेत्रों के बीच जब इन स्थानों के बिन्दुओं के बीच की दूरी दो किलोमीटर से अधिक हो, लाने-ले जाने के लिए उपयुक्त सुरक्षित परिवहन साधनों की व्यवस्था की जाएगी।

90. डॉक कर्मकारों का चलमार्ग द्वारा परिवहन

(1) जब किसी डॉक कर्मकार को किसी पोत से या किसी पोत तक किसी डॉक कार्य को करने के प्रयोजन के लिए जल मार्ग द्वारा जाना पड़े तो उसके सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करने के लिए समुचित उपाय किए जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त चलमार्ग किसी जिम्मेदार व्यक्ति के भारवाहन में होंगे, और सुरक्षित परिवहन के लिए समुचित उपाय से सुसज्जित होंगे तथा उचित रूप में अनुरक्षित होंगे।

(2) उपविनियम (2) में विहित परिवहन के वाहन निम्नलिखित के अनुषंग होंगे :-

- (क) डाक कर्मचारियों को प्रतिकूल मौसम से पर्याप्त संरक्षण का उपबंध किया जाएगा;
- (ख) जलयान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत पर्याप्त और अनुभवों कर्मों दल काम करेंगे;
- (ग) यदि जलयान के बलवार्क 60 सेंटीमीटर से कम हैं तो डैक के ऊपर कम-से-कम एक मीटर को ऊंचाई पर उपयुक्त बाड़ सहित किनाराबन्दी को जाएगा। बाड़ में प्रयुक्त स्तम्भ, टैंक और वैसे ही भागों का अन्तर दो मीटर से अधिक नहीं होगा;
- (घ) डैक पर रक्षा बोया को संख्या कम-से-कम कर्मदिल के सदस्यों को संख्या के बराबर होगी और दो से कम नहीं होगी;
- (ङ) सभी रक्षा बोयों को अच्छी स्थिति में रखा जाएगा और इस प्रकार रखे जाएंगे कि यदि जलयान डूबता है तो वे तैरते रहें, उक्त बोया में से एक अनुचालक को, तुरन्त पहुँच के भीतर होगा और अन्य यथासम्भव पीछे को और दूर स्थित होंगे और
- (च) जलयान के अनुचालक की स्थिति ऐसी होगी कि वह युक्तियुक्त रूप से चारों ओर देख सके।

(3) ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो सुरक्षापूर्वक जलयान में ले जाए जा सकें सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाएगी और स्पष्टतः तथा सहज दृश्य रूप से जलयान पर चिह्नित की जाएगी तथा ऐसा संख्या से अधिक नहीं होगी।

#### 11. दुर्घटनाओं की रिपोर्टें

(1) किसी डॉक में ऐसी दुर्घटना की जो या तो—

- (क) मृत्यु कारित करे; या
- (ख) किसी व्यक्ति को उस कार्ये अयोग्य बना दे जिसके लिए उसे शेष दिन उस पारी के लिए जब दुर्घटना घटित हुई नियोजित किया गया था कि सूचना दुर्घटना के चार घंटे के भीतर तार, दूरभाष या विशेष संदेशवाहक द्वारा निम्नलिखित को तुरन्त भेजी जाएगी;

(1) निरीक्षक को,

(2) कर्मकार के संबंधियों को जब दुर्घटना से डॉक कर्मकार की मृत्यु हो जाए या दुर्घटना से डॉक कर्मकार को दस दिन से अधिक के लिए निःशक्त होने की संभावना हो; और

(3) घातक दुर्घटना की दशा में निम्नलिखित को भी सूचना भेजी जाएगी—

(क) निकटतम थाना के भारसाधक अधिकारी; और

(ख) जिला मजिस्ट्रेट या यदि आदेश द्वारा जिला मजिस्ट्रेट ऐसा निदेश करे तो उपमण्डलीय मजिस्ट्रेट।

(2) उपविनियम (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत आने वाली दुर्घटना की दशा में क्षतिग्रस्त व्यक्ति का प्राथमिक उपचार किया जायेगा और तत्पश्चात् तुरन्त उसे किसी अस्पताल या चिकित्सा के अन्य स्थान को अन्तरित किया जाएगा।

(3) जहाँ नियोग्यता कारक दुर्घटना का पश्चात्पूर्वी परिणाम डॉक कर्मकार की मृत्यु होती है, वहाँ मृत्यु की लिखित सूचना पश्चात् 72 घंटे के भीतर उपविनियम (1) में उल्लिखित प्राधिकारियों को दी जाएगी।

(4) अंतरजात घटनाओं की निम्नलिखित ब्रेजिमेंट की रिपोर्टें, चाहे मृत्यु या नियोग्यता कारित हुई हो या नहीं उप विनियम (1) में विहित रीति से निरीक्षक को की जाएगी :-

(क) उत्पापक साधित्र या कन्वैयर का डह जाना या विफल होना या रज्जुओं, जंजीरों या अन्य खुले गियरों और उत्पापक युक्तियों का टूट जाना या विफल होना या डॉक कर्म प्रयुक्त फ्रेनों का उलट जाना, हेचवे (फलका बोर्डों) का स्थोरा का स्लिंग से गिरना, हच बीम के विस्थापन से हच बीम या आच्छादनों का गिरना;

(ख) किसी दीवार, फर्श, गैलरी, छत, चबूतरा, मंच या प्रवेश के साधन का डह जाना या धंस जाना;

(ग) रिसीवर का या भंडारण के लिए प्रयुक्त जलयान का किसी गैस या किन्ही गैसों का (इसमें वायु सम्मिलित है) या किसी द्रव या ठोस के सम्पीडन से तरिणामतः वातावरणिक दबाव से अधिक दबाव पर विस्फोर;

(घ) जहाँ डॉक कर्मकार नियोजित है, उस डॉक में विस्फोड या धाग से किसी स्थान को नुकसान;

(ङ) परिवहन उपस्कर का डह जाना, डूब जाना या उलट जाना या टकरा जाना;

(च) जोखिम वाले स्थोरा का छलकना या रिसना, और उनके आधानों को नुकसान होना; और

(छ) जहाँजी माल बाहकों (आधनों) की टूट-फूड, झुक जाना या नुकसान होना;

(5) यदि, उत्पापक साधित्र, खुला गियर और परिवहन उपस्कर काम करना बन्द कर दे तो संबंधित साधित्र, गियर या उपस्कर और स्थलों की जब तक किसी निरीक्षक द्वारा निरीक्षण न कर लिया जाये, यथासाध्य कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।

(6) उपविनियम (1) और उपविनियम (4) के अधीन दी गई प्रत्येक सूचना घटना के 72 घंटे के भीतर प्ररूप 12 में लिखित रिपोर्टें निरीक्षक को पेश की जाएगी और समुचित अभिस्वीकृति प्राप्त की जाएगी, परन्तु यह कि उपविनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन दुर्घटना की दशा में ऐसी लिखित रिपोर्टें केवल तब पेश करनी चाहिए जब डॉक कर्मकार उस कार्य से जिस पर वह नियोजित किया गया था, दुर्घटना के समय से अड़तालीस घंटे से अधिक के लिए कम से निशक्त हो गया हो।

#### 92. कतिपय रोगों की अधिसूचना :

(1) जब कोई डॉक कर्मकार अनुसूची 5 में विहित किसी रोग से संक्रामित होता है तो प्ररूप 11 में उक्त सूचना नियोजक द्वारा तुरन्त निरीक्षक को भेजी जाएगी।

(2) यदि कोई चिकित्सा व्यवसायी पूर्वोक्त अनुसूची में विहित किसी रोग से ग्रस्त किसी डॉक कर्मकार की चिकित्सा करता है तो वह चिकित्सा व्यवसायी बिना विलंब के महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान, केन्द्रीय श्रम संस्थान भवन, सिप्रोन, मुम्बई-400022 को संबोधित एक सूचना रोगी और रोग का नाम पूर्ण ब्योरा देते हुए भेजेगा।

#### 3. सुरक्षा अधिकारी :

(1) प्रत्येक पत्तन प्राधिकारी और डॉक श्रम बोर्ड अनुसूची 3 में अधिकथित मान के अनुसार सुरक्षा अधिकारियों को नियोजित करेगा।

(2) डॉक कर्मकारों का प्रत्येक दसरा नियोजक एक से कम एक सुरक्षा अधिकारी नियोजित करेगा परन्तु नियोजक एक संयुक्त दशा संवेदि और मुख्य निरीक्षक की लिखित अनुशा लेकर उस प्रमूह के लिए सुरक्षा

अधिकारियों की अनुसूची 3 में अधिकृत मान के अनुसार नियुक्त कर सकेंगे।

(3) सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य, शर्तें और सेवा की शर्तें वैसे ही होंगी जो अनुसूची 3 में उपबंधित हैं।

(4) सुरक्षा अधिकारी की सहायता उपयुक्त सहायक और कर्मचारी करेंगे जो मुख्य निरीक्षक से अनुमोदित करा लिए जाएंगे।

#### 94. अनुज्ञप्ति का नवीकरण :

पत्तन प्राधिकारी डॉक कर्मचारों के नियोजक की अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने से पहले मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक से सुरक्षा पालन और विनियमों के अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त करेगा और अनुज्ञप्ति के नवीकरण की मंजूरी के समय रिपोर्ट पर ध्यान देगा।

#### भाग—4

#### स्वास्थ्य

#### 95. सफाई :

(1) पोत, डॉक में सभी स्थान और वे सभी क्षेत्र, जो डॉक में उस स्थान के निवृत्त हैं जहाँ डॉक कर्मकार नियोजित किए जाने हैं साफ और कूड़ा-कचरा या दुर्गन्ध से, जो किसी नाली, शौचालय या अन्य न्यूसेन्स से उत्पन्न हो, मुक्त रखे जाएंगे।

(2) पोतों और डॉक क्षेत्र से कूड़े को सभी ढेरों का किसी ईसीनेरेटर (भस्मकारी यंत्र) में जलाकर या अन्य उपयुक्त साधन द्वारा निपटारा किया जाएगा।

(3) सुरक्षा या स्वास्थ्य को परिसंकेत या न्यूसेन्स पैदा करने वाला सभी क्षतिग्रस्त या क्षयग्रस्त स्थोरा उस कार्य स्थान से हटा दिया जाएगा या उसका निपटारा कर दिया जाएगा, जहाँ डॉक कर्मकार नियोजित किए जाते हैं।

#### 96. पेयजल :

(1) (क) प्रत्येक पोत के फलक पर और प्रत्येक डॉक में वहाँ नियोजित सभी डॉक कर्मकारों के लिए स्वास्थ्यप्रद पेय जल की प्रभावपूर्ण व्यवस्था सुविधाजनक रूप से अवस्थित समुचित स्थलों पर पर्याप्त प्रदाय बनाए रखने के लिए ही की जाएगी :

परन्तु पेयजल का स्थल उस स्थान से जहाँ डॉक कर्मकार नियोजित है 100 मीटर के भीतर उपलब्ध हो।

(ख) मध्यधार स्थित प्रत्येक पोत के फलक पर उसमें नियोजित सभी डॉक कर्मकारों के लिए स्वास्थ्यकर पेयजल का पर्याप्त प्रदाय करने और बनाए रखने की प्रभावी व्यवस्था की जाएगी।

(ग) पीने के लिए दिये जाने वाले जल की पूर्ति लोक जल प्रदाय प्रणाली से की जाएगी या अन्यथा किसी अन्य स्रोत से की जाएगी जिसे पत्तन के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा लिखित रूप से स्वीकृत कर दिया गया हो।

(2) ऐसे सभी स्थलों पर ऐसी भाषा में जो बहुसंख्याक डॉक कर्मकारों द्वारा समझी जाती हो सुपाठ्य अक्षरों में 'पेय जल' अंकित किया जाएगा और कोई ऐसा स्थल किसी प्रकालय स्थल, मूत्रालय या शौचालय से, छह मीटर के भीतर अवस्थित नहीं होगा जब तक कि कोई न्यूनतर दूरी द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत न की जाए।

(3) प्रत्येक डॉक में डॉक कर्मकारों को प्रदाय किया जाने वाला पेयजल गर्मी के मौसम के दौरान बर्फ या अन्य प्रभावशाली उपाय से शीतल किया हुआ होगा।

परन्तु यदि बर्फ पेय जल में डाला जाता है तो वह स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद होगा और पत्तन के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत स्तरों से प्राप्त किया जाएगा।

(4) प्रत्येक पेय जल केन्द्र को स्वच्छ और सुव्यवस्थित हाऊस में रखा जाएगा और यदि आवश्यक हो तो किसी सुयोग्य व्यक्ति के प्रभार को अधीन रखा जाएगा, जो पानी का वितरण करेगा। ऐसे व्यक्ति को कर्तव्यारूढ़ होने पर साफ कपड़े दिए जाएंगे।

(5) पेय जल केन्द्र मौसम में सुरक्षित तथा पर्याप्त रूप से नालीयुक्त रहेंगे।

(6) पानी के भण्डारण की टंकी या आधान को हमेशा स्वच्छ और स्वास्थ्यकर हालत में रखा जाएगा।

(7) निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा ऐसे किसी समय या ऐसे किसी अंतराल से जैसा वह निदेश करे पत्तन प्राधिकारी को यह निदेश दे सकेगा कि वह पत्तन के स्वास्थ्य अधिकारी से डॉक कर्मकारों को प्रदान किए गए जल की मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्तता के संबंध में रिपोर्ट अभिप्राप्त करे और प्रत्येक दशा में स्वास्थ्य अधिकारी से ऐसी रिपोर्टें प्राप्त होते ही, उसकी एक प्रति निरीक्षक को प्रस्तुत करे।

#### 97. शौचालय और मूत्रालय :

(1) प्रत्येक डॉक में अनुसूची 8 में दिए पंमाने पर शौचालय और मूत्रालय स्थान की व्यवस्था की जाएगी, जो सुविधाजनक रूप से अवस्थित होंगी और सभी समय डॉक कर्मकारों की, जब वे कार्य कर रहे हों, सहज पहुंच के भीतर होंगी। ऐसे सुविधा स्थान और वहाँ तक पहुंचने का मार्ग पर्याप्त रूप से प्रकाशयुक्त और संवातित होगा।

(2) जहाँ महिला कर्मकार नियोजित हो वहाँ पृथक शौचालय की व्यवस्था की जाएगी।

(3) शौचालय और मूत्रालयों के फर्श और दीवारों तथा स्वच्छता खंभों में काचित टाइल्स बिछायी जाएगी या अन्यथा ऐसे परिसंज्ञित किया जाएगा कि कम से कम 90 सें. मी. की ऊंचाई तक सतहें चिकनी परिष्कृत भ्रमच हों।

(4) ऐसे सभी सुविधा स्थानों को सभी समय समय स्वच्छ और साफ हालत में रखा जाएगा। शौचालयों और मूत्रालयों के फर्श, पाखंड-वर्ता दीवारों और सफाई फैन दिन में कम से कम एक बार समुचित अपमार्जकों और विसंक्रमकों या दोनों से पूर्ण रूप से धोया और साफ किया जाएगा।

(5) प्रत्येक शौचालय आच्छादित और इस प्रकार विभाजित किया गया होगा कि एकान्त सुनिश्चित करे और उसमें समुचित दरवाजा अंग-लयुक्त हो।

(6) प्रत्येक शौचालय और मूत्रालय की दीवारों, छतों और विभाजन पर सफेदी या रंग पुताई की गई हो तथा कम से कम चार मास में एक बार सफेद पुताई या रंग पुताई की जाएगी तथा इसका अभिलेख रखा जाएगा।

(7) जहाँ नल का जल प्रदाय उपलब्ध हो, वहाँ जिससे शौचालय स्थानों में या उनके आसपास पर्याप्त संख्या में नलों की व्यवस्था की जाएगी जहाँ सुविधापूर्वक पहुंचा जा सके।

(8) जहाँ नल का जल प्रदाय उपलब्ध नहीं है वहाँ शौचालय के निकट पर्याप्त मात्रा में जल भंडारण की व्यवस्था की जाएगी।

#### 98. धूकदान :

(1) डॉक के प्रत्येक भाग में, जिनमें भंडागार और अडार स्थान भी सम्मिलित हैं, पर्याप्त संख्या में धूकदानों की सुविधाजनक स्थानों में व्यवस्था की जाएगी और उन्हें स्वच्छ तथा स्वास्थ्यकर स्थिति में बनाए रखा जाएगा।



(2) कोई व्यक्ति डॉक क्षेत्र में भूकदान के विधायन और कहीं कहीं नहीं भूकेगा तथा समुचित गार्डों पर इस व्यवस्था की सुचना सतत रूप से प्रदर्शित की जाएगी।

(3) जो कोई उपविनियम (2) का उल्लंघन करते हुए भूकेगा वह दस रुपए तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(4) भूकदान अनुमोदित किम्ब का होगा।

(5) भूकदान को प्रत्येक दिन कम से कम एक बार खाली, साफ और विसंक्रामिक किया जाएगा।

99. पोटों पर डॉक क्षेत्र में इसमें प्रलीतन पेटा सम्मिलित है संवातन और तापमान:

प्रत्येक डॉक पर प्रत्येक भवन या कोई ग्रहाता या कोई प्रशोधन पेटा या चैम्बर या प्रशोधन आधारा में जहाँ डॉक कर्मकार नियोजित है, ताजा वायु के परिवर्तन द्वारा पर्याप्त संवातन और ऐसा तापमान और वायु संचालन सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए तथा उसमें डॉक कर्मकारों के आराम के लिए समुचित सुविधा सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य को क्षति प्रवारित करने के लिए प्रभावी और उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

भाग-5

कल्याण

100. धावन सुविधाएं:

(1) प्रत्येक डॉक, विश्रामशाला, पुकार स्टैंड और जलपान गृह में धावन के लिए पर्याप्त और समुचित सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें डॉक कर्मकारों के उपयोग के लिए रखा जाएगा तथा ऐसी सुविधाएं आसानी से पहुंच के भीतर होंगी और उन्हें स्वच्छ और सुव्यवस्थित स्थिति में रखा जाएगा। धावन सुविधा में ऐसे कांचित वाश बेसिन (धावन पात्र) सम्मिलित है जिन्हें टोटी लगी होगी।

(2) जहाँ डॉक कर्मकार विषैला, संक्रामक या क्षोभण पदार्थों या तेल भोजन या धूल द्वारा त्वचा संदूषण के लिए उच्छन्न हों वहाँ अलग-अलग कमरों में परिवेष्टित ग.वर बाथ की जिनके प्रवेश द्वार समुचित रूप से आवृत हों पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की जाएगी।

(3) प्रत्येक डॉक में अनुसूची 8 में अधिकृत पमाने पर इन सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।

(4) प्रत्येक धावनपात्र, स्टैंड पाइप और शॉवर के नॉचे और निकट फर्श या सतह पर इस प्रकार बिछाई या परिष्कृत की जाएगी कि वह चिकनी दुभेद्य समतल बन सके और यह पर्याप्त रूप से नालीयुक्त होगी।

(5) धावन सुविधाओं की जलपूर्ति डॉक में नियोजित डॉक कर्मकारों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त होगी और ऐसे स्रोत से होगी जो पतन के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत हो।

101. प्राथमिक उपचार पेटिका:

(1) प्रत्येक डॉक में और प्रत्येक पोत फलक पर पर्याप्त संख्या में प्राथमिक उपचार पेटिकाएं या कपबोर्डों की व्यवस्था की जाएगी और उनका अनुरक्षण किया जाएगा ताकि सभी कार्य समय के दौरान और सुगमता से पहुंच के भीतर हों।

परन्तु निकटतम प्राथमिक उपचार पेटिका या कपबोर्ड की दूरी किसी भी कार्य स्थल से 200 मीटर से अधिक नहीं होगी।

(2) पेटियों और कपबोर्डों में साधनों और प्राथमिक उपचार के लिए अपेक्षित वस्तुओं के सिवाय कुछ भी नहीं रखा जाएगा। ऐसी सभी पेटियां और कपबोर्ड इस प्रकार रखे जाएंगे कि वे धूल या अन्य बाह्य वस्तु के विरुद्ध और आर्द्रता के भीतर घुसने के विरुद्ध रहे। वे ऐसे जिम्मे-

दार व्यक्ति के भारसाधन में रखे जाएंगे जो प्राथमिक उपचार चिकित्सा में प्रशिक्षित हों और कार्य समय के दौरान हमेशा सुरक्षित उपलब्ध रहें।

(3) प्रत्येक प्राथमिक उपचार पेटा, और कपबोर्ड पर स्पष्ट रूप प्राथमिक उपचार चिह्नित होगा और अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट सामग्रियों से सुसज्जित होगा।

102. एम्बुलेंस कमरा:

(1) ऐसे प्रत्येक डॉक या डॉक के किसी भाग में जहाँ डॉक कर्मकार सामान्यतया नियोजित है, कोई प्रभावी संचार प्रणाली सहित एम्बुलेंस कमरा की व्यवस्था की जाएगी और उनका अनुरक्षण किया जाएगा और वह किसी ऐसी ग्रहित नर्स के भारसाधन में होगी जो सदैव सुलभता से कार्य के समय के दौरान उपलब्ध रहेगी तथा एम्बुलेंस कमरा पूर्ण रूप से किसी ग्रहित चिकित्सा व्यवसायी के भारसाधन में होगा।

(2) एम्बुलेंस कमरा एक पृथक कमरा होगा जो केवल प्राथमिक चिकित्सा उपचार और विश्राम के प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा। इसका तल क्षेत्र कम से कम दस वर्गमीटर का होगा और चिकनी तथा मजबूत अप्रवेद्य भित्तियां और फर्श होंगी और पर्याप्त रूप से संवातित होंगी और प्राकृतिक तथा कृत्रिम साधनों द्वारा प्रकाशयुक्त होगा। पर्याप्त पीने के पानी की व्यवस्था होगी और कमरा अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं से सुसज्जित होगा।

(3) एम्बुलेंस कमरे में उपचार किए जाने वाले सभी दुर्घटना और रणता के मामलों का अभिलेख रखा जाएगा और निरीक्षक के मांग किए जाने पर पेश किया जाएगा।

103. एम्बुलेंस वाहन:

प्रत्येक डॉक पर उपयोग के लिए उपयुक्त रूप से सज्जित मोटर एम्बुलेंस वाहन और लांच की व्यवस्था की जाएगी जिसे दुर्घटना और रणता के गंभीर रोगियों के लाने ले जाने के लिए अच्छी हालत में रखा जाएगा।

104. स्ट्रेचर:

उपयुक्त स्ट्रेचर की जिसके अन्तर्गत कोई भी लाल राबंसन स्ट्रेचर या कोई अन्य उपयुक्त स्लिंग स्ट्रेचर भी है, प्रत्येक डॉक पर सुविधाजनक स्थानों में पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की जाएगी ताकि वे किसी आपातकाल में सुगमता से उपलब्ध हो सकें।

105. आश्रय या विश्राम शेड और भोजन कक्ष:

(1) उस प्रत्येक डॉक में जिसमें सामान्यतः 150 से अधिक डॉक कर्मकार नियोजित किए जाते हैं, पेय जल और धुलाई का सुविधाओं की व्यवस्था सहित पर्याप्त और उपयुक्त आश्रय या विश्राम शेडों और उपयुक्त भोजन कक्षों की जहाँ डॉक कर्मकार अपने द्वारा लाए गए भोजन को खा सकें, सुविधाजनक स्थानों में व्यवस्था की जाएगी और उनके उपयोग के लिए अनुरक्षित किया जाएगा।

परन्तु विनियम 106 के अनुसार अनुरक्षित कोई भी कण्टीन इस विनियम की अपेक्षा का भागरूप मानी जाएगी।

परन्तु यह और भी कि जहाँ भोजन कक्ष की व्यवस्था है वहाँ कोई डॉक कर्मकार ऐसे भोजन कक्ष को छोड़कर डॉक की प्रतीमा में कोई भोजन नहीं खाएगा।

(2) प्रत्येक विश्राम शेड में भोजन और कूड़ा कचरे के लिए प्राच्छादित पात्रों की व्यवस्था और उनका उपयोग किया जाएगा। इन पात्रों को प्रत्येक पारी में कम से कम एक बार खाली किया जाएगा।

(3) उपविनियम (1) के अधीन उपलब्ध किए जाने वाले आश्रय या विश्राम कक्ष और भोजन कक्ष पर्याप्त रूप से प्राकृतिक और कृत्रिम प्रकाश और तापमान के भीतर सुखी तथा में अनुरक्षित रखे जाएंगे।

## 106. कल्याण (जलपान गृह):

(1) किसी डॉक में या डॉक के किसी भाग में जहाँ साधारणतः 250 से अधिक डॉक कर्मकार नियोजित हैं या नियोजित किए जाने की प्रतीक्षा में हैं, कार्य क्षेत्र में या उसके समीप पर्याप्त जलपान गृह सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी और उसे सभी डॉक कर्मकारों के उपयोग के लिए पत्तन प्राधिकारियों और डॉक श्रम बोर्डों द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा। जलपान गृह ऐसे सभी समय कार्य करेगा जब एक बार में पच्चीस या उससे अधिक डॉक कर्मकार नियोजित हों।

(2) जलयान गृह अनुसूची 9 में अधिकृत अपेक्षाओं का पूरा करेगा।

(3) प्रत्येक डॉक में पर्याप्त संख्या में जल कण्टेनरों की व्यवस्था की जाएगी जिसमें चाय और हल्के फ्रूल्के जलयान की व्यवस्था होगी।

## 107. डॉक कर्मकारों की चिकित्सीय परीक्षा:

(1) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कर्मकारों को—

(क) उनके पहली बार नियोजित किये जाने या उत्पाक साधनों और परिवहन उपकरणों के प्रचालन के लिए चयन किए जाने या प्रशिक्षण दिया जाने से पूर्व,

(ख) कालिक रूप से ऐसे अंतरालों पर जो मुख्य निरीक्षक द्वारा कार्य में अन्तर्निहित जोखिम और दशांग्रजिनके अधीन का संपादन किया किंवा गया है को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझें जाएं, चिकित्सीय परीक्षा की जाएगी।

(2) (क) जहाँ कहीं आवश्यक समझा जाए, चिकित्सीय परीक्षा के अन्तर्गत एक्सरे और विद्युतविज्ञान प्रयोगशाला परीक्षा भी है।

(ख) उपविनियम (1) (क), (ख) और (2) (क) के अधीन विहित चिकित्सीय परीक्षा, अनुसूची 11 के अनुसार होगी और किसी भी कर्मकार से उसके लिए प्रभार नहीं लिया जाएगा।

(3) ऐसे कर्मकारों की दशा में जो विशेष उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य जोखिम के लिए उच्छन्न होते हैं कालिक चिकित्सीय परीक्षा के अन्तर्गत कोई विशेष अनुसंधान जिसे उपजीविकाजन्य कारण के निदान के लिए आवश्यक समझा जाए, भी है।

(4) चिकित्सीय परीक्षा के वरिष्ठ उन्मुख रूप से अभिलिखित किए जाएंगे और निरीक्षक को मांग किए जाने पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

(5) यदि चिकित्सा अधिकारी की राय में इस प्रकार चिकित्सीय परीक्षित किसी डॉक कर्मकार के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए डॉक कम से अधिक करना अपेक्षित है, वह पत्तन प्राधिकारियों या डॉक श्रम बोर्ड या अन्य डॉक कर्मकारों के नियोजकों को, जहाँ भी स्थिति हो, तदनुसार निर्देशित कर सकेगा। तथापि इस प्रकार पृथक् किए गए डॉक कर्मकार के अतिरिक्त नियोजन की व्यवस्था की जाएगी जब तक चिकित्सा अधिकारी की राय में वह पूर्णतः अशक्त न हो। ऐसे मामले में प्रभावित कर्मकार को उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाना चाहिए।

## 108. सूचनाएं:

प्रत्येक डॉक पर सहज दृश्य स्थानों पर सूचनाएं प्रदर्शित की जाएंगी जिनमें निम्नलिखित बातें दर्शायी जाएंगी—

(क) निकटतम प्राथमिक उपचार पेटी या कपबोर्ड की अवस्थिति या स्थान जहाँ पर उनका आवश्यक व्यक्ति उपलब्ध हो,

(ख) एम्बुलेंस कबरा, स्ट्रेचरों या अन्य साधनों की अवस्थिति; और

(ग) एम्बुलेंस बाड़ी और डॉक की अवस्थिति, निकटतम टेलीफोन संयंत्रालय या अन्य स्थान का नाम और टेलीफोन संख्या जहाँ से ऐसी सड़ों या लंबे प्रान्त की जा सके।

## 109. कल्याण अधिकारी:

(1) प्रत्येक पत्तन प्राधिकार आर डॉक श्रम बोर्ड अनुसूची 10 में अधिकृत कर्तव्यों, अर्हताओं और सेवा शर्तों वाले अनेक कल्याण अधिकारी नियोजित करेगा।

(2) डॉक कर्मकारों का प्रत्येक दूसरा नियोजक कम से कम एक कल्याण अधिकारी नियोजित करेगा परन्तु नियोजक एक समूह बना सकेंगे और मुख्य निरीक्षक को लिखित अनुज्ञा लेकर उस समूह के लिए अनुसूची 10 में दशानिर्दिष्ट कल्याण अधिकारी नियुक्त कर सकेंगे।

भाग - 6

[विशेष उपबंध]

## 110. दुर्घटना आदि का विवरण :

पत्तन प्राधिकारी, डॉक श्रम बोर्ड और डॉक कर्मकारों के अन्य नियोजक इन विनियमों के अधीन प्रत्येक 13 में रिपोर्ट करने योग्य दुर्घटनाओं का मासिक विवरण निरीक्षक को भेजेगा।

## 111. डॉक कर्मकार उत्तरदायी व्यक्तियों आदि का प्रशिक्षण :

(1) डॉक कर्मकारों के सभी प्रवर्गों, उत्तरदायी और प्राधिकृत व्यक्तियों को, उनके कार्य की प्रकृति और कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षित कुशलता पर निर्भर रहन द्वैए आरंभिक और आवधिक प्रशिक्षण देना होगा। अधिनियम और विनियमों के अधीन उपबंधों के अनुसरण में ली जाने वाली पूर्ववधानियाँ और सुरक्षा संबंध पहलु प्रशिक्षण के अन्तर्गत आएंगे।

(2) सभी प्राथमिक उपचार कार्यों को इस प्रयोजन के लिए किसी अहित चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके अन्तर्गत पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम भी है।

## 112. आपात कार्य योजना :

सभी पत्तनों में ऐसी अनुमोदित आपात कार्य योजना होगी जो निम्नलिखित प्रकार के आपात निपटने के लिए मुख्य निरीक्षक को स्वीकार्य हो :-

(क) अग्नि और विस्फोटक;

(ख) उत्पाक साधनों का काम न करना और भवनों, शेडों आदि का ढह जाना ;

(ग) गेस रिसन और परिसंक्रमण माल का छलकना ;

(घ) डॉक कर्मकारों का डूबना, यानों का डूबना, डॉक वेस्टिंग से परिवहन उपकरण निकालना ; और

(ङ) बाढ़ तूफान और अन्य प्राकृतिक विपत्ति।

## 113. संक्षिप्तियों का संप्रदर्शन :

प्रत्येक डॉक में अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों की संक्षिप्तियाँ प्रत्येक 10 और 11 में संप्रदर्शित की जाएंगी।

## 114. सुरक्षा समिति :

(1) प्रत्येक पत्तन में, एक सुरक्षा समिति गठित की जाएगी जिसका प्रधान एक ऐसा अधिकारी होगा जो पत्तन का उपाध्यक्ष रैंक से नीचे का न हो। सुरक्षा समिति के मुख्य कुशल निम्नलिखित होंगे :-

(क) दुर्घटनाओं के कारणों और डॉक के कार्य से अनुपस्थित प्रवर्गों का अन्वेषण करना और उपचारार्थक उपाय सुझाना ;

(ख) सुरक्षा संस्थाएँ, सुरक्षा प्रतिबीगता, सुरक्षा के विषय पर जातीय और फिल्मों को प्राथमिक करके, इस्तहार तैयार करके या इसी प्रकार के अन्य उपाय करके सुरक्षा में नियोजकों और कर्मचारियों को अभिरुचि बढ़ाना ;

(ग) असुरक्षित प्रयाशों की जांच करने और असुरक्षित स्थितियों का पता लगाने की दृष्टि से डॉक के इर्द-गिर्द जाना और उनके सुधार के लिए उपचारात्मक उपायों को सिफारिश करना ;

(घ) पर्यवेक्षी कर्मचारिवृन्द और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना ;

(ङ) भिन्न-भिन्न प्रकार के स्थोरों को उठाई धराई के संबंध में स्वास्थ्य परिसंकेतों की जांच-पड़ताल करना और उपचारात्मक उपाय, जिसके अन्तर्गत उचित वैयक्तिक संरक्षात्मक उपस्कर का उपयोग भी है, सुझाना ; और

(च) डॉक के भीतर कल्याणकारी सुविधाओं के सुधारों के लिए उपाय और डॉक कार्य में सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के प्रकीर्ण पहलु सुझाना ।

(2) सुरक्षा समिति पत्तन के अध्यक्ष द्वारा गठित की जाएगी और इसमें पत्तन अधिकारियों के अतिरिक्त पत्तन उपयोक्ताओं के प्रतिनिधि, मान्यताप्राप्त श्रमिक संघ और मध्य निरीक्षक होंगे ।

(3) सुरक्षा समिति की नियमिन अस्तदानों पर एक बार कम से कम प्रत्येक तिमाही में बैठक होगी और बैठकों के कार्यवृत्त पत्तन के संबंधित विभागों या श्रमिकरणों या संगठनों को परिचालित किए जाएंगे ।

(4) सुरक्षा समिति के विनिश्चयों और सिफारिशों का पत्तन उपयोक्ताओं या डॉक कर्मचारियों के नियोजकों द्वारा अनुपालन किया जाएगा ।

115. डॉक कर्मचारियों के लिए व्यवसायिक स्वास्थ्य सेवाएं :-

(1) प्रत्येक पत्तन में या तो एक विशेष चिकित्सा सेवा या व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा सभी समय उपलब्ध होगी और इसके निम्नलिखित कृत्य होंगे :-

(क) प्राथमिक उपचार और आपात चिकित्सा की व्यवस्था ;

(ख) डॉक कर्मचारियों को पूर्व नियोजन, कालिक और विशेष चिकित्साय परीक्षा ;

(ग) प्राथमिक उपचार कार्यों का कालिक प्रशिक्षण ;

(घ) निगरानी करने और कार्य स्थलों पर हानात और डाक कर्मचारियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते वाले सुविधाओं के संबंध में सलाह देना ;

(ङ) डॉक कर्मचारियों की स्वास्थ्य शिक्षा को जिसमें परिवार कल्याण भी सम्मिलित है, अभिवृद्धि ; और

(च) संदेहास्पद ऐसे रासायनिकों, भौतिक या जैविक कारणों का खोज, माप और मूल्यांकन में सक्षम प्राधिवारी का निरीक्षक के साथ सहयोग करना जिसके डॉक कर्मचारियों के लिए हानिकर होने का संभावना हो ।

(2) चिकित्सा सेवा पत्तन के श्रम विभाग या किसी अन्य संबंधित विभाग या सेवा के साथ चिकित्सा कार्य-स्थापन दुर्वटना निवारण और डॉक कर्मचारियों के कल्याण कार्य में सहयोग करेंगे ।

(3) चिकित्सा सेवा का प्रदान ऐसा चिकित्सक होगा जिसे व्यावसायिक स्वास्थ्य में विशेषज्ञता प्राप्त हो और उसे पर्याप्त कर्मचारों, प्रयोगशाला और अन्य कार्मिक दिए जाएंगे ।

(4) चिकित्सा सेवाएं भूमितल पर अवस्थित होंगी । पत्तन या डॉक के सभी कार्य स्थलों में सुविधापूर्वक पहुँच के भीतर होगी । इस प्रकार से डिजाइन की जाएगी कि स्ट्रेचर बच्चों का परिचालन सुविधापूर्वक किया जा सके तथा जहाँ तक साम्य हो अत्याधिक शोर, धूल या अन्य उपद्रवों से रक्षित रहे ।

(5) चिकित्सा सेवा के परिसर में परिचारिकों और अन्य कार्मिकों के लिए समुचित स्थान-सुविधा के अलावा कम से कम एक प्रतीक्षा कक्ष, एक परामर्श कक्ष, एक चिकित्सा कक्ष और प्रयोगशाला होंगे ।

(6) प्रतीक्षा, परामर्श और चिकित्सा के लिए कमरे-

(क) प्रशस्त, समुचित रूप से प्रकाश मूक्त और संवातित और जहाँ-जहाँ आवश्यक हो तापित या वायु प्रशान्तित होंगे ; और

(ख) उनमें प्रज्ञालनीय प्राचरें, फर्श और किसचरें होंगी ।

(7) चिकित्सा सेवाओं का समुचित चिकित्सीय और प्रयोगशाला सुविधाओं तथा ऐसे प्रलेखन की जिम्मेदारी अपेक्षा इसके कार्य के लिए हो, व्यवस्था की जाएगी ।

(8) चिकित्सा सेवा डॉक कर्मचारियों की चिकित्सा परीक्षा और अन्य क्रियाकलाप से संबंधित अभिलेख रखेगी और निम्नलिखित के विषय में पर्याप्त जानकारी देगी :-

(क) डॉक कर्मचारियों के स्वास्थ्य का हालत ; और

(ख) व्यवसाय विषयक शक्तियों की प्रकृति, परिस्थिति और परिणाम ।

116. नियोजक की साधारण बाध्यताएं ;

(1) नियोजक कार्य का प्रकार, कार्यकरण स्थितियाँ और कर्मकार की श्र.यु, लिंग, व्यवसायिक कुशलता, तथा अन्य अर्हताओं का ध्यान रखते हुए कर्मकार के दुर्घटना या स्वास्थ्य के लिए क्षतिकारित होने को जोखिम से संरक्षण प्रदान करने के लिए युक्तियुक्त रूप से सभी आवश्यक कदम उठाएगा ।

(2) नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यकरण स्थल, उसके पहुँच मार्ग और पहुँच के साधन इन विनियमों के अन्तर्भूत और अन्यथा भी सुरक्षित स्थिति में हैं ।

(3) नियोजक कर्मकारों का कार्य नियत करते समय कर्मकार के प्रशिक्षण कुशलता और अनुभव का ध्यान रखेगा उसके प्रशिक्षण, कुशलता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए कर्मकार को वह कार्य नहीं सौंप जाएगा जिसके संभावित खतरों और पूर्वविधानियों के संबंध में उमने पर्याप्त शिक्षण प्राप्त न किया हो ।

117. साधारण सुरक्षा :

डॉक कर्मकारों का कोई नियोजक उपेक्षापूर्वक या जानबुझकर कर ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिससे डॉक कर्मकारों का जीवन, सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए संकटमय संभावित हो या कोई बात जो डॉक कार्य में नियोजित डॉक कर्मकार की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हो उपेक्षापूर्वक या जानबुझकर करने के लिए नहीं होगी ।

118. निरसन और व्यावृत्ति :

श्रमिक विनियम, 1948 और डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) स्कीम, 1961 निर्गमित किए जाते हैं ।

परन्तु उचित विनियम या स्कीम के अधीन की गई कोई कार्यवाही या जारी किया गया आदेश, जैसी भी स्थिति हो, अब तक कि वह इन विनियमों से असंगत नहीं इन विनियमों के तत्पश्चात् प्रावधानों के अधीन किया गया या जारी किया गया समझा जाएगा ।

## परिष्कार

(विनियम 41(1), 47(1) और 48(1) देखिए)

उत्पापक साधित्र, खुले गियर और तार रस्सों को पहली और प्रयोग में लेने में पूर्व परीक्षण की रीति

परीक्षण भार

(1) उत्पापक साधित्र:

प्रत्येक उत्पापक साधित्र, उसके आवश्यक उपसाधन गियर सहित परीक्षण भार के अधीन होगा जो सुवहनीय भार एस. डब्ल्यू. एल. में निम्नलिखित रूप से अधिक होगा :-

सुवहनीय भार	परीक्षण भार
20 टन तक	सुवहनीय भार से अधिक 25 प्रतिशत
20 टन से 30 टन तक	सुवहनीय भार से 5 टन अधिक
30 टन से ऊपर	सुवहनीय भार से 10 प्रतिशत अधिक

(2) खुले गियर :

(क) प्रत्येक रिंग, हुक जंजीर, शैवल, स्विवेल, आई बोल्ट प्लेट ब्लेम्प, लिम्बोजी प्लेट या घिरनी आलंब (एकल चर्खा आलंब को छोड़कर) परीक्षण भार जो निम्नलिखित से कम नहीं होगा, के अधीन होगा :-

सुवहनीय भार (टनों में)	परीक्षण भार (टनों में)
25 तक	2 × सुरक्षित कार्यकरण भार
25 से ऊपर	(1.2 सु. का भार + 20)

(ख) एकल चर्खा आलंब की दशा में सुवहनीय भार अधिकतम भार होगा, जो आलंब द्वारा अब तक उसे है फिटिंग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए और भार उम रस्से से, जो आलंब की चर्खा के ईद गिदें सुघरती है, संलग्न किया जाता है रूप से उत्पापित किया जा सके और परीक्षण भार, जो प्रस्थापित सुवहनीय भार से चार गुणा से कम नहीं होगा, आलंब के हैड को लागू होगा।

(ग) बहु चर्खा आलंब की दशा में, परीक्षण भार निम्नलिखित से कम नहीं होगा -

सुवहनीय भार (टनों में)	परीक्षण भार (टनों में)
25 तक	2 × सुवहनीय भार
25 से 160 तक	(ख. 923) × सुवहनीय भार + 27
160 से ऊपर	1.1 × सुवहनीय भार

(घ) हस्त प्रचालित घिरनी आलंबों के साथ उपयोग की जाने वाली पिच की हुई जंजीरों और उससे स्थायी रूप से संलग्न रिंग, हुक शैवल या स्विवेल की दशा में, परीक्षण भार जो सुवहनीय भार के अधिक 50 प्रतिशत से कम नहीं होगा, लागू किया जाएगा।

(ङ) बकेटमुक्त घिरनी आलंब की दशा में बकेट का परीक्षण किया जाएगा और बकेट को लागू किया जाने वाला भार, जब उस बकेट का परीक्षण कर रहे हो तो उम बकेट की परीक्षण लोडिंग के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(च) दो पाद स्तंभों वाले ढोलों की दशा में, सुवहनीय भार की संरचना की जाएगी जब पाद स्तंभों के बीच कोण 90 डिग्री है। जब ढोलें बहु पाद-स्तंभ हों तो सुवहनीय भार मानकों के अनुसार संगणित किया जाएगा।

(छ) प्रत्येक उत्पापक बीम, उत्पापक डोचा, प्राधान स्पेडर (विस्तारित्र) बकेट, डब या अन्य ऐसी ही युक्ति-परिष्कार भार के अधीन होगी जो नीचे सारणी में दिए भार से कम नहीं होगी :-

प्रस्थापित सुवहनीय भार परीक्षण भार (टनों में)  
(टनों में)

10 तक	2 × सुवहनीय भार
10 से 160 तक	(1.4 × सुवहनीय भार) + 9.6
160 से अधिक	1.1 × सुवहनीय भार

(झ) तार रस्सा

तार रस्से की दशा में एक नमूने का विनाश तक परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण प्रक्रिया किसी अन्तराष्ट्रीय या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी। रस्से का सुवहनीय भार उपयोग गुणांक में उस भार के विभाजन द्वारा जिस पर नमूना टूट जाए अवधारित किया जाएगा। अवधारण निम्न प्रकार से किया जाएगा।

मद	उपयोग गुणांक
(क) किसी स्लिंग का भागद्वय तार, रस्सा स्लिंग का सुवहनीय भार :-	
10 टन और उसके बराबर तक सुवहनीय भार	5
10 टन से अधिक और 160 टन तथा उसके बराबर तक सुवहनीय भार	104
	8.85 × सुवहनीय भार + 1910
160 टन से अधिक सुवहनीय भार	3
(ख) किसी उत्पापक साधित्र के अन्तर्गत भाग रूप तार रस्सा उत्पापक साधित्र का सुवहनीय भार	
160 टन और उसके बराबर तक भार	104
	8.85 × सुवहनीय भार + 1910
160 टन से अधिक सुवहनीय भार	3

(ज) कोई परीक्षण किए जाने के पूर्व अन्वर्तित उत्पापक साधित्र या खुले गियर का चाक्षुष निरीक्षण किया जाएगा और कोई भी दृश्यमान त्रुटिपूर्ण गियर प्रतिस्थापित या नवीकृत किया जाएगा।

(ट) परीक्षित किए जाने के पश्चात् सभी खुले गियर को यह देखने के लिए परीक्षा की जाएगी कि क्या उमका कोई भाग परीक्षण द्वारा क्षतिग्रस्त या स्थायी रूप से विरूपित हो गया है।

परीक्षण के लिए प्रक्रिया :

(3) पोत के डेरिक

(क) डेरिक की क्षैतिज जिसके लिए डेरिक का डिज इन किया गया है के न्यूनतम क्षैतिज कोण पर उस के चल मचने के साथ परीक्षण किया जाएगा (साधारणतः 15 डिग्री) या ऐसे अधिक कोण पर तब अण। कोण, जिस पर परीक्षण किया गया है परीक्षण प्रमाणपत्र में उल्लिखित होगा। परीक्षण भार, जंगम बाटों के उत्तोलक द्वारा प्रयुक्त किया जाएगा।

परीक्षण के दौरान चल मचान को, जहाँ तक व्यवहार्य हो, दोनों और परीक्षण भार के साथ डोलाया हुआ जाएगा।

(ख) निलंबित भार के साथ शक्ति के साथ उंचा किए जाने के लिए डिजाइन किया गया डैरिक चल मचान ऊपर (क) में परीक्षणों के अतिरिक्त क्षैतिज के उसके अधिकतम कार्यकरण कोण और दो वाह्य स्थितियों में (निलंबित भार के साथ) ऊंचा किया जाएगा।

(ग) किसी भारी उत्पादक डैरिक को परीक्षण लदाई करने समय, जंगम बाटों का उपयोग करने वाला परीक्षण के लिए जिम्मेदार सक्षम व्यक्ति मास्टर से यह अभिनिश्चित करेगा कि क्या परीक्षण लिए पोत का स्थायित्व पर्याप्त होगा।

(4) खंड (3) के अधीन परीक्षित डैरिक तब तक यूनिन पचेंज रिग में उपयोग नहीं किए जाएंगे जब तक—

(क) यूनिन पचेंज में रिग किए हुए डैरिक यूनिन पचेंज में (डिजाइन किए हुए हेरमड में और डैरिक चलमचानों के साथ उनकी अनुमोदित कार्यकरण स्थितियों में सु. भा. के समुचित परीक्षण भार के साथ परीक्षण किया जाते हैं।

(ख) यूनिन पचेंज रिग में उस डैरिक का सुवहनीय भार प्रश्न 3 में की रिपोर्ट में सक्षम व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट भी किया गया है।

(ग) उक्त रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट में किन्हीं परिसीमाओं या शर्तों का अनुपालन किया जाता है, और

(घ) दो उत्तोलक रस्से उपयुक्त स्विगेल एसेम्बली द्वारा इकट्ठे युग्मित किए जाते हैं।

टिप्पण : डैरिकों के सुवहनीय भार (रिग की प्रत्येक पद्धति जिसके अन्तर्गत यूनिन पचेंज भी है) परीक्षण प्रमाणपत्र में दर्शित किए जाएंगे और डैरिक के चल मचानों पर चिह्नित परए जाएंगे।

(5) पोत के डैरिकों और विच से भिन्न उत्पादक साधित :

(क) परीक्षण भार उत्पादित किया जाएगा और यथासंभव दोनों और डोलाया जाएगा। यदि क्रेन का तिकौना पाल या चल मचान परिवर्तनीय अर्धव्यास है तो इसे अधिकतम और न्यूनतम व्यासों पर परीक्षण भारों के साथ परीक्षण किया जाएगा। द्रवचालित क्रेनों की दशा में, जब दबाव की परिसीमा के कारण पैरा (1) के नीचे की सारणी के अनुसार परीक्षण भार उत्पादन असंभव हो तो अधिकतम संभव भार, जो सुवहनीय भार से अधिक होगा, का उत्पादन पर्याप्त होगा।

(ख) परीक्षण अधिकतम, न्यूनतम और मध्यवर्ती अर्धव्यास, बिन्दुओं और चक्रानुक्रम के वृत्तांश में ऐसे बिन्दुओं पर भी, जिसे सक्षम व्यक्ति विनिश्चित करे, किया जाएगा। परीक्षण के अन्तर्गत सभी स्थितियों से सामान्य प्रशासन में भूलाना, उंचा करना, नीचे करना, रोकना आता है। अतिरिक्त परीक्षण निलंबित सु. भा. के साथ अधिकतम कार्यकरण गति पर मशीनरी को प्रचालित करके किया जाएगा।

(6) परीक्षण लदाई के लिए कमानेदार या द्रव चालित तुला आदि का प्रयोग

सामान्यतः सभी परीक्षण अचल भार की सहायता से किए जाएंगे नए पोतों पर गियर की परीक्षण लदाई सदैव अचल भार के साथ होगी। कालिक्तः परीक्षणों, प्रतिस्थापनों या नवीकरणों की दशा में भार परीक्षण उपयुक्त कमानेदार या जलचालित तुलाओं द्वारा प्रयुक्त किया जा सकेगा। ऐसी दशा में परीक्षण भार दोनों दिशाओं में यथाशक्य बाहर से चल मचान के साथ प्रयोग किया जाएगा। यह परीक्षण समाधानप्रद नहीं माना जाएगा जब तक तुला  $\pm 2.5$  प्रतिशत की सीमा के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा शुद्धता के लिए प्रमाणित न किया गया हो और मशीन की हुई कम से कम 5 मिनट की अवधि के लिए परीक्षण भार पर स्थिर न रही हो।

(7) परीक्षण मशीनों और अचल भार :

(क) उपयुक्त परीक्षण मशीन जंजीरों, तार, रस्सों और अन्य स्थो गियर के परीक्षण के लिए उपयोग की जाएगी।

(ख) परीक्षण लदाई, परीक्षण और जांच पड़ताल में प्रयोग की जाने वाली परीक्षण मशीनें और तुला तब तक प्रयोग नहीं किए जाएंगे जब तक वे पूर्ववर्ती 12 मास में कम से कम एक बार शुद्धता के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित न किए गए हों।

(ग) उन उत्पादक साधितों की परीक्षण लदाई के लिए प्रयोग किए गए चल भार की जिनका सुवहनीय भार 20 मीटरी टन से अधिक नहीं है, प्रमाणित शुद्धता की उपयुक्त तुला मशीन द्वारा शुद्धता के लिए जांच पड़ताल की जाएगी।

(8) परीक्षण या परीक्षण लदाई के पश्चात् परीक्षा :

परीक्षण किए जाने या परीक्षण लदाई किए जाने के पश्चात् प्रत्येक उत्पादक साधित और सहयोजित गियर की यह देखने के लिए पूर्णतः परीक्षा की जाएगी कि कोई भी भाग परीक्षण के दौरान क्षतिग्रस्त या स्थायी रूप से विकृत नहीं हुआ है। इस प्रयोजन के लिए उत्पादक साधित या गियर उस सीमा तक विखंडित कर दिया जाएगा जिस तक सक्षम व्यक्ति द्वारा आवश्यक समझा जाएगा।

अनुसूची—2

परिसंकटमय माल के प्रवर्ग

(विनियम 76 देखिए)

वर्ग 1. विस्फोटक

वर्ग 2. गैस दबाव के अधीन संघोदित, द्रवित या विघटित।

वर्ग 3. प्रज्वलनशील द्रव।

वर्ग 4.1 प्रज्वलनशील ठोस।

वर्ग 4.2. स्वतः दहन योग्य प्रज्वलनशील ठोस या पदार्थ।

वर्ग 4.3. प्रज्वलनशील ठोस या पदार्थ जो जल के साथ संपर्क में आने पर प्रज्वलनशील गैसों का उत्सर्जन करते हैं।

वर्ग 5.1. उपचायक पदार्थ।

वर्ग 5.2. कार्बनिक परमाक्माइड

वर्ग 6.1. विषैले पदार्थ।

वर्ग 6.2. संक्रामक पदार्थ।

वर्ग 7. रेडियोएक्टिव पदार्थ।

वर्ग 8. संक्षारक पदार्थ।

वर्ग 9. प्रकाण खतरनाक पदार्थ।

ऊपर वर्ग 9 के खतरनाक पदार्थों में ऐसा कोई पदार्थ सम्मिलित है जो किसी अन्य वर्ग में उल्लिखित नहीं है परन्तु अनुभव यह दर्शाता है कि वह इतना खतरनाक है यह विनियम उसको लागू होगा।

अनुसूची—3

सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित नियम

(विनियम 93 देखिए)

(1) सुरक्षा अधिकारियों की संख्या :

इन विनियमों के प्रवृत्त होने के छह मास के भीतर प्रत्येक पत्तन प्राधिकरण डाक श्रम बोर्ड और प्रत्येक अन्य नियोजक नीचे दिए गए मान में अधिकतम के अनुसार सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करेगा

1. 2000 डॉक कर्मकारों तक—एक सुरक्षा अधिकारी
2. 5000 डॉक कर्मकारों तक—दो सुरक्षा अधिकारी
3. 10,000 डॉक कर्मकारों तक—तीन सुरक्षा अधिकारी
4. प्रत्येक अतिरिक्त पांच हजार डॉक कर्मकारों का

उसके भाग के लिए—एक सुरक्षा अधिकारी

जब कभी इस प्रकार की कोई नियुक्ति को जाएगी तो उसके बारे में अर्हताओं और सेवा के निबंधनों और शर्तों के पूर्ण विवरण सहित निरीक्षक को अधिसूचित किया जाएगा।

(2) अर्हताएं :

(क) कोई भी व्यक्ति सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जब तक कि—

(1) उसके पास इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में मान्यताप्राप्त उपाधि न हो और उसके पास किसी पत्तन या इसी प्रकार के स्थान में पर्यवेक्षीय हैसियत में कम से कम दो वर्षों की अवधि के लिए कार्य करने का व्यावहारिक अनुभव न हो;

या

उसके पास भौतिकी या रसायन शास्त्र में मान्यताप्राप्त उपाधि न हो और उसके पास किसी पत्तन या इसी प्रकार के स्थान में पर्यवेक्षीय हैसियत में कम से कम पांच वर्षों की अवधि के लिए कार्य करने का व्यावहारिक अनुभव न हो;

या

उसके पास इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा न हो और उसके पास किसी पत्तन या इसी प्रकार के स्थान में पर्यवेक्षीय हैसियत में कम से कम पांच वर्षों की अवधि के लिए कार्य करने का व्यावहारिक अनुभव न हो; और

- (2) उसके पास इस बाबत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त औद्योगिक सुरक्षा में डिग्री या डिप्लोमा न हो; और
- (3) उसे उस प्रदेश में, जितने उसको नियुक्ति की जानी है, बहुसंख्या वाले कर्मकारों द्वारा बोली जाने वाली भाषा का पर्याप्त ज्ञान न हो।

(ख) खंड (क) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के होते हुए भी, कोई व्यक्ति—

- (1) जिसके पास इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में कोई मान्यताप्राप्त डिग्री या डिप्लोमा हो और जिसके पास केन्द्रीय सरकार के ऐसे विभाग में, जो भारतीय डॉक श्रमिक अधिनियम, 1934 और/या डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 के प्रशासन से संबंधित कार्यवाही करता हो, कम से कम पांच वर्षों का अनुभव हो,
- (3) जिसके पास इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में कोई मान्यताप्राप्त डिग्री या डिप्लोमा हो और जिसके पास किसी उद्योग या किसी पत्तन या किसी संस्था में प्रशिक्षण, शिक्षा, परामर्श या दुर्घटना निवारण के क्षेत्र में अनुमंत्रान का कम से कम पांच वर्षों का पूर्णकालिक अनुभव हो,

वह भी सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख को किसी उद्योग या किसी संस्था में कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है, मुख्य निरीक्षक ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह विनिश्चित करे, उपर्युक्त उक्त अर्हताओं में से सभी या किसी का शिथिल कर सकेगा।

(3) सेवा की शर्तें:

(क) जहाँ किसी पत्तन में नियुक्त किये जाने वाले सुरक्षा अधिकारियों की संख्या एक से अधिक हो वहाँ उनमें से एक को मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जाएगा और उसका स्तर अन्य से उच्चतर होगा। मुख्य सुरक्षा अधिकारी उपखंड (4) में दिए गए सुरक्षा कार्यों का और उसके नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहे अन्य सुरक्षा अधिकारियों का भी संपूर्ण भारसाधक होगा।

(ख) मुख्य सुरक्षा अधिकारी को या सुरक्षा अधिकारी को, जहाँ केवल एक ही सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त किया गया है, ज्येष्ठ कार्यपालक की हैसियत दी जाएगी और वह पत्तन के मुख्य कार्यपालक के सीधे नियंत्रणाधीन कार्य करेगा। सभी अन्य सुरक्षा अधिकारियों को समुचित हैसियत दी जायेगी। जिससे कि वे अपने कृत्यों का प्रभावो दंग से निर्वहन कर सकें।

(ग) सुरक्षा अधिकारियों, जिनके अन्तर्गत मुख्य सुरक्षा अधिकारी भी है, को दिये जाने वाले वेतनमान और भत्ते और उनको सेवा की अन्य शर्तें नहीं होंगी। जो पत्तन, डॉक श्रम बोर्ड या फर्म, जैसा स्थिति हो में, नत्स्थानों हैसियत वाले अन्य अधिकारियों की है।

(4) सुरक्षा अधिकारियों के कर्तव्य—

(क) सुरक्षा अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रबंध-मंडल का, वैयक्तिक क्षतियों के निवारण संबंधी और कार्यवातावरण को सुरक्षित रखने के लिये उनके दायित्वों, कानूनी या अन्यथा, को पूरा करने में सलाह और सहायता दे। इन कर्तव्यों के अन्तर्गत निम्नलिखित है, अर्थात्:—

- (1) योजना बनाने में संबद्ध विभागों को सलाह देना और वैयक्तिक क्षतियों के प्रभावों दंग से नियंत्रण के लिए आवश्यक उपाय करना;
- (2) सभी डॉक शिफ्टों में सुरक्षा पहलुओं पर सलाह देना और चयनित डॉक कार्य के विस्तृत कार्य सुरक्षा अध्यापनों को चलाना;
- (3) वैयक्तिक क्षतियों के निवारण के लिये की गई या प्रस्तावित कार्रवाई के प्रभाव को जांच और मूल्यांकन करना;
- (4) वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणों को उच्च क्वालिटी और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये कदम और भण्डार विभागों को सलाह देना;
- (5) कार्य की भौतिक दशाओं और कर्मकारों द्वारा प्रभावित होने वाले कार्य पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन करने के उद्देश्य से डॉक कार्य का सुरक्षा निरीक्षण करना और अनु-रक्षित भौतिक दशाओं को दूर करने और कर्मकारों द्वारा को जाने वाले प्रदूषित कार्रवाईयों के निवारण के लिये अपनाए जाने वाले उपायों पर सलाह देना;
- (6) सभी घटक और अन्य चयनित दुर्घटनाओं का अन्वेषण करना;
- (7) लग गए उद्योगिक रोगों के मामलों और रिपोर्ट किए जाने वाली खतरनाक घटनाओं का अन्वेषण करना;
- (8) ऐसे अभिलेखों के, जो दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं और उद्योगिक रोगों के संबंध में आवश्यक है, अन्वेषण के बारे में सलाह देना;
- (9) सुरक्षा समितियों के गठन को बढ़ावा देना और ऐसी समितियों के सलाहकार और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना;

(X) संबद्ध विभागों के सहयोग से ऐसे अभियान चलाना, प्रतियोगिताएं तथा प्रतिवाद आयोजित करना और अन्य क्रियाकलाप करना जो कार्य और प्रक्रिया की सुरक्षित शर्तों का स्थापना और उन्हें बनाए रखने के लिये स्थापन में कर्मचारियों के हितों का विकास करेंगे और उन्हें बनाए रखेंगे।

(xi) डाक कर्मचारियों की दुर्घटनाओं का निवारण करने के लिये उपयुक्त प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रमों का स्वतन्त्र रूप से या प्रशिक्षण विभाग के सहयोग से डिजाइन करना या चलाना,

(xii) विभिन्न विभागों और प्राधिकरणों के परामर्श से विभागीय नियम और सुरक्षा कार्य पद्धतियां बनाना, और

(xiii) खतरनाक स्थितियों की उठाई धराई करते समय सुरक्षापूर्वक धारियों की बाबत पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करना।

(5) सुरक्षा अधिकारियों को दो जाने वाली सूविधाएं

प्रबन्ध मंडल प्रत्येक सुरक्षा अधिकारी को ऐसी सूविधाएं, उपस्क और जानकारी देना जिनकी उसको अपने कर्तव्यों का प्रभारी ढंग से निर्वहन करने के लिये आवश्यकता है।

(6) अन्य कर्तव्यों के अनुपालन का प्रतिबंध किसी भी सुरक्षा अधिकारी से कोई ऐसा कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जो उपखण्ड (4) में विहित कर्तव्यों के अनुपालन से असंगत हो या उसके लिये अहितकर हो।

(7) छूट नूह्य निरीक्षक, लिखित रूप से किसी पत्तन प्राधिकारी, डाक श्रम बोर्ड या किसी अन्य नियोजक या नियोजकों के समूह को ऐसी अनुकरणीय व्यवस्था के, जैसा वह अनुमोदन करे, के अधीन रहत हुए, इन विनियमों के किसी या सभी उपबन्धों से छूट देसकेगी।

अनुसूची-4

अधिसूच्य रोगों की सूची

[विनियम 92(1) देखिए]

(1) लेड विषाक्तता, जिसके अन्तर्गत लेड की किसी विनिमित्त या मिश्रण या उसके अनुगम द्वारा विषाक्तता।

(2) लेड टैट्टा ऐथिल विषाक्तता।

(3) मँगनीय विषाक्तता का उसके अनुगम।

(4) कार्बन बाइसल्फाइड विषाक्तता।

(5) बैजिन विषाक्तता, जिसके अन्तर्गत उसके किसी समजात उनके शोरा का एमाइड रूप या उसके अनुगम है।

(6) ऐथेक्स।

(7) न्यूनीकानिप्रोसेस।

(8) एलिफ्रटिक सारीज के हाइड्रोकार्बन के हैलोजन या व्युत्पन्न द्वारा विषाक्तता।

(9) चर्म के प्रारम्भिक एपिथलियोमेट्स कैंसर।

(10) व्यावसायिक त्वक्शोथ।

(11) शोर से सुनने में कमी प्राना (अधिक शोर के लिए उच्छन्न होना)।

अनुसूची-5

एम्बुलेंस कमरा के लिये अपेक्षित वस्तुएं

[विनियम 102(2) देखिए]

(i) एक काचित सिंक जिसमें उष्ण और ठंडा जल हमेशा उपलब्ध हो।

(ii) कम से कम 180 से मी. × 105 से मी. आकार के चिकने फलक वाली एक मेज।

(iii) उपकरणों का रोगाणुरहित करने के साधन।

(iv) एक काउच।

(v) दो स्ट्रेचर।

(vi) दो बास्त्रियों या आधान जिनमें ठीक बन्द होने वाला ढक्कन लगा हो।

(vii) एबर के दो उष्णजल थैले।

(viii) एक केतली और स्पीरिट स्टोव या जल उबालने के लिये अन्य समुचित साधन।

(ix) बारह चिकनी काष्ठ स्प्लिन्ट 900 मिमी × 100 मिमी × 6 मिमी आकार के।

(x) बारह चिकनी काष्ठ स्प्लिन्ट × 350 मिमी × 75 मिमी × 6 मिमी

(xi) छह चिकनी काष्ठ स्प्लिन्ट 250 मिमी × 50 मिमी × 12 मिमी

(xii) छह ऊनी कंबल।

(xiii) तीन जाड़े आटिरी फ़ारसेप्स।

(xiv) स्पैरिटस अमोनिया अरानैटिक्स की एक बोतल (120 मिमी)

(xv) स्मॉलिंग सेक्स (60 ग्राम)

(xvi) दो मध्य आकार के स्पेज।

(xvii) छह हाथ तौलिये।

(xviii) चार किडनी ट्रे।

(xix) साबुन की चार टिक्की अधिमानतः रोगाणु रोधक साबुन

(xx) दो शीशुग्लास और दो शरब ग्लास।

(xxi) दो विलनीकल थर्मामीटर।

(xxii) दो चाय चम्पल।

(xxiii) दो अक्षवृत्त (120 मिलि) मापन ग्लास।

(xiv) दो नूनन मयूर माला।

(xxv) आँखों को धोने के लिये एक घावन बोतल (100 सी सी)

(xxvi) (एक बोतल) (1 लीटर) कार्बोलेक लोशन 20 में।

(xxvii) तीन कुर्सियां।

(xxviii) एक पर्दा।

(xxix) एक विद्युत् हाथ टार्च।

(xxx) चार प्राथमिक उपचार पेटियां या अनुसूची में विहित नाकों के अनुरूप स्टाककृत कपबोर्ड।

(mxxxix) टेटेनसरोवी जीव विषास का पर्याप्त प्रदाय।

(xxxix) इंजेक्शन माफिया, पेनेडोन, एट्रोकी., एड्रीमिरीन, कोरामोन, नोबोर्कन (6 प्रत्येक)

- (xxxiii) कोटामीन द्रव (60 मि ली )  
 (xxxiv) टिकिया हिस्टामोन प्रतिरोधक, प्रस्थाकर्षी (25 प्रत्येक)  
 (xxxv) सूचिका सहित सिरिज 2 सी सी , 5 सी सी , 10 सी सी और 50 सी सी  
 (xxxvi) तीन शल्यचिकित्सा कर्तरी ।  
 (xxxvii) दो सूचीघर बड़ा और छोटा ।  
 (xxxviii) सीवन सूची और सामग्रियां ।  
 (xxxix) तीन व्यवच्छेदी संदेश ।  
 (xl) तीन ड्रेसिंग संदेश ।  
 (xli) तीन स्केलपात्र ।  
 (xlii) एक स्टेटस्कोप ।  
 (xliv) रजड़ पट्टी दाब पट्टी ।  
 (xlv) आकितजन सिलिंडर आवश्यक संलग्नकों के साथ ।

## अनुसूची-6

- प्राथमिक उपचार पेटी या कपबोर्ड के लिये अपेक्षित उपस्कर  
 [विनियम 103(3) देखिए]  
 (i) चौबीस छोटे विसंक्रामित ड्रेसिंग ।  
 (ii) बारह मध्यम आकार के विसंक्रामित ड्रेसिंग ।  
 (iii) बारह बड़े आकार के विसंक्रामित ड्रेसिंग ।  
 (iv) बारह बड़े आकार के विसंक्रामित जनन ड्रेसिंग ।  
 (v) विसंक्रामित काटन ऊन के बारह (15 ग्राम) पैकेट ।  
 (vi) सैट्रीमाइड घोल (1%) की एक बोतल (200 मि ली ) या समुचित रागाणुराधक घाल ।  
 (vii) जल में मर्क्युराक्रोम (2 ) घाल की एक बोतल (200 मि ली )  
 (viii) खैल-गालेराइल की एक बोतल (120 मि.ली ) जिसमें श्री दबा देने को रीति और मात्रा लेबल पर उपदर्शित हो ।  
 (ix) एक जोड़ी कैची  
 (x) एक आसंजक प्लास्टर की गड्डी (6 से मी × 1 मी )  
 (xi) आसंजक प्लास्टर (2 से मी × 2 मी ) की दो गड्डियां ।  
 (xii) पृथक-पृथक सीलबंद पेकेटों में विसंक्रामित नेत्र पड के बारह टुकड़े ।  
 (xiii) एसपीरीन या अन्य पीड़ाहारी दवाओं की टिकियां (प्रत्येक 325 मि ग्रा ) वाली बोतल जिसमें 100 टिकियां हों ।  
 (xiv) आंखों के घोंनों के लिए एक पोलिथीन की धावन बोतल (500 सी सी )  
 (xv) बापह लिपटवी पट्टी 10 से मी चौड़ी ।  
 (xvi) बारह लिपटवां पट्टी 5 से मी चौड़ी ।  
 (xvii) छह त्रिकोणीय पट्टियां ।  
 (xviii) एक टूनिके ।  
 (xix) उपयुक्त स्प्लिन्ट या प्रदाय ।  
 (xx) सेप्टी पिन की दो पेकेट ।  
 (xxi) किडनी ट्रे ।

(xxii) सर्पदण/कुम्हिका ।

(xxiii) एक बोतल (20 मि.ली.) जिसमें पोटशियम परमैंगनेट क्रिस्टल हो ।

(xxiv) भारत सरकार कारखाना सलाह सेवा महानिदेशालय और श्रम संस्थान, मुम्बई, द्वारा जारी की गई प्राथमिक पचार उपकरणों की प्रति ।

अनुसूची-7

(विनियम 18 देखिए)

लगातार शोर की दशा में अनुज्ञेय उच्छन्नता

प्रतिदिन उच्छन्नता का कुल समय घंटों में (लगातार डाटा बेस में ध्वनि या अल्पावधि उच्छन्नता की कोई संख्या) दाब स्तर

(1)	(2)
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1½	102
1	105
¾	107
½	110
¼	115

- टिप्पण 1. 115 डाटा बेस. से अधिक में उच्छन्नता अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।  
 2. किसी अंक और आगामी उच्चतर या निम्नतर अंक के बीच आने वाली उच्छन्नता की कोई अवधि जैसे स्तंभ 1 में उपदर्शित है, अनुज्ञेय ध्वनि दाब स्तर आनुपातिक आधार पर बहिर्वेशन द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

अनुसूची-8

डॉक में शौचालय, मूत्रालय, प्रज्ञालय और स्नान की सुविधाएँ जुटाने का मानदंड

(विनियम 97 और 100 देखिए)

शौचालय: प्रत्येक 50 डॉक कर्मकारों के लिए एक और प्रत्येक ब्लॉक में न्यूनतम 3 शौचालय ।

मूत्रालय

प्रत्येक 100 डॉक कर्मकारों के लिए एक और प्रत्येक ब्लॉक में न्यूनतम 4 मूत्रालय ।

धावन प्रसुविधाएँ

धावन नल :

200 डॉक कर्मकारों तक = 4 नल

200 से अधिक डॉक कर्मकारों के लिए 4 नल घन प्रत्येक

100 डॉक कर्मकारों या प्रत्येक भाग के लिए 1 नल



## फुआरा स्नान

200 डॉक कर्मकारों तक—2 फुआरा स्नान

200 से अधिक 500 डॉक कर्मकारों तक—4 फुआरा स्नान

500 से अधिक डॉक कर्मकारों के लिए 4 घन प्रत्येक 200 कर्मकारों या उसके भाग के लिए एक फुआरा स्नान ।

एक ब्लॉक में न्यूनतम 2 फुआरा स्नान होंगे ।

अनुमूर्ची—9

जलयान गृहों के लिए अपेक्षाएं

(द्विनिश्चय 106 देखिए)

(1) जलपानगृह के रूप में उपयोग किए जाने के लिए निर्मित किए गए या अर्पणए जाने वाले भवन का लम्बा और स्थल ढ़िखाक प्रस्तुत किए जाएंगे और मुख्य निरीक्षक से अनुमोदित कराए जाएंगे ।

(2) जलपान गृह भवन का संरचना अनुमोदित रेखांक के अनुसार की जाएगी और उसमें डाइनिंगहॉल (भोजन कक्ष) रसोई कक्ष, भंडार कक्ष, पेन्ट्री और कर्मकारों के लिए तथा बर्तन धोने के लिए पृथक-पृथक स्थान होंगे । भवन की निम्नतम ऊंचाई 4 मीटर से अन्वून होगी तथा सभी दीवारों और छतें समुचित ताप प्रतिरोधी सामग्रियों से बनी होंगी और जलसह होंगी ।

(3) जलपानगृह भवन किसी शौचालय, मूत्रालय से या धूल, धूप या हार्निकर वाष्प के किसी अन्य स्रोत से 15 मीटर से अन्वून की दूरी पर स्थित होगा । परन्तु मुख्य निरीक्षक किसी विशिष्ट मामले में इस नियम के उपबंधों को उस सीमा तक शिथिल कर सकेगा जो उस परिस्थितियों में रूकितयुक्त हों और इस उपबंध के आवश्यक प्रयोजन को सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(4) जलपानगृह में फर्श और ढ़फर्श से 1.25 मीटर ऊंचाई तक भीतरी दीवारें चिकनी और दुर्बन्ध सामग्री से बनी होंगी और भीतरी दीवारों के शेष भाग को सीमेन्ट प्लास्टर के द्वारा या किसी अन्य समुचित रीति से चिकना बनाया जाएगा ।

(5) जलपानगृह भवन के दबराजे, खिड़कियां और संवातल मक्षिकासह संरचना वाले होंगे और पर्याप्त संवातन की व्यवस्था होगी ।

(6) जलपानगृह, जब किसी की पहुँच वहाँ तक हो, सभी समय पर्याप्त रूप से प्रकाशयुक्त होगा ।

(7) प्रत्येक जलपान गृह में,—

(क)(i) कमरों की सभी भीतरी दीवारों पर और सभी भीतरी छतों पर और सभी गलियारों में और सीढ़ियों पर यथास्थिति उत्तरीख से जब अंतिमवार पुताई या रंगाई की गई हो, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार चूना पुताई या रंग पुताई या तीन वर्ष में एक बार रंगाई की जाएगी:

(ii) सभी कण्टकियों पर उस तारीख से जब अंतिम बार वनिश या रंगाई की गई थी तीन वर्ष में एक और वनिश या रंगाई की जाएगी ।

(iii) सभी आंतरिक संरचनात्मक लौह या इस्पात की वस्तुओं पर उस तारीख से जब अंतिम बार वनिश या रंगाई की गई थी तीन वर्ष में एक बार वनिश या रंगाई की जाएगी :

परन्तु स्लोईवर की भीतरी दीवारों पर प्रत्येक चार मास में एक बार चूना पुताई की जाएगी ।

(ब) ऐसी तारीखों के अधिलेख जब चूना पुताई, रंग पुताई, वनिश या रंगाई की जाएगी निरीक्षक द्वारा अनुमोदित प्रूप में रखे जाएंगे ।

(4) सभी कमरों के फर्श सभी समय झाड़-पोछ कर स्वच्छ रखे जाएंगे ।

(8) जलपानगृह की प्रतीमाएँ स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद हालत में रखी जाएगी । अपफिट जल को समुचित रूप से आच्छादित निकासी नाली में डाल दिया जाएगा और उसे इकट्ठा न होने दिया जाएगा जिससे उपताव कारित न हो । कूड़ा का व्य्यन करने के लिए ढक्कनदार पातों की व्यवस्था और प्रयोग किया जाएगा तथा प्रत्येक पारी में कम से कम एक बार तथा ऐसे पातों की पूरी सफाई और विसंकरण किया जाएगा ।

(9) भोजन कक्ष

(क) किसी डॉक या डॉक के किसी भाग में जिसके लिए जलपान गृह की व्यवस्था की गई है, भोजनकक्ष में एक बार में कम से कम डॉक कर्मकारों के 10 प्रतिशत का समावेश होगा । परन्तु यह कि किसी विशिष्ट डॉक में मुख्य निरीक्षक जलपानगृह में समाविष्ट किए जाने वाले कर्मकारों के प्रतिशत में परिवर्तन कर सकेगा ।

(ख) भोजनकक्ष में फर्श क्षेत्र, सेवाकाउन्टर और मेज कुर्सियों के सिवाय अन्य फर्नीचर द्वारा अशुभोगित क्षेत्र को छोड़कर जसा उपनियम (क) में विहित किया गया है, समावेश किए जाने वाले प्रति भोजी के लिए एक वर्गमीटर से अन्वून होगा ।

परन्तु जहाँ जगह की कमी की वजह से प्रति व्यक्ति एक वर्गमीटर फर्श क्षेत्र की व्यवस्था करना दुसाध्य हो वहाँ ऐसे न्यूनोक्त क्षेत्र की व्यवस्था की जा सकेगी जिसे मुख्य निरीक्षक लिखित रूप में अनुमोदित करे ।

(ग) भोजनकक्ष का एक भाग और सेवाकाउन्टर महिला कर्मकारों के लिए उनकी संख्या के अनुपात से विभाजन द्वारा आरक्षित कर दिया जाएगा । महिलाओं के लिए प्रज्ञालनस्थान पृथक होंगे और एकाल सुनिश्चित करने के लिए पर्दा डाल कर रखा जाएगा ।

(घ) जसा उपनियम (क) में विहित है समावेश किए जाने वाले भोजियों की संख्या के लिए पर्याप्त मेज, कुर्सियां या बेंचों की व्यवस्था की जाएगी ।

(ङ) जलपानगृह में प्रज्ञालन स्थलों पर कर्मकारों के उपयोग के लिए साबून और तौलिए का उपबंध किया जाएगा ।

(10) उपस्कर—

(क) जलपानगृह कवक्षतापूर्वक चालन के लिए आवश्यक पर्याप्त बर्तन फाकरी, कटलरी, फर्नीचर और अन्य उपस्करों की व्यवस्था की जाएगी और उनका अनुरक्षण किया जाएगा । जलपानगृह में सेवा करने वाले कर्मचारियों के लिए समुचित बर्तनों की व्यवस्था की जाएगी और उसे स्वच्छ हालत में रखा जाएगा ।

(ख) खाद्य और खाद्य सामग्रियां, मक्षिकासह, कपबोर्डों में भंडारित की जाएगी और काष्ठ कलछियों या समुचित धातु चिमटी से इनमें जो भी सुविधाजनक हो रखा या निकाला जाएगा । एक बार प्रयोग की गई वाहिका को पुनः प्रयोग में लाने से पहले स्वच्छ कर लिका जाएगा ।

(ग) फर्नीचर, बर्तन भांडों और अन्य उपस्करों को स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद अवस्था में रखा जाएगा । सेवा काउन्टर अधर सभी भोजनेतजों के फलक चिकनी और अर्बन्ध सामग्री के बने होंगे । बर्तनों भांडों और उपस्करों के प्रज्ञालनार्थ समुचित सुविधाएं, जिनमें उष्ण जल या पर्याप्त प्रदाय भी है, प्रदान की जाएगी ।

## अनुसूची-10

(विनियम 109 देखिए)

डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम, 1989 के विनियम 109 के अधीन विहित कल्याण अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित नियम

(1) कल्याण अधिकारियों की संख्या :—

(क) पत्तन प्राधिकारी, डॉक श्रम बोर्ड और प्रत्येक अन्य नियोजक उस प्रत्येक पत्तन में कम से कम एक कल्याण अधिकारी नियुक्त करेगा जहाँ 500 या उससे अधिक डॉक कर्मकार श्रम तौर पर नियोजित किए जाते हैं। परन्तु जहाँ डॉक कर्मकारों की संख्या 2000 से अधिक हो जाती है वहाँ नीचे उपदर्शित किए गए मान से अतिरिक्त कल्याण अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे :—

(1) 2000 से 5000 डॉक कर्मकार 2 कल्याण अधिकारी

(2) प्रत्येक अतिरिक्त 5000 डॉक कर्मकार या 500 से अधिक उसके भाग के लिए 1 कल्याण अधिकारी

(ख) जहाँ एक से अधिक कल्याण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वहाँ उन में से एक को मुख्य कल्याण अधिकारी कहा जाएगा और दूसरों को कल्याण अधिकारी कहा जाएगा।

(2) अर्हताएं :—किसी भी व्यक्ति को तब तक कल्याण अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक—

(क) वह किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक न हो;

(ख) उसके पास या तो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्था से सामाजिक विज्ञान की डिग्री या डिप्लोमा न हो; और

(ग) उसे उस पत्तन में, जिससे वह संबद्ध है, डॉक कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा का पर्याप्त ज्ञान न हो :

परन्तु उस व्यक्ति के मामले में, जिसे इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख के पूर्व एक वर्ष या उससे अधिक समय से कल्याण अधिकारी नियोजित किया गया है, मुख्य निरीक्षक, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे, पत्तन प्राधिकारी, डॉक श्रम बोर्ड या कोई अन्य नियोजक के अनुरोध पर लिखित रूप में सभी या पूर्वोक्त अर्हताओं में से किसी को शिथिल कर सकेगा।

(3) सेवा की शर्तें :—

(क) कल्याण अधिकारी यथास्थिति पत्तन प्राधिकारी, डॉक श्रम बोर्ड या फर्म के कार्यकारी कर्मचारिवृन्द के सदस्य के रूप में समुचित प्रास्थिति होगी।

(ख) कल्याण अधिकारी की सेवा की शर्तें वही होंगी जो यथास्थिति पत्तन प्राधिकारी, डॉक श्रम बोर्ड या फर्म के अधीन समतुल्य प्रास्थिति के कर्मचारिवृन्द के अन्य सदस्यों की होगी :

परन्तु सेवोन्मुक्ति या पदच्युति की दशा में, कल्याण अधिकारी को मुख्य निरीक्षक को अपील करने का अधिकार होगा जिस पर उसके विनिश्चय अंतिम और पत्तन प्राधिकारी, डॉक श्रम बोर्ड या फर्म के लिए

आबद्धकर होगा। यह अपील कल्याण अधिकारी द्वारा सेवोन्मुक्ति या पदच्युति का आदेश प्राप्त करने की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(4) कल्याण अधिकारियों के कर्तव्य :—

कल्याण अधिकारियों के कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :—

(क) पत्तन प्राधिकारी, डॉक श्रम बोर्ड या फर्म को और से इन विनियमों के उपबंधों के अधीन बाध्यताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना और निरीक्षक के साथ संपर्क बनाए रखना;

(ख) यह अभिनिश्चित करना कि किन किन और कल्याण सुविधाओं की आवश्यकता है, कैसे उनकी सर्वोत्तम व्यवस्था की जा सकती है और उनकी स्थापना के लिए सुझाव देना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि विनियमों के अधीन या अन्यथा उपबंधित उपलब्ध सुविधाएं बनाए रखी जा रही हैं और उनका उपयोग किया जा रहा है;

(घ) उपलब्ध की गई सुख सुविधाओं का विशेष रूप से कैम्पटीन विश्राम कक्ष, धुलाई और प्रसाधन सुविधाओं और पीने के जल के संबंध में पर्याप्त पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना;

(ङ) कल्याण सुविधाओं और अन्य सुख सुविधाओं के बारे में डॉक कर्मकारों द्वारा की गई शिकायतों की जांच करना;

(च) उन डॉक कर्मकारों के लिए प्राथमिक उपचार, चिकित्सीय उपचार और अन्य सहायता सुनिश्चित करना जो डॉक कार्य में अपने नियोजन के दौरान क्षतिग्रस्त हुए हैं और जिन्हें क्षति के कारण हुई निश्कतता के कारण व्यावसायिक पुनर्वासन की आवश्यकता है।

(छ) मनोरंजन सुविधाओं और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के आयोजन में सहायता करना और व्यष्टिक व्यक्तित्व समस्याओं और बच्चों की शिक्षा की बाबत सलाह देना;

(ज) पत्तन प्राधिकारी, डॉक श्रम बोर्ड या किसी फर्म और डॉक कर्मकारों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना, जिससे उत्पादन दक्षता सुनिश्चित हो और कार्य दशाओं में भी सुधार हो तथा डॉक कर्मकारों को अपने कार्य के वातावरण में अभ्यस्त होने और अनकूलित होने में सहायता मिले।

(झ) पत्तन की सुरक्षा समिति के कार्यकरण में रुचि लेना; और

(ञ) सुरक्षा प्रचार, सुरक्षा सप्ताह, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सुझाव स्कीम, सुरक्षा पारितोषण, आदि के आयोजन को प्रोत्साहित करना और उसमें सहायता करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का जो पत्तन प्राधिकारी, डॉक श्रम बोर्ड या किसी फर्म द्वारा समनुदिष्ट किए जाए और जिनका डॉक कर्मकारों के कल्याण पर प्रभाव पड़े, अनुपालन करना।

(5) कोई भी कल्याण अधिकारी कर्मकारों के विरुद्ध किन्हीं अनुशासनिक मामलों में कार्रवाई नहीं करेगा या किसी कर्मकार या कर्मकारों के विरुद्ध प्रबंध मंडल की ओर से किसी न्यायालय या अधिकरण में किसी सलाह अधिकारी के समक्ष उपसजात नहीं होगा।

(6) छूट :—

मुख्य निरीक्षक, लिखित रूप से किन्हीं पत्तन प्राधिकारी, डॉक श्रम बोर्ड या फर्म अन्य कोई नियोजक या नियोजकों के किसी समूह को, इस विनियम के किसी या सभी उपबंधों से, उसके द्वारा अनुमोदित अनुकालिक व्यवस्थाओं के अनुपालन के अधीन रहते हुए, छूट दे सकेगा।

## अनुसूची - II

डाक कर्मकारों की चिकित्सीय परीक्षा के लिए अनुसूची

[विनियम 74(घ) और 107 (2) (ख) देखिए]

1. नियाजक को उत्पाक साधित्रों और परिवहन उपकरणों के चालकों/प्रचालकों के रूप में नियोजित सभी डाक कर्मकारों की पनियोजन से पूर्व और रुग्णता या क्षति के पश्चात यदि यह प्रतीत होता है कि रुग्णता या क्षति उसकी सपर्यता की प्रभावित कर सकती है और उसके पश्चात 40 वर्षों की आयु तक प्रत्येक 2 वर्षों में एक बार और उसके पश्चात एक वर्षों में एक बार चिकित्सीय परीक्षा की व्यवस्था करेगा।

2. चिकित्सीय परीक्षा का पूर्ण और गोरतीय अभिनेख नियोजक द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा।

3. चिकित्सीय परीक्षा में निम्नलिखित रोगों :—

(क) पूर्ण चिकित्सीय और व्यावसायिक वृत्त

(ख) विभिष्टितया निम्नलिखित के प्रति निर्देश से रोग लक्षण परीक्षा—

(i) साधारण शरीर गठन

(ii) दृष्टि

(1) दोनों आंखों की दूर की दृष्टि चश्मों के साथ या चश्मों के बिना स्तेलन 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। और कमजोर आंख की दृष्टि-चश्मों के बिना 6/36 से कम नहीं होनी चाहिए।

(2) निकट की दृष्टि, (दोनों आंखों में) चश्मों के साथ या चश्मों के बिना एन. एस. से कम नहीं।

(3) द्वित्री दृष्टि।

(4) कोई द्विदृष्टितया नहीं।

(5) दृश्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं।

(6) स्टोरियोपस, कुंजोशिला दृष्टि स्क्रीनिंग परीक्षण में स्तंभ 4, 5 या 6 होना चाहिए।

(7) उपयुक्त परीक्षण द्वारा वर्ण-दर्शन परीक्षण (विशेष रूप में लाल और हरे के बीच विभेद करने की योग्यता)।

(iii) श्रवणगोचरता।

सामान्य श्रवणगोचरता वाले व्यक्ति 24 फुट पर प्रमोदित फुसफुसाहट को सुनने में समर्थ होने चाहिए श्रवण सहाय उपयोग करने वाले व्यक्ति और युक्त कार्य स्थितियों में चेतावनी शोर को सुनने में समर्थ होना चाहिए।

(iv) उर्ध्व अंग

(दोनों भुजाओं का) ठीक ढंग से काम करना और उनकी अच्छी पकड़।

(v) अधःपाद

टांगों और पांवों को ठीक ढंग से काम करना।

(vi) रीढ़

संबंधित कार्य के लिए पर्याप्त रूप से लचीली।

(vii) साधारण

मानसिक चतुर्ता और स्वस्थ आंत, हाथ और पांच सन्तवय सहित स्थिरता।

(ग) कोई अन्य परीक्षण, जो परीक्षा करने वाला डाक्टर आवश्यक समझता है।

प्ररूप 1

[डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम, 1989]

(विनियम 7 (4) और 35 देखिए)

स्वामी, मास्टर या भारसाधक,

अधिकार (पोंत का नाम)

में सूचना देता हूँ कि डाक कार्य, जिनमें लदाई या उताराई या कोयला भराई आनरिस्त है, नीचे नामित डेकडारों (\*तत्समय) पर पूरा हो गया है और यह कि प्रस्तगत डेकडार—

\*\*विनियम का अनेमानुसार बाइयुक्त छोड़ दिया है, या आच्छादित कर दिया है।

हैच पय

डॉक

आपके द्वारा या आपकी ओर से उपयोग में लिया है।

हस्ताक्षर

समय

तारीख

\*\*जो अपेक्षित न हो उसे काट दें

\*\*यदि अपेक्षित न हो तो काट दें

## प्ररूप 2

## भाग - 1

उत्थापक साधित्तों का आरंभिक और कालिक भार परीक्षण और उनको वार्षिक पूर्ण परीक्षा  
(विनियम 41 और 51 देखिए)

“पूर्ण परीक्षा” से किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा ऐसी विस्तृत परीक्षा अभिप्रेत है जिसको यदि आवश्यक हो तो अन्य माधन द्वारा अनुपूर्ण की जा जैसे कि हथौड़ा परीक्षण, जो इतनी सावधानीपूर्वक किया जाएगा जितनी परीक्षित पुर्जों की सुरक्षा के संबंध में विश्वसनीय परिणाम पर पहुँचने के लिए स्थितियों अनुज्ञात करें और यदि इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो तो मशीनों के पुर्जों और गियर को खोले दिया जाएगा।

(क)

उत्थापक साधित्तों के आरंभिक और कालिक भार परीक्षण

चिहनों के सुभिन्न संख्यांक मक्षम व्यक्ति के परीक्षण और मैं प्रमाणित करता हूँ कि उस तारीख को, जिसको मैंने अपने टिप्पणियाँ (आद्याक्षरित यदि कोई हो) के साथ परी- परीक्षा के प्रमाणपत्र का संख्यांक हस्ताक्षर किए हैं, स्तंभ 1 में दर्शित उत्थापक साधित्त का परी- और तारीख डाली जाएगी) क्षित उत्थापक साधित्तों की स्थिति क्षण किया था और उसको सुरक्षित कार्यकारी हालत को प्रभावित करने वाली कोई भी त्रुटि स्तंभ 5 में दर्शित से भिन्न नहीं पाई गई थी।

मुद्रा सहित तारीख और हस्ताक्षर मुद्रा सहित तारीख और हस्ताक्षर

1	2	3	4	5
(1)				
(2)				
(3)				

(ख)

वार्षिक संपूर्ण परीक्षा

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उस तारीख को जिसको मैंने अपने हस्ताक्षर किए हैं, स्तंभ 1 में दर्शित उत्थापक साधित्त का टिप्पणियाँ (आद्याक्षरित और तारीख डाली जाएगी) पूर्णतः परीक्षा का था और उसका सुरक्षित चालू हालत को प्रमाणित करने वाली कोई भी त्रुटियाँ स्तंभ 12 में दर्शित से भिन्न नहीं पाई गई थी।

मुद्रा सहित तारीख हस्ताक्षर	मुद्रा सहित तारीख हस्ताक्षर	मुद्रा सहित तारीख हस्ताक्षर	मुद्रा सहित तारीख हस्ताक्षर	मुद्रा सहित तारीख हस्ताक्षर	मुद्रा सहित तारीख हस्ताक्षर
6	7	8	9	10	11
(1)					
(2)					

यदि मशीन उत्थापक साधित्तों को पूर्ण परीक्षा एक ही तारीख को की गई है तो स्तंभ (1) में कमी उत्थापक साधित्त प्रविष्टि करना पर्याप्त होगा। यदि नहीं तो वे तारीखें जिनमें हिरमों को पूर्णतः परीक्षित किया गया है स्पष्टतया उपदर्शित करना चाहिए।

## भाग 2

खुले गियरों का आरंभिक और कालिक परीक्षण और वार्षिक पूर्ण परीक्षा  
(विनियम 47 और 51 देखिए)

खुले गियरों का सूची

खुले गियरों के निम्नलिखित वर्ग, अर्थात्:—

1. आपातवर्धनीय ढलवां लोहे की बनी जंजोरें,
2. पट्टिकाबद्ध जंजोरें
3. इस्पात से निर्मित जंजोरें, रिग, हुक, शैकल और स्विबेल;
4. पिच की गई जंजोरें;
5. पिच की गई जंजोरें, घिरजा, आरंबों, कटेनर, स्प्रेडर ट्रे, मिलिंग वास्केट आदि और कोई अन्य समान गियरों।
6. हुक और स्विबेल जिनमें स्क्वैरिड पुर्जों या बाल विद्यरिंग या अन्य पृष्ठदुद्धीकृत पुर्जों लगे हों; और
7. बोदो अनुयोजन।

प्ररूप 3

डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम, 1989

[विनियम 40 और 60(2) देखिए]

बिचों, डेरिकों और उनके अनुषंगी गियरों के आरंभिक तथा कालिक परीक्षण और परीक्षा का प्रमाणपत्र

परीक्षण प्रमाणपत्र संख्यांक .....

(क) डॉक, घाट या बट्टी के मामले में,—

डाक, घाट या बट्टी का नाम जहां उत्पाक साधितों को लगाया गया है .....

(ख) पोत के मामले में—

पोत का नाम .....

सरकारी संख्या .....

नाम संकेत .....

रजिस्ट्री पत्तन .....

स्वामी का नाम .....

उन उत्पाक साधितों और गीयर की स्थिति और विवरण मुद्देक सं. या चिह्न (यदि कोई हो, सहित जिनका परीक्षण, पूर्ण परीक्षा की गई है	परीक्षण भार डालते समय डेरिकवूम के क्षेतिज पर कोण	परीक्षण भार डाले गए	स्तंभ 2 में दर्शाए गए कोण पर सुवहनीय भार
1	2	3	4
	डिग्रियों में	टनों में	टनों में

1

2

3

4

डिग्रियों में

टनों में

टनों में

5. परीक्षण और परीक्षा करने वाले लोक सेवा, संगम, कंपनी या फर्म या परीक्षण स्थापन का नाम और पता .....

6. लोक सेवा, संगम, कंपनी या फर्म या परीक्षण स्थापन में सक्षम व्यक्ति का नाम और अवस्थिति .....

में प्रमाणित करता हूँ कि तारीख को मेरी उपस्थिति में स्तंभ (1) में दर्शाए उत्पाक साधित का, इसके अनुषंगिक गियर के साथ इस पर के दूसरे पृष्ठ पर उपवर्णित रीति से परीक्षण किया गया था, यह कि परीक्षण के पश्चात् उक्त उत्पाक साधित की सावधानीपूर्क परीक्षा से यह प्रदर्शित हुआ है कि इसने क्षति या स्थायी विकृति के बिना परीक्षण भार को सह लिया था और उक्त उत्पाक साधित और इसके समनुषंगिक गियर का सुवहनीय भार वह है जैसा स्तंभ 4 में दर्शाया गया है।

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर

मुद्रा

तारीख

(टिप्पणी 3 देखिए)

सक्षम व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण संख्यांक।

टिप्पणी

1. स्तंभ (1) गियर की पहचान के लिए पर्याप्त विशिष्टियां देनी चाहिए उदाहरणार्थ बिच या डेरिक की दशा में पेटा आदि के संख्यांक दर्शाए जाने चाहिए।

2. स्तंभ (2) नियमानुसार, किसी डेरिक का उसके वूम के साथ परीक्षण क्षतिज के न्यूनतम कोण पर जिसके लिए डेरिक प्रणाली डिजाइन की गई है (सामान्यता 15°) या ऐसे अधिक कोण पर, जो स्वीकार्य हो, किया जाना चाहिए।

“सक्षम व्यक्ति” से अभिप्रेत है—

(क) भारत में किसी परीक्षण स्थापन का ऐसा अधिकारी जिसे उत्पाक साधित, खुले गियर या तार रस्मों के परीक्षण, परीक्षा या तापनुशीलन और प्रमाणन के प्रयोजनों के लिए मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(ख) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अंगीकृत दुर्घटनाओं के विरुद्ध संरक्षण (डाकर्स) कन्वेंशन (पुनरीक्षित), 1932 (सं. 32) और डॉक कार्य में उपजीविका जन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित कन्वेंशन (सं. 152), 1979 के क्रियान्वयन के लिए उपखण्ड (1) में वर्णित किसी भी प्रयोजन के लिए अन्य देशों में लागू सुसंगत विनियमों के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम रूप में मान्यताप्राप्त है।

खुले गियरों के आरंभ और कालिक भार परीक्षण खुले गियरों की वार्षिक पूर्ण परीक्षा

सुभेदक सं. या चिह्न	परीक्षण किया गया और परीक्षण खुले गियरों का वर्णन	सक्षम व्यक्ति के परीक्षण और परीक्षा के प्रमाण पत्रों की संख्या	में प्रमाणित करना हूँ कि उस तारीख को जिसको मैंने अपने हस्ताक्षर किए हैं स्तंभ (1) और (2) में दर्शाए गए खुले गियरों की परीक्षण कर लिया था और सुरक्षित कार्यकारी हालत को प्रभावित करने वाली कोई भी त्रुटियाँ स्तंभ 6 में दर्शाए गए से भिन्न नहीं पाई गई थी।	टिप्पणियाँ (आधाक्षरित) तारीख के साथ)
1	2	3	4	5
(1)				
(2)				
मैं प्रमाणित करता हूँ कि उस तारीख को जिसको मैंने अपने हस्ताक्षर किए हैं स्तंभ (1) और (2) में दर्शाए गए गियरों को मैंने परीक्षा की और पूर्ण उनकी सुरक्षित चालू हालत को प्रभावित करने वाली कोई भी त्रुटियाँ स्तंभ 10 में दर्शाए गए से भिन्न नहीं पाई गई थी।			मुद्रा सहित तारीख और हस्ताक्षर	
मुद्रा सहित तारीख और हस्ताक्षर			मुद्रा सहित तारीख और हस्ताक्षर	
7				
(1)				
(2)				
भाग 3—जंजीरों, बलयों, हुकों, शैकल और स्विचवेलों (उन्से भिन्न छूट दी गई है भाग 2 देखिए) का तापानुशीलन (विनियम 49 और 51 देखिए)			मुद्रा सहित ता० और हस्ताक्षर	
सामान्य व्यवहार में आने वाली 12.5 मि. मो. के और उनसे बलय, हुक शैकल और स्विचवैल			टिप्पणियाँ आवाक्षर तथा तारीख के साथ	
सामान्य व्यवहार में आने वाली अन्य जंजीरों, बलय, हुक, शैकल और स्विचवैल।			मुद्रा सहित तारीख और हस्ताक्षर	
7				
(1)				
(2)				
टिप्पण :— यह सिफारिश की जाती है—यद्यपि विनियमों द्वारा अपेक्षित नहीं है कि तापानुशीलन समुचित रूप से संरचित ऐसी एडी में 30 और 60 मिनटों के बीच का अवधि के लिए पूरा किया जाए जो 1100° और 1300° फारनहाइट या 600° और 700° सेन्टीग्रेड के बीच ताप में तप्त हो।			मुद्रा सहित तारीख और हस्ताक्षर	
मुभेदक सं. या चिह्न तापानुशीलन गियर का विवरण			मुद्रा सहित तारीख और हस्ताक्षर	
परीक्षण और परीक्षा के प्रमाण संख्यांक			मुद्रा सहित तारीख और हस्ताक्षर	
में प्रमाणित करता हूँ कि उस तारीख को जिसको मैंने अपने हस्ताक्षर किए हैं स्तंभ (1) और (2) में दर्शाए गए गियर का मेरे पर्यवेक्षक में प्रभावी तौर पर तापानुशीलन किया गया है। इस प्रकार तापानुशीलन के बाद प्रत्येक वस्तु का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया गया है और उसकी सुरक्षित कार्यकारी स्थिति को प्रभावित करने वाली कोई त्रुटियाँ स्तंभ (7) में दर्शाए से भिन्न नहीं पाई गई थी।			मुद्रा सहित तारीख और हस्ताक्षर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)				
(2)				

## अनुदेश

1. उत्पापक साधित्र—प्रत्येक उत्पापक साधित्र और उसके समनुषंगिक गीयर को इतने परीक्षण भार के अधीन रखा जाएगा जो निम्नलिखित रूप से सुवहनीय से अधिक हो :

सुवहनीय भार	परीक्षण भार
20 टन तक	सुवहनीय भार से 25 प्रतिशत अधिक
20 से ऊपर 50 टन तक	सुवहनीय भार से 5 टन अधिक
50 टनों से अधिक	सुवहनीय भार से 10 प्रतिशत अधिक

## 2. पोत का डेरिक

- (क) डेरिक प्रणाली के मामले में, पोत का सामान्य टेकिल डेरिक सहित परीक्षण भार का उत्पापन, क्षतिज के न्यूनतम कोण जिसके लिए डेरिक प्रणाली डिजाइन की गई है (सामान्यतया 15 डिग्री) या उस अधिक कोण पर जो स्वीकार्य हो, किया जाएगा। वह कोण जिस पर परीक्षण किया गया है परीक्षण प्रमाणपत्र में अंकित किया जाएगा। परीक्षण भार को उत्पापन के बाद यथाशक्य दोनों दिशाओं में झुलाना चाहिए।
- (ख) ऐसे डेरिक को जिसे निलंबित भार सहित विद्युत् द्वारा उठाए जाने के लिए डिजाइन किया गया है, उपरोक्त परीक्षण(क) के अतिरिक्त (निलंबित भार सहित) क्षतिज उस अधिकतम कार्यकारी कोण तक दो बाह्यतम स्थितियों तक उठाया जाएगा।
- (ग) भारी उत्पापन डेरिक का परीक्षा भार जांचते समय, जंगम बजन प्रयोग करके परीक्षण करने के लिए उत्तरदायी सक्षम व्यक्ति मास्टर से यह सुनिश्चित कर लेगा कि ऐसे परीक्षण के लिए पोत पर्याप्त रूप से मजबूत है।

3. खंड (2) के अधीन परीक्षण किए गए डेरिक का प्रयोग यूनियन परचेज रिग में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि—

- (क) यूनियन परचेज में रिग किए गए डेरिकों का परीक्षण ऐसे भार परीक्षण द्वारा नहीं कर लिया जाता जो यूनियन परचेज (डिजाइन किए गए हेडवम पर और डेरिक वूमों के साथ उनकी अनुमोदित कार्यकारी स्थिति में) सुवहनीय भार के लिए समुचित हो।
- (ख) यूनियन परचेज रिग में उस डेरिक का सुवहनीय भार को भी प्ररूप 3 की रिपोर्ट में किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता;
- (ग) उक्त रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किन्हीं परिसीमाओं या शर्तों का पालन नहीं किया जाता; और
- (घ) समुचित स्विबेल एम्बली द्वारा दो उत्तोलक रस्सों को एक साथ मूथ नहीं दिया जाता।

टिप्पणी : डेरिकों के सुवहनीय भार (रिग की प्रत्येक पद्धति के लिए जिसमें यूनियन परचेज भी सम्मिलित है) परीक्षण प्रमाणपत्र पर दर्शाया जाएगा और डेरिक वूमों पर चिह्नित किया जाएगा।

## 4. भार परीक्षण जांच के लिए स्प्रिंग या द्रवचालित तुलाओं का प्रयोग :

सभी परीक्षण कुछ भार की सहायता से पूरे किए जाएंगे। नए पोतों पर भार परीक्षण जांच हमेशा कुल भाप से की जाएगी। कालिक परीक्षण प्रतिस्थापन या नवीकरण की दशा में परीक्षण भार समुचित स्प्रिंग या द्रवचालित तुलाओं के माध्यम से किए जाएंगे। ऐसी दशा में वूम पर दोनों दिशाओं में जहां तक दूर व्यावहारिक हो, परीक्षण भार डाला जाएगा। परीक्षण को तब तक समाप्त न प्रद नहीं माना जाएगा जब तक कि यथार्थता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा तुलन + दो प्रतिशत के भीतर प्रमाणित नहीं किया गया हो और मशीन का संकेतक परीक्षण भार पर कम से कम 5 मिनट के लिए स्थिर न रहा हो।

## 5 परीक्षण मशीन और कुल भार

- (क) जंजीरों, ताट-रस्सों, खुले गियर और अन्य स्थोरा गीयर के परीक्षण के लिए समुचित परीक्षण मशीन का प्रयोग किया जाएगा।
- (ख) भार परीक्षण, परीक्षण और जांच करने में प्रयोग किए जाने वाली परीक्षण मशीनों और तुलनों का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक पूर्वगामी 12 महीनों में कम से कम एक बार यथार्थता के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें प्रमाणित न किया गया हो।
- (ग) उत्पापक साधित्र, खुले गियरों और उत्पापक युक्ति के परीक्षण भारण के लिए प्रयोग किए जाने वाले जंगम बजनों की, जिनमें सुवहनीय भार 20 मीटरी टन से अधिक नहीं है। यथार्थता के लिए समुचित तोलन मशीन के माध्यम से जांच की जाएगी।

## 6. परीक्षण या परीक्षण भारण के पश्चात् पूर्ण परीक्षा

प्रत्येक उत्पापक साधित्र की, परीक्षण या भारण परीक्षण किए जाने के पश्चात् उनके समनुषंगिक गीयर के साथ पूर्ण परीक्षा यह देखने के लिए की जाएगी कि परीक्षण के दौरान किसी पुर्जे को नुकसान नहीं हुआ है या वह स्थायी रूप से विरूपित नहीं हुआ है। इस प्रयोजन के लिए उत्पापक साधित्र या गीयर को उस सीमा तक जिसे सक्षम व्यक्ति आवश्यक समझे, खोल दिया जाएगा।

7. भारी डेरिकों की दशा में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि समुचित बरांडल और रोकथाम साधनों से उन्हें सुसज्जित कर दिया गया है।

8. परीक्षण और परीक्षा किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए।

## प्ररूप 4

डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम, 1989

[विनियम 41 और 51(2) देखिए]

क्रेनों या उत्तोलकों और उनके उपसाधन गियर के आरंभिक और कालिक परीक्षण और परीक्षा का प्रमाणपत्र

परीक्षण प्रमाणपत्र संख्यांक .....

(1) डाक घाट या पट्टी की दशा में, ऐसे डाक, घाट या पट्टी का नाम  
जहाँ उत्पापक साधितों को लगाया गया है।

(2) पोत की दशा में,—

पोत का नाम .....

शासकीय संख्या .....

नाम संकेत .....

रजिस्टरी पत्तन .....

स्वामी का नाम .....

स्थिति और वर्णन	जिव क्रेन व्यास जिस पर परीक्षण भार लागू किया गया	लागू परीक्षण भार	सुवहनीय कार्य भार (स्तंभ 2 में दक्षित व्यास पर जिव क्रेनों के लिए)
(1)	(2)	(3)	(4)
	मीटर	टन	टन

5. परीक्षण और परीक्षा करने वाली लोक सेवा, संगम या फर्म या परीक्षण स्थापन का नाम और पता .....

6. लोक सेवा, संगम, कंपनी या फर्म या परीक्षण स्थापन के सक्षम व्यक्ति का नाम और स्थिति—

में प्रमाणित करता हूँ कि तारीख .....

के उपर्युक्त उत्पापक साधित का उसके उपसाधन गियर सहित पिछले पृष्ठ पर उपर्युक्त  
रिति में परीक्षण किया गया था, यह कि परीक्षण के पश्चात् उक्त उत्पापक साधित और गियर की सावधानीपूर्वक परीक्षा से यह प्रदर्शित हुआ कि उसने  
परीक्षण भार को, बिना किसी क्षति या स्थायी बिरूपिता के, सह लिया था, और यह कि उक्त उत्पापक साधित और गियर का सुवहनीय भार वह है जो स्तंभ 4 में दक्षित है।

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर

मुद्रा

तारीख .....

(टिप्पण 3 देखिए) सक्षम व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार संख्यांक

## टिप्पण

- स्तंभ (1) क्रेन या उत्तोलक की पहचान के लिए पर्याप्त विशिष्टियां अवश्य दी जानी चाहिए।
- स्तंभ (2) यदि जिव का परिवर्ती व्यास हो तो परीक्षण भार अधिकतम और न्यूनतम रेडि पर लागू किया जाना चाहिए।
- सक्षम व्यक्ति से अभिप्रेत है—
  - भारत में किसी परीक्षण स्थापन का ऐसा अधिकारी जिसे उत्पापक साधित खुले गियर या तार रस्सों के परीक्षण, परीक्षा या तापानुशीलन और प्रमाणन के प्रयोजनों के लिए मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित किया गया है।
  - ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अंगीकृत द्वारा दुर्घटनाओं के विरुद्ध संरक्षण (डॉकर्स) कन्वेंशन (पुनरीक्षित), 1932 (1932 का सं. 32) और डाक कार्य में उपजीविका जन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित कन्वेंशन (सं. 152), 1979 के क्रियान्वयन के लिए उपखंड (1) में दक्षित किसी भी प्रयोजन के लिए अन्य देशों में लागू सुसंगत विनियमों के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम के रूप में मान्यताप्राप्त है।



## अनुदेश

1. प्रत्येक क्रेन और अन्य उत्तोलक मशीन का, उसके उपसाधन गियर सहित, परीक्षण भार के साथ परीक्षण किया जाएगा जो स्वहनीय भार से निम्नलिखित रूप में अधिक होगा :—

स्वहनीय भार	परीक्षण भार
20 टन तक	एम डब्ल्यू एल से 25 प्रतिशत अधिक
20 टन से 50 टन तक	एस डब्ल्यू एल से 5 टन अधिक
50 टन से अधिक	एस डब्ल्यू एल से 10 प्रतिशत अधिक

2. पोत डेरिकों और विचेज को छोड़कर उत्पाक साधित

- (क) परीक्षण भार को उठाया जाएगा और दोनों दिशाओं में यथासंभव लटकाया जाएगा। यदि क्रेन को जिव और बूम का वयम भिन्न भिन्न हो तो इसका अधिकतम और न्यूनतम रेडि पर परीक्षण भार के साथ परीक्षण किया जाएगा। हाइड्रालिक क्रेनों की दशा में, जूब दाब की सीमा के कारण परीक्षण भार को पैरा 1 के नीचे की सारणी के अनुसार उठाना असंभव हो तो सबसे अधिक भार का उठाना पर्याप्त होगा।
- (ख) परीक्षण अधिकतम, न्यूनतम और मध्यवर्ती व्यास बिन्दुओं पर तथा घूर्णन आर्क में ऐसे बिन्दुओं पर किया जाएगा जसा कि सक्षम व्यक्ति विनम्रवय करे। सभी स्थितियों तथा सामान्यतः की जाने वाली सक्रियाओं में उत्तोलन निम्न ब्रेक और दोलायन भी परीक्षण में शामिल हैं।
- (ग) एक अतिरिक्त परीक्षण निम्नलिखित एस डब्ल्यू एल के साथ, अधिकतम कार्य चालन गति पर क्रेन का परिचालन या उत्तोलन करके किया जाएगा।

3. परीक्षण भार का परीक्षण करने के लिए स्प्रिंग या द्रवचालित तुलाओं का प्रयोग।

सामान्यतः सभी परीक्षण कुल भार की सहायता से किए जाएंगे। नए पोत पर परीक्षण भार का परीक्षण सदैव कुल भार के साथ होगा। कालिक परीक्षण की दशा में, प्रतिस्थापना की नवीकरण, परीक्षण भार को उपयुक्त स्प्रिंग या द्रवचालित तुलाओं के माध्यम में लागू किया जा सकेगा। ऐसी दशा में, परीक्षण भार बूम के साथ, दोनों दिशाओं में जितना बाहर संभव हो। लागू किया जाएगा। परीक्षण तब तक समाधानप्रद नहीं होगा जब तक कि तुला को सक्षम प्राधिकारी द्वारा—दो प्रतिशत के भीतर प्रमाणित नहीं कर दिया जाता और मशीन का बिन्दु परीक्षण भार पर कम से कम 5 मिनट का अवधि के लिए निरन्तर नहीं रहता।

4. परीक्षण मशीनों और कुल भार

- (क) जंजीरों, तार रस्सों, खुला गियर और अन्य स्थोरा गियर के प्रयोग के लिए उपयुक्त परीक्षण मशीनों का प्रयोग किया जाएगा।
- (ख) परीक्षण लदान, परीक्षण और जांचों में उपयुक्त की जाने वाली परीक्षण मशीनों और तुलाओं का तब तक प्रयोग नहीं किया जाएगा जब तक उनके सही होने के लिए उनको पूर्ववर्ती 12 मासों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम से कम एक बार प्रमाणित न कर दिया गया हो।
- (ग) उत्पाक साधितों के परीक्षण लदान के लिए प्रयुक्त जंगम वजन के जिसमें एस डब्ल्यू एल 20 टन से अधिक हो, सही होने की जांच उपयुक्त ताल मशीन द्वारा की जाएगी।

5. परीक्षण या परीक्षण भार के पश्चात् पूर्ण परीक्षा

— प्रत्येक उत्पाक साधित और सहयुक्त गियर की, परीक्षण या परीक्षण लदान के पश्चात् यह देखने के लिए संपूर्ण परीक्षा की जाएगी कि परीक्षण के दौरान कोई पुर्जा क्षतिग्रस्त या स्थायी रूप से विरूपित न हो। इस प्रयोजन के लिए, उत्पाक साधित या उपसाधन गियर को उप सामान्यतः अलग-अलग किया जाएगा जिस तक सक्षम व्यक्ति द्वारा आवश्यक समझा जाए।

6. परीक्षण और परीक्षा किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा ही की जानी चाहिए।

प्ररूप 5

डाक कसंकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम, 1989  
(विनियम 47 और 51 (2) देखिए)

खुले गियरों के आरंभिक और कालिक परीक्षण और परीक्षा का प्रमाणपत्र

(1) डाक, घाट या घट्टी की दशा में,—

एसे डाक, घाट, या घट्टी का नाम, जहाँ उत्पापक माधित्तों को फिट  
किया गया है-----

(2) षोन की दशा में,—

षोन का नाम-----  
शासकीय संख्या-----  
नाम संकेत-----  
रजिस्ट्री पत्तन-----  
स्वामी का नाम-----

सुभेदक सं और चिन्ह	गियर/युक्ति का वर्णन बिना और सामग्री	परीक्षित सं	परीक्षण की तारीख	प्रयुक्त परीक्षण पर (टनों में)	सुरक्षित भार (टनों में)	कार्यकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)

7. निर्माण या प्रदायकर्ता का नाम और पता-----

8. आरंभिक परीक्षण और परीक्षा प्रमाणपत्र संख्या और तारीख-----  
(केवल कालिक परीक्षण और परीक्षा के मामले में)9. परीक्षण और परीक्षा करने वाली लोक सेवा, संगम, कंपनी या  
क्रम या परीक्षण स्थापन का नाम और पता-----10. लोक सेवा संगम, कंपनी या क्रम में या परीक्षण स्थापन में सक्षम  
व्यक्ति का नाम और स्थिति-----

में यह प्रमाणित करता है कि तारीख-----को उपर्युक्त गियर का पिछले पृष्ठ पर उपर्युक्त रीति में परीक्षण किया गया था। यह कि उक्त परीक्षा में यह दर्जित हुआ कि उक्त गियर (युक्ति में परीक्षण भार को, बिना किसी क्षति या स्थायी विरूपिता के सह लिया था, और यह कि उक्त गियर/युक्ति का मुवहनीय भार वह है जो स्तंभ 6 में दर्जित है।

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर

(टिप्पणी देखिए)

सक्षम व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण/प्राधिकार संख्यांक

मुद्रा

तारीख

टिप्पण

1. स्तंभ (2) : गियर/युक्ति का बिना, सामग्री का प्रकार जिससे वह बना है और जहाँ लागू है विनिर्माण में प्राप्त उद्योग उद्योग का उल्लेख किया जाना चाहिए (जब तक कि उक्त प्रयोजन के लिए प्ररूप सं. 7 का प्रयोग किया जाता है)।

2. सक्षम व्यक्ति से अभिप्रेत है—

(क) भारत में किसी परीक्षण स्थापन का ऐसा अधिकारी जिस उत्पापक साधित, खुले गियर या तार रस्सों के परीक्षण, परीक्षा या तापनुशीलन और प्रमाणन के प्रयोजनों के लिए मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(ख) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अंगीकृत दुर्बलताओं के विरुद्ध संरक्षण (डाकसं) कन्वेंशन (पुनरीक्षित), 1932 (सं. 32) और डाक कार्य में उपजीविका जन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित कन्वेंशन (सं. 152), 1979 के क्रियान्वयन के लिए उपखंड (i) में दर्जित कर्मों को प्रयोजन के लिए अन्य देशों में लागू सुसंगत विनियमों के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम के रूप में मान्यता-प्राप्त है।

(ग) किसी चरखी आलंब की दशा में, परीक्षण भार निम्नलिखित में कम नहीं होगा :

एस डब्ल्यू एल (टनों में)

25 तक

25 से 160 तक

160 से अधिक

परीक्षण भार (टनों में)

2 × एस डब्ल्यू एल

(0.939 × एस डब्ल्यू एल) + 27

1.1 × एस डब्ल्यू एल

- (घ) हस्त-चालित धारकों, चालकों के साथ पर्युक्त पिचकी गड्ढे जंजीरों की दशा में शीश पुरजे साथ त्वाप्री कप से संलग्न रिप, हुन, शीश या स्विजेल सुवहनीय भार के अधिक में कम से कम 50 प्रतिशत परीक्षण भार लगाया जाएगा।
- (ङ.) किसी बकेट के साथ फिट किए गए धिरनो आर्ख की दशा में बकेट का परीक्षण किया जाएगा और बकेट को परख परीक्षण करते समय बकेट का लागू भार बकेट के परख परीक्षण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
- (च) किसी ऐसे स्प्रिंग की दशा में जिसकी दो टांगें हो, सुवहनीय भार की गणना तब की जाएगी जब टांगों के बीच का कोण 90 अंश हो। किसी स्प्रिंग की दो से अधिक टांगें हों तब सुवहनीय भार की गणना राष्ट्रीय मानक के अनुरूप की जाएगी।
- (छ) प्रत्येक उत्पाक बीम उत्पाक फ्रेम, कटेनर स्प्रेडर, बकेट, टब या अन्य ऐसा ही गियर ऐसे प्रमाणक भार के अधधीन होंगी जो नीचे सारणी में दिए गए भार से कम न हो।

सुवहनीय भार (टनों में)

10 तक

10 से ऊपर तक

160 से ऊपर

परीक्षण भार (टनों में)

2×एस डब्ल्यू एल

(1.04×एस डब्ल्यू एल) + 9.6

1.1×एस डब्ल्यू एल

- (ज) (i) किसी परीक्षण के किए जाने से पूर्व अंतर्बलित उत्पाक साधित या खुले गियर या उत्पाक युक्तिओं का दृश्य निरीक्षण किया जाएगा और दिखाई देने वाले खराब गियर को बदला या तबदीकृत किया जाएगा।

(ii) परीक्षण हो जाने के पश्चात्, सभी खुले गियरों और अन्य गियरों की परीक्षा का जाएगी। पूर्ण ब्लाक के सभी शोषों और बिनो को यह देखने के लिए हटा दिया जाएगा कि क्या किसी पुर्जे को परीक्षण द्वारा कोई क्षति हुई है या वह स्वयं रूप में विकल्पित हुआ है।

2. परीक्षण और परीक्षा किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए।

प्र रूप 6

परीक्षण प्रमाणपत्र संख्या-----

डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम, 1989

(विनियम 48 और 51 (2) देखिए)

तार रस्से के प्रयोग में लाए जाने से पूर्व परीक्षण और परीक्षा का प्रमाणपत्र

- (1) रस्से के निर्माता या प्रदायकर्ता का नाम और पता-----
- (2) (क) रस्से का बंधा/व्यास  
(ख) लड़ियों की संख्या
- (ग) प्रति लड़ी तारों की संख्या
- (घ) बल (ले)
- (ङ.) बट (कोर)
- (3) तार की किस्म (अर्थात् सर्वोत्तम प्लो स्टील)
- (4) (क) रस्से के नमूने का परीक्षण की तारीख  
(ख) वह भार जिस पर नमूना टूटा (टनों में)  
(ग) रस्से का सुवहनीय भार (टनों में) (रूपया अनुदेश--1 देखिए)  
(घ) आशयित उपयोग।

5. परीक्षण और परीक्षा करने वाली रोक सेवा, मंगम, कंपनी या फर्म या परीक्षण स्थापन का नाम और पता-----

6. परीक्षण और परीक्षा करने वाली लोक सेवा, मंगम, कंपनी या फर्म, या परीक्षण स्थापन में सक्षम व्यक्ति का नाम और स्थिति-----

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त विधिष्टयां सही हैं और यह कि परीक्षण और परीक्षा मेरे द्वारा किए गए थे और सुवहनीय भार को प्रभावित करने वाली कोई त्रुटि नहीं पाई गई है।

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर--

(नीचे टिप्पण देखिए--)

सक्षम व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण/प्राधिकार सं.

मुद्रा

तारीख

टिप्पणी

सक्षम व्यक्ति से अभिप्रेत है--

- (क) भारत में किसी परीक्षण स्थापन का ऐसा अधिकारी जिसे उत्पाक साधित, खुले गियर या तार-रस्सों के परीक्षण, परीक्षा या तापानुशील और प्रमाणन के प्रयोजनों के लिए मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित किया गया है।

- (ख) ऐसा कोई चार्ज दरमिन् जो भारतीयों के अंगरेजों द्वारा अंगरेजों के विरुद्ध संरक्षण (डार्क्स) कन्वेंशन (पुनरीकृत), 1932 (सं. 32) और डाक चार्ज में उपजाविका जन्म सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित कन्वेंशन (सं. 152), 1979 के क्रियान्वयन के लिए उपखंड (1) में वर्णित गिरो को प्रयोजन के लिए अन्य वेगों में लागू गुणमूल विनियमों के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम के रूप में मान्यता प्राप्त है।

## अनुदेश

1. तार रस्से की दशा में एक नमूने का विनाश होने तक परीक्षण किया जाएगा और रस्से का मुकहनीय भार किमी उपयोग गुणांक में उस भार के विभाजन द्वारा जिस पर नमूना टूट जाए, अवधारित किया जाएगा / अवत्रारण निम्न प्रकार किया जाएगा—

मद	उपयोग गुणांक
(क) किसी स्लिंग का भाग रूप तार-रस्सा स्लिंग का मुकहनीय भार	
10 टन और उसके बराबर तक मुकहनीय भार	5
10 टनसे अधिक और 160 टन तक उसके बराबर तक मुकहनीय भार	10 <sup>4</sup>
160 टन से अधिक मुकहनीय भार	-----
	(8.85 × 3 सु. भार) + 1910
(ख) किसी उत्पाक साधित के अभिन्न भाग रूप तार रस्सा	
उत्पाक साधित का मुकहनीय भार	
160 टन और उसके बराबर तक मुकहनीय भार	10 <sup>4</sup>
160 टन से अधिक मुकहनीय भार	-----
	(8.85 × 3 सु. भार.) + 1910

2. परीक्षण प्रक्रिया मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी।  
3. परीक्षण किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा ही किया जाना चाहिए।

## प्ररूप 7

प्रमाणपत्र संख्या-----

डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम, 1989

(विनियम 49 और 51 देखिए)

खुले गिरो के तापानुशोलेन का प्रमाणपत्र

- (1) डाक/घाट या घट्टी की दशा में--  
डाक, घाट या घट्टी का नाम जहां उत्पाक साधित लगाया गया है-----
- (2) पोत की दशा में--  
पोत का नाम-----  
भासकीय संख्या-----  
नाम मंवेन  
रजिस्ट्री पत्तन-----  
स्वामी का नाम-----

सुवेदक संख्यांक या चिह्न	गिरो का वर्णन	परीक्षण और जांच के प्रमाणपत्र का संख्यांक	तापानुशोलेन संख्यांक	तापानुशोलेन को तारीख	तापानुशोलेन के पश्चात् साबधानीपूर्वक निरीक्षण पर पाई गई त्रुटियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

7. तापानुशोलेन और निरीक्षण करने वाली लोक सेवा संगम, कर्मचारी या फर्म या परीक्षण स्थापन का नाम और पता।

8 लोक सेवा, संगम, कम्पनी या फर्म या परीक्षण स्थापन में सक्षम व्यक्ति का नाम और हैसियत.....

में प्रमाणित करता हूँ कि स्तम्भ (5) में दर्शित तारोख को स्तम्भ (1) से स्तम्भ (4) में दर्शित गियर मेरे पर्यवेक्षण/निर्माण प्रभावकारी रीति में तापानुशीलित किया गया था, और इस प्रकार तापानुशीलित किए जाने के पश्चात् प्रत्येक वस्तु सावधानीपूर्वक निरीक्षित की गई थी और यह कि उसकी सुरक्षित कार्यकरण की दशा को स्तम्भ (6) में दर्शित से भिन्न प्रभावित करने वाली वृद्धियाँ नहीं पाई गई थीं।

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर

मुद्रा

तारोख .....

(दिष्ण 2 देखिए)

सक्षम व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन/प्राधिकार संख्यांक—.....

#### दिष्ण

- (1) स्तम्भ (2) : गियर को जिम्हारा, उन मामलों का प्रकार जिसमे बड़ बना है और विनिर्माण में प्राप्त उष्मा उपचार का कथन किया जाना चाहिए।
- (2) सक्षम व्यक्ति से अभिप्रेत है—
  - (1) भारत में किसी परीक्षण स्थापन का ऐसा अधिकारी जिसे उत्पाक साधित, खुले गियर या तार रस्सों के परीक्षण, परीक्षा या तापानुशीलन और प्रमाणन के प्रयोजनों के लिए मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित किया गया है।
  - (2) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो अन्तर्राष्ट्रीय अम संगठन द्वारा अंगीकृत दुर्घटनाओं के विरुद्ध संरक्षण (डाक्स) कन्वेंशन (पुनरीक्षित) 1932 (सं. 32) और डाक कार्य में उपजोविका अन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित कन्वेंशन (सं० 152) 179 के क्रियान्वयन के लिए उपखंड (1) में दर्शित किसी भी प्रयोजन के लिए अन्य देशों में लागू सुसंगत विनियमों के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम के रूप में मान्यता प्राप्त है।
  - (3) तापानुशीलन के बारे में अपेक्षाओं के लिए नीचे अनुदेश देखें।
  - (4) यह प्रमाणपत्र वैकल्पिक है। उपर्युक्त विशिष्टियाँ रजिस्टर प्ररूप 2 के भाग 4 में प्रविष्टि की जा सकेंगी।

#### अनुदेश

1. ऊपर उठाने या नीचे करने के साधारण उपयोग में जंजीरों (डेरिकों या मन्तूल से संलग्न नियंत्रण जंजीरों से भिन्न, रिग, हुक शैकल और स्विवेल निम्नलिखित अन्तरालों पर प्रभावी रूप में तापानुशीलित किए जाने चाहिए :—

गियर का वर्ग	यदि शक्ति द्वारा चलित उत्पाक साधितों पर प्रयुक्त हो	यदि केवल हाथ द्वारा चलाए जाने वाले उत्पाक साधितों पर प्रयुक्त हो।
1	2	3
12.5 मि.मी. और उससे लघुतर/गियर	6 मास	12 मास
अन्य गियर	12 मास	2 वर्ष

2. तापानुशीलन किसी सक्षम व्यक्ति के पर्यवेक्षणाधीन किया जाना चाहिए।

3. (क) यद्यपि विनियमों द्वारा अपेक्षा नहीं की गई है तथापि यह सिफारिश की जाती है कि तापानुशील : उपर्युक्त रूप से निर्मित भट्टी पर 30 और 60 सिन्ट के बीच अर्थात् 600° और 700° सेन्टीग्रेड के बीच ताप तक गर्म करके किया जाना चाहिए।

(ख) यद्यपि विनियमों द्वारा अपेक्षा नहीं है तथापि यह सिफारिश की जाती है कि प्रामाण्यकरण उपयुक्त रूप से निर्मित भट्टी पर 920° और 950° सेन्टीग्रेड के बीच ताप तक गर्म करके किया जाना चाहिए।

4. तापानुशीलन की अपेक्षा डेरिकों या आवरणों से संयोजित नियंत्रण जंजीरों को लागू नहीं होती और निम्नलिखित वर्गों के गियरों को नीचे दर्शित शर्तों के अधीन रहते हुए तापानुशीलन से छूट प्राप्त है—

(क) आधा तपयंत्रणीय ढलवां नोहे से बनी जंजीरे :

(ख) प्लेट लिंक जंजीरें ,

(ग) इस्पात से बनी जंजीरें रिग हुक, शैकल और स्विवेल ,

(घ) पिच की गई जंजीरें ,

(ङ) पिच की हुई जंजीरों, धिरनी आलबन से स्थायी रूप में संयोजित रिग, हुक, शैकल और स्विवेल ,

(च) हुक और स्विवेल जिनमें बाल बियरिंग के स्कू-सूचित भाग या अन्य दृढीकृत भाग हैं ,

(झ) बार्दों अनुयोजन

गियरों के इन वर्गों की तापानुशीलन से इन शर्तों के अधीन छूट दी गई है कि ऐसे गियर की प्रत्येक बार 6 मास में कम से कम एक बार किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा पूर्णतः जांच की जाएगी और यह कि गियर को बाद में उपयोग में लाने के पूर्व ऐसी जांचों का विहित प्रमाणपत्र विहित रजिस्टर (प्ररूप 2) से संलग्न किए जाएंगे या अनुकल्पतः अपेक्षित विशिष्टियाँ रजिस्टर के भाग 3 में प्रविष्टि की जा सकेंगी।

प्ररूप 8

परीक्षण प्रमाण पत्र सं .....

डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम, 1989

(विनियम 47(2) और 51(2) देखिए)

तापानुशीलन से छुट प्राप्त खुले गियरों की वार्षिक पूर्ण जांच का प्रमाणपत्र

(1) डाक, घाट या घट्टी की दशा में

डाक, घाट या घट्टी का नाम जहां उत्पाक साधित लगाया गया है .....

(2) पोत की दशा में--

पोत का नाम .....

शासकीय संख्या .....

नाम संकेत .....

रजिस्ट्री पत्तन .....

स्वामी का नाम .....

सुभेदक संख्यांक या चिह्न	गियर का वर्णन	आरंभिक और कालिक परीक्षण और जांच के प्रमाणपत्र का संख्यांक	टिप्पणियां
1	2	3	4

5. परीक्षण और जांच करने वाली लोक, सेवा, संगम कंपनी या फर्म या परीक्षण स्थापन का नाम और पता .....

6. लोक सेवा, संगम, कंपनी या फर्म या परीक्षण स्थापन में सक्षम व्यक्ति का नाम और हैसियत .....

मैं प्रमाणित करता हूँ कि तारीख ..... को स्तंभ (2) में वर्णित उपर्युक्त गियर की पूर्णतः जांच की गई थी और यह कि स्तंभ (4) में वर्णित से भिन्न, इसकी सुरक्षित कार्यकरण दशा को प्रभावित करने वाली कोई वृष्टियां नहीं पाई गई।

(टिप्पण 2 देखें)

सक्षम व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण/प्राधिकारी संख्यांक मुद्रा तारीख .....

टिप्पण

1. स्तंभ (2) : गियरों की विमार्ग उस गमग्री का प्रकार जिससे वह बना है और विनिर्माण में लगा उष्मा उपचार का कथन किया जाना चाहिए।

2. सक्षम व्यक्ति से अभिप्रेत है :--

(i) भारत में किसी परीक्षण स्थापन का ऐसा अधिकारी जिसे उत्पाक साधित, खुले गियर या तार रस्मों के परीक्षण, परीक्षा या तापानुशीलन और प्रमाणन के प्रयोजनों के लिए मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(ii) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अंगीकृत दुर्घटनाओं के विरुद्ध संरक्षण (डाकर्म) कन्वेंशन (पुनरीक्षित) 1932 (सं. 32) और डाक कार्य में उपजीविका जन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित कन्वेंशन (सं. 152), 1979 के त्रियान्वयन के लिए उपखंड (1) में वर्णित किसी भी प्रयोजन के लिए अन्य देशों में लागू सुसंगत विनियमों के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम के रूप में मान्यता-प्राप्त है।

3. ऐसे गियरों की सूची के लिए जिनका तापानुशीलन अपेक्षित नहीं है, और "पूर्ण जांच" की परिभाषा के लिए वृष्ट भग्न पर देखें।

4. यह प्रमाणपत्र वैकल्पिक है। उपर्युक्त विनिर्दिष्ट रजिस्टर के प्ररूप 2 में प्रविष्टि की जा सकेंगी।

अनुदेश

1. गियरों के निम्नलिखित वर्गों को तापानुशीलन से छुट दी गई है किन्तु प्रत्येक बारह मास में कम से कम एक बार किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा पूर्णतः जांच की जानी अपेक्षित है।

(क) आघातवर्धनीय हलवां लोहे में जंजीरें ,

(ख) प्लेट लिंक जंजीरें ,

- (ग) इस्पात से बनी जंजीरें, रिंग, हुक, शैकल और स्विबेल ;
- (घ) पिच की हुई जंजीरें ;
- (ङ) पिच की हुई जंजीरों, घिरनी, कंटेनर स्प्रेडर, ट्रे, सिंगिंग, वास्केट आदि और कोई अन्य समान गियरों से स्थायी रूप में संयोजित रिंग, हुक, शैकल और स्विबेल ;
- (च) हुक और स्विबेल जिनमें स्क्रू सूत्रित भाग या बाल वैयरिंग या अन्य पृष्ठ दृढ़ीकृत भाग हैं ;
- (छ) बॉदो अनुयोजन ;

2. "पूर्ण जांच" से जांच किए गए भागों की सुरक्षा के बारे में विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उतनी सावधानीपूर्वक की 'गई' चादुष जांच, जितनी स्थितियां अनुज्ञात करें और याद आवश्यक हो तो अन्य साधनों द्वारा अनुपूरित जांच अभिप्रेत है; और यदि इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो तो गियर के भागों को खोला जाना चाहिए ।

भाग-1

प्ररूप 9

प्रतिषेध आदेश

डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम, 1989

[डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 की धारा 5(1) और विनियम 4 देखिए]

डाक, पोत, उत्पापक साधित, खुले गियर और अन्य ऐसे ही गियर, उपस्कर, सीढ़ी और मंच के निरीक्षण पर निरीक्षकों की सूचना स्वामी, मास्टर, पोत का भारसाधक अधिकारी या अभिकर्ता, पत्तन प्राधिकारी, उत्पापक साधित, खुले गियर और उत्पापक युक्ति का स्वामी या यथास्थिति उस व्यक्ति को जो स्वयं, अपने अभिकर्ता या अपने नियोजकों द्वारा डाक कार्य करते हैं, निरीक्षक की सूचना ।

डाक पोत, उत्पापक साधित, खुले गियर, उत्पापक युक्ति परिवहन उपस्कर, सीढ़ी और मंच का नाम	जहां स्थित है पड़ा/प्रयुक्त है	पोत के रजिस्टर करने का पत्तन	पोत की शासकीय सं. (यदि कोई हो)
1	2	3	4

उपरनामित डाक, पोत, उत्पापक साधितों, खुले गियरों, उत्पापक युक्तियों, परिवहन उपस्कर, सीढ़ियों और मंचों का तारीख.....को निरीक्षण किया गया था ।

डाक कार्य से संबंधित क्रियाकलाप में, जो आपके द्वारा चलाए जा रहे हैं । आपके द्वारा चलाए ही जाने वाले हैं । आपके नियंत्रणाधीन हैं, डाक कर्मकारों के जीवन सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जोखिम या खतरा अन्तर्बलित है और उसमें निम्नलिखित उल्लंघन अन्तर्बलित हैं :—

उल्लंघन

अतः मैं निदेश देता हूँ कि उक्त क्रियाकलाप तब तक आपके द्वारा या आपके अधीन नहीं चलाए जाएंगे तब तक उक्त उल्लंघन और उल्लिखित मामलों का निरीक्षण के समाधानप्रद रूप में उपचार नहीं कर लिया जाता है ।

यह आदेश किसी विधिक कार्रवाई पर जो इन उल्लंघनों के लिए की जा सकेगी, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किया जा रहा है ।

आपसे यह सूचना प्राप्त होने पर कि अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा चुका है, निरीक्षण पूरा किए जाने के उद्देश्य से/डाक/पोत उत्पापक साधित, खुले गियर या समान गियर/परिवहन/ उपस्कर / सीढ़ी मंच का पुनः परिदर्शन किया जाएगा ।

डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 के अधीन निरीक्षक

संख्या.....  
 तारीख.....  
 सेवा में,  
 .....

## अपेक्षाएं

उपर्युक्त सभी उल्लंघनों का या उनमें से किसी का अनुपालन करने के पश्चात्, निरीक्षक को, उस तारीख को और स्थान पर जिस पर डाक, पोत उत्पापक साधित, खुले गियर या समान गियर, परिवहन उपस्कर, सीढ़ियां और मंच का पुनरीक्षण किया जा सके, सूचना दी जानी चाहिए।

महोदय आपके द्वारा अधिसूचित उल्लंघन की ओर प्रभावी रूप से ध्यान किया गया है। डाक, पोत, उत्पापक साधित, खुले गियर या समान गियर परिवहन उपस्कर, सीढ़ियों और मंच नीचे दी गई तारीख और स्थान पर निरीक्षण के लिए तैयार रखे जाएंगे :

निरीक्षण की तारीख	स्थान
तारीख 19	पोत, पत्तन प्राधिकरण के स्वामी, मास्टर, भारसाधक अधिकारी या अधिकर्ता मशीनरी और गियर का स्वामी या ऐसा व्यक्ति जिसने स्वयं अपने अधिकर्ता या अपने नियोजकों द्वारा डाक कार्य किया है।

सेवा में,

डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 के अधीन निरीक्षक

टिप्पणियां :

- (1) किसी प्रतिषेध आदेश का अनुपालन करने में असफल रहना, डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 की धारा 21 (4) द्वारा यथा उपबंधित के अनुसार अपराध है, और अधिनियम की धारा 18 के अनुसार अपराधी प्रत्येक दोषसिद्धि पर 5000 रु. से अधिक किसी जुर्माने के लिए या किसी असंमित जुर्माने के लिए या ऐसे कारावास के लिए जिसकी अवधि 6 मास से अधिक नहीं होगी या जुर्माने और कारावास दोनों के लिए यथा यदि अधिनियम की धारा 16(2) के अधीन दिए गए अनुसार अपराध जारी रहता है तो, प्रत्येक दोषसिद्धि के लिए 100 रु. प्रति दिन से अधिक के और जुर्माने के लिए दायी होगा।
- (2) अधिनियम की धारा 14 (4) के अनुसार ऐसे व्यक्ति जिसे अधिनियम के उपबंधों में से किसी के या उसके अधीन विरचित विनियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि किया गया है, पूर्व दोषसिद्धि के दो वर्ष के भीतर किए गए किसी अपराध के लिए पुनः दोषसिद्धि किया जाता है और उसमें उन्हीं उपबंधों का उल्लंघन अंतर्बलित है, प्रत्येक पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए ऐसे कारावास के दुगुने कारावास से जिसके लिए वह ऐसे उपबंधों के पहले उल्लंघन के समय दायी होता, दंडनीय होगा।
- (3) मुख्य निरीक्षक को, संबंधित नियोजक या परिसरों के स्वामी/डाक कर्मकारों से किसी अपील की प्रतीक्षा किए बिना आदेश को, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले रद्द करने या उपांतरित करने या आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि को बढ़ाने की शक्ति है।
- (4) अधिनियम की धारा 5 के अधीन जारी किसी प्रतिषेध आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से जिसको उसे आदेश संसूचित किया जाता है 15 दिन के भीतर मुख्य निरीक्षक, महानिदेशालय कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान, सियान, मुम्बई 400022 को, अधिनियम की धारा 8 के अधीन उपबंधित के अनुसार अपील कर सकेगा और जहां ऐसा आदेश मुख्य निरीक्षक का है अपील सचिव, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली को होगी।
- (5) किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा मुख्य निरीक्षक को कोई अपील मुख्य निरीक्षक को कोई लिखित सूचना भेजकर प्रारंभ की जानी चाहिए, जिसमें निम्न-लिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट हों :
  - (क) अपीलार्थी का नाम और दस्तावेजों की तामील के लिए उसका पता।
  - (ख) ऐसे प्रतिषेध आदेश या आदेशों की तारीख जिनके विरुद्ध अपील की गई है और परिसर या संबद्ध स्थान के पते।
  - (ग) प्रत्यर्थी का (प्रतिषेध आदेश में यथादर्शित) नाम और पता।
  - (घ) उन अपेक्षाओं और निदेशों की विशिष्टियां जिनके विरुद्ध अपील की गई है
  - (ङ) अपील के आधार।
- (6) किसी अपील के हो जाने से प्रतिषेध आदेश निलंबित नहीं हो जाता / मुख्य निरीक्षक को प्रतिषेध आदेश के निलंबन के लिए आवेदन किया जा सकता है, किन्तु प्रतिषेध आदेश का प्रवर्तन तब तक जारी रहेगा जब तक कि मुख्य निरीक्षक अन्यथा निदेश नहीं दे देता।
- (7) इस प्रतिषेध आदेश की जारी होना, व्यथित व्यक्ति जो इसके जारी होने से पहले और पश्चात् इसके या किसी अन्य अधिनियमित के किसी उपबंध का अनुपालन न करने के लिए, उस पर आने वाली किसी विधिक दायिता से, मुक्त नहीं करता।



## भाग 2

## सुधार सूचना

डॉक कर्मकार सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण विनियम, 1989

डाक, पोत, उत्पापक साधित्र, खुले गियर या समान अन्य गियर, उपस्कर, सीढ़ियां और मंच के निरीक्षण की निरीक्षक का सूचना स्वामी, मास्टर, पोत का भारसाधक अधिकारी या अभिकर्ता, पत्तन प्राधिकारी, उत्पापक साधित्र, खुले गियर, और उत्पापक युक्ति का स्वामी यथास्थिति उस व्यक्ति को, जो स्वयं अपने, अभिकर्ता, या अपने नियोजकों द्वारा डाक कार्य करते हैं, निरीक्षक को सूचना।

डाक, पोत, उत्पापक, साधित्र, खुले गियर जहां स्थित है पड़ा प्रयुक्त है। रजिस्ट्री का पतन पोत की शासकीय सं. (यदि कोई हो) उत्पापक, युक्ति, परिवहन सीढ़ियां उपस्कर और मंच

1

2

3

4

ऊपर नामित डाक, पोत, उत्पापक साधित्र, खुले गियर, उत्पापक युक्तियां, परिवहन उपस्कर, सीढ़ियां और मंच की तारीख ..... को निरीक्षण किया गया था।

निम्नलिखित उल्लंघन पाए गए। आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त उल्लंघन को समाप्त कर और ..... दिन के भीतर लिखित अनुपालन रिपोर्ट भेजें।

यह सूचना किसी विधिक कार्रवाई पर, जो उल्लंघनों के लिए की सकती है, प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना जारी की जा रही है।

आपसे यह सूचना प्राप्त होने पर कि डाक पोत उत्पापक साधित्र/खुले गियर या समान अन्य गियर परिवहन उपस्कर सीढ़ियां/मंच की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा चुका है, निरीक्षण पूरा किए जाने के उद्देश्य से उनका पुनः परिदर्शन किया जाएगा।

सं. ....

तारीख ..... 19 .....

सेवा में,  
.....  
.....

डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण)  
अधिनियम, 1986 के अधीन निरीक्षक

## अपक्षाएं

उपर्युक्त अपेक्षाओं के या उनमें से किसी का अनुपालन करने के पश्चात, निरीक्षक को, उस तारीख को और उस स्थान पर जिस पर डाक पोत उत्पापक साधित्र, खुले गियर, परिवहन उपस्कर, सीढ़ियां और मंच का पुननिरीक्षण किया जा सके, सूचना दी जानी चाहिए।

आपके द्वारा अधिसूचित अपेक्षाएं प्रभावी रूप से पूरी की जा चुकी हैं। डाक, पोत, उत्पापक साधित्र, खुले गियर, परिवहन उपस्कर, सीढ़ियां और मंच नीचे दी गई तारीख और स्थान पर निरीक्षण के लिए तैयार रखे जाएंगे।

## निरीक्षण की तारीख

## स्थान

तारीख	स्थान
198	पोत के स्वामी, मास्टर, भारसाधक, अधिकारी अभिकर्ता, पत्तन प्राधिकारी मशीनरी और गियर का स्वामी या ऐसा व्यक्ति जो स्वयं अपने अभिकर्ता या अपने नियोजकों द्वारा डाक कार्य किया है।

सेवा में,  
.....  
.....

डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 के अधीन  
निरीक्षक

प्रा.रूप 10

डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 की संक्षिप्तियां

(विनियम 113 देखिए)

3-(1) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसे पत्तनों पर, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसे व्यक्ति को जिसे वह ठीक समझे, डाक सुरक्षा मुख्य निरीक्षक और ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, मुख्य निरीक्षक के अधीनस्थ निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी।

(2) मुख्य निरीक्षक निरीक्षक की शक्तियों का भी प्रयोग करेगा।

(3) मुख्य निरीक्षक और सभी निरीक्षक भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे।

4. कोई निरीक्षक, उस परतन में जिसके लिए वह नियुक्त किया जाता है,—

(क) ऐसी सहायता के साथ (यदि कोई हो), जो वह ठीक समझे किसी ऐसे पोत डाक, भाण्डागार या अन्य परिसर में, जहाँ कोई डाक कार्य किया जा रहा है, या जहाँ उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई डाक कार्य किया जा रहा है, प्रवेश कर सकेगा;

(ख) ऐसे पोत, डाक, उत्पाक मशीनरी, स्थांग गियर, मंच, परिवहन उपस्कर भाण्डागार या अन्य परिसरों की, जिसका किसी डाक कार्य के लिए उपयोग किया गया है या किया जाने वाला है, परीक्षा कर सकेगा;

(ग) डाक कर्मकारों के नियोजन से संबंधित किसी रजिस्टर, मास्टर रोल या अन्य दस्तावेज के पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसे दस्तावेज की परीक्षा कर सकेगा;

(घ) स्थल पर हँ या अन्यथा किसी व्यक्ति का ऐसा साक्ष्य ले सकेगा जो वह आवश्यक समझे;

परन्तु किसी भी व्यक्ति को इस धारा के अधीन अपने आपको अपराध में फँसाने वाले किसी प्रश्न का उत्तर देने या कोई साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा;

(ङ) ऐसे रजिस्ट्रों, अभिलेखों या अन्य दस्तावेजों या उनके भागों की प्रतिलिपियां ले सकेगा जिन्हें वह किसी ऐसे अपराध के संबंध में, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह किया गया है या किसी जांच के प्रयोजन के लिए सुसंगत समझे;

(च) ऐसा फोटो, स्केच, नमूना, माप या अभिलेख ले सकेगा जो वह किसी परीक्षा या जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे,

(छ) किसी ऐसी दुर्घटना के कारणों के बारे में जांच कर सकेगा जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह उत्पाक मशीनरी, परिवहन उपस्कर, मंच के एकाएक गिर जाने या खराब हो जाने के अथवा इस अधिनियम या विनियमों के किसी उल्लंघन के अनुपालन परिणामस्वरूप हुई थी;

(ज) इस अधिनियम या विनियमों के अधीन उद्भूत होने वाले सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपबंधों से संबंधित हेतुक दशित करने के लिए सूचना जारी कर सकेगा;

(झ) इस अधिनियम या विनियमों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी परिवार या अन्य कार्यवाही के संबंध में किसी न्यायालय के समक्ष अभियोजन, संचालन या प्रतिरक्षा कर सकेगा;

(ञ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, उसको विनियमों द्वारा प्रदत्त की जाएं।

5. (1) यदि निरीक्षक को यह प्रतीत हो कि कोई स्थान, जहाँ कोई डाक कार्य किया जा रहा है ऐसी दशा में है कि वह डाक कर्मकारों के जीवन सुरक्षा या स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, तो वह स्वामी पर या ऐसे स्थान के भारसाधक व्यक्ति पर ऐसे स्थान में किसी डाक कार्य का तब तक प्रतिषेध करने वाले लिखित रूप में आदेश की तामील कर सकेगा जब तक कि खतरे के कारण को समाप्त करने के लिए उसके समाधानप्रद रूप में उपाय नहीं किया जाता है?

6. उक्त स्थान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, जहाँ कोई डाक कार्य किया जा रहा है मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक को इस अधिनियम या विनियमों के अधीन कोई प्रवेश, निरीक्षण सर्वेक्षण, माप, परीक्षा या जांच करने के लिए सभी उचित सुविधाएँ देगा।

13. किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी जो इस अधिनियम के अधीन उद्भूत की गई है या की जाने के लिए आशयित है।

14. (1) जो कोई—

(क) किसी निरीक्षक को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में जानबूझकर बाधा पहुंचायेगा या निरीक्षक द्वारा भांग किए जाने पर किसी डाक कार्य के संबंध में विनियमों के अनुसरण में या अन्यथा खड़े रखे किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को पेश करने में असफल रहेगा या किसी व्यक्ति को किसी निरीक्षक के समक्ष उपसंज्ञित होने से या निरीक्षक द्वारा उसकी परीक्षा किए जाये से छिपाएगा या रोकने का प्रयास करेगा, अथवा

(ख) विनियमों द्वारा या उनके अधीन उपबंधित की जाने के लिए अपेक्षित किसी बाड़, गैंगवे, गियर, सीढ़ी, प्राणरक्षक साधन या साधित प्रकाश चिन्ह मंच या अन्य वस्तु को जब तक कि सत्य रूप से प्राधिकृत नहीं जया गया हो या आवश्यकता की दशा के सिवाए हटाएगा;

(ग) किसी ऐसी बाड़, गैंगवे, गियर, सीढ़ी, प्राणरक्षक साधन या साधित, प्रकाश चिन्ह, मंच या अन्य वस्तु को किसी आवश्यकता की दशा में हटाए जाने पर उस अवधि की समाप्ति पर जिसके लिए उसका हटाया जाना आवश्यक था, उसे प्रतिस्थापित करने में लोप करेगा; वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जो ऐसा व्यक्ति है जिसका कर्तव्य विनियमों में से किसी का अनुपालन करना है, ऐसे विनियमों का उल्लंघन करेगा और ऐसे उल्लंघन में परिणामस्वरूप—

(क) किसी डाक कर्मकारण के साथ प्राणान्तक दुर्घटना हो सकेगी है;

(ख) कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, जो किसी डाक कर्मकार को पन्द्रह दिन से अधिक तक उसकी पूरी मजदूरी का उपार्जन करने से असमर्थ बनाती है, तो ऐसा व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो छह (क) के अधीन अर्पित वाले किसी मामले में दो हजार रुपए से कम और छपड (ख) के अधीन अर्पित वाले किसी मामले में पांच सौ रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो दोनों में से किसी दशा में, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा; या दोनों से, दण्डनीय होगा और न्यायालय

संपूर्ण जुमाने या उसके किमी भाग को यथास्थिति, मृत डाक कर्मकार के आश्रित को या अतिग्रस्त डाक कर्मकार को संदत्त किए जाने का आदेश दे सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के उपबंध किन्हीं ऐसे उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, जो धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन बनाए जा सकेंगे।

प्रारूप—11

डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम, 1989 की संक्षिप्तियां (विनियम 113 देखिए)

भाग 1

साधारण

2. परिभाषाएं :

(5) "निरीक्षक" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत मुख्य निरीक्षक भी आता है;

3. निरीक्षकों की शक्तियां :

(क) निरीक्षक, ऐसे किसी पत्तन में जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है,—

- (i) ऐसी सहायता (यदि कोई हो), जिसे वह व्यक्ति समझता है के साथ किसी पोत, डाक मंडागार या अन्य परिसर में प्रवेश कर सकेगा जहां कोई डाक कर्म किया जा रहा हो या जहां उसे ऐसा विश्वास करने का कारण है कि कोई डाक कर्म जारी है ;
  - (ii) ऐसे पोत, डाक, उत्पापक साधन, खुला गियर, उत्पापक युक्ति, मंच परिवहन, उपस्कर, भाण्डागार या अन्य परिसरों की परीक्षा कर सकेगा जिनका किसी डाक कर्म के लिए उपयोग किया गया है या उपयोग किया जाने वाला है ;
  - (iii) डाक कर्मकारों के नियोजन से संबंधित किसी रजिस्टर, मस्टर रोल या अन्य दस्तावेज पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा और उस दस्तावेज की परीक्षा कर सकेगा।
  - (iv) किसी व्यक्ति का स्थल पर या अन्यथा ऐसा साक्ष्य ले सकेगा जिसे वह आवश्यक समझे ; परन्तु, किसी व्यक्ति को उपविनियम 3(क)(iv) के अधीन किसी प्रश्न का उत्तर या कोई ऐसा साक्ष्य देने के लिए, जो उसे अपराध में फंसाता हो, विवश नहीं किया जाएगा ;
  - (v) रजिस्ट्रों, अभिलेखों या अन्य दस्तावेजों या उसके किसी भाग की प्रतियां, जिन्हें वह किसी ऐसे अपराध के संबंध में जिसके बारे में उसे विश्वास करने का कारण है कि अपराध किया गया है या किसी जांच के प्रयोजन के लिए सुसंगत समझता है ले सकेगा ;
  - (vi) ऐसे फोटोग्राफर, स्कच, नमूना, वजन, माप या अभिलेख जिसे वह किसी परीक्षा या जांच के प्रयोजन/के लिए आवश्यक समझता है, ले सकेगा ;
  - (vii) किसी दुर्घटना या खतरनाक घटना के कारण की जांच कर सकेगा/जिसके बारे में उसे विश्वास करने के कारण है कि वह किसी उत्पापक साधन, खुला गियर, परिवहन उपस्कर, मंच के ढह जाने या विकल होने का या अधिनियम या विनियमों के उपबंधों में से किसी के अननुपालन का परिणाम है ;
  - (viii) अधिनियम या विनियमों के अधीन उत्पन्न होने वाले सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपबंधों से संबंधी कारण बताओ सूचना जारी कर सकेगा।
  - (ix) किसी न्यायालय के समक्ष ऐसी शिकायत या अन्य कार्यवाहियों का अभियोजन, संचालन या प्रतिरक्षा कर सकेगा जो अधिनियम या विनियमों के अधीन उत्पन्न हों ;
  - (x) पत्तन प्राधिकारी, डाक श्रम बोर्ड और अन्य डाक कर्मकारों, के नियोजक की यदि आवश्यक समझा जाए, डाक कर्मकारों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के निदेश दे सकेगा।
- (ख) यथास्थिति, कोई व्यक्ति जिसके हाथ में परिवर का सामान्य प्रबन्ध और नियंत्रण है, या पोत का स्वामी, मास्टर, भारसाधक अधिकारी या अभिकर्ता निरीक्षक द्वारा प्रवेश, निरीक्षण, परीक्षा जांच के लिए या अन्यथा अधिनियम या विनियम के अधीन उस पोत या परिसर के संबंध में अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए अपेक्षित माधनों की व्यवस्था करेगा जिसमें जांच या परिवहन के अन्य साधन की व्यवस्था भी सम्मिलित होगी।

## 4. निरीक्षण की सूचना :

- (1) निरीक्षक ऐसे दोषों और कमियों को, जो निरीक्षण और परीक्षण के दौरान उसके ध्यान में आए और जिन्हें यह बताना चाहे उक्त अधिनियम या विनियमों के अधीन उनके द्वारा पारित किसी आदेश के साथ निम्नलिखित को प्ररूप 9 में अधिसूचित कर सकेगा ।
- (i) पौत का स्वामी, मास्टर, भारसाधक अधिकारी या अभिकर्ता; या
- (ii) पत्तन प्राधिकारी; या
- (iii) उत्पादक साधित, खुले गियर, उत्पादक युक्ति और परिवहन उपस्कर के स्वामी; या
- (iv) डाक कर्मचारों के नियोजक ।

(2) जब कोई निरीक्षक उपरोक्त उप विनियम (क) के अधीन, किसी डाक, उत्पादक साधित, खुला गियर, उत्पादक युक्तियां, परिवहन उपस्कर सीढ़ियां या बाड़ या मैच के संबंध में सूचना देता है तब वह उस सूचना में जहां डाक कर्मकार के जीवन, उसकी सुरक्षा या स्वास्थ्य के लिए परिस्थितयां खतरनाक हैं, डाक के प्रतिषिद्ध कर सकेगा और ऐसे डाक, उत्पादक साधित, खुला गियर, उत्पादक युक्ति, परिवहन उपस्कर, सीढ़ियां या मंच का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक सूचना में विनिर्दिष्ट दोष या दोषों को दूर नहीं कर दिया जाता और निरीक्षक प्रतिबंधात्मक आदेश वापिस नहीं ले लेता है ।

## 6. शास्तियां :

इन विनियमों में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाए, कोई भी व्यक्ति जो इन विनियमों में से किसी विनियम के पालन के लिए जिम्मेदार है, ऐसे विनियमों का उल्लंघन करता है, अपराध का दोषी होगा और ऐसे कारवास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या ऐसे जुमनि से जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगी, या दोनों से, दण्डनीय होगा और यदि उल्लंघन दोषसिद्धि के बाद भी जारी रहता है, के ऐसे अतिरिक्त जुमनि से दण्डित होगा जो उक्त उल्लंघन के जारी रहने तक प्रति दिन के लिए 100 रुपया तक हो सकेगा ।

## भाग 2

## जिम्मेदारियां

## 7. जिम्मेदारियां :

(5) प्रत्येक डाक कर्मकार का यह कर्तव्य होगा कि वह इन विनियमों की ऐसी अपेक्षाओं का पालन करे जो उसके किसी कार्य के अनुपालन या उससे बिरत रहने से संबंधित हो और इन विनियमों की अपेक्षा को कार्यान्वित करने में सहयोग दे और यदि उसे इस बात का पता चले कि उत्पादक साधित, खुला गियर, उत्पादक, युक्ति, प्रवहन और परिवहन उपस्कर या अन्य उपस्कर में कोई दोष है तो वह ऐसे दोष के बारे में बिना अनुचित विलंब के अपने नियोजक या फोरमैन या प्राधिकार रखने वाले अन्य व्यक्ति को इसको रिपोर्ट करे ।

(6) कोई भी व्यक्ति, जब तक वह सम्यक रूप से प्राधिकृत न किया गया हो या किसी आवश्यकता का दशा में अधिनियम या इन विनियमों के अधीन उपबंधित का जाने के लिए अर्क्षित किसी बाड़, गैंगवे, गिथर, सीढ़ी, हैप छादन, प्राणारक्षक साधित, प्रकाश या किसी अन्य वस्तु को न तो हटाएगा और न उसमें कोई हस्तक्षेप करेगा । यदि हटाया जाता है तो, ऐसी वस्तुओं को ऐसी अवधि के अन्त में पुनः स्थापित किया जाएगा जिसके दौरान उनका हटाया जाना आवश्यक था और ऐसा उन व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जो उम समय कार्य के अन्त में लगे हुए थे जिस समय हटाए जाने की आवश्यकता पड़ी थी ।

9. प्रत्येक डाक कर्मकार, इन विनियमों में उपबंधित पहुंच के साधन का रखरखाव करेगा और कोई भी व्यक्ति इसके अनुसार उपबंधित के सिवाय पहुंच के साधन का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य को न तो प्राधिकृत करेगा और न आदेश देगा ।

10. कोई भी व्यक्ति गियर के समायोजन के प्रयोजन के लिए और उन्हें चालू या बंद करने के लिए न तो हैच बोम पर और न ही किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्राधिकृत करेगा या आदेश देगा ।

11. डॉक श्रम बोर्ड और डॉक कर्मचारों के अन्य प्रत्येक नियोजक का कर्तव्य होगा कि वह विनियम 74, 89, 91 (3), 92, 93 (1), (3) और (4) 103, 107, 108 से 111 का पालन करे ।

12. सक्षम व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह विनियम 41, 47, 48 और 50 का पालन करे ।

## भाग 3

## सुरक्षा

## क—कार्य स्थल

## 9. सतह

(1) किसी डॉक पर प्रत्येक नियमित पहुंच मार्ग जिसमें डॉक कर्मकार को कार्य-स्थल हो जाने या वहां से जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और डॉक के भीतर ऐसा प्रत्येक स्थल—

(क) ऐसी वस्तुओं से साफ और मुक्त रखा जाएगा जिससे फिसलन, लड़खड़ाहट या गिरना कारित हो ;

(ख) डॉक कर्मचारों की सुरक्षा का सम्यक रूप से ध्यान रखते हुए मरम्मत करके अच्छी हालत में रखा जाएगा ।

(2) डोंक में सभी क्षेत्रों में नालियों को उचित व्यवस्था होगी और शौडों, साण्डागारों तथा सण्डार स्थानों तक सुरक्षित रूप से पहुँचने की और स्थोरा तथा आस्कर की मुश्किल उठाई घाटों को गूकर बनाने के उद्देश्य से उन्हें ग्रेड संतुलित किया जाएगा ।

(3) नालियों के पूल और कैंच बेसिन को उचित रूप से ढका या बन्द किया जाएगा ।

(4) डाक के सभी क्षेत्र और सभी पहुँच मार्ग जिन पर उत्पाक माधित और आस्कर का प्रयोग किया जाता है, मजबूती से बनाए जायेंगे, उनकी मजह अच्छी सामग्री से बनाई जाएगी और पर्याप्त रूप से मजबूत बनाया जाएगा और छिद्र तथा दरार में मूबन होगा जिससे कि स्थोरा का परिवहन सुरक्षित रूप से हो सके और उनका उचित रूप से प्ररक्षण किया जाएगा ।

(5) डाक में कोई कार्य स्थल जो क्षतिग्रस्त है या मरम्मतार्थ है अन्य क्षेत्रों से प्रयावी रूप से निरुद्ध कर दिया जाएगा और जब आवश्यक हो रात्रि में चेनावनी प्रकाशन की व्यवस्था की जाएगी ।

(6) जल द्वारा परिवहन के लिए आशयित यानों में चढ़ने या उतरने के लिए डाक कर्मकारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी उतरने के स्थानों को, उनको प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा के मम्पक रूप से ध्यान में रखते हुए मरम्मत द्वारा अच्छी हालत में रखा जाएगा ।

10. खतरनाक स्थानों की बाह लगाना :

(1) डाक के निम्नलिखित हिस्से और पहुँच मार्ग यानयान और कार्यकरण को ध्यान में रखते हुए यथा सहज बाड़ से अनुरक्षित किया जाएगा । बाड़ की ऊँचाई किसी भी स्थान पर एक मीटर से कम नहीं होगी और बाड़ अच्छी हालत में रखी जाएगी :

(क) किसी डाक के सभी कटाव, खतरनाक कोने और अन्य खतरनाक भाग या निरे,

(ख) पुल, बैलून और डाक द्वार के ऊपर दोनों ऐसे पार्श्व पैदल मार्ग जो डाक कर्मकारों के साधारण उपयोग में हैं और ऐसे पैदल मार्ग क प्रवेश का प्रत्येक और, अंत में प्रत्येक और पर्याप्त दूरी के लिए जो 4.5 मीटर से अधिक नहीं होगी,

परन्तु उन बाड़ों के मामलों में जो इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से पहले विनिमित्त की गई थी, बाड़ की ऊँचाई का किसी भी स्था. पर 75 सेंटीमीटर से कम न होना पर्याप्त होगा ।

(2) पाइपों और केब्रिकों के लिए नाली, मड्डा खाई और परिमंकटमय विवर और उखनन सुरक्षित रूप से ढक दिए जायेंगे या पर्याप्त रूप से बढयुक्त होंगे ।

(3) जहाँ घाट या घट्टी पानी की और अत्यधिक बनान वाली है वहाँ बाहरी किनारा यथा संभव संरक्षित किया जाएगा ।

11. गस्ते खाली रखे जायेंगे :

(1) जहाँ डाक कर्मकार नियोजित किए गए हैं वहाँ डाक के किसी क्षेत्र पर स्थोरा इन प्रकार भारत नहीं किया जाएगा या परिवहन उपस्कर या उत्पाक माधित इस प्रकार नहीं रखे जायेंगे जिसे कि पोत, फ्रेन, प्राणरक्षक माधित, अतिनामक उपस्कर और इन विनियमों के अधीन उपबंधित कल्याणकारी सुविधाओं के लिए पहुँच में बाधा आती है ।

(2) जहाँ कोई जगह किसी घाट या घट्टी के किनारे के साथ छोड़ी जाती है वहाँ वह कम से कम 90 से.मी. चौड़ी होगी और उपयोग में स्थिर संरचनाओं, संयंत्र और साधनों से भिन्न सभी वधाओं से खाली रखी जाएगी ।

(3) जहाँ किसी डाक के कार्यक्षेत्र परिवेष्टित है और संसाधन उचित ठहराना है वहाँ पैदल गतिधियों के लिए एक पृथक द्वार या रास्ते की व्यवस्था की जाएगी ।

12. रैलिंग और बाड़

(1) पोत पर चढ़ने, उतरने के लिए हैचपथ, स्थल मीडों, गैंगवे, निर्मानी और किसी अन्य खतरनाक स्थान की आड़ के लिए सभी रैलिंग ठोस सामग्री, अच्छी विनिर्माण और पर्याप्त शक्तिशाली होंगे और इन विनियमों में अन्यथा विनिदिष्ट न हो--

(क) कम से कम एक मीटर ऊँची होगी, और

(ख) दो रेलों या दो खींच रस्सी या चैन जो टेके और दो बोर्डों में अन्वित होगी ।

(2) मध्यवर्ती रेल, रस्सा या (जंजीर) .50 से.मी. ऊँची होगी

(3) टेके 2 मीटर पार्श्व से अधिक दूरी पर नहीं होंगे और अनव्रानन से बंदर निहाने से सुरक्षित होंगे ।

(4) दो बोर्ड कम से कम 1.5 सेंमी. ऊँचा होगा ।

(5) रैलिंग लक्षण धार रहित होंगे ।

(6) हैचपथ ऊँचे प्लेटफार्म आदि की आस्थोरी बाड़ पृथिव्युक्त रूप में यथासाध्य, एक मीटर की ऊँचाई तक और निम्नलिखित में किसी भी होगी

(क) दो खींचो रस्सी या जंजीर टेके सहित, या

(ख) ठीक प्रकार से विनिदिष्ट कोशी और सुरक्षित रूप में जकड़ा हुआ सुरक्षा जाल ।

(7) परिवहन जलयान पर पहुंचने की सीढ़ी कठक या स्लैब चढ़ाने से उपस्थापित होगी जिससे कि लोहाज पथ और अलयाज पथ के बीच 30 से.मी. से अधिक दूरी असुरक्षित हो सके।

#### 15. प्राणरक्षित साधन

डाक कर्मियों के डूबने से बचाव की व्यवस्था और अनुरक्षण किया जाएगा और जिसके अन्तर्गत होगा :—

(क) जीवन-रक्षक साधनों का प्रदाय किया जाना, घाट या बड़ी पर बालू हात में रखना, जो सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर युक्तियुक्त रूप से पर्याप्त हों, और

(ख) युक्तियुक्त अंतराल से जल सतह पर या नजदीक में वे उपाय जो व्यक्ति को स्वयं को संभालने या जल से बाहर आने के लिए सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर युक्तियुक्त रूप से पर्याप्त हों।

#### 16. प्रदीपन :

(1) डाक में और पोत पर वे सभी क्षेत्र जहाँ गोदी कार्य किया जाता है और ऐसे क्षेत्रों और स्थानों के सभी पहुंच मार्गों को, जिनमें डाक कर्मचारियों का अपने निष्प्रेषण के अनुक्रम में जाना अपेक्षित है, समुचित रूप से सुरक्षापूर्वक और दक्षतापूर्वक प्रकाशयुक्त किया जाएगा।

(2) डाक पर उन क्षेत्रों में साक्षरण प्रदीपन कम से कम 10 लाख होगा जहाँ से डाक कर्मचारियों को निकलना पड़ता है और स्थानों में, जहाँ तक डाक कर्मकार नियोजित हैं, प्रदीपन विशेष रूप से खतरनाक स्थानों पर किमी प्रतिदिन प्रदीपन की आवश्यकता के उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कम से कम 25 लाख होगा।

(3) कृत्रिम प्रकाश के साधन, जहाँ तक साध्य हों ऐसे होंगे और ऐसे रखे जायेंगे जिससे कि उस विस्तार तक चकाचौंध या प्रतिबिम्ब के बनने का निवारण किया जा सके जिससे कि किसी डाक कर्मकार को दुर्घटना की जोखिम कारिणी हो।

(4) वहनीय प्रकाश अच्छी दशा में बनाया रखा जाएगा और निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा:

(क) वे पर्याप्त परावर्तकों और रोक से सुसज्जित किये जायेंगे, और

(ख) वे हैवी ड्यूटी विद्युत कांड से सुसज्जित होंगी और साथही संयोजन और विद्युत रोधन सुसज्जित दशा में बनाया रखा जाएगा। अत्यधिक शोर, आदि :

कार्य स्थल पर अत्यधिक शोर, कंपन और वायु प्रदूषण के अहानिकर प्रभावों से डाक कर्मचारियों के बचाव के लिए पर्याप्त रूप से पूर्वावधानियां बरती जायेंगी। किसी भी स्थिति में शोर का प्रबलता स्तर अनुसूची VII में अधिकृत सीमा से अधिक नहीं होगा।

#### ख. भांडागार और भंडार स्थान

#### 27. उत्पादक साधनों तक पहुंच के साधन और बाड़ :

(1) किसी उत्पादक साधन के प्रवेश भाग पर पहुंच के सुरक्षित साधनों की व्यवस्था की जाएगी।

(2) यांत्रिक शक्ति से चालित प्रत्येक क्रीन या टिप पर प्रबलक का प्लेटफार्म पहुंच के सुरक्षित साधनों के माध्यम, सुरक्षित रूप से बाड़युक्त होगा। विशिष्टतया जहाँ पहुंच एक सीढ़ी द्वारा है :—

(क) सीढ़ी के किनारे, प्लेटफार्म से पर युक्तियुक्त दूरी तक विस्तारित होंगे या अन्य कोई उपयुक्त हैंडहोल्ड की व्यवस्था की जाएगी :

(ख) प्लेटफार्म पर उतराई स्थान बाधा रहित और फिसलन से मुक्त रखा जाएगा और

(ग) जहाँ सीढ़ी उर्ध्वानार है और छह मोटर से अधिक ऊंचा है, उन दशा में प्रत्येक छह मोटर और उनके भाग के पश्चात् एक विवाम स्थान की व्यवस्था की जाएगी।

#### घ--डैक हैचपथ आदि

#### 29. बुलवर्क/रेल :

(1) सभी ऐसे ऊपरी डैकों के जिन्हें डाक कर्मकार, डाक कार्य करने के प्रयोजन के लिए पहुंच रखते हैं बाहरी किनारे पर डैक के ऊपर एक मीटर की ऊंचाई तक किसी बुलवर्क या गार्ड रेलों का व्यवस्था की जाएगी जो इस प्रकार डिजाइन किए हुए, सन्निहित और लो हुर होंगे कि किना डैक कर्मकार को घटनावश बाहर गिरने से रोक सके।

(2) बुलवर्क या गार्ड रेलें निरंतर होंगी वहाँ के सिवाय जहाँ डाक कार्य के प्रयोजन के लिए रैकनों को हटाना पड़े और ऐसे संकेतों का आवश्यक न्यूनतम दूरी से परे विस्तार नहीं किया जाएगा।

#### 33. हैचबे के चारों ओर बाड़ लगाना :

(1) किसी पेटे के ऐसे प्रत्येक हैचबे, जो गहराई में 1.5 मोटर से अधिक है और 75 वर्गमीटर का किसी स्पष्ट ऊंचाई तक अड़वाल से संरक्षित नहीं है, जब वह उपयोग में नहीं है, तो पेटे में डाक कर्मकारों को गिरने से रोकने के लिए उसे एक मोटर की ऊंचाई तक बाड़ लगाई जाएगी या सुरक्षित रूप से ढका जाएगा।

(2) यदि किसी हैच में दो डैकों पर डॉक कर्म कार्य साथ-साथ किया जा रहा हो तो उच्चतर डैक के खुले सिरे को, फलक या जाल या किसी अन्य उपयुक्त ढंग से डॉक कर्मकारों या स्वीरा को गिरने से रोकने के लिए, एक मीटर का ऊंचाई तक मरभितिका जाल या रीटिंग जालों को, जब रिय किया जाए, हैच आच्छादों से बांधा नहीं जाएगा।

(3) जब किसी हैच सेक्शन या 2.5 मीटर से अधिक की ऊंचाई के नौकरण स्वीरा के किसी किनारे को उस प्रकार खुला रखा जाना है कि इससे डॉक कर्मकारों के गिरने का खतरा पैदा होता है तो किनारे को कसे हुए रस्से, सुरक्षा जाल या रीटिंग द्वारा एक मीटर की ऊंचाई तक सुरक्षित किया जाएगा।

(4) किसी भागत आच्छादित हैच या किसी स्टैक पर किसी पेटो में नियोजित डॉक कर्मकारों को, जाल फलक या कुछ अन्य उपयुक्त तरीकों द्वारा गिरने से खतरे से सुरक्षा की जाएगी।

#### 34. हैचछादन, हैच बॉम आदि :

(1) हैचछादन के लिए ताऊन सभी आ और परव्य बॉमों और आर-पार बॉमों में उनके ऊपर नीचे उस्थापन के लिए ऐसे उपयुक्त गियर होंगे कि किसी डॉक कर्मकार को यह ऐसे गियर के समायोजन के लिए ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) सभी हैचछादन और बॉम ऐसे डैक और हैच को जिनसे वे संबंधित हैं और उनमें उनी स्थिति को उभारना करने के लिए माद डा से चिह्नित किए जाएंगे।

(3) सभी हैचछादान और बॉम उनके चिह्निकन के अनुसार बदले जाएंगे :

परन्तु यह कि यह विनियम ऐसे मामलों में जहां पोत के सभी हैचछादन और बॉम अस्थापित हैं या ऐसा स्थिति विज्ञापित को का बंधा जहां किसी हैच के सभी हैचछादन अन्तः परिवर्तनीय हैं लागू नहीं होंगे।

(4) सभी अग्र और परव्य बॉम तथा आर-पार बॉम जिनके अन्तर्गत हैचछादन के लिए प्रयुक्त मरकम बॉम और परव्य हैं और सभी हैचछादन अच्छी दशा में रखे जाएंगे।

(5) सभी हैचछादानों पर, उनके आकार और भार को ध्यान में रखते हुए, तब तक पर्याप्त हथों का व्यवस्था को जरागे जब तक कि हैच या हैचछादान का सन्निमण उसी प्रकार न हो कि हथों को व्यवस्था करना अनावश्यक हो।

(6) हैचछादन का उपयोग मंच के सन्निमण या रिपो ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए जो उनको नुकसान का आभास कराए नहीं किया जाएगा।

(7) हैचछादन और बॉम तब नहीं हटाए और बदले जाएंगे जब हैच के अग्रोत पेटो में डॉक कार्य चल रहा है। लडाई या उतराई से पूर्व ऐसा हैचछादन या बॉम को विस्थापन के विरुद्ध पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं है, हटा दिया जाएगा।

(8) विद्युत चालित हैचछादानों को खोलने या बंद करने को अनुज्ञा केवल किसी प्राधिकृत व्यक्ति को दी जाएगी।

(9) आच्छादानों को पोछे मुड़ने से रोकने के लिए ऐसे हैचछादन फिट किए जाएंगे जिनमें जाल लगाने की व्यवस्था हो।

(10) हैचछादान ऐसी रीति से खोले या बंद नहीं किए जाएंगे जिससे किसी डॉक कर्मकार को अतिकारित होना संभाव्य हो।

#### 37. हैचछादन और हैच बॉम को सुरक्षित करना :

(1) जहां कोई हैच बॉम हैच में उसकी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए किसी स्वारो युक्ति से फिट किया गया है उक्त युक्ति और कोमिंग में उसकी तत्स्थानी फिटिंग का प्रभावी और उचित रूप से अग्ररक्षण किया जाएगा।

(2) डॉक कार्य के उपयोग में किसी हैच बॉम यदि उतको हटाया नहीं गया है उनकी विस्थापित होने से रोकने के लिए पर्याप्त रूप से सुरक्षित किए जाएंगे।

(3) हैचछादानों के वालंब कोई स्लाईडिंग या रोलिंग हैच बॉम, जिन्हें अगतः खुला हैच को स्थिति में छोड़ दिया गया है, हैच बॉमों का क्षैतिज संचलन रोकने के लिए पर्याप्त रूप से सुरक्षित किए जाएंगे।

(4) प्रत्येक स्लाईडिंग या रोलिंग हैच बॉम और इतके गाइड इत प्रकार नौभित और अस्थापित किए जाएंगे कि घटनावश हैच बॉम इसके गाइड से विस्थापित होने का बाधो न हो।

(5) यांत्रिक प्रचालित हैचछादानों, जब उनको भराई को जाए, संचलन, रोकने के लिए पर्याप्त रूप से सुरक्षित किए जाएंगे।

#### 41. उत्पादक साधित्रों का परीक्षण और सामयिक परीक्षा :

प्रथम बार प्रयोग के लिए जाने से पहले या कोई परिवर्तन किए जाने के पश्चात् उसकी क्षमता या स्थायित्व को प्रभावित करने वाली मरम्मत के पश्चात् और कम से कम प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार सभी उत्पादक साधित्रों को इसके अन्तर्गत सभी पुर्जों और गियर भी आते हैं चाहे वे स्थिर हों या अस्थिर, जांच और परीक्षा अनुसूची-1 में दी गई रीति से, किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(2) प्रत्येक 12 मास में कम से कम एक बार सभी उत्पादक साधित्रों को पूरो परीक्षा किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा का जाएगी। जहां ऐसी परीक्षा करने वाले सक्षम व्यक्ति को यह राय हो कि उत्पादक साधित्र सुरक्षापूर्वक आगे कार्य नहीं कर सकते वहां वह तुरन्त उत्पादक साधित्र के स्वामी को, या यदि उत्पादक साधित्र ऐसे पोत पर ले जाया जा रहा है जो भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो पोत के मालिक या भारसाधक अधिकारो को अपनी राय की लिखित सूचना देगा।

(3) इस विनियम के प्रयोजन के लिए पूरो परीक्षा से अभिप्रेत होगा ऐसी चक्र परीक्षा जो यदि आवश्यक हो, अन्य उपायों जैसे हैमर परीक्षण द्वारा इतनी सावधानीपूर्वक पूरो को जाएंगो जितना परीक्षा का जाने वाले पुर्जों की सुरक्षा के संबंध में निरवसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए लिए स्थितियां अनुज्ञात करे और हम प्रयोजन के लिए यदि आवश्यक हो, उत्पादक साधित्र और गियर के पुर्जों खोल दिए जाएंगे।

## 48. रस्से

- (1) डॉक कार्य में कोई रस्सा प्रयोग नहीं किया जाएगा जब तक—
- (क) यह उपयुक्त किम्म का न हो और किसी पेटेंट दोष से मुक्त न हो, और
- (ख) तार रस्से की दशा में, इसकी अनुसूची 1 में निर्दिष्ट रीति से किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा परीक्षण या परीक्षा न कर ली गई हो,
- (2) डॉक कार्य में प्रयोग में आने वाले उत्पापक साधित्र या खुब गिनर की प्रत्येक तार रस्सी का प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, परन्तु यह कि ऐसे रस्से में किसी तार के टूट जाने के पश्चात कम से कम एक महीने में एक बार निरीक्षण किया जाएगा।
- (5) किसी तार रस्से में बना हुआ अंगुलित या लूप स्पल इस निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होगा :—
- (क) तार रस्सा या रस्सा स्लिग में रस्से के पूर्ण स्ट्राइ सहित कम से कम तीन टक होंगे और सभी दशाओं में प्रत्येक स्ट्राइ और स्ट्राइ में से आधी तारों सहित दो टक काटकर रस्से के बल के विरुद्ध टक किया जाएगा।
- (ख) किसी एन्लाइस या तार रस्से और रस्सी स्लिगों में स्ट्राइओं के बाहर निकले हुए सिरों टके या ऐसे अभिक्रियित होंगे जिससे कोई तीखे किनारे छूट न जाएं
- (ग) तन्तु रस्सा या रस्सा स्लिग में ऐसे टक के कम से कम चार टक टेल होंगे जिन्हें उपयुक्त रीति से विप किया गया हो, और
- (घ) मॉड्युलर तन्तु रस्सा या रस्सा स्लिग के पूर्ण स्ट्राइ सहित कम से कम चार टक होंगे जिसके पश्चात प्रत्येक और शेष तन्तुओं के आधे के साथ अन्तिम टक में आधे तन्तु के साथ कटा होगा। कम की गई तन्तुओं की संख्या सहित टकों वाला स्पलाइसेज का भाग उपयुक्त टैप या अन्य सामग्री से सुरक्षित कम से कम हुआ होगा :

परन्तु यह उपविनियम स्पलाइस के ऐसे अन्य रूप के प्रयोग का निवारण करने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा जिसे उतना दर्ज दिखाया जा सके जितना इस विनियम में अधिकृत है।

## 52. सुवहनीय आर या चिह्नानकन :

- (1) प्रत्येक सम उत्पापक साधित्र और खुले गियर का प्रत्येक अंग उसका सुवहनीय भार और पहचान चिह्न, स्टाप द्वारा या अहाँ यह असाध्य हो, अन्य उपयुक्त साधन द्वारा सुपाध्य रूप में चिह्नित किए जाएंगे।
- (2) (क) प्रत्येक पोत का डैरिक (डैरिक केन से भिन्न) उसके सुवहनीय भार के साथ स्पष्ट रूप में चिह्नित किया जाएगा जब डैरिक का—
- (i) एक्स परचैज में,
- (ii) निम्न स्थोरा ब्लाक के साथ, और
- (iii) सभी संभव बनाव स्थितियों में सम्मिलित परचैजों में, उपयोग किया जाता है
- (ख) श्रैतिज का निम्नतर कोण भी जिसमें डैरिक उपयोग किया जा सके, सुपाध्य रूप में चिह्नित किया जाएगा।
- (3) प्रत्येक उत्पापक साधित्र (पोत के डैरिक से भिन्न) में, जिसका एक से अधिक सुवहनीय भार है, प्रमाणी साधन लगाए जाएंगे जिससे कि प्रचालक उपयोग की प्रत्येक स्थिति में सुवहनीय भार प्रवर्धित कर सके।
- (4) खुले गियरों का उपयोग करने वाले किसी डॉक कर्मकार को ऐसी स्थितियों में ऐसी खुले गियरों के लिए सुवहनीय भार अभिनिश्चित करने के लिए समर्थ बनाने के लिए साधनों की व्यवस्था की जाएगी जिसमें उनका उपयोग किया जा सके और ऐसे साधनों में,—
- (क) जंजीर स्लिग के विषय में, स्लिग पर या उससे मजबूती से संलग्न टिकाऊ सामग्री की पट्टी या बलय पर साफ-साफ अंकों या अक्षरों में सुवहनीय भार का चिह्नानक और
- (ख) तार रस्सों के स्लिग के विषय में, या तो ऊपर खंड (क) में निर्दिष्ट साधन या ऐसी सूचना या सूचन ए व जो इस प्रकार संप्रदर्शित की जाए कि उन्हें कोई भी संबन्धित डॉक कर्मकार सुगमता से पढ़ सके और जिनमें उपयोग किए गए तार रस्सों के स्लिग के विभिन्न आकारों के लिए सुवहनीय भार का विवरण दिया या हो, सम्मिलित होगी।
- (5) कोई भी उत्पापक साधित्र या खुले गियर, तब तक उपयोग नहीं किए जाएंगे जब तक इस विनियम के उपबन्धों के अनुसार चिह्नित न हों।

## 54. धिरनी आलंब :

कोई भी धिरनी आलंब तब तक डॉक कार्य में उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक सुवहनीय भार और उसका पहचान चिह्न उस पर स्पष्ट रूप से स्टापित न हो।

## 56. जंजीर और तार रस्सों में गाठ लगाना :

कोई भी गांठ वाली जंजीर या तार रस्सी डॉक कार्य में उपयोग नहीं की जाएगी।

## घ. परिवहन उपस्कर और संक्रियाएं

## 58. पेटा में आंतरिक पहन इंचों का उपयोग :

- (1) पेटा या स्थोरा स्थलों में डॉक कार्य के संबंध में आंतरिक पहन इंचों का उपयोग नहीं किया जाएगा, जब तक—
- (क) संवातन के पर्याप्त साधनों, और जहां आवश्यक हो, यांत्रिक संवातन की व्यवस्था न हो,



- (ख) पर्याप्त अग्निशमन उपस्कर सुगमता से उपलब्ध न हो,
- (ग) निर्वातक पाइपों, संयोजक और सफलरो को कसा हुआ न रखा हो,
- (घ) निर्वातक कोई प्रकार न रखा हो जिससे कि प्रचालक और डांक कर्मचारों को असुविधा न हो,
- (ङ) कोई विस्फोटक, ज्वलनशील तरल पदार्थ गैस या वैसी ही खतरनाक, स्थोरा वहां न होना सुनिश्चित न कर लिया हो,
- (च) इंजन के निर्वातक पर कोई स्फुलिंग रोक्क फिट न कर दिया गया हो और इंजन की वार तःपिन सतह जो फँसे हुए ईंधन को प्रज्वलित कर सकती है उपयुक्त रूप से संरक्षित न कर दी गई हो।
- (छ) डेक के ऊपर इंजन में पुनः ईंधन भर लिया गया हो, और
- (ज) निर्वातक में राष्ट्रीय मानकों में विहित टीएवी से ऊपर मानव मोटोक्रेन डडन हो।
- (2) आंतरिक बहन इंजन को जब वह डांक कार्य के संबंध में उभारों में नहीं है, बंद कर दिया जाएगा।
- (3) स्थोरा जगहों और स्थोरा पेटा में कार्य करने वाले आन्तरिक अन्नईहनों इंजिनों के प्रचालक अनेक कार्य नहीं करेंगे।
- (4) जब कभी डांक कर्म में प्रयोग के लिए आन्तरिक अन्नईहनों इंजिनों को कतल पर लाया जाएगा उन का उबना पान के मा-डर या भारसाधक अधिकारी कादी जाएगी।

#### छ. स्थोरा की हैडलिंग

##### 65. लदाई और उतराई संक्रिया :

- (1) कोई भी स्थोरा किसी मध्यवर्ती डैक में अवपात या दोला द्वारा तब तक लादा या उतारा नहीं जाएगा। जब तक या तो उस डैक में डैक द्वारा सुरक्षित रूप में छादित न कर दिया गया हो या कम से कम हैच छादन की एक सैक्सन को बोड़ाई की निरापद उतराई प्लेटफार्म उनके आर पार न रखा गया हो; परन्तु यह विनियम उतराई लदाई के किसी कार्य को लागू नहीं होगा जो पूर्ण रूप से माधे घटे को अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।
- (2) पेटा में या उसके बाहर कोई भी खुला गियर या कोई अन्य वस्तु नहीं फँकी जाएगी।
- (3) खुला स्थोरा की लदाई और उतराई के दौरान पेटा में नियोजित सूजी डांक कर्मचारों का अभिलेख रखा जाएगा और निरीक्षक द्वारा मांग करने पर प्रस्तुत किया जाएगा।
- (4) जहाँ आवश्यक हो वहाँ स्थोरा को उसके खिसकने या अवपात को रोकने के लिए सुरक्षित या अवरोध किया जाएगा। माल निकालते समय शेष स्थोरा को अवपात से रोकने के लिए जहाँ आवश्यक हो, पूर्वावधानियां बरती जाएंगी।
- (क) स्थोरा केवल पोत के बिच के संयुक्त भी घसीटा जाएगा जब रूलर डेरिक हील ब्लाक से सीधे ले जाया जाता है; और
- (ख) घिरनी आलंब, रतर (वानक) की उचित अप्रता देने के लिए उपयोग की जाएगी जिससे कि उसे बाधाओं के विरुद्ध घनीटने से रोक जा सके।
- (6) यदि चट्टा लगाने या चट्टा हटाने के प्रयोजन के लिए किसी पोत के पेटा में हंड रूप 1.6 मीटर से कम है तो दुर्घटना से सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे।
- (7) भार उत्तोलन किए जाने के पूर्व सुरक्षित रूप में खोले जाएंगे। खुला निभार या भार से लटका हुआ या बाहर निकला हुआ मलबा हटा दिया जाएगा और स्थोरा के बाहर गिरने को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे।
- (8) स्थोरा चढ़ाने उतारने के नियंत्रण जिसकि प्रपट्टिका नियंत्रण, जो क्रमशः दोला भार का उत्तोलन करते समय उत्पाक साधित्र से संलग्न रहेंगे, बिकनीं से जुड़े रहेंगे या उत्पाक साधित्र के हुक से संयोग से अलग होने से उन्हें रोकने के लिए अन्य निश्चयात्मक उपाय किए जाएंगे।
- (9) जब उत्पाक साधित्र दोलों पर किसी भार के बिना चल रहा हो तो,—
- (क) चालक को चलाने का सकेत देने के पूर्व दोले और जंजीरें साधित्र से सही रूप में हुक की जाएंगी ;
- (ख) नुकीले हुक, बहु प्रयोजन हुक और पर्जे एक किनारे पर नहीं लटकाए जाएंगे किन्तु दोलों के माध्यम से गिरोए जाएंगे ; और
- (ग) प्रचालक साधित्र को डांक कर्मचारों और वस्तुओं से दूर रखने के लिए पर्याप्त रूप से ऊपर उठाएंगे।
- (10) किसी रस्से या जंजीर के साथ जिससे रस्से या जंजीर छोला को कोई क्षति होने की संभावना है, किसी भार के किनारे के संपर्क में आने को रोकने के लिए उपयुक्त पैकिंग का उपयोग करेंगे या अन्य प्रभावी उपाय किए जाएंगे।
- (11) बाल्टियां, टब और ऐसे ही समरूप साधित्र उनके रिमों के ऊपर भारित नहीं किए जाएंगे।
- (12) कोई भी भार तब तक परिट्टडनों पर उत्पाकित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे परिट्टडन उचित और सुरक्षित दोन बिन्दु के रूप में अनुमोदित न हो। ऐसे भार का लाना ले जाना तभी अनुज्ञात किया जाएगा जब प्रत्येक व्यक्ति संकट क्षेत्र से हट गया हो।
- (13) जब उत्पाक साधित्रों से कार्यरत हों, ढाल अधिकर्षण, क्षैतिज अनुकर्षण और भार का आशयित दोनापन और उत्पाक मुक्तियां प्रतिदिष्ट हैं।

66 चट्टा लगाना और चट्टा उठाना :

- (1) जहाँ स्थोरा के चट्टा लगाने, चट्टा उठाने, भरने या निकालने, भराई या खाली करने या उससे संबंधित उठाई धराई महायत, रहित सुरक्षित रूप से न की जा सकती हो वहाँ दुर्घटनाओं से बचने के लिए डैकबन्धी द्वारा या अन्यथा पृथिव्युक्त उपकरण किए जाएंगे।
- (2) स्थोरा का चट्टा ऐसी मजबूत नींव पर लगाया जाएगा जो अपनी ऊंचाई से हट नहीं और स्थोरा का भार उठाने योग्य जिनके फ्लोर पर प्रतिभरण न हो।
- (3) स्थोरा का चट्टा भांडारण या भंडारणस्थलों के विभाजनों या दीवारों के पास तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि यह जान न हो कि मांग या दोहरा बनाव को सहन करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत है।
- (4) स्थोरा का ऐसी ऊंचाई पर और ऐसी रीति में चट्टा नहीं लगाया जाएगा जो ढेर को अस्थिर बनावे।
- (5) जहाँ डाक कर्मकार 1.5 मीटर से अधिक ऊंचाई के चट्टों पर काम कर रहे हैं वहाँ चट्टों पर सुरक्षित पहुँचे मार्गों का व्यवस्था की जाएगी
- (6) चट्टा लगाने और हटाने का कार्य प्राधिकृत व्यक्ति के पर्यवेक्षण में किया जाएगा।

68. गाँवों के लिए डुक आदि :

जब पैदा में कार्य स्थल कवल डैक द्वारा के चोक तक सीमित हो तब तक डुक न तो तेजों से पट्टों में जोर न हो कपास, ऊन, फार्क र्वा बैग या अन्य वैसे ही मान को कसो हुई गाँवों में कसे जायें और न ही किसी बैरल को ऊपर ले जाने या नीचे लाने के लिए डुक क. उपयोग किया जाएगा. जब मन्निमणि या बैरल या डुक के कारण उनका उपयोग अभ्युत्थित मंभाव्य है।

70. लदाई और उतराई संक्रियाओं पर निर्बंधन:

- (1) कोई भी अन्य काम, उखहरणार्थ, अनुसंधान या मरम्मत कार्य, जैसे कि बालू क्षेपण या लदाई कार्य, ऐसे स्थान में नहीं किया जाएगा जहाँ डैक कार्य चल रहा हो यदि उससे डैक कार्य करने वाले को खतरा या बाधा होने का संभावना है।
- (2) जब डैक कर्मकारों के एक से अधिक दल किसी पैदा में एक साथ डैक कार्य में नियोजित किए जाते हैं तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि—
- (क) कार्य कर रहे दलों को एक दूसरे से खतरा का परिहार करने के लिए लदाई या उतराई संक्रियाओं का सामंजस्य कर लिया गया है।
- (ख) एक दल का दोला स्थोरा, दूसरे दल के डाक कर्मकारों को खतरा पैदा नहीं करेगा।
- (ग) जहाँ दल भिन्न भिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे हैं वहाँ डैक कर्मकारों को गिरने या स्थोरा के नीचे डैक कर्मकारों पर गिरने से रोकने के लिए जाल लगाया जाएगा और उसे सुरक्षित रूप से मजबूती से बांधा जाएगा।
- (घ) पैदा के किसी सेक्शन में दलों की प्रति भौड़ का परिहार कर लिया गया है।

71. मजधारा में डाक कार्य :

किसी भी डैक कर्मकार को मजधारा में लंगर डाले किसी चेत पर स्थोरा उठाई धराई के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा जब जब कार्य स्थितियाँ खतरनाक समझी जाती हैं।

72. पौत को घाट पर लगाने और स्थानांतरण के दौरान कार्य :

- (1) जब पौत घाट पर लगाए जा रहे हों या वे स्थानांतरित किए जा रहे हों तो रैदा या डेकदार में या डेक पर डैक कर्मकारों द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा।
- (2) जब पौत का लंगर डाला जा रहा हो तो डैक कर्मकारों को लंगर डालने के रस्सों से दूर रखा जाएगा और विगिष्टियाँ उन्हें हवाओं द्वारा खींचे जा रहे रस्सों के फंदों में खड़ा होने की अनुज्ञा नहीं होगी।

73. संरक्षत्मक उपस्कर :

- (1) जहाँ हानिकारक कर्मक के लिए संरक्षण के अंग उपाय व्यवस्थापन या अर्थात् है, वहाँ डैक कर्मकारों को ऐसे कर्मक के समान से बचने के लिए पर्याप्त संरक्षत्मक कपड़ों और वैयक्तिक संरक्षत्मक उपस्कर का व्यवस्था की जाएगी।
- (2) संरक्षत्मक कपड़े और वैयक्तिक संरक्षत्मक उपस्कर उपयुक्त क्वालिटी के होंगे और अच्छी हालत में अनुसंधित होंगे तथा उपयुक्त अंतरालों पर माफ किए जाएंगे।
- (3) जहाँ संरक्षत्मक उपस्कर और कपड़े विपैले या अन्य खतरनाक माल द्वारा संदूषित हो सकते हों वहाँ उनका किसी ऐसे पृथक स्थान में भंडारण किया जाएगा जहाँ वह डैक कर्मकारों के कपड़ों और अन्य माल प्रभाव को संदूषित न करे।
- (4) प्रशासन पैदा या कोष्ठ या इमारत आधाराओं में निर्वाचित डाक कर्मकारों को पूर्ण शरीरिक संरक्षण के लिए उपयुक्त संरक्षत्मक उपस्कर दिए जाएंगे

ज-खतरनाक मान की उठाई-धराई

77. साधारण पूर्वनिर्धारितियाँ :

- (1) खतरनाक माल की ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति के सर्वेक्षणधीन, जो खतरों और खतरों जाने वाली सूचनाओं से परिचित हो लदाई उतराई तथा उठाई धराई की जाएगी और संबंधित किया जाएगा। खतरों या की जाने वाली पूर्वनिर्धारितियों की प्रकृति के धार में संदेह की दशा में इन स्थितियों के अधीन निम्नलिखित सुरक्षा अधिकारी में आवश्यक अनुदेश प्राप्त किए जाएंगे।

(2) खतरनाक माल तब तक लाधा, उतारा या भंडारित नहीं किया जाएगा जब तक वे समुचित ढंग से पैक तथा उससे होने वाले खतरे को दूर करने के लिए लेबल से युक्त नहीं कर दिया जाता। डॉक कर्मचारियों को स्थोरा की प्रकृति और उनकी उठाई धराई में की जाने वाली विशेष पूर्वावधानियों के संबंध में पर्याप्त जानकारी दी जाएगी।

(3) खतरनाक मालों के आधानों की टूट फूट या नुकमानी से प्रावणित करने के लिए विशेष पूर्वावधानियां जैसे चढाई, स्लिंग, नेट, पैटियों और उच्च किनारों वाली प्राट्टिकाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(4) खतरनाक मालों के लादने, उतारने या अन्यथा उसकी उठाई-धराई में नियोजित डॉक कर्मचारियों को समुचित संरक्षक उपस्कर प्रदान किए जाएंगे।

(5) खतरनाक माल को उठाई धराई करने वाले डॉक कर्मकार खाने, पीने पान और सुपाने या नम्बाकू लैने में पहच अपने हाथों और चेहरे को माबून से या किन्हीं अन्य सफाई कारकों द्वारा पूर्ण रूप से साफ करेंगे।

(6) केवल विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉक कर्मकार को सफाई, झाड़ू देने या फेंके हुए माल की उठाई धराई करने या खतरनाक माल के शाइन के लिए नियोजित किए जाएंगे।

79. अन्य खतरनाक माल :

(1) धूमित स्थोरा जैसे अन्न लादने या उतारने में पूर्व या मुनिश्चित करने के लिए कि स्थोरा उठाई धराई के लिए सुरक्षित है, पर्याप्त उपाय किए जाएंगे।

(2) जहां दाहक और संक्षारक पदार्थों की उठाई धराई की जा रही हो या भंडारित किया जा रहा हो वहां आधानों को नुकमानी से बचाने के लिए और किसी फील हुए माल को अहानिकर बनाने के लिए विशेष पूर्वावधानियां बरती जाएगी।

(3) यदि जर्म ऊन बाल, हड्डियां या प्राणियों के अन्न अंग को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से ऐंरेकम के विरुद्ध विमंक्रमित अक्षिप्रमाधिन नहीं किया गया हो तो संबंधित डॉक कर्मचारियों को,—

(क) संक्रमण की जोखिम और बरती जाने वाली पूर्वावधानियों के बारे में अनुदिष्ट किया जाएगा।

(ख) समुचित किस्म के वैयक्तिक संरक्षक उपस्कर प्रदान किए जाएंगे, और

(ग) विशेष चिकित्सीय पर्यवेक्षण में रखा जाएगा।

81. टूटे हुए या रिमने वाले आधान।

(1) जब खतरनाक माल के टूटे हुए या रिमने वाले आधानों में खतरा हो तो डॉक कर्मचारियों को अतर्भवस्त क्षेत्र से हटा दिया जाएगा और कार्य शारंभ करने से पूर्व निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:—

(क) यदि स्थोरा खतरनाक गैसों या वाष्प उत्पन्न करता है तो:—

(i) उन कर्मचारियों के लिए, जो लुटिपूर्ण आधानों को हटाएं उपयुक्त स्वसन्न संरक्षक उपस्कर उपलब्ध कराया जाएगा।

(ii) यदि आवश्यक हो तब उस क्षेत्र को संबन्धित किया जाएगा और यह मुनिश्चित करने के लिए परीक्षण किया जाएगा कि वातावरण में गैसों और वाष्प का सांद्रण डॉक कार्य के लिए सुरक्षित है।

(ख) यदि स्थोरा संक्षारक पदार्थ है तो:—

(i) क्षतिग्रस्त आधानों को हटाने में लगे हुए डॉक कर्मचारियों को उपयुक्त निजी संक्षारक उपस्कर उपलब्ध कराया जाएगा और

(ii) गिरे हुए पदार्थ को साफ करने में उपयुक्त अवशोषक या निष्प्रभावी सामग्री का उपयोग किया जाएगा।

82. विशेष विलायक :

किन्हीं विलायकों के उपयोग के पूर्व ऐसे विलायकों के विषैले गुण अभिनिश्चित किए जाएंगे और विषैले विलायकों से प्रच्छन्न डॉक कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पर्याप्त साधनों की व्यवस्था की जाएगी।

87. मोटर आदि को बाड़ लगाना :—

(1) सभी मोटरों, दातेदार, जंजीरों और वर्षण गियर, गतिचालक चक्र धुरा तंत्र, मशीनरी के खतरनाक और खतरनाक (याविक शक्ति से चालित हो या न हो) और वाष्प तली की सुरक्षित रूप से बाड़ लगाई जाएगी या अक्षरणाहक छेकन लगाया जाएगा।

(2) मशीनरी के खतरनाक भागों की बाड़ को उस समय नहीं हटाया जाएगा जब मशीनरी चालू हालत का प्रयोग में हो। यदि हटाया जाता है तो उसे मशीनरी के पुनः सामान्य प्रयोग में लाने से पूर्व पुनः स्थापित किया जाएगा।

(3) किसी मशीनरी के किसी भाग को, जो चालू हो और जिसमें सुरक्षित रूप से बाड़ न लगाई गई हो, परीक्षा, मनेहन ममायोजन या मरम्मत, सम्पक रूप से प्राधिकृत व्यक्तियों के सिवाय, नहीं की जाएगी।

(4) मशीन के पुर्जों को तभी साफ किया जाना चाहिए जब मशीन बन्द कर दी गई हो।

(5) जब मशीनरी सफाई या मरम्मत के लिए बंद की गई हो, तब यह मुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त साधन अपनाए जाने चाहिए कि यह असाधारण से पनः चालू न हो जाए।

## 88. वैद्युत उपस्कर :

- (1) वैद्युत उपस्कर या सर्किट को लगाने, मरामांचित करने, परीक्षण, परम्पत या विन्यासित करने या हटाने के लिए देखल सम्यक् रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों को ही अनुज्ञान किया जाएगा।
- (2) प्रणाली के प्रत्येक भाग से सभी खान काटने के लिए बल और उपयुक्त रूप से व्यवस्थित साधनों की व्यवस्था की जाएगी, जैसा कि खतरे के निवारण के लिए आवश्यक हो।
- (3) सभी सुवाह्य वैद्युत उपस्करों को ठीक चार्ज होना में रखा जाएगा और इसका प्रयोग में लाने से पूर्व प्रतिदिन कम से कम एक बार किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।
- (4) बन्द स्थान में प्रयुक्त सुवाह्य विद्युत उपकरण या उपस्कर चोरीय वोल्ट या उससे कम का होना चाहिए।
- (5) किसी ऐसे बन्द स्थान में जहाँ ज्वलनीय गैस, त्रयां या गर्द के होने की संभावना की, केवल ज्वलनरोधी विद्युत उपस्कर का प्रयोग करना चाहिए।
- (6) वैद्युत उपस्कर सभी नान-करंट वाले धातु के पुर्जों को मुनियोजित किया जाएगा या उन्हें सक्रिय होने से रोकने के लिए अन्य उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए।
- (7) सुसाह्य या नान विद्युत कंडक्टर जैसे इयूटी टाइप के होंगे और मारीच, भालू गियर और जालू उपस्कर से मुक्त रखे जाएंगे।
- (8) डॉक कर्मकारों या उत्पादक साधित, कन्वेयर, परिवहन उपस्कर और मशीनरी के नान-करंट वाले पुर्जों के आकस्मिक संपर्क में आने से उत्पन्न खतरे का निवारण करने के लिए सभी चन-कंडक्टरों को पर्याप्त रूप से विद्युतर्रोधी बनाया जाएगा या बाड़ लगाई जाएगी।

## 89. भूमि पर डॉक कर्मकारों के लिए परिचयन :

डॉक कर्मकारों को, उनके हुक किए जाने के स्थान से कार्य क्षेत्र तक या दो कार्यक्षेत्रों के बीच जब इन स्थानों के बिंदुओं के बीच की दूरी दो किलोमीटर से अधिक हो, में लाने के लिए उपयुक्त सुरक्षित परिवहन साधनों की व्यवस्था की जाएगी।

## 90. डॉक कर्मकारों का जलमार्ग द्वारा परिवहन :

(1) जब किसी डॉक कर्मकार को किसी पोत से या किसी पोत तक किसी डाक कार्य को करने के प्रयोजन के लिए जल मार्ग द्वारा जाना पड़े तो उसके सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करने के लिए समुचित उपाय किए जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त जलयान किसी जिम्मेदार व्यक्ति के भार साधन में होंगे, और सुरक्षित परिवहन के लिए समुचित रूप से सुसज्जित होंगे तथा अच्छी हालत में अनुसूचित होंगे :—

(2) उपनियम (2) में निर्दिष्ट परिशिष्ट के साधन निम्नलिखित के अनुरूप होंगे :—

(क) डॉक कर्मकारों को प्रतिकूल मौसम से पर्याप्त संरक्षक का उपबन्ध किया जाएगा;

(ख) जलयान पर मक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत पर्याप्त और अनुभवी कर्मादल काम करेंगे;

(ग) यदि जलयान के बलवाकं 60 सेंटीमीटर से कम है तो डैक के ऊपर कम से कम एक मीटर की ऊंचाई पर उपयुक्त बाड़ सहित किनाराबन्दी की जाएगी। बाड़ में प्रयुक्त स्तंभ, टैक और बैरमे ही भागों की अन्तर दो मीटर से अधिक नहीं होगी।

(घ) डैक पर रक्षा बोया की संख्या कम से कम कर्मादल के सदस्यों की संख्या के बराबर होगी और दो से कम नहीं होगी

(ङ) सभी रक्षा बोयों को अच्छी स्थिति में रखा जाएगा और इस प्रकार रखे जाएंगे कि यदि जलयान डूबता है तो वे तैरते रहे, उबन बोया में से एक अनुचालक की सुरक्षित पहुँच के भीतर होगा और अन्य यथासंभव पीछे की ओर दूर स्थित होंगे, और

(च) जलयान के अनुचालक की स्थिति ऐसी होगी कि वह पृथितयुक्त रूप में जायें और देख सकें।

(3) ऐसे व्यक्तियों को प्रवृत्ता जो सुरक्षात्मक जलयान में न जाएं जा सकें अथवा प्राधिकारी द्वारा प्रमाथित की जाएगी और स्पष्टतः तथा सहज दृश्य रूप से जलयान पर चिन्हित की जाएगी तथा ऐसी संस्था से अधिक नहीं होगी।

भाग-4

स्वास्थ्य

## 95. सफाई :

(1) पोत, डाक में सभी स्थान और वे सभी क्षेत्र, जो डाक में इन स्थान के निकट हैं जहाँ डॉक कर्मकार नियोजित किए जाते हैं साफ और कुड़ा-कचरा या दुर्गन्ध से) जो किसी नाली, शौचालय या अन्य न्यूसेंस से उत्पन्न हो, मुक्त रख जाएंगे।

(2) पोतों और डॉक क्षत्र से कूड़े के सभी ढेरों का किसी ईमीनेरेटर (भस्मकारी यंत्र) में जलाकर या अन्य उपयुक्त साधन द्वारा निपटान किया जाएगा।

(3) सुरक्षा या स्वास्थ्य को परिसंकट या न्यूसेंस पैदा करने वाला सभी क्षतिग्रस्त या क्षयग्रस्त स्थोरा उस कार्य स्थान से हटा दिया जाएगा या उसका निपटान कर दिया जाएगा, जहाँ डाक कर्मकार नियोजित किए जाते हैं।

## 96. पेयजल :

(1) (क) प्रत्येक पोत के फलक पर और प्रत्येक डॉक में वहाँ नियोजित सभी डाक कर्मकारों के लिए स्वास्थ्यप्रद पेय जल की प्रभावपूर्ण व्यवस्था सुविधाजनक रूप से अवस्थित समुचित स्थलों पर पर्याप्त प्रदाय बनाए रखने के लिए ही की जाएगी :—

परन्तु पेयजल का स्थल उस स्थान से जहाँ डाँक कर्मकार नियोजित है 100 मीटर के भीतर उपलब्ध हो।

(ख) मध्यधर स्थित प्रत्येक पोत के फलक पर उसमें नियोजित सभी डाँक कर्मकारों के लिए स्वास्थ्यकर पेयजल का पर्याप्त प्रदाय करने और बनाए रखने की प्रभावी व्यवस्था की जाएगी।

(ग) पीने के लिए दिये जाने वाले जल को पूरित लोक जल प्रदाय प्रणाली से की जाएगी या अन्यथा किसी अन्य स्रोत से की जाएगी जिसे पत्तन के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा लिखित रूप से स्वीकृत कर दिया गया हो।

(2) ऐसे सभी स्थलों पर ऐसी भाषा में जो बहुसंख्यक डाँक कर्मकारों द्वारा समझी जाती हो सुपाठ्य अक्षरों में "पेयजल" अंकित किया जाएगा और कोई ऐसा स्थल किसी प्रभालय स्थान, मूत्रालय या शौचालय से, छः मीटर के भीतर अवस्थित नहीं होगा जब तक कि कोई अन्य दूर, द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत न की जाए।

(3) प्रत्येक डाँक में डाँक कर्मकारों को प्रदाय किया जाने वाला पेयजल गर्म मौसम के दौरान बर्क या अन्य प्रभावशाली उपाय से शीतल किया हुआ होगा।

परन्तु यदि बर्क पेयजल में डाला जाता है तो वह स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद होगा और पत्तन के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत स्तरों में प्राप्त किया जाएगा।

(4) प्रत्येक पेय जल केन्द्र को स्वच्छ और सुव्यवस्थित हालत में रखा जाएगा और यदि आवश्यक हो तो किसी सुयोग्य व्यक्ति के प्रभार के अधीन रखा जाएगा, जो पानी का वितरण करेगा। ऐसे व्यक्ति को कर्तव्यरुद्ध होने पर साफ कपड़े दिए जाएंगे।

(5) पेय जल केन्द्र मौसम में सुरक्षित तथा पर्याप्त रूप से नाली युक्त रहेंगे।

(6) पानी के भण्डारण को टंकी या आधान को हमेशा स्वच्छ और स्वास्थ्यकर हालत में रखा जाएगा।

(7) निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा ऐसे किसी समय या ऐसे किसी अन्तराल से जैसा वह निदेश करे पत्तन प्राधिकारी को यह निदेश दे सकेगा कि वह पत्तन के स्वास्थ्य अधिकारी से डाँक कर्मकारों को प्रदान किए गए जल की माननीय उपयोग के लिए उपयुक्तता के संबंध में रिपोर्ट अभिप्राय करे और प्रत्येक दशा में स्वास्थ्य अधिकारी से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होते ही, उसकी एक प्रति निरीक्षक को प्रस्तुत करे।

#### 97. शौचालय और मूत्रालय।

(1) प्रत्येक डाँक में अनुसूची 3 में दिए पैमाने पर शौचालय और मूत्रालय स्थान की व्यवस्था की जाएगी, जो सुविधाजनक रूप से अवस्थित होगी और सभी समय डाँक कर्मकारों की, जब वे कार्य कर रहे हों, सहज पहुँच के भीतर होगी। ऐसे सुविधा सनान स्थान और वहाँ तक पहुँचने का मार्ग पर्याप्त रूप से प्रकाशयुक्त और संवातित होगा।

(2) जहाँ महिला कर्मकार नियोजित हैं वहाँ पृथक शौचालय की व्यवस्था की जाएगी।

(3) शौचालय और मूत्रालयों के फर्श और दीवार तथा स्वच्छता खंडों में कालित टाइल्स बिछायी जाएंगी या अन्यथा ऐसे परिमज्जित किया जाएगा कि कम से कम 90 से मी की ऊंचाई तक सतहें चिकनी परिष्कृत अभेद्य हों।

(4) ऐसे सभी सुविधा स्थानों को सभी समय स्वच्छ और साफ हालत में रखा जाएगा। शौचालयों और मूत्रालयों के फर्श, पार्श्ववर्ती दीवारों और सफाई पैन दिन में कम से कम एक बार समुचित अपमार्जकों और विसंक्रामकों या दोनों से पूर्ण रूप से धोया और साफ किया जाएगा।

(5) प्रत्येक शौचालय आच्छादित और इस प्रकार विभाजित किया गया होगा कि एकान्त सुनिश्चित करे और उसमें समुचित दरवाजा अर्धलुप्त हो।

(6) प्रत्येक शौचालय और मूत्रालय की दीवारों छतों और विभाजन पर सफेदी या रंग पुताई की गई हो तथा कम से कम चार मास में एक बार सफेद पुताई या रंग पुताई की जाएगी तथा इसका अभिलेख रखा जाएगा।

(7) जहाँ नल का जल प्रदाय उपलब्ध हो, वहाँ जिससे शौचालय स्थानों में या उनके आसपास पर्याप्त संख्या में नलों की व्यवस्था की जाएगी जहाँ सुविधापूर्वक पहुँचा जा सके।

(8) जहाँ नल का जल प्रदाय उपलब्ध नहीं है वहाँ शौचालय के निकट पर्याप्त मात्रा में जल भंडारण की व्यवस्था की जाएगी।

#### 99. पोतों पर डाँक क्षेत्र में इसमें प्रशीतन पैटा सम्मिलित है संवातन और तापमान

प्रत्येक डाँक पर प्रत्येक अन्न या कोई अहाता या कोई प्रशीतन पैटा पैया चैम्बर या प्रशीतन आधान में जहाँ डाँक कर्मकार नियोजित हैं, ताजा वायु के परिचालन द्वारा पर्याप्त संवातन और ऐसा तापमान और वायु संचालन द्वारा सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए तथा उनमें डाँक कर्मकारों के आराम के लिए समुचित सुविधा सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य को क्षति प्रवारित करने के लिए प्रभावी और उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

भाग-5

कल्याण

## 100. धावन सुविधाएँ

(1) प्रत्येक डॉक, विश्रामशाला, पुकार स्टैण्ड और जलपान गृह में धावन के लिए पर्याप्त और समुचित सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें डॉक कर्मकारों के प्रयोग के लिए रखा जाएगा तथा ऐसी सुविधाएं आसानी से पहुंच के भीतर होंगी। और उन्हें स्वच्छ और सुव्यवस्थित स्थिति में रखा जाएगा। धावन सुविधा में ऐसे कांचित वाहन बैसिन (धावन मात्र) सम्मिलित है जिनसे टोटी लगी होगी।

(2) जहाँ डॉक कर्मकार विपैला, संक्रामक या क्षोभण पदार्थों या तेल ग्रीज या धूल द्वारा स्वच्छ संदूषण के लिए उच्छन्न हों वहाँ अलग अलग कमरों में परिवेष्टित शावर खाद्य की जिनके प्रवेश द्वार समुचित रूप से आवृत्त हों पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की जाएगी।

(3) प्रत्येक डॉक में अनुसूच 8 में अधिकथित पमाने पर इन सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।

(4) प्रत्येक धावन पात्र, स्टैण्ड पाइप और शवर के नीचे और निकट फर्श या सतह पर इस प्रकार विछाई या परिष्कृत की जाएगी कि वह चिकनी दुर्मेध्य समतल बन सके और यह पर्याप्त रूप से नालीयुक्त होगी।

(5) धावन सुविधाओं की जलपूर्ति डॉक में नियोजित डॉक कर्मकारों की संख्या की ध्यान में रखते हुए पर्याप्त होगी और एमने त्रोट से होगी जो पत्तन के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत हो।

(1) प्रत्येक डॉक में और प्रत्येक पोत फ्लक पर पर्याप्त संख्या में प्राथमिक उपचार पेटिकाएं या कपबोर्डों की व्यवस्था की जाएगी और उनका अनु-रक्षण किया जाएगा ताकि सभी कार्य समय के दौरान और सुगमता से पहुंच के भीतर हों।

परन्तु निकटतम प्राथमिक उपचार पेटिका या कपबोर्ड की दूरी किसी भी कार्य स्थल से 200 मीटर से अधिक नहीं होगी।

(2) पेटियाँ और कपबोर्डों में साधिवीं और प्राथमिक उपचार के लिए अपेक्षित वस्तुओं के सिवाय कुछ भी नहीं रखा जाएगा। ऐसी सभी पेटियाँ और कपबोर्ड इस प्रकार रखे जाएंगे कि वे धूल या अन्य बाह्य वस्तु के विरुद्ध और आर्द्रता के भी घुसने के विरुद्ध रहे। वे ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति के भारसाधन में रखे जायेंगे जो प्राथमिक उपचार चिकित्सा में प्रशिक्षित हो और कार्य समय के दौरान हमेशा तुरन्त उपलब्ध रहें।

(3) प्रत्येक प्राथमिक उपचार पेटि और कपबोर्ड पर स्पष्ट रूप "प्राथमिक उपचार" चिह्नित होगा और अनुसूची 6 विनिर्दिष्ट सामग्रियों से सुसज्जित होगा।

## 103. एम्बुलेंस वाहन

प्रत्येक डॉक पर उपयोग के लिए उपयुक्त रूप से सविमित मोटर एम्बुलेंस वाहन और लांच की व्यवस्था की जाएगी जिसे दुर्घटना और रुग्णता के संभार रोगियों के ल ले जाने के लिए अच्छी हालत में रखा जाएगा।

## 104. स्ट्रेचर

उपयुक्त स्ट्रेचर की जिसके अन्तर्गत कोई भील राह्वर्टसन स्ट्रेचर या कोई अन्य उपयुक्त स्लिंग स्ट्रेचर भी है, प्रत्येक डॉक पर सुविधाजनक स्थानों में पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की जाएगी। ताकि वे किसी आपातकाल में सुगमता से उपलब्ध हो सकें।

## 105. आश्रय सा विश्राम शैड और भोजन कक्ष

(1) उस प्रत्येक डॉक में जिसमें सामान्यतः 10 से अधिक डॉक कर्मकार नियोजित किए जाते हैं, पेय जल और धुलाई की सुविधाओं की व्यवस्था सहित पर्याप्त और उपयुक्त आश्रय या विश्राम शैडों और उपयुक्त भोजन कक्षों की जहाँ डॉक कर्मकार अपने द्वारा लाए गए भोजन को खा सके, सुविधाजनक स्थानों में व्यवस्था की जाएगी और उनके उपयोग के लिए अनुसूचित किया जाएगा :

परन्तु विनियम 106 के अनुसार अनुसूचित कोई भी केप्ट इस विनियम की अपेक्षा का भाग रूप मानी जाएगी :

परन्तु यह और भी कि जहाँ भोजन कक्ष की व्यवस्था है वहाँ कोई डॉक कर्मकार ऐसे भोजन कक्ष की छोड़कर डॉक को प्रसिमा में कोई भोजन नहीं खाएगा।

(2) प्रत्येक विश्राम शूण्ड में भोजन और कूड़ा कचरे के लिए आच्छादित तारों की व्यवस्था और उनका उ मोग किया जाएगा। इन तारों को प्रत्येक 12 मी. में कम से कम एक बार खाली किया जाएगा।

(3) उ विनियम (1) के अधीन उ बंधित किए जाने वाले आश्रय या विश्राम कक्ष और भोजन कक्ष प्रयात रूप से काशयुक्त और संचालित होंगे और साफ युधरी दशा में अनुसूचित रखे जाएंगे।

## 106. कृष्ठीन (जल पान गृह) :

(1) किसी डॉक से या डॉक के किसी भाग से जहाँ साधारणतः 250 से अधिक डॉक कर्मकार नियोजित हैं या नियोजित किए जाने की प्रत्याशा में है, कार्य क्षेत्र में या उसके निकट समी पर्याप्त जल पान गृह सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी और उसे सभी डॉक कर्मकारों के उपयोग के लिए तन प्राधिकारियों और डॉक कर्म बोर्डों द्वारा बनाई रखा जाएगा। जल पान गृह ऐसे सभी समय कार्य करेगा जब एक बार में चौरस या उससे अधिक डॉक कर्मकार नियोजित हों।

(2) जल पान गृह अनुसूची 9 में अधिकारिक अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

(3) प्रत्येक डॉक में पर्याप्त संख्या में चक्री कृष्तीनों की व्यवस्था की जाएगी जिनमें चाय और हल्के-फुल्के जल पान की व्यवस्था होगी।

## भाग—6

## विशेष उपबंध

## 111. डाँक कर्मकार, उत्तरदर्शी व्यक्तियों आदि का प्रशिक्षण :

(1) डाँक कर्मकारों के सभी प्रवर्गों, उत्तरदायी और प्राधिकृत व्यक्तियों को, उनके कार्य की प्रवृत्ति और कर्तव्यों का पालन करने के लिये अपेक्षित कुशलता पर निर्भर रहते हुए आरंभिक और अतिरिक्त प्रशिक्षण देना होगा। अधिनियम और विनियमों के अधीन उपबंधों के अनुसरण में ली जाने वाली पूर्वावधानियों और सुरक्षा संबंध पहलू प्रशिक्षण के अन्तर्गत आएंगे।

(2) सभी प्राथमिक उपचार कार्मिकों को इस प्रयोजन के लिये किसी अहित चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके अन्तर्गत पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी है।

## 112. आपात कार्य योजना :

सभी प्रश्नों में ऐसी अनुमोदित आपात कार्य योजना होगी जो निम्नलिखित प्रकार से आपात के निपटने के लिये मुख्य निरीक्षक की स्वीकार्य हो :-

- (क) अग्नि और विस्फोटक ;
- (ख) उत्पादक साधनों का काम न करना और भवनों, शौडों आदि का ढह जाना ;
- (ग) गैस रिसन और परिसंकटमय माल का छलकना ;
- (घ) डाँक कर्मकारों का डूबना, यानों का डूबना, डाँक बैसिन से परिवहन उपस्कर निकालना ; और
- (ङ) बाढ़ तूफान और अन्य प्राकृतिक विपत्ति ।

## प्ररूप 12

निरीक्षक, डाक सुरक्षा को भेजे जाने के लिये

पता

दुर्घटना या खतरनाक घटना की रिपोर्ट

डाक कर्मकार, (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 की धारा 22 के अनुसरण में डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम, 1989 के विनियम 90 द्वारा अपेक्षित।

(अनुदेश पृष्ठ भाग पर देखें)

1. नियोजक का नाम—
2. नियोजक का पता—
3. पोत या अन्य ठीक-ठीक स्थान जहाँ दुर्घटना या खतरनाक घटना हुई ।
4. दुर्घटना या खतरनाक घटना की तारीख, पारी और समय तारीख—पारी—समय
5. (1) क्षतिग्रस्त व्यक्ति का नाम और पता

लिंग आयु वर्ष उफजीविका व्यक्ताय में अनुभव  
र.

(2) क्षतियों की प्रकृति और परिमाण

(उदाहरणार्थ धातक, उंगली की हानि, टाँग का भंग होना)

- (3) किस के द्वारा उपचार किया गया \_\_\_\_\_
- (4) क्या क्षतिग्रस्त व्यक्ति अड़तालीस घंटे से अधिक के लिये निःशक्त हो गया था? \_\_\_\_\_
- (5) उस स्थोरा की किस्म और नाम \_\_\_\_\_  
जिसकी उठाई-धराई की गई।
6. वह समय जब क्षतिग्रस्त व्यक्ति ने कार्य आरंभ किया \_\_\_\_\_
7. दुर्घटना या खतरनाक घटना का कारण \_\_\_\_\_
8. दुर्घटना :—
- (क) बताएं यदि मशीनरी द्वारा हुई :—
- (1) दुर्घटना कारित करने वाली मशीन और भाग का नाम \_\_\_\_\_
- (2) क्या उसे उस समय यांत्रिक शक्ति द्वारा चलाया गया था \_\_\_\_\_
- (ख) ठीक ठीक बताएं कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति क्या कर रहा था \_\_\_\_\_
9. खतरनाक घटना :—
- (क) उत्पाक साधन के ढहने या काम न करने की प्रकृति \_\_\_\_\_
- (ख) रस्से, जंजीर या अन्य साधनों के टूटने की प्रकृति \_\_\_\_\_
- (ग) पोट को या उससे पहुंच के साधनों का ढहने या काम न करने की प्रकृति \_\_\_\_\_
- (घ) उपर्युक्त 9(क), 9(ख) और 9(ग) से भिन्न, विनियम 90 के अन्तर्गत आने वाली किसी अन्य खतरनाक घटना की प्रकृति \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर

तारीख

(निरीक्षक द्वारा भरी जाए)

पत्तन \_\_\_\_\_

प्राप्ति की तारीख \_\_\_\_\_

दुर्घटना, खतरनाक घटना सं. \_\_\_\_\_

कारणत्व \_\_\_\_\_

लिंग \_\_\_\_\_

टिप्पणियां \_\_\_\_\_

## अनुदेश

दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं की रिपोर्ट करना

दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना :

(1) डाक में किसी ऐसी दुर्घटना की सूचना :

(क) जिससे या तो किसी डाक कर्मकार की जीवन हानि हो गई हो; या

(ख) डाक कर्मकार उस कार्य के लिए जिस पर वह उस शेष दिन या पारी के लिये नियोजित था जिसमें दुर्घटना हुई है, निःशक्त हो गया हो घटना घटित होने के चार घंटे के भीतर तुरन्त तार, दूरभाष या विशेष संदेशवाहक द्वारा निम्नलिखित को भेजी जाएगी।

(i) निरीक्षक

(ii) कर्मकार के संबंधियों को, जब दुर्घटना के डाक कर्मकार की जीवन हानि हो गई हो या डाक कर्मकार कार्य के लिये दस दिन से अधिक के लिए निश्चित होना संभाव्य हो, और

(iii) केवल घातक दुर्घटना की दशा में निकटतम पुलिस याने के तारनाथक अधिकारी को और जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को, यदि जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश द्वारा इस प्रकार निदेश दिया हो :

(2) उपविनियम (1) के खंड (ख) के अन्तर्गत आने वाली दुर्घटनाओं की दशा में, क्षतिग्रस्त व्यक्ति का प्राथमिक उपचार किया जाएगा और तत्पश्चात् तुरन्त ही उसे किसी अस्पताल या उपचार के लिए अन्य स्थान में पहुंचाया जाएगा।

(3) जहाँ निःशक्तता कारित करने वाली किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप निःशक्त डाक कर्मकार की मृत्यु हो जाती है वहाँ मृत्यु की सूचना लिखित में, उपविनियम (1) में वर्णित प्राधिकारियों की मृत्यु होने के पश्चात् 72 घंटे के भीतर प्रस्तुत की जाएगी और रसीद अभिप्रेत की जाएगी।

(4) खतरनाक घटनाओं के निम्नलिखित वर्षों की रिपोर्ट निरीक्षक को की जाएगी, चाहे मृत्यु या निःशक्तता उपविनियम (1) में विहित ढंग में हुई हो या नहीं।

(क) उत्पाक साधनों का ढह जाना या काम न करना या रस्सों या जंजीरों या अन्य खुले गियरों जिसमें स्लिंग उत्पाक बीम, कटेंटर स्ट्रेडर, आदि शामिल हैं का टूटना या काम न करना या डाक कार्य में प्रयुक्त क्रेनों को उलट पलट या विस्थापन, स्लिंग से फलका बॉर्ड या बीम या स्थोरा का गिरना, हब बीम के विस्थापन के परिणामस्वरूप हैबबीम या आच्छादक का गिरना,

(ख) किसी दीवार, फर्श, गैलरी, छत, चबूतरे, मंच या पहुंच मार्ग के साधन का ढह जाना या नीचे बैठना,

(ग) किसी गैस या गैसों (जिसके अन्तर्गत वायु भी है) या गैसों के सपीडित से परिणामी किसी द्रव या ठोस के वातावरणिक दाब से अधिक किसी दाबदर भंडारण के लिए प्रयुक्त किसी रिसेवर या जलयान का विस्फोट,

(घ) उस डाक के किसी स्थान की, जिसमें डाक कर्मकार नियोजित है विस्फोटक या आग लगने से नुकसान होगा।

(ङ) परिवहन उपकरण का काम न करना, उलटना, गिर पड़ना या टकरा जाना,



- (च) चतरनाक सर्वर का वहाँ या रिहाय या उनके आधानों का नुकसान,  
 (छ) माल आधानों का टूट-फूट, आकुंचन या नुकसान,

(5) यदि उत्पाक माश्रित्त खुले गियर या अन्य समान गियर या पारयलन उपस्कर काम न करे तो, उन्हें आशशक्य साध्य तब तक कोई छेड़छाड़े नहीं की जाती जब तक कि उनका किसी निरीक्षक द्वारा निरीक्षण नहीं कर लिया जाता।

(6) इसके अतिरिक्त उपविनियम (1) उपविनियम (4) के अधीन दी गई सूचना को, पूर्ण घटना घटित होने के 72 घंटे के भीतर निरीक्षक को प्ररूप 12 में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करके को जाना पर, उपविनियम (1) के मंड (ख) के अधीन दुर्घटना को दण में, ऐसी लिखित रिपोर्ट भेजन को केवल नहीं आवश्यकता होगी जब तक कर्मकार उस कार्य के लिए फिस पर वह गियाजिन था. दुर्घटना के समय से 15 घंटे से अधिक के लिये तिःनन हो गया ही।

### प्ररूप 13

डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम, 1989

(विनियम 108 देखिए)

-----मास का दुर्घटनाओं का विवरण

1. नियोजक का नाम और पता-----
2. मास के दौरान रिपोर्ट की जानेवाले दुर्घटनाओं की संख्या घातक-----  
अघातक-----
3. मास के दौरान श्रम पारियों की संख्या टिप्पण 1 देखिए)
4. उन व्यक्तियों को दशा में जो कार्य पर वापस आ गए हैं रिपोर्ट की जाने वाले अवातक दुर्घटनाओं से अनुपस्थिति के कारण हानि हुए श्रम दिनों की संख्या (टिप्पण 2 देखिए)
5. स्थायी निःशलेनताओं के कारण हानि हुए श्रम दिनों की संख्या (टिप्पण 3 देखिए)  
तारीख-----

सहा म,

निरीक्षक,

हस्ताखर-----

पदनाम-----

### टिप्पण

1. मद (3) : मास के दौरान श्रम पारियों की कुल स. मास के दौरान त्रयेक तारा में कार्य कर रहे व्यक्तियों को संख्या का गोरकन ह
2. मद (4) : हानि हुए श्रम दिनों की संख्या में पूर्वमास में क्षति के कारण हानि हुए श्रम दिन ओ फम्मिजिन होन चाहिए, अर्थात्:  
यदि कोई ऐसी दुर्घटना जो पूर्वमास में घटित हुई है सभी आधान मास में श्रमों ओ मनन की हानि कारित कर रही है तो, समय का ऐना हानि का ऐना हानि भा यमोक्षायन मास में मम्मिजित की जाए।
3. मद (5) : श्रम दिनों की संगणना निम्नलिखित पर आधारित होनी चाहिए:

(क) भारतीय मानक : 3738-1983 का करेसिण्ड ख में दिनु अनुसार क्कई निःशलेनताओं के निदे त्रामों को प्रामुक्ते के अनुसार हानि हुए श्रम दिन बहुल क्षति की दशा में, अनुसूची प्रभारों का योगफल 6000 श्रम दिनों से अधिक नहीं लिया जाएगा।

- (ख) यदि किसी एक मास के किसी क्षति को समय क्षति के रूप में समझा जाना है और तदनुसार वह क्रिया स्थाई निष्कर्षता के रूप में परिष्कृत हो जाता है तो, क्षति के कारण प्रसारित अन्य दिनों को जब स्थाई निष्कर्षता का जाना हो जाए, क्षति के लिये अनुसूची प्रसार से घटा देना चाहिए।

## प्ररूप 14

डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम, 1989

[विनियम 91(1) के अन्तर्गत]

निराक्षक द्वारा भरा जाए

नाम के सं.-----

दिशानिर्देश-----

## विषाक्तता या रोग की सूचना

1. नियोजक का नाम और पता-----
2. रोग का नाम और उसकी कार्य सं. यदि कोई हो-----
3. रोग का पता-----
4. रोग का लक्षण और आयु-----
5. रोग की सही वृद्धि-----
6. टीकाओं के बिना कि रोग रोग लगते समय क्या कार्य कर रहा था-----
7. उक्त विषाक्तता या रोग की प्रकृति जिससे रोगी ग्रस्त है-----

(नियोजक के हस्ताक्षर)

तारीख-----

(प्ररूप 14 का पृष्ठ भाग)

कतिपय रोगों की सूचना

डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम, 1989 के विनियम 91 से उद्धरण

1. जब किसी डाक कर्मकार को अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट कोई रोग लग जाता है तब प्ररूप 14 में निरोक्षक को निम्न सूचना भेजा जाएगा)

## अनुसूची --4

## अधिसूचनीय रोगों की सूची

1. लड विषाक्तता (जिसके अन्तर्गत लड का किना विनिर्दिष्ट क योगिक या डाक प्रत्यय द्वारा विषाक्तता भी है।
2. लड टेट्रा--एथिल विषाक्तता।
3. मैंगनीज विषाक्तता या उसके अनुक्रम।
4. कार्बन वायसल्फाइड विषाक्तता।
5. बेनजीन विषाक्तता जिसके अन्तर्गत उसके किसी समजात उनके शोरा या एंसाइड रूप या अनुक्रम भी है।
6. एंथ्रिक्स
7. न्यूनोकोलिथ्रोसिस
8. एलिफेनिक सीरोज के हाइड्रोकार्बन के हेनोजन या हेनोजन व्युत्पन्नों द्वारा विषाक्तता।
9. चर्म का प्राथमिक ऐपार्थेनियामेट्स कैंसर।
10. क्षयवाक्यकान्य त्वरिणोष।
11. शोर से श्रवण हानि (उच्च और तार के लिये उच्चन्तता)।

[सं. 3-33015/1/1-अन्तर्गत, यो. नं. एन. 24-11]

गम निरक्षक पाण्डेय, उप निरक्षक

G.S.R. 80(E).—Whereas the draft of the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Regulations, 1987, was published as required by sub-section (1) of section 22 of the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act, 1986 (54 of 1986), in the Gazette of India, Extra-ordinary Part II, Section 3(i), dated the 27th November 1987, under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. G.S.R. 939(E), dated the 27th November, 1987, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette ;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 6th January, 1988.

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 21 of the said Act, the Central Government hereby makes the following regulations, namely:—

## PART I GENERAL

1. Short Title, application and commencement.—  
(1) These regulations may be called the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Regulations, 1990.

(2) They shall apply to all major ports in India as defined in the Major Ports Act 1963 (38 of 1963).

(3) They shall come into force after the expiry of 30 days of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act, 1986 (54 of 1986);

(b) “access” includes egress ;

(c) “authorised person” means a person authorised by the employer, the master of the ship or a responsible person to undertake a specific task or tasks and possessing necessary technical knowledge and experience for undertaking the task or tasks ;

(d) “competent person” means—

(i) a person belonging to a testing establishment in India who is approved by the Chief Inspector for the purposes of testing, examination or annealing and certification of lifting appliances, loose gears or wire ropes ;

(ii) any other person who is recognised under the relevant regulations in force in other countries as competent for issuing certificates for any of the purposes mentioned in sub-clause (i) for the implementation of the Protection against Accidents (Dockers) Convention (Revised), 1932 (No.

32) and the Convention concerning Occupational Safety and Health in Dock Work (No. 152), 1979, adopted by International Labour Conference ;

(e) “container” means an article of transport equipment of a permanent character and accordingly strong enough to be suitable for repeated use and as specified under national or international standards ;

(f) “container terminal” means the area where the operations of receiving, storage, despatch and interchange of containers, between transport mode is carried out primarily with the help of lifting appliances and transport equipment, and includes associated road vehicles, waiting places, control interchange grid, stacking areas and associated road vehicle, departure, but shall not include.—

(i) terminals which handle significant volumes of containerised cargo and break-bulk cargo together using the same operational areas ;

(ii) all railway terminals and all in-land depot ;

(iii) the stuffing and stripping of the contents of containers; and

(iv) ship-board and ship-side operations I.O/I.O and RO/RO vessels ;

(g) “conveyor” means a mechanical device used in dock work for the transport of single packages or solid bulk cargo from one point to another point;

(h) “Dangerous goods” means any cargo which due to its explosiveness, inflammability, radioactivity, toxic or corrosive properties, or other similar characteristics, may cause injury, adversely affect the human system, loss of life or property while handling, transporting, shipping or storing and which is classified as such by any international or national standards ;

(i) “dock” means any dock, wharf, quay or shore and shall include any warehouse or store place belonging to owners, trustees or conservators of, and situated in or in the vicinity of the dock, wharf, quay or shore and any railway line or siding on or used in connection with the dock, wharf, quay or shore but not forming part of Indian railways ;

(j) “Form” means a Form appended to the regulations ;

(k) “hatch” means an opening in a deck used for purposes of dock work or for trimming or for ventilation or for cleaning ;

(l) “hatchway” means the whole space within the square of the hatches from the top deck to the bottom of the hold;

- (m) "Inspector" means a person appointed by the Central Government under section 3 of the Act and includes the Chief Inspector ;
- (n) "lifting appliance" means all stationery or mobile cargo handling appliances including their permanent attachments, such as cranes, derricks, shore based power operated ramps used on shore or on board ship for suspending, raising or lowering, cargo or moving them from one position to another while suspended or supported, in connection with the dock work and includes lifting machinery ;
- (o) "loose gear" means hook, shackle, swivel, chain, sling, lifting beam, container spreader, tray and any other such gear, by means of which, the load can be attached to a lifting appliance and includes lifting device ;
- (p) "Port" means a port as defined under the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) ;
- (q) "port authority" means the person having the general management and control of dock.

Provided that if any other person has, by exclusive right to occupation of any part of the dock acquired the general management and control of such part, he shall be deemed to be the "Port Authority" in respect of that part :

- (r) "premises" means any dock, wharf, quay, warehouse, store place or landing place where the dock work is carried on ;
- (s) "prescribed" means prescribed by the Central Government ;
- (t) "pulley block" means pulley block, gin and similar gear, other than a crane block specially constructed for use with a crane to which it is permanently attached ;
- (u) "responsible person" means a person appointed by the employer, the master of the ship, the owner of the gear or port authorities, as the case may be, to be responsible for the performance of a specific duty or duties and who has sufficient knowledge and experience and the requisite authority for the proper performance of the duty or duties ;
- (v) "safe working load" in relation to an article of loose gear or lifting appliance means the load which is the maximum load that may be imposed with safety in the normal working conditions and as assessed and certified by the competent person ;
- (w) "Schedule" means a schedule appended to these regulations ;
- (x) "Ship" means any kind of ship, vessel, barge, lighter or hover-craft excluding ships of war and country craft ;

(y) "Testing establishment" means an establishment with testing and examination facilities, as approved by the Chief Inspector, for carrying out testing, examination, annealing or certification, etc. of lifting appliance or loose gear or wire rope as required under the regulations ;

(z) "transport equipment" means all powered and hand truck, for lift truck, tractor, trailer, locomotive, power mover and any other such equipment used in dock work ;

(z2) Words and expressions not defined in those regulations but defined or used in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

### 3. Powers of Inspectors :

(a) An Inspector may, at any port for which he is appointed,—

(i) enter, with such assistance, (if any), as he thinks fit, any ship, dock, warehouse or other premises, where any dock work, is being carried on, or where he has reason to believe that any dock work is being carried on ;

(ii) make examination of the ship, dock, lifting appliance, loose gear, lifting device, staging, transport equipment, warehouse or other premises, used or to be used, for any dock work ;

(iii) require the production of any register, muster roll or other document relating to the employment of dock workers and examine such document ;

(iv) take on the spot or otherwise such evidence of any person which he may deem necessary ;

Provided that no person shall be compelled under sub-regulation 3(a)(iv) to answer any question or give any evidence tending to incriminate himself ;

(v) take copies of registers, records or other documents or portions thereof as he may consider relevant in respect of any offence which he has reason to believe has been committed or for the purpose of any inquiry ;

(vi) take photograph, sketch, sample weight, measure or record as he may consider necessary for the purpose of any examination or inquiry ;

(vii) hold an inquiry into the cause of any accident or dangerous occurrence which he has reason to believe was the result of the collapse or failure of any lifting appliance, loose gear, transport equipment, staging or non-compliance with any of the provisions of the Act or the regulations ;

(viii) issue show cause notice relating to the safety, health and welfare provisions arising under the Act or the regulations ;

(ix) prosecute, conduct or defend before any court any complaint or other proceedings arising under the Act or the regulations ;

(x) direct the port authority, dock labour board and other employers of dock workers for getting the dock workers medically examined if considered necessary.

(b) A person having general management and control of the premises or the owner, master, officer incharge or agents of the ship, as the case may be, shall provide such means as may be required by the Inspector for entry, inspection, examination, inquiry, or otherwise for the exercise of his powers under the Act and the regulations in relation to that ship or premises which shall also include the provision of launch, or other means of transport.

#### 4. Notice of Inspection :

(1) An Inspector may notify any defects or deficiencies which may come to his notice during his inspection and examination which he wishes to point out together with any orders passed by him under the Act or the regulations in Form IX to—

(i) the owner, master, officer incharge or agents of the ship ; or

(ii) the port authority ; or

(iii) the owner of lifting appliances, loose gears, lifting devices and transport equipment ; or

(iv) the employer of dock workers.

(2) When an Inspector serves notice, under sub-regulation (1) above, in relation to any dock, lifting appliance, loose gear, lifting device, transport equipment, ladder or staging, he may, in the notice prohibit the dock work where conditions are dangerous to life, safety or health of dock workers and the use of the same in connection with the dock work, and such dock, lifting appliance, loose gears, lifting devices, transport equipment, ladders or stagings shall not be used until the defect or defects specified in the notice have been remedied and the Inspector has withdrawn the prohibitory order.

#### 5. Appeal :

Any person aggrieved by an order of the Chief Inspector passed under Section 5 of the Act may, within 15 days from the date on which the order is communicated to him, prefer an appeal to the Secretary in the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi and the provisions of Section 8 of the Act shall apply accordingly.

#### 6. Penalties :

Save as is otherwise expressly provided in these Regulations, whoever being a person responsible to comply with any of the regulations commits a breach of such Regulations shall be guilty of an offence and punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fines which may extend to five thousand rupees, or with both, and, if the breach is continued after conviction, with a further fine which may extend to one hundred rupees for each day on which the breach is so continued.

## PART II RESPONSIBILITIES

### 7. Responsibilities :

(1) It shall be the duty of the Port authority to comply with regulations 9 to 12, 15 to 23, 61(1 & 8), 80(2 & 3), 81, 85(12), 89, 91(2 to 6), 92(2), 93(1, 3 & 4), and 94 to 115.

(2) It shall be the duty of the owner, or master, or officer-in-charge and the agents of a ship to comply with regulations 12, 16(1) to (3), 17(1)(a), 24 to 37, 76, 80(1), 99(1) and 101(1 & 3).

(3) (a) It shall be the duty of the owner of the lifting appliance, loose gear, and transport equipment or any other equipment used in dock work on shore or on board the ship to comply with the regulations 17(4), 27, 40 to 49, 51, 52(1 to 4), 54, 57(1 to 4, 6 & 7), 59(1 to 3), 60, 62, 63, 64, 84(1), 85(5), 87 and 88.

(b) In case of lifting appliance, loose gear, or any other equipment used in dock work on board a Ship not registered in India, it shall be the duty of the master or Chief Officer of such Ship and agent of such ship to comply with the regulations 27, 40 to 49, 51, 52(1 to 4), 54, 87 and 88.

(4) (a) It shall be the duty of every employer and of all agents employees and dock workers employed by him to comply with regulations 11(1 & 2), 17(5), 77(5), 85(8) and 86(8).

(b) It shall be the duty of every employer to comply with regulations 12, 14, 16(4), 17(4 & 5), 18, 20(2), 24(7 & 8), 25, 28, 29(2), 31, 32(3, 6, 8 & 9), 33 to 39, 45(1), (2) & (3), 52(5), 53 to 56, 57(4)(e), (5), (6) & (8), 58, 59(4), 61(9) and (10), 62(13), (17), 64 to 75, 77 to 82, 84(2), 85 except 85(12), 86, 87(2), 88(4 to 8), 89 to 93, 95, 98, 107, 109(2), 110, 114(4), 116 and 117 :

Provided that where the dock work is carried on by a stevedore or other person other than the owner of a ship, it shall be the duty of the owner, master or officer-in-charge of the ship, to comply with regulation 33(1) so far as it concerns :—

(i) Any hatch not taken over by the said Stevedore or other person for the purpose of the dock work and

(ii) any hatch which, after having been taken over by the said Stevedore or other person for the purpose of the dock work—

(a) has been reported by written notice in Form-I to the owner, master or officer-in-charge of ship, or by or on behalf of the said person, as being hatch at which the dock work has been completed for the time being.

- (b) either has been left by the persons fenced or covered as required by regulation 33(1) or has been taken into use by or on behalf of the owner of the ship, and in either case has been so reported by such written notice as aforesaid. It shall be the duty of the owner, master or officer-in-charge of the ship to give immediately written acknowledgement of such written notice as aforesaid.
- (5) It shall be the duty of every dock worker to comply with the requirements of such of these regulations as relate to the performance, of or refraining from, an act by him and to co-operate in carrying out requirements of these regulations and if he discovers any defects in the lifting appliance, loose gear, lifting device, conveying any transport equipment or other equipment to report such defects without unreasonable delay to his employer or foreman or other person in authority.
- (6) No person shall unless duly authorised or in case of necessity, remove or interfere with any fencing, gangway, gear, ladder, hatch covering, life saving appliance, lighting, or other thing what ever required by the Act and these regulations to be provided. If removed, such things shall be restored at the end of the period during which their removal was necessary, by the persons last engaged in that work necessitating such removal.
- (7) (a) No employer shall allow lifting appliance, loose gear, lifting device, or conveying and transport equipment to be used by dock workers which does not comply with regulation 17(4), 27, 40 to 49, 51, 52(1 to 4), 54, 57(1 to 4 & 6 to 7), 59(1 to 3), 60, 62, 87 & 88.
- (b) If the person whose duty is to comply with regulations mentioned in sub-regulation (2) above fail to do so, then it shall also be the duty of the employer of the dock workers to comply with such regulations within the shortest time reasonably practicable after such failure.
- (8) It shall be the duty of the person for the time being in charge of any ship to produce for inspection and examination certificates required under regulation 51.
- (9) Every dock worker shall use the means of access provided in accordance with these regulations, and no person shall authorise or order another to use means of access other than those provided in accordance therewith.
- (10) No person shall go upon any hatch beam for the purpose of adjusting the gear for lifting them on or off nor shall any person authorise or order another to do so.
- (11) It shall be the duty of the Dock Labour Board and every other employer of dock workers to comply with regulations 74, 89, 91(3), 92, 93(1, 3 & 4), 103, 107, 109 to 111.

- (12) It shall be the duty of the competent person to comply with the regulations 41, 47, 48 and 50.

#### Regulation 8—Exemption

The Chief Inspector may, subject to such conditions, if any, as may be specified therein, by order in writing (which may in its discretion be revoked at any time), exempt from all or any of the requirements of these regulations,—

- (a) any dock or part of a dock, if he is satisfied that dock work is only occasionally carried on or traffic is small and confined to small ships and fishing vessels at such dock,
- (b) any appliance, gear, equipment, or device or any class or description of appliances, gear, equipment or device, if he is satisfied that the requirement in respect of which the exemption is granted are not necessary or equally effective measures are taken.

Provided that he shall not grant exemption under this regulation unless he is satisfied that such exemption will not adversely affect the health, safety and welfare of dock workers.

### PART III

#### SAFETY

##### A. WORKING PLACES

#### 9. Surfaces

(1) Every regular approach over a dock which the working place and every such working place inside the dock workers have to use for going to or from a dock shall be,—

- (a) kept clean and free from objects that can cause slipping, stumbling or falling.
- (b) maintained in good repair with due regard to the safety of the dock workers.

(2) All areas of a dock shall be kept properly drained and graded in order to facilitate safe access to sheds, warehouses and store places and safe handling of cargo and equipment.

(3) Drain pools and catch basins shall be properly covered or enclosed.

(4) All areas of a dock and all approaches on which lifting appliances and transport equipment are used shall be soundly constructed, surfaced with good wearing material and sufficiently even and free from holes and cracks to afford safe transport of cargo and shall be properly maintained.

(5) Any working area in a dock which is damaged or under repair shall be effectively blocked off from other areas and when necessary, warning lights shall be provided at night.

(6) All landing places used by dock workers for embarking or disembarking from crafts meant for transport by water, shall be maintained in good repair with due regard to the safety of the persons using them.

### 10. Fencing of dangerous places

(1) The following parts of a dock and approaches shall, as far as practicable having regard to the traffic and working be securely fenced so that the height of the fence shall be in no place less than one metre and the fencing shall be maintained in good condition:—

- (a) all breaks, dangerous corners, and other dangerous parts or edges of a dock;
- (b) both sides of such foot ways over bridges, caissons, and dock gates as are in general use by dock workers and each side of the entrance at each and of such foot way for sufficient distance not exceeding, 4.5 metres:

Provided that in case of fences which were constructed before the date of commencement of this Regulation, it shall be sufficient if the height of the fence is in no place less than 75 cm.

(2) The ditches, pits, trenches for pipes and cables and other hazardous openings and excavations shall be securely covered or adequately fenced.

(3) Where wharves or quays slope steeply towards the water, the outer edge shall be protected as far as practicable.

### 11. Passages to be kept clear :

(1) Cargo shall not be so stored or transport equipment or lifting appliances so placed on any areas of a dock where dock workers are employed so as to obstruct access to ships, cranes, life saving appliances, fire fighting equipment and welfare facilities provided under these regulations.

(2) Where any place is left along the edge of any wharf or quay, it shall be at least 90 cms. wide and shall be kept clear of all obstructions other than fixed structures, plant and appliances in use.

(3) Where working areas of a dock are enclosed and the traffic warrants, a separate gate or passage shall be provided for pedestrians.

### 12. Railings and fencings :

(1) All railings for the fencing of Hatchways, accommodation ladders, gangways, stairway for embarking, disembarking, and any other dangerous place shall be of sound material, good construction and possess adequate strength and unless specified in these regulations :—

- (a) be atleast one metre in height; and
- (b) consist of two rails or two taut ropes or chains supporting stanchions and toe boards.

(2) Intermediate rails, ropes or chain shall be 50 centimetre high.

(3) Stanchions shall not be more than two metre apart and shall be secured against inadvertant lifting out.

(4) The toe board shall be atleast 15 centimetre high.

(5) Railings shall be free from sharp edges.

(6) Temporary fencing of hatchways elevated platforms, etc. shall be as far as reasonably practical, extend to a height of one metre and consist of either:—

- (a) two taut ropes or chains with stanchions; or
- (b) a properly rigged and securely fastened safety net.

(7) Stairs giving access to transport vessel shall be equipped with wooden or rubber fenders so that the gap of more than 30 centimetre is maintained between the side of the steps and side of the vessel.

### 13. Staging construction and maintenance :

(1) Sufficient supply of sound end substantial material shall be available at convenient place or places for the construction of staging.

(2) All staging shall be :—

- (a) securely constructed of sound and substantial material and shall be maintained in such condition so as to ensure the safety of all dock workers; and
- (b) inspected at regular and frequent intervals by a responsible person.

(3) All planks and ropes intended to be used for a staging shall be :—

- (a) carefully examined before being taken into use; and
- (b) re-examined by a responsible person before they are used again after the stages have been dismantled.

(4) All planks forming stages shall be securely fastened to prevent slipping.

(5) All stages shall be of sufficient width to secure the safety of the dock workers working therein. In particular, on stage at a height of two meters or more above the ground level deck bottom, deck or tank top, shall be less than 30 centimetre wide.

(6) Planks supported as the rungs of ladders shall not be used to support stages.

(7) (a) Stage suspended by ropes or chains shall be secured as far as possible so as to prevent their swinging; and

- (b) no rope or chain shall be used in suspending stages unless it is of suitable quality, adequate strength and free from patent defects. Fibre rope shall not pass over sharp edges.

(8) Safe means of access shall be provided for the use of dock workers to and from stages and ropes used for suspending stages shall not be used as means of access.

### 14. Work on staging :

(1) More than two men shall not be allowed to work at any one time on a staging plank.

(2) When dock workers are employed on staging more than 2.5 metres high, they shall be protected by safety belts equipped with lifelines which shall be secured with a minimum of flask to a fixed structures

(3) Prior to each use, belts and lifelines shall be inspected for dry rot, chemical damage or other defects which may affect their strength. Defective belts shall not be used.

(4) Work on a staging shall not be carried on when loaded slings have to pass over the stagings and there is danger from falling objects.

#### 15. Life-saving appliances :

Provision for the rescue from drowning of dock workers shall be made and maintained, and shall include :—

(a) a supply of life-saving appliances, kept in readiness on the wharf or quay, which shall be reasonably adequate having regard to all the circumstances; and

(b) means at or near the surface of the water at reasonable intervals for enabling a person in water to support himself or escape from the water which shall be reasonably adequate having regard to all the circumstances.

#### 16. Illumination :

(1) All areas in a dock and on a ship where the dock work is carried on and all approaches to such areas and to places to which dock workers may be required to go in the course of their employment, shall be safely and efficiently lighted in an appropriate way.

(2) The general illumination, in areas on the dock where dock workers have to pass, shall be at least 10 lux and at places where dock workers are employed the illumination shall be at least 25 lux without prejudice to the provision of any additional illumination needed at particularly dangerous places.

(3) The means of artificial lighting shall, so far as is practicable, be such and so placed as to prevent glare or formation of shadows to such an extent as to cause risk of accident to any dock worker.

(4) The portable lights shall be maintained in good condition and shall :—

(a) be equipped with substantial reflectors and guards; and

(b) be equipped with heavy duty electric cords with connection and insulation maintained in safe condition.

#### 17. Fire protection :

(1) Places where dock workers are employed shall, be provided with—

(a) sufficient and suitable fire-extinguishing equipment; and

(b) an adequate water supply at ample pressure as per national standards.

(2) Persons trained to use the fire-extinguishing equipment shall be readily available during all working hours.

(3) Fire-extinguishing equipment shall be properly maintained and inspected at regular intervals and a record maintained to that effect.

(4) A portable fire-extinguishing equipment of suitable type shall be provided in every launch or boat or other craft used for transport of dock workers and also in the crane cabine including mobile cranes.

(5) Smoking shall not be allowed in the hold of a ship, on wharf, in warehouses and transit sheds and "No Smoking" or other cautionary notices shall be displayed at such places.

#### 18. Excessive noise, etc.:

Adequate precautions shall be taken to protect dock workers against the harmful effects of excessive noise, vibrations and air pollution at the work place. In no case the noise levels shall exceed the limits laid down in Schedule VII.

### B. WARE HOUSES AND STORE PLACES

#### 19. Construction :

(1) All floors, walls, steps, stairs, passages; chutes and gangways of warehouses and storeplaces shall be of sound construction and properly maintained.

(2) The slope of ramps shall be such that the stability of transport equipment or vehicles using them is not endangered.

#### 20. Floor loading :

(1) The maximum load per square metre to be carried by any floor of a warehouse or store place and maximum load of any lifting appliance and transport equipment used on such floor shall be displayed at conspicuous places.

(2) The maximum loads referred to in sub-regulation (1) shall not be exceeded.

#### 21. Stairs :

(1) For every stair case in a warehouse or store place, a substantial handrail of a height of at least one metre shall be provided and maintained, which if the staircase has an open side shall be on that side, and, in the case of a staircase having two open sides, such a handrail shall be provided and maintained on both sides.

(2) Any open side of staircase shall also be guarded by the provision and maintenance of lower rail or other effective means.

#### 22. Openings :

All openings in floors and walls shall in so far as they present danger, be effectively protected.

#### 23. Means of escape in case of fire :

(1) All warehouses and store places shall be provided with sufficient means of escape in case of fire for the dock workers employed therein and all the means of escape, other than the means exit in ordinary use, shall be distinctively marked in a language understood by the majority of the dock workers.

(2) A free passageway giving access to each means of escape in case of fire shall be maintained for the use of all dock workers.



(3) In every dock there shall be provided effective and clearly audible means of giving warning in case of fire to every dock worker employed therein.

### C. MEANS OF ACCESS

#### 24. Access between shore and ship :

(1) When a ship is lying at a wharf or quay for the purpose of dock work, adequate and safe means of access to the ship, properly insalled and secured, shall be provided.

(2) Safe means, required by sub-regulation (1) shall be as follows :—

Where practicable, the ships accommodation ladder, or a gangway or a similar construction, shall be,—

- (i) not less than 55 cms. wide at the steps and of adequate depth with steps having permanent non-skid surface;
- (ii) properly secured and securely fenced throughout its length on each side to a clear height of one metre by means of upper and lower rails, taut ropes or chains or by other equally safe means except that in the case of ship's accommodation ladder such fencing shall be necessary one side only provided that the other side is properly protected by the ship's side;
- (iii) constructed of suitable material and maintained in good condition and suitable for the purpose;
- (iv) maintained in a condition as to prevent slipping;
- (v) fitted with a platform at either end of the ladder and the lower platform or the treads resting on the dock;
- (vi) an angle maintained not exceeding 40 degrees to the horizontal irrespective of resting on the dock.

(3) When a fixed tread ladder is used and the angle is low enough to require dock workers to walk on the edge of the treads, cleated duck boards shall be laid over and secured to the ladder.

(4) Whenever there is danger of dock workers falling between the ship and the shore, a safety net or other suitable protection shall be rigged below the accommodation ladder in such a manner as to prevent dock workers from falling.

(5) If it is not possible to rest the accommodation ladder or gangway and the foot of the same is more than 30 cms. away from the edge of the wharf or quay, the space between them shall be bridged by a firm walkway equipped with railing on both the sides with a minimum height of one metre with the mid-rails.

(6) Access to the ship shall not be within the swinging radius of the load.

(7) When the upper end of the means of access rests on or is in flush with the top of the bulwark

substantial steps properly secured and equipped with atleast one substantial handrail one metre in height shall be provided between the top of the bulwark and the deck and the steps provided shall be, as far as practicable, in line with the gangway.

(8) The use of swinging derricks or rope ladders for the access shall be prohibited.

#### 25. Access between ship and another vessel :

(1) When a ship is alongside another ship, and dock workers have to pass from one to the other, adequate and safe means of access shall be provided for their use, unless the conditions are such that it is possible to pass from one to the other without undue risk and without the aid of any special appliance.

(2) If the other ship is sailing barge, flat, keel, lighter or other similar vessel of relatively low free board, the means of access shall be provided by the ship which has the higher free board.

(3) Rope ladders used as a means of access between ship and another vessel shall,—

- (a) be of good construction, made up of suitable and sound material with adequate strength and properly maintained for the purpose for which it is used;
- (b) be adequately secured at its upper and in such a manner that it is firmly and safely held in order to prevent any possible ship-down of its spare rolled up portion when the ladder is used;
- (c) have treads which are flat and of a width and depth of not less than 30 centimetres and 15 centimetres respectively and so constructed as to prevent slipping;
- (d) have suitable provisions as far as practicable, for preventing the ladder from twisting; and
- (e) have bottom tread within the safe distance of the lower landing place.

#### 26. Access between deck and hold :

(1) If the depth from the level of the deck to the bottom of the hold exceed 1.5 metres there shall be maintained safe means of access from the deck to the hold in which work is being carried on.

(2) Where practicable, access to the hold shall be by separate man-hatches 60 centimetre by 60 centimetre clear in size, with a sloping ladder and hand rail through each deck to the lower hold and hinged cover for a man-hatch shall, while in the open position, be effectively secured.

(3) When the length of the hatchway exceeds 7 metres, a fixed hold ladder shall be fitted both on or near the fore and aft side of the hatchway.

(4) Fixed hold ladders shall be maintained in good repair and shall comply with the following provisions :—

- (a) the ladders shall be atleast 30 centimetres between their up-rights and leave free foot-

room of atleast 12 centimetres behind the ladder ;

- (b) the rungs shall be so fastened that they cannot tilt, and the intervals between rungs shall not exceed 30 centimetres ;
- (c) the rungs shall afford an adequate hand-hold ;
- (d) the ladders shall be sufficiently long ; and
- (e) a suitable landing platform shall be provided for every six metres length or fraction thereof.

(5) Fixed hold ladders connecting decks shall lie in the same straight line, unless measures are taken at each tween deck for safe ascent and descent from the ladders.

(6) (a) If the fixed holds ladders cannot extend upwards on to the coamings, strong cleats shall be fitted to the coamings in the same line as the ladders at intervals not exceeding 30 centimetres having a clear internal width of atleast 30 centimetres while affording free footroom of atleast 12 centimetres and so constructed as to prevent the foot from slipping sideways :

(b) coamings which are higher than 90 centimetres above the deck shall also be provided with the necessary cleats referred to in this sub-regulation on the outside.

(7) Shaft tunnels shall be provided with adequate hand-hold and foot-hold on each side.

(8) The approaches to hold ladders and stairs shall be atleast 40 centimetres wide and shall not be obstructed, and if on one or both sides there are dangerous moving parts it shall be atleast 50 centimetres wide.

(9) Cargo shall be stacked sufficiently far from the ladder to leave at each rung of the ladder foot-hold of a depth including any space behind the ladder of not less than 12 cms. for a width of 25 centimetres.

27. Fencing of and means of access to lifting appliances :

(1) Safe means of access to every part of a lifting appliance shall be provided.

(2) The operator's platform on every crane or tip driven by mechanical power shall be securely fenced and shall be provided with safe means of access. In particular, where access is by a ladder,—

- (a) the sides of the ladder shall extend to a reasonable distance beyond the platform or some other suitable handhold shall be provided ;
- (b) the landing place on the platform shall be maintained free from obstruction and slipping ; and

(c) in case where the ladder is vertical and exceeds six metres in height, a resting place shall be provided, after every six metres and part thereof.

28. Ladders :

(1) All metal, wooden, rope or other ladders, that are used by dock workers shall be of sound material, good construction and adequate strength for the purpose for which they are intended and shall be properly maintained and kept free from oil or other slippery material.

(2) Wooden ladders shall not be painted, but covered with clear varnish or other transparent preservative.

(3) No ladder shall be used which has—

- (a) a missing or defective rung ; or
- (b) any rung which depends for its support on nails, spikes or other similar fixings.

(4) Every ladder shall be inspected at suitable intervals by a responsible person, and if any defects pre found in any ladder, the ladder shall be immediately taken out of service.

#### D. DECKS, HATCHWAYS, ETC.

29. Bulwarks or Rails :

(1) All upper decks to which dock workers may have access for the purpose of carrying on dock work shall be provided on the outer edge upto a height of one metre above the deck with a bulwark or guard rails so designed, constructed and placed, as to prevent any dock worker from accidentally falling overboard.

(2) The bulwark or guard rails shall be continuous except where sections have to be removed for the purpose of dock work and such sections shall not extend beyond the minimum distance necessary.

30. Deck ladders :

Ladders leading from upper deck or bridge deck or which deck to main deck shall be so situated as to reduce, as far as practicable, the risk of dock workers,—

- (a) being struck by cargo during loading or unloading ; and
- (b) falling direct into an open hold if they fall from the ladder.

31. Skeleton Decks :

(1) When dock work is proceeding at any skeleton deck, adequate staging with suitable railings shall be provided to ensure a safe working surface unless the space beneath the deck is filled with cargo to within a distance of 60 centimetres of such deck.

(2) When skeleton decks are not accessible from hold ladders, safe means of access such as portable ladders shall be provided.

**32. Working Spaces :**

(1) Deck cargoes shall be stowed, or effective measures taken, so that—

- (a) safe access is provided to the winches, hold ladders and to the signaller's stand; and
- (b) winches and cranes used during loading or unloading can be safely operated.

(2) Safe access to the deck cargo, hold ladders and winches shall be ensured by securely installed steps or ladders.

(3) When a signaller has to move from the square of the hatch to the ship's side, a space at least 90 centimetres wide shall be kept clear.

(4) If the surface of the deck cargo is uneven, suitable measures shall be provided for the safe movement of dock workers.

(5) When deck cargo is stowed against ship's bulwark or hatch coamings and at such a height that there is a danger to the dock worker from falling overboard or into the open hold, suitable fencing shall be provided to prevent such fall.

(6) When there is a cargo on dock, it shall be ensured that the visibility between the signaller and crane or winch operator is not obstructed by making suitable arrangements.

(7) All places, such as decks, stages, etc. shall be properly cleaned and kept free from objects which can cause slipping, stumbling and falling.

(8) When the coaming is so high that signaller cannot see properly in the hold, a suitable step or platform shall be provided in such a manner that the distance between the top of the platform and the upper edge of the coaming is not less than one metre.

(9) A clear and unobstructed space at least 90 centimetres wide and where this is not practicable, as wide as is reasonably practicable, shall be provided around every hatch.

(10) Any part of the ship used in connection with the dock work shall be free from patent defect and maintained in good working order.

**33. Fencing around hatchways :**

(1) Every hatchway of a hold exceeding 1.5 metres in depth, which is not protected by coaming to a clear height of 75 centimetres shall, when not in use, either be effectively fenced to a height of one metre or be securely covered to prevent dock workers from falling into the hold.

(2) If in any hatch dock work is carried on simultaneously at two decks, the open end of the hatch in the higher deck shall be protected to a height of one metre by means of planks or nets or in some other suitable manner to prevent fall of dock workers or cargo and the safety nets when rigged shall not be secured to the hatch covers.

(3) When an edge of a hatch section or of stowed cargo more than 2.5 metre high is so exposed that it presents a danger to dock workers falling, the edge

shall be guarded by a taut rope, safety net or railing to a height of one metre.

(4) Deck workers employed in a hold on a partly covered hatch or on a stack shall be protected by spreading a net or in some other suitable way, against the danger of falling down.

**34. Hatch coverings, hatch beams, etc. .**

(1) All fore and aft beams and thwartship beams used for hatch covering shall have suitable gear for lifting them on and off without it being necessary for any dock worker to go upon them to adjust such gear.

(2) All hatch coverings and beams shall be kept plainly marked to indicate the deck and hatch to which they belong and their position therein.

(3) All hatch coverings and beams shall be replaced according to their markings :

Provided that this regulation shall not apply in cases where all the hatch coverings and beams of a ship are interchangeable or, in respect of marking of position, where all hatch coverings of a hatch are interchangeable.

(4) All fore and aft beams and thwartship beams including sliding beams and the tracks used for hatch coverings and all hatch coverings shall be maintained in good condition.

(5) Adequate handgrips shall be provided on all hatch coverings, having regard to their size and weight, unless construction of the hatch or the hatch covering is of a character rendering the provision of handgrips unnecessary.

(6) Hatch coverings shall not be used in the construction of stages or for any other purpose which may expose them to damage.

(7) Hatch covers and beams shall not be removed and replaced while dock work is in progress in the hold under the hatchway. Before loading or unloading take place, any hatch cover or beam that is not adequately secured against displacement shall be removed.

(8) Only an authorised person shall be permitted to open or close power operated hatch covers.

(9) Folding hatch covers shall be fitted with locking devices to prevent covers from folding back.

(10) Hatch covers shall not be opened or closed in such manner as is likely to cause injury to any dock worker.

**35. Opening and closing of hatches :**

(1) Hatchways shall be opened sufficiently to allow loads to be safely hoisted or lowered.

(2) No hatch cover or hatch beam shall be removed from or replaced on any hatch unless there is around the hatch coaming an unobstructed working space at least 60 centimetre wide or where this is not reasonably practicable, as wide as is reasonably practicable.

(3) Before covering hatch with tarpaulin, it shall be ensured that there is no opening left uncovered by hatch covers and that all the hatch covers are resting securely.

### 36. Handling of hatch coverings and beams :

(1) Any hatch cover exceeding 55 kilogram in weight and all beams of any hatch shall be removed or replaced only with a winch or other suitable mechanical means.

(2) When being replaced, hatch covers and beams shall be placed on the hatches in the position indicated by the markings thereon and shall be adequately secured.

(3) Hatch covers and beams shall not be removed or replaced while dock worker is below the level of the hatch in a position in which he is liable to be struck by a falling hatch covering or hatch beam.

(4) Hatch covers, tarpaulins, fore-and-aft beams and thwart-hip beams which have been removed shall be so laid down, stacked or secured that they cannot fall into the hold or otherwise cause danger.

(5) Hatch covers and beams shall be so placed as to leave a safe walkway from bulwark to hatchcoaming or fore-and-aft.

(6) Hatch covers shall be either arranged in neat piles not higher than the coaming and away from it or spread one high between coaming and rail with no space between them. The height of the stack shall be regulated so that, if accidentally struck by a sling, they will not endanger a dock worker below or over-side.

### 37. Securing of hatch covering and hatch beams:

(1) Where any hatch beam is fitted with a permanent device for securing it in position in the hatch, that device and its corresponding fitting in the coaming shall be effectively and properly maintained.

(2) The beams of any hatch in use for the dock work shall, if not removed be adequately secured to prevent their displacement.

(3) Any sliding or rolling hatch beams supporting hatch coverings which are left in position in a partly opened hatch shall be adequately secured to prevent any horizontal movement of the hatch beams.

(4) Every sliding or rolling hatch beams and its guides shall be so constructed and maintained that the hatch beam is not liable to be accidentally displaced from its guides.

(5) Mechanically operated hatch coverings shall, when stowed, be adequately secured to prevent movement.

### 38. Escape from holds :

Precautions shall be taken to facilitate the escape of dock workers when handling coal or other bulk cargo in a hold or in tween decks or bin or hopper.

### 39. Dangerous and harmful environment :

(1) When internal combustion engines exhaust into a hold or intermediate deck or any other working place where neither natural ventilation nor the ship's ventilation system is adequate to keep the carbon monoxide content of the atmosphere, below 50 parts per million, adequate and suitable measures shall be taken at such places in order to avoid exposure of dock workers to health hazards.

(2) No dock worker shall be allowed to enter any hold or tank of a vessel wherein there is given off any dust, fumes or other impurities of such a nature and to such an extent as is likely to be injurious or offensive to the dock workers or in which explosives, poisonous, noxious or gaseous cargoes have been carried or stored or in which dry ice has been used as a refrigerant, or which has been fumigated, or in which there is possibility of oxygen deficiency, unless all practical steps have been taken to remove the dust, fumes or other impurities and dangers which may be present and to prevent any further ingress thereof, and such holds or tanks are certified to be safe and fit for dock workers to enter the same by the competent authority.

(3) When dock workers are exposed to any dust in substantial quantities as if, handling bulk grains, fertilizers, cements and other similar cargoes, they shall be protected by suitable respiratory protective equipment.

## E. LIFTING APPLIANCES AND GEAR

### 40.39 Construction and Maintenance of Lifting Appliances

#### (1) General :

All lifting appliance, including all parts and working gear thereof, whether fixed or moveable, and any plant or gear used in anchoring or fixing such appliance, shall be :

- (a) of good construction, sound material, adequate strength for the purpose for which it is used and free from patent defects; and
- (b) maintained in good repair and working order.

#### (2) Drums.

- (a) Every drum or pulley round which the rope of any lifting appliances is carried, shall be of adequate diameter and construction in relation to the rope used.
- (b) Any rope which terminates at the winding drum of a lifting appliances shall be securely attached to the drum and at least three dead turns of the rope shall remain on the drum in every operating position of the lifting appliance.
- (c) The flange of the drum should project twice the rope diameter beyond the last layer and if this height is not available, other measures such as anti-slackness guards shall be provided to prevent the rope from coming off the drum.

## (3) Brakes :

Every lifting appliances shall be provided with an efficient brake or brakes which shall,—

- (a) be capable of preventing fall of a suspended load (including any test load applied in accordance with these regulations) and of effectively controlling a load while it is being lowered;
- (b) act without shock;
- (c) have shoes that can be easily removed for re-lining ; and
- (d) be provided with simple and easily accessible means of adjustment .

Provided that this regulation shall not apply to steam winch which can be so operated that the winch is as safe as it would be if a brake or brakes were provided in accordance with this regulation.

## (4) Controls :

Controls of lifting appliance shall,—

- (a) be so situated that the driver at his stand or seat has ample room for operating and has an unrestricted view of dock work, as far as practicable, and remains clear of the load and ropes, and that no load passes over him;
- (b) be positioned with due regard to ergonomic considerations for easy operation;
- (c) be so located that the driver does not have to remain in the height of the heel block;
- (d) have upon them or adjacent to them clear markings to indicate their purpose and mode of operation;
- (e) be provided, where necessary, with a suitable locking device to prevent accidental movement or displacement;
- (f) as far as practicable, move in the direction of the resultant load movement; and
- (g) automatically come to a neutral position in case of power failure wherever automatic brakes are provided.

## 41. Test and periodical examination of lifting appliances :

(1) Before being taken into use for the first time or after it has undergone any alterations or repairs liable to affect its strength or stability and also once at least in every five years, all lifting appliances including all parts and gears thereof, whether fixed or movable, shall be tested and examined by a Competent person in the manner set out in Schedule-I.

(2) All lifting appliances shall be thoroughly examined by a Competent person once at least in every 12 months. Where the Competent person making this examination forms the opinion that the lifting appliance cannot continue to function safely, he shall forthwith give notice in writing of his opinion to the owner

of the lifting appliance or in case of lifting appliance carried on board a ship not registered in India, to the Master or Officer-in-charge of the ship.

(3) Thorough examination for the purpose of this regulation shall mean a visual examination, supplemented if necessary by other means such as hammer test, carried out as carefully as the conditions permit, in order to arrive at a reliable conclusion as to the safety of the parts examined; and if necessary for this purpose, parts of the lifting appliance and gear, shall be dismantled.

## 42. Automatic safe load indicators :

(1) Every crane, if so constructed that the safe working load may be varied by raising or lowering of the jib or otherwise, shall have attached to it an automatic indicator of safe working loads which shall also give a warning to the operator wherever the safe working load is exceeded.

(2) Cut-out shall be provided which automatically arrests the movement of the lifting parts of the crane in the event of the load exceeding the safe working load wherever possible.

(3) The provisions of sub-regulation (1) shall not apply where it is not possible to instal an automatic safe load indicator, in which case, provision on the crane of a table showing the safe working loads at the corresponding inclinations or radii of the jib shall be considered sufficient compliance.

## 43. Rigging of ship's derricks :

(1) Every ship shall carry the current and relevant rigging plans and any other relevant information necessary for the safe rigging of its derricks and necessary gear.

(2) All such rigging plans shall be certified by a competent person.

## 44. Securing of derrick foot :

Appropriate measures shall be taken to prevent the foot of a derrick being lifted out of its socket or supports.

## 45. Winches :

## (1) General

- (a) Winches shall not be used if control levers to operate with excessive friction or excessive play.
- (b) Double gear winches shall not be used unless a positive means of locking the gear shift is provided.
- (c) When changing gears on a two gear winch, there shall be no load other than the fall and the cargo hook assembly on the winch.
- (d) Adequate protection shall be provided to winch operator against the weather, where necessary.

- (e) Temporary seats and shelters for winch operators which create a hazard to the winch operator or other dock workers shall not be allowed to be used.
- (f) When winchs are left unattended, control levers shall be secured in the neutral position and whenever possible, the power shall be shut off.

## (2) Steam winches

In every steam winch used in dock work, —

- (a) measures shall be taken to prevent escaping steam, from obscuring any part of the decks or other work places or from otherwise hindering or injuring any dock worker;
- (b) extension control levers which tend to fall of their own weight shall be counter-balanced;
- (c) except for short handles on wheel type controls, winch operations shall not be permitted to use the winch control extension levers unless they are provided by either the ship or the employer and such levers shall be of adequate strength and secure and fastened with metal connections at the fulcrum and at the permanent control lever.

## (3) Electric winches

- (a) In case of any defect, dock workers shall not be permitted to transfer with or adjust electric control circuits.
- (b) Electric wireless shall not be used for dock work in cases where.—
  - (i) the electro-magnetic brake is unable to hold the load; and
  - (ii) one or more control points, either hoisting or lowering, is not operating properly.

## 46. Construction and maintenance of loose gears :

(1) Every loose gear shall be :—

- (a) of good design and construction, sound material and adequate strength for the purpose for which it is used and free from patent defects, and
- (b) properly maintained in good repair and working order.

(2) Components of the loose gear shall be renewed if one of the dimensions at any point has decreased by 10 per cent or more by user.

(3) (a) Chains shall be withdrawn from use when stretched and increased in length exceeds five per cent or when a link of the chain deformed or otherwise damaged or raised scuffs of defective welds appeared.

(b) Rings, hooks, swivels and end links attached to chains shall be of the same material as that of the chains.

(4) The voltage of electric supply to any magnetic lifting device shall not fluctuate by more than per cent.

47. Test and periodical examination of loose gears :

(1) All loose gears shall be initially tested for the manufacturer by a competent person, in a manner set-out in Schedule-I before taking into use or after undergoing any substantial alterations or renders it any part liable to affect its safety and shall subsequently be retested, for the owner of the gear, at least in every five years.

(2) All loose gears shall be thoroughly examined once at least in every twelve months by a Competent Person. In addition chains shall be thoroughly examined once at least every month by a responsible person

## 48. Ropes :

(1) No rope shall be used for dock work unless :—

- (a) it is of suitable quality and free from patent defect, and
- (b) in the case of wire rope, it has been tested and examined by a competent person in the manner set out in Schedule-I.

(2) Every wire rope of lifting appliance or loose gear used in dock work shall be inspected by a responsible person once at least in every three months provided that after any wire has broken in such rope it shall be inspected once at least in every month.

(3) No wire rope shall be used in dock work if in any length of eight diameters the total number of visible broken wires exceed 10 per cent of the total number of wires or the rope shows sign of excessive wear, corrosion or other defects which in the opinion of the person who inspects it or Inspector renders it as unfit for use.

(4) Eye splices and loops for the attachment of hooks, rings and other such parts to wire ropes shall be made with suitable thimble.

(5) A thimble or loop splice made in any wire rope shall conform to the following standard,—

- (a) Wire rope or rope sling shall have at least three tucks with full strand of rope and two tucks with one-half of the wires cut out of each strand and strands in all cases shall be tucked against the lay of the rope
- (b) protruding ends of strands in any splice of wire rope and rope slings shall be covered or treated so as to leave no sharp point
- (c) fibre rope or rope sling shall have at least four tucks tail of such tuck being whipped in a suitable manner; and
- (d) synthetic fibre rope or rope sling shall have at least four tucks with full strand followed by further tuck with one-half filaments cut out of each strand and final tuck with one-half of the remaining filaments, cut-out from

trands. The portion of the splices containing the tucks with the reduced number of filaments shall be securely covered with suitable tape or other materials.

Provided that this sub-regulation shall not operate to prevent the use of another form of splice which may be shown to be as efficient as that laid down in this regulation.

49. Heat treatment of loose gears :

(1) All chains other than bridle chains attached to derricks or masts and all rings, hooks, shackles and swivels used in hoisting or lowering shall, unless they have been subjected to such treatment as an Inspector may, subject to confirmation by the Chief Inspector approve, be effectively annealed under supervision of a competent person and at the following intervals :—

- (a) 12.5 millimetre and smaller chains, rings, hooks, shackles and swivels in general use, once atleast in every six months ; and
- (b) all other chains, rings, hooks, shackles and swivels in general use, once atleast in every twelve months.

Provided that in the case of such gear used solely on cranes and other hoisting appliances worked by electricity and twelve months shall be substituted for six months in sub-clause (a) and two years for twelve months in sub-clause (b) :

Provided further that where an Inspector is of the opinion that owing to the size, design material or frequency of use of any such gear or class of such gear, the requirement of this regulation as to annealing is not necessary for the protection of dock workers, he may by certificate in writing (which he may at his discretion revoke) and subject to confirmation by the Chief Inspector exempt such gear or class of gear from such requirement subject to such conditions as may be specified in such certificate.

(2) Sub-regulation (1) shall not apply to ;

- (i) pitched chains, working on sprocket or sprocketed wheels ;
- (ii) rings, hooks and swivels permanently attached to pitched chain, pulley blocks or weighing machines; and
- (iii) hooks and swivels having ball bearings or other case hardened parts.

(3) All chains and loose gears made from high tensile steel or alloy steel be plainly marked with an approved mark indicating that they are so made. No chain or loose gear made from high tensile steel or alloy steel shall be subject to any form of heat treatment except where necessary for the purpose of repair and under the direction of a competent person.

(4) If the past history of wrought iron gear is not known or if it is suspected that the gear has been heat treated at incorrect temperature, it shall be normalised before using the same for dock work.

50. Certificate to be issued after actual testing, examination, etc.

A competent person shall issue a certificate for the purpose of regulation 41, 47, 48 or 49 only after actual testing or, as the case may be, examination of the apparatus specified in the said regulation.

51. Register of periodical test and examination and certificates thereof :

(1) A register in Form—II shall be maintained and particulars of test and examination of lifting appliances and loose gears and heat treatment, as required by regulations 41, 47 and 49 shall be entered in it.

(2) Certificates shall be obtained from Competent Person and attached to the register in Form II, in respect of the following, in the forms shown against each;

- (a) initial and periodical test and examination under regulations 41 and 47, for—
  - (i) winches, derricks and their accessory gear in Form III.
  - (ii) cranes or hoists and their accessory gear in Form IV;
- (b) test, examination and re-examination of loose gears under regulation 47 in Form V.
- (c) test and examination of wire ropes under regulation 48 in Form VI.
- (d) heat treatment and examination of loose gears under sub-regulation (1) of regulation 49, in Form VII.
- (e) annual thorough examination of the loose gears under sub-regulation (2) of regulation 47 in Form VIII, unless required particulars have been entered in the register in Form II.

(3) The register and the certificates attached to the register shall be—

- (a) kept on board the ship in case of ship's lifting appliances, loose gears and wire ropes;
- (b) kept at premises of the owner in respect of other lifting appliances, loose gear and wire ropes;
- (c) produced on demand before an Inspector; and
- (d) retained for atleast five years after the date of the last entry.

(4) No lifting appliance and loose gear in respect of which an entry is required to be made and certificates of test and examination are required to be attached in the register in Form II, shall be used for dock work unless and until the required entry has been made in the register and the required certificates have been so attached.

## 52. Marking of safe working load :

(1) Every lifting appliance and every item of loose gear shall be clearly marked with its safe working load and identification mark by stamping or where this is impracticable, by other suitable means.

(2) (a) Every ship's derrick (other than derrick crane) shall be clearly marked with its safe working load when the derrick is used ,

(i) in single purchase,

(ii) with a lower cargo block, and

(iii) in union purchases in all possible block positions;

(b) The lowest angle to the horizontal, that the derrick may be used, shall also be legibly marked.

(3) Every lifting appliance (other than ship's derrick) having more than one safe working load shall be fitted with effective means enabling the operator to determine the safe working load under each condition of use.

(4) Means shall be provided to enable any dock worker using loose gears to ascertain the safe working load for such loose gears under such conditions as it may be used and such means shall consist—

(a) as regards chain slings, of marking the safe working load in plain figures or letters upon the sling or upon a tablet or ring of durable material attached securely thereto; and

(b) as regards wire rope slings, either the means specified in clause (a) above or a notice or notices so exhibited as can be easily read by any concerned, dock worker stating the safe working load for the various sizes of the wire rope slings used.

(5) No lifting appliance or loose gear shall be used unless marked in accordance with the provisions of this regulation.

## 53. Loading of lifting appliances and loose gears :

(1) No lifting appliance, loose gear and wire rope shall be used in an unsafe way and in such a manner as to involve risk to life of dock workers, and, in particular, shall be loaded beyond its safe working load or loads, except for testing purposes as given in Schedule—I and under the direction of a competent person.

(2) No lifting appliance and loose gears or any other cargo handling appliances shall be used, if—

(a) the Inspector is not satisfied by reference to a certificate of test or examination or to an authenticated record maintained as provided under the regulations; and

(b) in the view of the Inspector, the lifting appliance, loose gear or any other cargo handling appliance is not safe for use in dock work.

## 54. Pulley blocks :

No pulley blocks shall be used in dock work unless the safe working load and its identification marks are clearly stamped upon it.

## 55. Vacuum and Magnetic Lifting device :

(1) No vacuum lifting device or magnetic lifting device or any other lifting device where the load is held by adhesive power only, be used while workers are performing operations in the holds.

(2) Any magnetic lifting device used in connection with dock work shall be provided with an alternative supply of power, such as batteries, that come into operation immediately in the event of failure of the main power supply.

Provided that the provisions under this sub-regulation shall not apply to magnetic lifting device that is being used to load or unload scrap metal or to other cargo handling operations of such a nature that there is no dock worker within the swinging zone of the load.

## 56. Knotting of chains and wire ropes :

No chain or wire rope shall be used in dock work with a knot in it.

## TRANSPORT EQUIPMENT AND OPERATIONS

## 57. Power trucks and hand trucks :

(1) All trucks|trailers and tractor equipments shall be of good material, sound construction, sufficiently strong for the purpose for which it is used and maintained in good state of repair :

Provided that trucks and trailer employed for transporting freight containers shall be of the size to carry the containers without overhanging and provide with twist locks conforming to national standards at all the four corners and these shall be :—

(i) approved by a competent person; and

(ii) inspected, by a responsible person once at least in every month and record maintained

(2) All trucks and other equipments shall be inspected atleast once a week by a responsible person and when any dangerous defect is noticed in a equipment it shall be immediately taken out of use

(3) Power trucks and tractors shall be equipped with effective brakes, head lights and tail lamps and maintained in good repairs and working order.

(4) Side stanchions on power trucks and trailer for carrying heavy and long objects shall be,

(a) of substantial construction and free from defects;

(b) provided with tie chains attached to the top across the loads for preventing the stanchions from spreading out; and

(c) wherever necessary the stanchions shall be in position while loading and unloading.



(5) Safe gangways shall be provided for to and for movement of dock workers engaged in loading and unloading in lorries, trucks, trailers and wagons.

(6) Trucks and other equipments shall not be loaded beyond their safe carrying capacity which shall be clearly and plainly marked on them.

(7) Handles of hand trucks shall be so designed as to protect the hands of the dock workers or else be provided with knuckle guards.

(8) (a) Unauthorised persons shall not ride on transport equipment employed in connection with the dock work.

(b) Driver of the transport equipment shall manoeuvre the equipment under the direction of a signaler only :

Provided that this sub-regulation shall not apply in case vision of the driver is not obstructed.

58. Use of internal combustion engines in the holds :

(1) Internal combustion engines shall not be used in connection with the dock work in the holds or cargo spaces unless,—

(a) adequate means of ventilation and, where necessary mechanical ventilation is provided;

(b) suitable fire fighting equipment is readily available;

(c) exhaust pipes, connections, and mufflers are kept tight;

(d) exhaust is so directed as not to cause inconvenience to the operator and dock workers;

(e) it is ensured that no explosives, inflammable liquids, gases or similar dangerous cargo are present;

(f) a spark arrestor is fitted on the exhaust of the engine and the bare heated surfaces of the engine, that are liable to ignite spilled fuel, are suitably protected;

(g) the engine is refuelled above deck; and

(h) the exhaust does not contain the carbon monoxide above T.Y. prescribed in the national standards.

(2) The internal combustion engine shall be switched off when not in use in connection with the dock work.

(3) Operators of internal combustion engines in cargo spaces or cargo holds shall not work alone.

(4) Whenever internal combustion engines for use in dock work are to be brought on board, the Master or the Officer-in-charge of the ship shall be notified.

59. Use of fork-lifts, electric trucks or cars :

(1) Electrically driven trucks or cars, fork-lifts, etc. shall be fitted with atleast one effective mechanical braking device and mechanically operated current cut-off that comes into operation automatically when the operator leaves the vehicle.

(2) Fork-lift trucks shall be fitted with overhead guard to protect the operator from falling objects.

(3) Fork-lift trucks or electric cars shall have their gross weight conspicuously marked upon them.

(4) When a fork-lift truck or electric Car is operated in intermediate deck, steps shall be taken to ensure that the working surface can support the load and the hatch covers cannot be dislodged by the movement of the truck.

60. Stability test :

All fork-lift trucks and electric cars shall have been tested for stability as per national standards.

61. Dock railways :

(1) Sufficient clearance to ensure safety shall be allowed between structures or piles of cargo and railway track.

(2) Locomotive drivers shall act only on signals given by an authorised person :

Provided that stop signals shall always be acted upon, irrespective of their source.

(3) Locomotives pulling or pushing wagons shall move dead slow and shall be preceded by a man on foot when passing through an area where dock workers are employed.

(4) No locomotive or wagon shall be moved on a railway line until and efficient sound signal as a warning has been given by the man preceding it on foot where dock workers are working and whose safety is likely to be endangered, or on approaching any curve where sight is intercepted, or any other point of danger to dock workers.

(5) When a railway wagon or a group of wagons not directly connected to a locomotive is being moved, a person shall be appointed to control each wagon or a group of wagons.

(6) Cranes, ship's winches and derricks shall not be used to move railway wagons.

(7) Fly shunting in premises where dock workers are engaged in dock work shall be prohibited and all trains shall be brought to a full stop before any wagons are cut loose.

(8) As far as practicable, idle wagons shall not be left standing on quays with short distances between them.

(9) When dock workers are required to work between or beneath railway wagons, they shall be provided with a lookout man responsible for giving them necessary warning.

(10) Dock workers shall not be employed inside open wagon when —

(a) bulk cargo is being handled by means grabs; or

(b) steel cargo is being handled by electro-magnets.

11  
b  
e

(11) Locomotive used for pulling or pushing wagons shall be maintained in good repairs and working order.

(12) Before moving railway wagons, train crews shall make sure that all dock workers are out of the wagons and the danger zone.

#### 62. Conveyers :

(1) Conveyers shall be of sound material, good construction and sufficient strength to support safely the loads for which they are intended, and shall be kept in good repair.

(2) (a) Conveying machinery shall be so constructed and installed as to avoid hazardous points between moving and stationary parts or objects.

(b) When a passage way is adjacent to an open conveyer, a clearance of at least 90 centimetre shall be provided between the inner edge of the walkway and the conveyer.

(3) When dock workers have to cross over conveyers, regular crossing facilities affording safe and adequately lighted passage shall be provided.

(4) When conveyers that are not entirely enclosed cross over places where dock workers are employed or might pass beneath them, sheet or screen guards shall be provided to catch any material which might fall from the conveyers.

(5) Power driven conveyers shall be provided at loading and unloading stations, at drive and take-up ends, and at other convenient places, with devices for stopping the conveyer machinery in an emergency.

(6) Adequate fencing shall be provided at transfer point.

(7) Conveyers which carry loads up-inclines shall be provided with mechanical devices that will prevent machinery from reversing and carrying the loads back towards the loading point in the event of the power being cut off.

(8) Where two or more conveyers are operated together, the controlling devices shall be so arranged that no conveyer can feed on to a stopped conveyer.

(9) Where the tops of noppers for feeding conveyers are less than 90 centimetres above the floors the openings shall be adequately guarded.

(10) (a) Where conveyers extend to points not visible from the control stations, they shall be equipped with gongs, whistles or signal lights, to be used by the operators before starting the machinery so as to warn dock workers who might be in positions of danger;

(b) Similar provisions shall be made where necessary to enable the dock workers to communicate with the operator.

(11) Conveyers shall be provided with automatic and continuous lubrication systems, or with lubricating facilities so arranged that oiling and greasing can be performed without the oilers coming within dangerous proximity to moving parts.

(12) Conveyers shall be thoroughly inspected once in every three months by a responsible person.

(13) Dock workers shall not ride on conveyers.

(14) Belt conveyers shall be provided with guards at the nips of the belts and drums.

(15) Intake openings of blower or exhaust fans for pneumatic conveyers shall be protected with substantial metal screens or gratings.

(16) Frames of gravity rollers and chutes shall be kept free of splinters, sharp edges and rough surfaces.

(17) Gravity rollers and chutes shall not be used for the passage of dock workers.

(18) Sideboards of chutes shall be of sufficient height to prevent cargo from falling off.

(19) Suitable provision shall be made for the cleaning of conveyers and for clearing obstructions in a safe way.

#### 63. Transport equipment operators :

No person shall be employed to operate transport equipment unless he is above 18 years of age and is sufficiently competent and reliable.

#### 64. Qualification for mobile crane drivers, signallers, etc.

No person shall be employed to drive or operate lifting appliances whether drive by mechanical power or otherwise or to give signals to driver or operator of such lifting appliances or to work as rigger for ship's derricks unless he is above 18 years of age and is sufficiently competent and reliable.

### G. HANDLING OF CARGO

#### 65. Loading and unloading operations :

(1) No cargo shall be loaded or unloaded by a fall or sling at any intermediate deck unless either the hatch at that deck is securely covered or a secure landing platform of a width not less than that of one section of hatch coverings has been placed across it;

Provided that this regulation shall not apply to any loading or unloading work the whole of which may be completed within a period of half an hour.

(2) No loose gear or any other object shall be thrown in or out of the holds.

(3) During the loading and unloading of bulk cargo a record of all dock workers employed in the hold shall be maintained and produced on demand to the Inspector.

(4) Where necessary cargo shall be secured or blocked to prevent its shifting or falling. In breaking down, precautions shall be taken where necessary to prevent the remaining cargo from falling.

(5) (a) Dragging of cargo shall be done with the ship's winches only when the runner is led directly from the derrick heel block; and

(b) Pulley blocks shall be used to provide a fair lead for the runner so as to prevent it from dragging against obstructions.

(6) If the head room in the hold of a ship for the uprose of stacking and unstacking is less than 1.5 metres, suitable measures shall be taken to guard against accident.

(7) Loads shall be safely slung before being hoisted. Loose dunnage or debris hanging or protruding from loads shall be removed and suitable means shall be adopted to prevent cargo from falling out.

(8) Cargo handling bridles, such as pallet bridles, which are to remain attached to the lifting appliance while hoisting successive sling loads, shall be attached by shackles, or other positive means shall be taken to prevent them from becoming accidentally disengaged from the hook of the lifting appliance.

(9) When lifting appliance is operating without a load on the slings :—

- (a) slings or chains shall be hooked securely to the appliance before the operators are given signal to move;
- (b) sharp hooks, multiple hooks and claws shall not hang at one end but shall be reeved through slings; and
- (c) the operators shall raise the appliance sufficiently to keep clear off dock workers and objects.

(10) Effective measures shall be taken, by the use of suitable packing or otherwise, to prevent edges of any load from coming in contact with any rope or chain sling which is likely to cause any damage to the rope or chain sling.

(11) Buckets, tubs and similar appliances shall not be loaded above their rims.

(12) No loads shall be lifted at strappings unless such strappings are approved as proper and safe slinging points. Movement of such loads is allowed only if everybody has left the danger zone.

(13) When working with lifting appliances, slope-pulling, horizontal dragging and intentional swing of loads and lifting devices are prohibited.

#### 66. Stacking and unstacking :

(1) Where stacking, unstacking, stowing or unstowing, stuffing or destuffing of cargo or handling in connection therewith cannot be safely carried out unaided, reasonable measures to guard against accidents shall be taken by shoring or otherwise.

(2) Stacking of cargo shall be made on firm foundation not liable to settle and the weight of the cargo shall be such as not over-load the floors.

(3) Cargo shall not be stacked against partition or walls of warehouses or storeplaces unless it is known that the partition or the wall is of sufficient strength to withstand the pressure.

(4) Cargo shall not be stacked to such a height and in such a manner as would render the pile unstable.

(5) Where the dock workers are working on stacks exceeding 1.5 metres in height, safe means of access to the stack shall be provided.

(6) Stacking and unstacking work shall be performed under the supervision of an authorised person.

67. Handling objects having sharp and projecting parts :

Dock workers handling objects with sharp edges, fins, slivers, splinters or similar dangerous projecting parts shall be provided with suitable protective equipment.

68. Hooks for bales, etc.

When the working space in a hold is confined to the square of the hatch, hooks shall not be made fast in the bands or fastenings of bales of cotton, wool, cork, gunny bags, or other similar goods, nor shall can hooks be used for raising or lowering a barrel when, owing to the construction or condition of the barrel or of the hooks, their use is likely to be unsafe.

69. Cargo platforms :

(1) Cargo platforms (except those formed by cargo itself) shall be made of sound material, substantially and firmly constructed, adequately supported and maintained in good repair.

(2) Cargo platforms shall,—

- (a) be of sufficient size to receive cargo and to ensure the safety of dock workers working on them;
- (b) if of a height exceeding 1.5 metres, in addition to the requirements of (a) above, be protected on any side, which is not being used for receiving or delivering cargo, by substantial fencing to a height of one metre; and
- (c) be provided with safe means of access, such as ladders or stairs.

(3) Cargo platforms shall not be overloaded.

(4) Portable trestles shall be so placed as to be steady.

70. Restrictions on loading and unloading operations :

(1) No other work, for example, maintenance or repair work such as sand blasting or welding shall be performed at places where dock work is in progress if it is likely to endanger or obstruct the person carrying out dock work.

(2) When more than one gang of dock workers are employed in dock work simultaneously in a hold, it shall be ensured that,—

- (a) the operation of loading or unloading is harmonised to avoid dangers to the working gangs from one another;
- (b) the slung cargo of one gang will not endanger the dock workers of the other gang;
- (c) where gangs are working at different levels, a net shall be rigged and securely fastened to prevent dock workers from falling down or cargo falling on to dock workers below;
- (d) over crowding of gangs in a section of the hold is avoided.

## 71. Dock work at midstream :

No dock worker shall be employed to handle cargo on any ship anchored in midstream whenever, the working conditions are considered to be dangerous.

## 72. Work during berthing and shifting of ships :

(1) While ships are being berthed or shifted, no dock work shall be carried out by dock workers in the holds or hatches and on decks.

(2) When ships are being moored, dock workers shall be kept clear of the mooring ropes and, in particular, shall not be allowed to stand in the light of ropes being hauled by capstans.

## 73. Protective equipment :

(1) Where other means of protection against harmful agents are impracticable or insufficient, dock workers shall be provided with adequate protective clothing and personal protective equipment to shield them from the effects of such agents.

(2) Protective clothing and personal protective equipment shall be of suitable quality and maintained in good condition and shall be cleaned and disinfected at suitable intervals.

(3) Where protective equipment and clothing may be contaminated by poisonous or other dangerous goods, it shall be stored in a separate accommodation where it will not contaminate the dock workers' clothing and other belongings.

(4) Suitable protection equipment shall be issued to the dock workers employed in the reefer holds or chambers or reefer containers for affording complete body protection.

## 74. Winch and crane operators :

There shall be one winch or crane operator for each single or pair of loading winches or cranes which can be operated from the same point and he shall,—

- (a) be not less than 18 years of age ;
- (b) be competent and reliable ;
- (c) possess the knowledge of the inherent risks of the mechanism operation ; and
- (d) be medically examined periodically as per the Schedule XI.

## 75. Signaller :

(1) When cargo is being loaded or unloaded by a fall at a hatchway, a signaller shall be employed, and where more than one fall is being worked at a hatchway, a separate signaller shall be employed to attend to each fall :

Provided that :—

- (a) this regulation shall not apply, in cases where a barge, lighter or other similar vessel is being loaded or unloaded, if the operator of the crane or winch, working the fall has a clear and unrestricted view of those parts of the hold where dock work is being carried on ; and

(b) where the Inspector is of the opinion that owing to the nature of the crane or winch or other appliance in use or by reason of any special arrangements, the requirements of this regulation are not necessary for the safety of dock workers, he may by certificate in writing (which he may at his discretion revoke) suspend such requirements subject to such conditions as may be specified in such certificate.

(2) More than one signaller shall be employed when in the opinion of the Inspector it is necessary to do so in the interest of the safety of workers.

## H. HANDLING OF DANGEROUS GOODS

## 76. Notification :

(1) Before unloading of any dangerous goods, as categorised in Schedule-II, from any ship is commenced, the master or officer-in-charge and the agent of the ship shall furnish the employer of the dock workers, Port Authority and the Inspector with a statement in writing identifying the goods and specifying the nature of the danger which they can give rise to and specifying the categories and obtain an acknowledgement of the receipt of the same.

(2) Before any dangerous goods are received for shipment, the shipper or his agent shall furnish with the information as required by sub-regulation (1) above to the Port Authority, the Inspector and the employer of the dock workers handling the dangerous goods.

## 77. General precautions :

(1) Dangerous goods shall be loaded, unloaded handled and stored under the supervision of a responsible person who is familiar with the risks and the precautions to be taken. In case of doubt as to the nature of the risk or the precautions to be taken, necessary instructions shall be obtained from the Safety Officer appointed under these regulations.

(2) Dangerous goods shall not be loaded, unloaded or stored unless they are suitably packed and labelled showing the danger therefrom. The dock workers shall be given adequate information concerning the nature of the cargo and special precautions to be observed in handling them.

(3) Special precautions, such as provision of mats, sling nets, boxes and high sided pallets shall be taken to prevent breakage or damage to containers of the dangerous goods.

(4) Dock workers employed in loading or unloading or otherwise handling dangerous goods shall be provided with suitable protective equipments.

(5) Dock workers handling dangerous goods shall thoroughly wash their hands and faces with soap or some other cleaning agent before taking any food, drink, pan and supari or tobacco.

(6) Only specially trained dock workers shall be employed for cleaning, sweeping or handling spillages or sweeping of dangerous goods.

## 78. Explosive and inflammable cargo :

(1) Where there is a risk of explosion from electrical equipment, the circuit shall be made dead and kept dead as long as the risk lasts unless such equipment and circuits are safe for use in the explosive atmosphere and non-sparking tools shall be provided and used in such atmosphere.

(2) When inflammable cargo is being loaded or unloaded, special measures shall be taken to ensure that an incipient fire can be controlled immediately.

## 79. Other dangerous goods :

(1) Before fumigated cargo such as grain is loaded or unloaded, adequate measures shall be taken to ensure that the cargo is safe to handle.

(2) Where caustic and corrosive substances are handled or stored, special precautions shall be taken to prevent damage to the containers and to render any spillage harmless.

(3) If skins, wool, hair, bones, or other animal parts have not been certified by competent authority as having been disinfected, especially against anthrax, the dock workers concerned shall be :—

- (a) instructed about the risk of infection and the precautions to be taken;
- (b) provided with suitable type of personal protective equipment; and
- (c) subjected to special medical supervision.

## 80. Handling of tetraethyl lead compound :

(1) Tetraethyl lead compound shall not be unloaded from a ship unless :

- (a) it is packed in specially constructed steel drums of substantial construction, sealed with an inner and outer bung, and fitted with rolling hoops on to the shell as an added precaution ;
- (b) all receptacles containing tetraethyl lead compound are distinctively and durably marked with the words "Tetraethyl Lead Compound—Poison"; and
- (c) two sets of protective equipment comprising the following are provided and kept readily available for use in the event of any leakage of tetraethyl lead compound :
  - (i) rubber gloves.
  - (ii) rubber boots,
  - (iii) rubber apron or oilskin suit, and
  - (iv) suitable respirator, which should be either of cannister type containing minimum of 50 cc. of activated charcoal or an airline respirator with an independent fresh air supply.

(2) Following measures shall be taken while unloading tetraethyl lead compound :

- (a) no receptacle containing tetraethyl lead compound shall be opened within the limits of the port;

(b) before commencement of the unloading operations, the consignment of tetraethyl lead compound shall be inspected on board the vessel by a responsible person. No tetraethyl lead compound drums showing any sign of leakage shall be unloaded until suitably repaired or placed in a larger receptacle or container offering sufficient precautions from leakage;

(c) drums containing tetraethyl lead compound shall be discharged under the supervision of a responsible person;

(d) drums containing tetraethyl lead compound shall be loaded and discharged in rope slings with a maximum of two drums at a separate sling for each drum. Hooks shall on no account be used;

(e) dock workers handling drums containing tetraethyl lead compound shall be provided with heavy gloves of canvas or leather and shall use such gloves; and

(f) adequate quantities of non-inflammable solvent or kerosene and soap and water to deal with any leakages of tetraethyl lead compound shall be kept readily available where the work of handling of the tetraethyl lead compound is carried on.

(3) Following measures shall be taken in the event of leakage of tetraethyl lead compound :

(a) the area in which the leakage of tetraethyl lead compound has occurred (including the outside of a drum) shall be treated as follows :—

(i) flush with kerosene or some other light oil solvent followed by water. If the surface permits, wash thoroughly with soap working-up as much lather as possible, and again flush with water;

(ii) if it is possible to obtain quickly a supply of common bleaching lime (Ca O C12) the area should first be treated generously with a mixture of bleaching lime and water in the form of thin slurry (NEVER use the dry powder) alternatively a five per cent solution of sulphuric chloride (SO<sub>2</sub> C 12) in kerosene may be used;

(b) if contamination of absorbent material such as wooden flooring, dunnage, or other packing material has taken place, then such material shall, after treatment as above, be removed from the place where tetraethyl lead compound is being handled;

(c) any clothing which becomes contaminated by tetraethyl lead compound shall be removed immediately and cleaned by repeated rinsing in a non-inflammable dry cleaning fluid;

(d) if tetraethyl lead compound can be smelled, dock workers not assigned to deal with the leakage of tetraethyl lead compound shall be removed from that place; and

- (e) dock workers assigned to deal with leakage of tetraethyl lead compound shall wear the protective equipment described under sub-regulation 1(c).

(4) Suitable protective clothing shall be provided for handling of tetraethyl lead compound in refrigerated spaces.

#### 81. Broken or leaking containers :

(1) When there is danger from broken or leaking containers of dangerous goods dock workers shall be evacuated from the area involved and the following steps taken before dock work is resumed :—

- (a) if the cargo produces dangerous gases or vapour :—
- (i) suitable respiratory protective equipment shall be made available for dock workers who are to remove the defective containers;
  - (ii) the area shall be ventilated if necessary and tested to ensure that the concentration of gases or vapours in the atmosphere is safe for dock work;
- (b) if the cargo is a corrosive substance—
- (i) suitable personal protective equipment shall be made available to the dock workers engaged in the removal of damaged containers; and
  - (ii) suitable absorbent or neutralising materials shall be used in cleaning the spillage.

#### 82. Toxic solvents :

Before any solvents are used, the toxic properties of such solvents shall be ascertained and adequate means to safeguard the health of the dock workers exposed to toxic solvents shall be provided.

### I. FREIGHT CONTAINER TERMINALS

#### 83. Fencing of terminals :

(1) Except on water side, the perimeter of the container terminal shall be fenced, by wire mesh or some other suitable material of substantial construction, and of adequate strength and permanency, which shall be at least 1.5 metre high.

(2) There shall be separate entry and exist points to the container terminal and shall be clearly marked.

(3) Wherever the containers are stocked, the load bearing capacity of the floor shall be adequate.

(4) Suitable signs or signals indicating terminal road and pedestrian traffic shall be erected and maintained at suitable points.

(5) A special area or road-way or part thereof shall be provided for waiting of the vehicles. No private vehicle other than the container handling equipment and vehicles for transporting containers shall be allowed inside the container terminals.

(6) All areas where mechanical handling appliances and transport equipment operate, shall be kept free of pot holes, unnecessary equipment and obstructions.

(7) All operational areas and access to them shall be provided with sufficient and suitable lighting as specified under regulation 16.

#### 84. Lifting appliances and other equipment :

(1) Container terminals shall be equipped with suitable lifting appliances and transport equipment which shall be maintained in good repair and working order.

(2) (a) In the case of fork lift trucks employed for handling empty containers, the length of the forks shall be equal to the full width of the container and the capacity of the fork lift shall be matching with the weight of the container.

(b) No fork-lift trucks shall be employed for handling container which do not have fork pockets.

#### 85. Container operation :

(1) Prior to the use of container spreader, the work supervisor, foreman or any authorised person shall ensure that it is in good working order and has been tested as per the provisions under regulation 47(1).

(2) Single or multi-legged slings shall not be used for lifting of containers.

(3) The weight of the container and the spreader used shall be noted in relation to the safe working load of the lifting appliance or transport equipment used.

(4) When loading or discharging, the container shall be hoisted squarely under the plumb to avoid swinging of the container.

(5) The special lifting appliances employed in container handling shall be operated only by the operators possessing adequate knowledge and skill for these operations.

(6) Lifting appliances employed in container handling shall be operated under the guidance of a signaller who shall be properly trained. When the signaller is not in a position to communicate effectively with the operator of the crane, other effective means of signalling like walkie-talkie, short wave radio, etc. shall be employed

(7) When a container is being lowered or hoisted from a chassis, no person shall remain in the cabin of its prime mover.

(a) No person shall be standing on a container while,—

(a) it is being lifted or lowered; and

(b) another container is being lifted or lowered adjacent to it.

(9) No person shall be lifted to the top of a container by a container spreader which is being lifted by a crane or any other appliance.

(10) When a ladder is used to climb to the top of a container, the ladder shall be of sound construction, provided with anti-skid devices or suitable securing arrangements and there shall be someone to hold the bottom of the ladder wherever necessary.

(11) When workers have to work on top of the containers.—

- (a) it shall be ensured that the surface is dry and clean to avoid slipping; and
- (b) suitable and safe means shall be provided to the workers for going on top of containers and attending to lashing and unlashings of containers.

(12) Pedestrians shall not be allowed in any part of the container terminal other than the passages marked for their use.

(13) The container shall be firmly secured to the chassis or truck by means of twist locks before it is transported.

(14) All containers employed in dock work shall be tested, maintained, inspected and approved by a competent authority.

#### 86. Stuffing and destuffing :

(1) The containers used for stuffing shall be clean, dry and free from odour.

(2) Proper lighting arrangements shall be provided for the stuffing of the containers and light fittings shall be safely located.

(3) Containers mounted on chassis shall be properly secured and supported and proper bridge plates shall be used while the stuffing or destuffing operation is on.

(4) Dangerous goods which are not recommended for grouping together shall not be stuffed in the same container.

(5) Containers stuffed with dangerous goods shall be labelled with internationally approved labels.

(6) When fork lift is employed for stuffing or destuffing no other person shall be inside the container.

(7) No container shall be stuffed beyond its capacity which is marked on it and containers shall be stuffed in such a manner that weight distribution is uniform as far as possible, throughout the floor area of containers.

(8) No smoking shall be permitted during stuffing or destuffing operations inside the container.

(9) Upon completion of the stuffing, the container door shall be properly secured with a lock or container seals.

(10) When a container is to be destuffed, only one door shall be opened carefully at a time to prevent possibility of any cargo collapsing.

(11) Dock workers employed in stuffing and destuffing of reefer containers shall be provided with proper protective clothing.

### J. MISCELLANEOUS

#### 87. Fencing of motors, etc. :

(1) All motors, cogwheels, chains and friction gearing, flywheels, shaftings, every dangerous and moving parts of machinery (whether or not driven

by mechanical power) and steam pipes shall be securely fenced or lagged.

(2) The fencing of dangerous parts of machinery shall not be removed while the machinery is in motion or in use, but if removed, shall be replaced before the machinery is taken into normal use again.

(3) No part of any machinery which is in motion and which is not securely fenced shall be examined, lubricated, adjusted or repaired except by persons duly authorised.

(4) Machine parts shall only be cleaned when the machine is stopped.

(5) When machinery is stopped for servicing or repairs, adequate means shall be taken to ensure that it cannot inadvertently be restarted.

#### 88. Electrical equipment :

(1) Only duly authorised person shall be permitted to install, adjust, examine, repair, displace or remove electrical equipment or circuits.

(2) Efficient and suitably located means shall be provided for cutting off all pressure from every part of the system, as may be necessary to prevent danger.

(3) All portable electrical equipment shall be maintained in good working order and inspected by a responsible person atleast once in every day before it is taken into use.

(4) Portable electric light or equipment used in a confined space shall be of twenty-four volts or less.

(5) Only flame proof electrical equipment shall be used in a confined space where inflammable gas, fume or dust is likely to be present.

(6) All non-current carrying metal parts of electrical equipment shall be earthed or other suitable measures shall be taken to prevent them from becoming live.

(7) Portable or flexible electric conductors shall be of heavy duty type and shall be kept clear of loads, running gear and moving equipment.

(8) All live conductors shall be adequately insulated or fenced to prevent danger by accidental contact of dock workers or non-current carrying parts of lifting appliances, conveyors, transport equipment and machinery.

#### 89. Transport of dock workers on land :

Suitable means of safe transport shall be provided for the dock workers for their movement from their place of booking to the working area or between the two working areas when the distance between the points exceeds two kilometre.

#### 90. Transport of dock workers by water :

(1) When any dock worker has to proceed to or from a ship by water for the purposes of carrying on a dock work, proper measures shall be taken to provide for his safe transportation. Vessels used for this purpose shall be in charge of a responsible person, and shall be properly equipped for safe navigation and maintained in good condition.



(2) The means of transport referred to in sub-regulation (1) shall conform to the following:—

- (a) adequate protection is provided to the dock workers from inclement weather;
- (b) the vessel shall be manned by adequate and experienced crew, duly authorised by a competent authority;
- (c) if the bulwarks of the vessel are lower than 60 centimetres, the open edges shall be fitted with suitable fencing to a height of at least one metre above the deck. The posts, stanchions and similar parts used in the fencing shall not be spaced more than two metres apart;
- (d) the number of life buoys on deck shall be at least equal to the number of persons in the crew and shall not be less than two;
- (e) all life buoys shall be kept in good state of maintenance and be so placed that if the vessel sinks they remain a float, one of the said buoys shall be within the immediate reach of the Steerman and another shall be situated after part; and
- (f) the position of the steerman of the vessel shall be such that he has a reasonably free view of all sides.

(3) Maximum number of person that can be safely carried in the vessel shall be certified by a competent authority and marked plainly and conspicuously on the vessel and such number shall not be exceeded.

#### 91. Reporting of accidents :

(1) Notice of any accident in a dock which either,

- (a) causes loss of life; or
- (b) disables a person from work on which he was employed for the rest of the day or shift in which the accident occurred;

shall forthwith be sent by telegram, telephone or special messenger within four hours of the occurrence to,

- (i) the Inspector;
- (ii) the relatives of the workers when the accident causes loss of life to the dock worker or is likely to disable the dock worker from work for more than ten days; and

(iii) in the case of fatal accidents also to:—

- (a) the officer-in-charge of the nearest Police Station, and,
- (b) the District Magistrate or if the District Magistrate by order so directs, the Sub-Divisional Magistrate.

(2) In the case of accidents falling under clause (b) of sub-regulation (1) the injured person shall be given first-aid and thereafter immediately transferred to a hospital or other place of treatment.

(3) Where any accident causing disablement subsequently results in the death of dock worker, notice in writing of the death shall be submitted to the authorities mentioned in sub-regulation (1) within

72 hours after the death occurs.

(4) The following classes of dangerous occurrences shall be reported to the Inspector, whether death or disablement is caused or not, in the manner prescribed in sub-regulation (1):—

- (a) collapse or failure of lifting appliances or conveyors or breakage or failure of ropes, chains or other loose gears and lifting devices or overturning of cranes, used in dock work, falling of hatchboards or cargo from slings, displacement of hatch beam resulting in the fall of hatch beams or covering;
- (b) collapse or subsidence of any wall, floor, gallery, roof, platform, staging or means of access;
- (c) explosion of a receiver or vessel used for the storage, at a pressure greater than atmospheric pressure, of any gas or gases (including air) or any liquid or solid resulting from the compression of gas;
- (d) explosion or fire causing damage to any place in the dock in which dock workers are employed;
- (e) Collapse, capsizing, toppling or collision of the transport equipment;
- (f) spillage or leakage of dangerous goods and damage to their containers; and
- (g) breakage, buckling or damage of freight containers.

(5) If a failure of lifting appliance, loose gear and transport equipment has occurred, the concerned appliance, gear or equipment and the site shall, as far as practicable, be kept undisturbed until inspected by the Inspector.

(6) Every notice given under sub-regulation (1) and sub-regulation (4), shall be confirmed within seventy-two hours of the occurrence by submitting a written report to the inspector in Form-XII and a proper acknowledgement obtained provided that in case of an accident under clause (b) of sub-regulation (1), such written report need be submitted only when the dock worker is disabled from work on which he was employed for more than forty-eight hours from the time of accident.

#### 92. Notification of certain diseases :

(1) When a dock worker contracts any disease specified in Schedule-IV, a notice in Form XIV shall be sent by the employer forthwith to the Inspector.

(2) If any medical practitioner attends on a dock worker suffering from any disease specified in the aforesaid Schedule, the medical practitioner shall without delay send, addressed to the Director General, Directorate General Factory Advice Service and Labour Institutes, Central Labour Institute Building, Sion, Bombay-400022, a notice stating the name and full particulars of the patient and the disease.

#### 93. Safety Officers :

(1) Every Port Authority and dock labour board shall employ safety officers as per the scale laid down in Schedule-III.



(2) Every other employer of dock worker shall employ at least one safety officer, provided that the employers may form a group and appoint safety officers for the group as per the scale laid down in Schedule-I with the written permission of the Chief Inspector.

(3) The duties, qualifications and conditions of service of the safety officer shall be as provided in Schedule-III.

(4) The safety officer shall be assisted by suitable assistants and staff which shall be got approved from the Chief Inspector.

#### 94. Renewal of Licences :

The Port authorities before issue of renewal of the licences of employers of dock workers shall obtain a report from the Chief Inspector or the Inspector, regarding the safety performance and compliance of the regulations and take into consideration the report while granting the renewal of the licence.

### PART-IV

### HEALTH

#### 95. Cleanliness :

(1) Every place in the ship, dock and all areas which are in proximity to the place in the dock, where dock workers are employed, shall be kept clean and free from rubbish or effluvia arising from any drain, privy or other nuisance.

(2) All the accumulated garbages from the ships and the dock area shall be disposed off by burning in an incinerator or by other suitable means.

(3) All the damaged or deteriorated cargo posing hazards to safety or health or nuisance shall be removed or disposed off from the work place where the dock workers are employed.

#### 96. Drinking water :

(1) (a) On board every ship and in every dock, effective arrangement shall be made to provide and maintain at suitable points conveniently situated for all dock workers employed therein, sufficient supply of wholesome drinking water :

Provided that the drinking water point is available within 100 metres of the place where dock workers are employed.

(b) Effective arrangement shall be made to provide and maintain adequate supply of wholesome drinking water on board every ship in mid-stream for all dock workers employed thereon.

(c) The water provided for drinking shall be supplied from the public water supply system or otherwise from any other source approved in writing by the Health Officer of the Port.

(2) All such points shall be legibly marked "Drinking Water" in a language understood by a majority of the dock workers, and no such point shall be situated within six metres of any washing place, urinal

or latrine unless a shorter distance is approved in writing by the Chief Inspector.

(3) In every dock, the drinking water supplied to the dock workers shall, during hot weather, be cooled by ice or other effective means ;

Provided that if ice is placed, in the drinking water, the ice shall be clean and wholesome and shall be obtained only from a source approved in writing by the Health Officer of the Port.

(4) Every drinking water centre shall be maintained in a clean and orderly condition and if necessary shall be in charge of a suitable person who shall distribute the water. Such a person shall be provided with clean clothes while on duty.

(5) The drinking water centres shall be sheltered from the weather and adequately drained.

(6) Storage tanks or containers for drinking water shall always be kept in clean and hygienic condition.

(7) The Inspector may, by order in writing, direct the Port Authority to obtain, at such time or at such interval, as he may direct, a report from the Health Officer of the Port as to the fitness for human consumption of the water supplied to the dock workers, and in every case to submit to the Inspector a copy of such report as soon as it is received from the Health Officer.

#### 97. Latrines and urinals :

(1) In every dock, latrine and urinal accommodation shall be provided on the scale given in Schedule VIII and shall be conveniently situated and accessible to dock workers at all times while they are at work. Such accommodation and access to it shall be adequately lighted and ventilated.

(2) Separate latrines shall be provided where female dock workers are employed.

(3) The floors and internal walls of the latrines and urinals and the sanitary blocks shall be laid in glazed tiles or otherwise finished to provide a smooth polished impervious surface upto a height of at least 90 centimetre.

(4) All such accommodation shall be maintained in a clean and sanitary conditions at all times. The floors, side walls and the sanitary pans of latrines and urinals shall be thoroughly swept and cleaned at least once in a day with suitable detergents or disinfectants or with both.

(5) Every latrine shall be under cover and so partitioned off as to secure privacy and shall have a proper door ad fastenings.

(6) The walls, ceilings and partitions of every latrine and urinal shall be white-washed or colour-washed and the white-washing or colour-washing shall be repeated atleast once in four months and record maintained.

(7) Where piped water supply is available sufficient number of water taps, conveniently accessible shall be provided in or near such latrine accommodation.

(8) Where piped water supply is not available, provision shall be made to store adequate quantity of water near the latrine.

## 98. Spittons:

(1) In every portion of a dock including warehouses and store places, sufficient number of spittons shall be provided in convenient places and they shall be maintained in a clean and hygienic condition.

(2) No person shall spit in the dock area except in the spittons provided for the purpose and a notice containing this provision shall be prominently displayed at suitable places.

(3) Whoever spits in contravention of sub-regulation (2) shall be punishable with a fine not exceeding one hundred rupees.

(4) The spittons shall be of an approved type.

(5) The spittons shall be emptied, cleaned and disinfected at least once in every day.

## 99. Ventilation and temperature in dock area including reefer holds on ships:

Effective and suitable provision shall be made in every dock for securing and maintaining in every building or an enclosure or a reefer hold or chamber or reefer container where dock workers are employed, adequate ventilation by the circulation of fresh air and such temperature and air movement as will secure to dock workers therein reasonable conditions of comfort and prevent injury to health.

PART V  
WELFARE

## 100. Washing facilities :

(1) In every dock, rest shed, call stand and canteen, adequate and suitable facilities for washing shall be provided and maintained for the use of the dock workers and such facilities shall be conveniently accessible and shall be kept in clean and orderly condition. Washing facilities shall include glazed wash basins with taps attached thereto.

(2) Where dock workers are exposed to skin contamination by poisonous, infection or irritation substances or oil, grease or dust, adequate number of shower-baths enclosed in individual compartments, with entrances suitably screened shall be provided.

(3) These facilities shall be provided in every dock on the scale laid down in Schedule VIII.

(4) The floor or ground under and in the immediate vicinity of every wash basin, stand pipe and shower shall be so laid or finished as to provide a smooth impervious surface and shall be adequately drained.

(5) The water supply to the washing facilities shall be adequate having regard to the number of dock workers employed in the dock, and shall be from a source approved in writing by the Health Officer of the Port.

## 101. First-aid boxes :

(1) In every dock and on board every ship there shall be provided and maintained so as to be readily accessible during all working hours, sufficient number of first-aid boxes or cupboards :

Provided that the distance of the nearest first-aid box or cupboard shall not be more than 200 metres from any working place.

(2) Nothing except appliances or requisites for first-aid shall be kept in the boxes and cupboards. All such boxes and cupboards shall be so kept that they are protected against contamination by dust or other foreign matters and against penetration of moisture. They shall be kept in the charge of a responsible person who is trained in first-aid treatment and who shall always be readily available during working hours.

(3) Each first-aid box or cupboard shall be distinctly marked "First-Aid" and shall be equipped with the articles specified in Schedule VI.

## 102. Ambulance room :—

(1) In every dock or in any part of a dock where dock workers are ordinarily employed, there, shall be provided and maintained an ambulance room with effective communication system and shall be in the charge of a qualified nurse who shall always be readily available during all working hours and the ambulance room shall be in overall charge of a qualified medical practitioner.

(2) The ambulance room shall be a separate room used only for the purpose of first-aid treatment and rest. It shall have a floor area of at least ten square metre and smooth, hard and impervious walls and flooring and shall be adequately ventilated and lighted by both natural and artificial means. An adequate supply of wholesome drinking water shall be provided and the room shall be equipped with the articles specified in Schedule V.

(3) A record of all cases of accidents and sickness treated at the ambulance room shall be kept and produced to the Inspector on demand.

## 103. Ambulance carriage :

There shall be provided for use at every dock a suitably constructed motor ambulance carriage and launch which shall be maintained in good condition for the purpose of removal of serious cases of accident and sickness.

## 104. Stretchers :

A sufficient number of suitable stretchers including a Neil Robertson Stretcher or any other suitable sling stretcher, shall be provided at every dock at convenient places so as to be readily available in an emergency.

## 105. Shelters or rest sheds and lunch rooms :

(1) In every dock wherein more than 150 dock workers are ordinarily employed, adequate and suitable shelters or rest sheds and suitable lunch rooms with provision for drinking water and washing facilities, where dock workers can eat meals brought by them, shall be provided at convenient places and maintained for their use :

Provided that any canteen maintained in accordance with regulation 106 shall be regarded as part of the requirement of this regulation :

Provided further that, where a lunch room is provided no dock worker shall eat any food in the precincts of the dock except in such lunch rooms.

(2) Covered receptacles shall be provided and used for disposal of food and litter in every rest shed. These receptacles shall be emptied at least once in every shift.

(3) The shelters or rest rooms and lunch rooms to be provided under sub-regulation (1) shall be sufficiently lighted and ventilated and shall be maintained in a cool and clean condition.

#### 106. Canteens :

(1) In any dock or in any part of a dock wherein more than 250 dock workers are ordinarily employed, or are waiting to be employed, adequate canteen facilities in or near the work area shall be provided and maintained by the port authorities and dock labour boards for the use of all dock workers. The canteen shall function at all times when twenty-five or more dock workers are employed at a time.

(2) The canteens shall conform to the requirements laid down in Schedule IX.

(3) An adequate number of mobile canteens shall be provided at every dock with provision for serving tea and light refreshments.

#### 107. Medical examination of dock workers :

1) It shall be ensured that all dock workers undergo medical examination,—

(a) before he is employed for the first time ; or is being selected or trained for the operation of lifting appliances and transport equipment ;

(b) periodically, at such intervals as may be considered necessary by the Chief Inspector in view of the risks inherent in the dock work and the conditions under which the dock work is performed.

(2) (a) wherever considered necessary, the medical examination shall also, include X-ray and pathological laboratory examination and

(b) the medical examinations prescribed under sub-regulation 1(a), (b) and 2(a) shall be in accordance with Schedule XI and no dock worker shall be charged for the same.

(3) In the case of dock workers exposed to special occupational health hazards, the periodical medical examination shall include any special investigation deemed necessary for the diagnosis of occupational diseases.

(4) The details of the medical examination shall be suitably recorded and shall be made available to the Inspector on demand.

(5) If the medical officer is of the opinion that the dock workers so examined is required to be taken away from the dock work for health protection, he may direct the port authorities or Dock Labour Board or the other employers of dock workers accordingly, as the case may be. However, the dock worker so taken away shall be provided with alternate placement unless he is, in the opinion of the medical officer, fully incapacitated, in which case the worker affected may be suitably rehabilitated.

#### 108. Notices :

Notices shall be exhibited in prominent positions at every dock stating,—

(a) the position of nearest first-aid box or cupboard and the place where the person-in-charge thereof can be found.

(b) the position of the ambulance room, the stretchers or other appliances ; and

(c) the position of the ambulance carriage and launch, the location of the nearest telephone and the name and telephone number of the hospital or other place from where such carriage or launch can be obtained

#### 109. Welfare Officers :

(1) Every port authority and dock labour board shall employ a number of welfare officers, with duties, qualifications and conditions of service as laid down in Schedule-X.

(2) Every other employer of dock worker shall employ at least one welfare officer, provided that the employers may form a group and appoint welfare officer for the group as specified in Schedule X with the written permission of the Chief Inspector.

### PART VI

#### SPECIAL PROVISIONS

#### 110. Statement of accidents etc. :

The Port Authorities, the dock labour boards and other employers of dock workers shall furnish to the Inspector the monthly statement of reportable accidents under these regulations in Form—XIII.

#### 111. Training of dock workers, responsible persons, etc. :

(1) Initial and periodic training shall be imparted to all categories of dock workers, responsible and authorised persons depending upon their nature of work and skill required for performing their duties. Safety aspects and precautions to be taken in pursuance of the provisions under the Act and the regulations shall be covered in the training.

(2) All first-aid personnel shall be imparted training including refresher courses by a qualified medical officer authorised for the purpose.

#### 112. Emergency action plans :

All the ports shall have an approved emergency action plan acceptable to the Chief Inspector to handle the emergencies like,—

(a) fires and explosions ;

(b) collapse of lifting appliances, buildings, sheds etc. ;

(c) gas leakages and spillage of dangerous goods ;

(d) drowning of dock workers, sinking of vessels, retrieval of transport equipment from dock basins ; and

(e) floods, storms and other natural calamities.

#### 113. Display of abstracts :

The abstracts of the Act and of the regulations made thereunder in Form X and XI shall be displayed in every dock.

#### 114. Safety Committee :

(1) At every port there shall be constituted a safety committee which shall be headed by an officer not below the rank of deputy chairman of the Port. The main functions of the safety committee shall be—

- (a) to investigate into the causes of accidents and unsafe practices in Dock Work and to suggest remedial measures ;
- (b) to stimulate interest of employers and workers in safety by organising safety weeks, safety competitions, talks and film shows on safety, preparing posters or taking similar other measures ;
- (c) to go round the dock with a view to check unsafe practices and detect unsafe conditions and to recommend remedial measures for their rectification;
- (d) to organise training programmes for the supervisory staff and workers ;
- (e) to look into the health hazards associated with handling different types of cargoes and to suggest remedial measures including use of proper personal protective equipment ; and
- (f) to suggest measures for improving welfare amenities inside the docks and other miscellaneous aspects of safety, health and welfare in dock work.

(2) The safety committee shall be constituted by the Chairman of the port and shall include besides port officials, representatives of port users, the recognised labour unions and the Chief Inspector.

(3) The safety committee shall meet at regular intervals, at least once in every quarter, and minutes of the meetings shall be circulated to the concerned departments of the Port, agencies and organisations.

(4) The decisions and recommendations of the safety committee shall be complied with by the port authorities, port users and the employers of dock workers.

#### 115. Occupational health services for dock workers :—

(1) In every Port there shall be either a special medical service or an occupational health service available at all times, and it shall have the following functions,—

- (a) provision of first-aid and emergency treatment ;
- (b) conducting pre-employment, periodical and special medical examinations of dock workers ;

(c) periodical training of first-aid personnel ;

(d) surveillance and rendering advice on conditions at work-places and facilities that can affect the health of dock workers ;

(e) promotion of health education including family welfare among dock workers; and

(f) co-operation with the competent authority or Inspector in the detection, measurement and evaluation of chemical, physical or biological factors suspected of being harmful to the dock workers.

(2) The medical service shall collaborate with the labour department or any other concerned department or service of the port in matters of treatment, job placement, accident prevention and welfare of dock workers.

(3) The medical service shall be headed by a doctor specialised in occupational health and shall be provided with adequate staff, laboratory and other personnel.

(4) The medical services shall be located at ground level, be conveniently accessible from all workplaces of the port or dock, be so designed as to allow stretcher cases to be handled easily and so far as practicable, shall not be exposed to excessive noise, dust or other nuisance.

(5) The premises of the medical service shall comprise at least a waiting room, a consulting room, a treatment room and laboratory, apart from suitable accommodation for nurses and other personnel.

(6) Rooms for waiting, consultation and treatment shall:—

(a) be spacious, suitably lighted and ventilated, and wherever necessary heated or air cooled; and

(b) have washable walls, floor and fixtures.

(7) The medical service shall be provided with appropriate medical and laboratory facilities and such documentation as it may require for its work.

(8) The medical service shall keep and maintain records pertaining to medical examination of dock workers and other activities and shall provide adequate information on,—

(a) the dock workers state of health ; and

(b) the nature, circumstances and outcome of occupational injuries.

#### 116. The employer's general obligations :

(1) The employer shall take all necessary steps, which, considering the kind of work, working conditions and the worker's age, sex, professional skill and other qualifications, are reasonably necessary for protecting the worker from being exposed to risks of accidents or injury to health at work.

(2) The employer shall make sure that the work place, its approaches and means of access conform to these regulations and are also otherwise in a safe condition.

(3) The employer shall take into account the workers' training, skill and experience when workers are set to work. A worker shall not be assigned a work for which he has not received sufficient instructions regarding possible dangers and precautions in the work, taking into account his training, skill and experience.

#### 117. General Safety:—

No employer of dock worker shall negligently or wilfully do anything likely to endanger life, safety and health of dock workers, or negligently or wilfully omit to do anything necessary for the safety and health for the dock worker employed in dock work.

#### 118. Repeal and Saving :—

The Indian Dock Labourers Regulations, 1948 and the Dock Workers (Safety, Health and welfare) Scheme, 1961 are hereby repealed.

Provided that any action taken or order issued under the said Regulations or the Scheme, shall as the case may be in so far as it is not inconsistent with these regulations, be deemed to have been taken or issued under the corresponding provisions of these regulations.

### SCHEDULE I

(See regulations 41(1), 47(1) and 48(1) )

Manner of test and examination before taking lifting appliance, loose gear and wire rope into use for the first time.

Test loads :

#### (1) Lifting Appliance :

Every lifting appliance with its accessory gear, shall be subjected to a test load which shall exceed the safe working load (SWS) as follows :—

Safe working load	Test load
Upto 20 tonnes	25 per cent in excess of SUL
20 to 50 tonnes	5 tonnes in excess of SWL
Over 50 tonnes	10 per cent in excess of SWL

#### (2) Loose gear :

(a) Every ring, hook, chain, shackle, swivel, eye-bolt, plate clamp, triangular plate or pulley block (except single sheave block) shall be subjected to a test load which shall not be less than the following :

SWL (In tonnes)	Test load (In tonnes)
Upto 25	2 x safe working load
Above 25	(1.22 x SWL)+20

(b) In the case of a single sheave block, the SWL shall be the maximum load which can safely be lifted by the block when suspended by its head fitting and the load is attached to a rope which passes around the sheave of the block and a test load not less than four times the proposed safe working load shall be applied to the head of the block.

(c) In the case of a multi sheave block, the test load shall not be less than the following :

SWL (In tonnes)	Test load (In tonnes)
Upto 25	2 x SWL
25 to 160	(0.9933 x SWL) ÷ 27
Above 160	1.1 x SWL

(d) In the case of hand-operated pulley blocks used with pitched chains and rings, hooks, shackles or swivels permanently attached thereto, a test load not less than 50 per cent in excess of the safe working load shall be applied.

(e) In the case of a pulley block fitted with a bucket, the bucket shall be tested and the load applied to the bucket when testing that block will be accepted as test loading of the bucket.

(f) In the case of a sling having two legs, the safe working load shall be calculated when the angle between the legs is 90°. In case of multi-legged slings the safe working load shall be calculated as per national standards.

(g) Every lifting beam, lifting frame, container spreader, bucket, tub, or other similar devices shall be subjected to a test load which shall not be less than that given in table below :—

Proposed safe working load (in tonnes)	Test load (in tonnes)
Upto 10	2 x SWL
10 to 160	(1.04 x SWL) ± 9.6
Above 160	1.1 x SWL

#### (i) Wire ropes :

In the case of wire ropes a sample shall be tested to destruction. The test procedure shall be in accordance with an international or recognised national standards. The safe working load of the rope is to be determined by dividing the load at

which the sample broke by a co-efficient of utilisation, determine, as follows.

Item	Co-efficient of utilisation
(a) Wire Rope Forming part of Sling.	
SWL of the Sling :	
SWL upto and equal to 10 tonnes . . . . .	5
SWL above 10 tonnes and up and equal to 160 tonnes	10 <sup>4</sup>
	—————
	(8.85 x SWL)+1910
SWL above 160 tonnes . . . . .	3
(b) Wire Rope as Integral part of a Lifting Appliance:	
SWL of the lifting appliance :	
SWL upto and equal to 160 tonnes . . . . .	10 <sup>4</sup>
	—————
	(8.85 x SWL)+1910
SWL above 160 tonnes . . . . .	3

(j) Before any test is carried out, a visual inspection of the lifting appliance, or loose gear involved shall be conducted and any visible defective gear shall be replaced or renewed.

(k) After being tested all the loose gears shall be examined to see whether any part have been injured or permanently deformed by the test.

#### PROCEDURE FOR TESTING :

##### (3) Ship's derricks :

(a) A derrick shall be tested with its boom at the minimum angle to the horizontal for which the derrick is designed (generally 15 degrees), or at such greater angle as may be agreed. The angle at which the test has been carried out shall be mentioned in the test certificate. The test load shall be applied by hoisting moveable weights. During the test, the boom shall be swung with the test load as far as practicable in both directions.

(b) A derrick boom designed to be raised with power with the load suspended shall in addition to the above tests at (a), be raised (with the load suspended) to its maximum working angle to the horizontal and the two outermost positions.

(c) While test loading of a heavy lift derrick, the competent person responsible for test using moveable weights shall ascertain from the Master that the ship's stability will be adequate for the test.

(4) The derricks tested under clause (3) shall not be used in union purchase rig unless :—

(a) the derricks rigged in union purchase are tested with the test load appropriate to the SWL in union purchase (at the designed headroom and with the derrick booms in their approved working positions);

(b) the safe working load of that derrick in union purchase rig has also been specified by a competent person in a report in Form-III;

(c) any limitations or conditions specified in the said report are complied with; and

(d) the two hoist ropes are coupled together by a suitable swivel assembly.

Note :—The safe working loads of derricks (for each method of rig including union purchase) shall be shown on the Certificate of test and marked on the derrick booms.

(5) Lifting appliance other than ship's derricks and winches :

(a) The test load shall be lifted and swung as far as possible in both directions. If the jib or boom of the crane has a variable radius, it shall be tested with test loads at the maximum and minimum radii. In case of hydraulic cranes, when owing to the limitation of pressure it is impossible to lift a test load in accordance with table under paragraph (1) it will be sufficient to lift the greatest possible load which shall be more than safe working load.

(b) The test shall be performed at maximum minimum and intermediate radius points as well as such points in the arc of rotation as the competent person may decide. The test shall consist of hoisting, lowering, breaking and swinging through all positions and operations normally performed. An additional test shall be made by operating the machinery at maximum working speed with the SWL suspended.

(6) Use of spring or hydraulic balances, etc., for test loading :

All tests normally shall be carried on with the help of dead weights. Test loading of gear on new ships shall always be with dead weights. In case of periodical test, replacements or renewals, test load may be applied by means of a suitable springs or hydraulic balances. In such case, test load shall be applied with the boom as far out as practicable in both directions. The test shall not be taken as satisfactory unless the balance has been certified for accuracy by the competent authority within 2.0 per cent and the pointer of the machine has remained constant at the test load for a period of at least 5 minutes.

(7) Testing machines and dead weights :

(a) A suitable testing machine shall be used for testing of chains, wire ropes and other cargo gear;

(b) Testing machines and balances to be used in test loading, testing and checking shall not be used unless they have been certified for accuracy at least once in the preceding 12 months by the competent authority

(c) Moveable weights used for the test loading of the lifting appliances having a safe working load not exceeding 20 tonnes shall be checked for accuracy by means of suitable weighing machine of certified accuracy.

(8) Thorough examination after testing or test loading :

After being tested or test loaded, every lifting appliance and associated gear shall be thoroughly examined to see that no part has been damaged or permanently deformed during the test. For this purpose, the lifting appliance or gear shall be dismantled to the extent considered necessary by the competent person.

## SCHEDULE II

### Classification of Dangerous Goods

(See regulation 76)

- Class 1. Explosives.
- Class 2. Gases : compressed, liquefied and dissolved under pressure.
- Class 3. Inflammable liquids.
- Class 4.1 Inflammable solids.
- Class 4.2 Inflammable solids, or substances, liable to spontaneous combustion.
- Class 4.3 Inflammable solids, or substances, which in contact with water emit flammable gases.
- Class 5.1 Oxidizing substances.
- Class 5.2 Organic peroxides.
- Class 6.1 Poisonous (toxic) substances.
- Class 6.2 Infectious substances.
- Class 7 Radioactive substances.
- Class 8 Corrosives
- Class 9 Miscellaneous dangerous substances.

Dangerous substances belonging to class 9 above include any such substance which cannot be referred to any other class but which experience has shown to be so dangerous that these regulations shall apply to it.

## SCHEDULE—III

### Rules relating to the appointment of Safety Officers

(See Regulation 93)

#### (1) Number of Safety Officers :

Within six months of coming into operation of these Regulations every Port Authority, Dock Labour Board and every other employer shall appoint Safety Officers, as laid down in the scale given below :

- 1. Upto 2000 dock workers.—One Safety Officer.
- 2. Upto 5000 dock workers.—Two Safety Officers.
- 3. Upto 10000 dock workers.—Three Safety Officers.

- 4. For every additional five thousand dock worker or part thereof.—One Safety Officer.

Any appointment, when made shall be notified to the Inspector giving full details of the qualifications and terms and conditions of service.

#### (2) Qualifications :—

(a) A person shall not be eligible for appointment as a Safety Officer unless he :—

- (i) possesses a recognised degree in any branch of engineering or technology and had practical experience of working in a port of similar place in a supervisory capacity for a period of not less than two years; or possesses a recognised degree in physics or chemistry and has had practical experience of working in a port or similar place in a supervisory capacity for a period of not less than five years; or possesses a recognised diploma in any branch of engineering or technology and has had practical experience of working in a port or similar place in a supervisory capacity for a period of not less than five years; and

(ii) possesses a degree or diploma in industrial safety recognised by the Central Government in this behalf; and

(iii) has adequate knowledge of the language spoken by majority or the workers in the Port in which he is to be appointed.

(b) Notwithstanding the provisions contained in clause (a), any person who :—

(i) possesses a recognised degree or diploma in engineering or technology and has had experience of not less than five years in a department of the Central Government which deals with the administration of the Indian Dock Labourers Act, 1934 and or the Dock Workers' (Safety, Health and Welfare) Act, 1986;

(ii) possesses a recognised degree or diploma in engineering or technology and has had experience of not less than five years, full time, or training, education, consultancy, or research in the field of accident prevention in industry or in any port or any institution ;

shall also be eligible for appointment as a Safety Officer :

Provided that, in the case of a person who has been working as a Safety Officer in industry or any institution for a period of not less than three years on the date of commencement of these regulations, the Chief Inspector may, subject to such conditions as he may specify, relax all or any of the above said qualifications.



**(3) Conditions of service :**

(a) Where the number of Safety Officers appointed exceeds one, one of them shall be designated as the Chief Safety Officer and shall have a status higher than that of the others. The Chief Safety Officer shall be in overall charge of the safety functions as envisaged in sub-clause (4) as also the other Safety Officers working under his control.

(b) The Chief Safety Officer or the Safety Officer where only one Safety Officer is appointed, shall be given the status of a senior executive and he shall work directly under the control of his chief executive. All other Safety Officers shall be given appropriate status to enable them to discharge their functions effectively.

(c) The scale of pay and the allowances to be granted to the Safety Officers including the Chief Safety Officer, and the other conditions of their service shall be the same as those of the other officers of corresponding status in the Port, Dock Labour Board or firm as the case may be.

**(4) Duties of Safety Officers :**

(a) The duties of a Safety Officer shall be to advise and assist the management in the fulfilment of its obligations, statutory or otherwise, concerning prevention of personal injuries and maintaining a safe working environment. These duties shall include the following, namely—

- (i) to advise the concerned departments in planning and organising measures necessary for the effective control of personal injuries;
- (ii) to advise on safety aspects in all dock work, and to carry out detailed job safety studies of selected dock work;
- (iii) to check and evaluate the effectiveness of the action taken or proposed to be taken to prevent personal injuries;
- (iv) to advise the purchasing and stores departments in ensuring high quality and availability of personal protective equipment;
- (v) to carry out safety inspections of dock work in order to observe the physical conditions of work and the work practices and procedures followed by workers and to render advice on measures to be adopted for removing the unsafe physical conditions and preventing unsafe actions by workers ;
- (vi) to investigate all fatal and other selected accidents ;
- (vii) to investigate the cases of occupational diseases contracted and reportable dangerous occurrences;
- (viii) to advise on the maintenance of such records as are necessary relating to accidents, dangerous occurrences and occupational diseases ;
- (ix) to promote setting up of safety committees and act as adviser and catalyst of such committees ;

(x) to organise in association with the concerned departments, campaigns, competitions, contests and other activities which will develop and maintain the interest of the workers in establishing and maintaining safe conditions of work and procedures;

(xi) to design and conduct either independently or in collaboration with the training department, suitable training and educational programmes for the prevention of accidents to dock workers;

(xii) frame departmental safety rules and safe working practices in consultation with the various departments or authorities; and

(xiii) supervise and guide in respect of safety precautions to be taken while handling dangerous cargo.

**(5) Facilities to be provided to Safety Officers :**

The Management shall provide each Safety Officer with such facilities, equipment and information as are necessary to enable him to discharge his duties effectively.

**(6) Prohibition of performance of other duties :**

No Safety Officer shall be required or permitted to do any work which is inconsistent with or detrimental to the performance of the duties prescribed in sub-clause (4).

**(7) Exemptions :**

The Chief Inspector may in writing exempt any Port Authority, Dock Labour Board or any other employer or a group of employers from any or all provisions of this regulation subject to compliance with such alternative arrangements as may be approved by him.

**SCHEDULE IV****List of Notifiable Diseases**

[See regulation 92(1)]

- (1) Lead poisoning, including poisoning by any preparation or compound of lead or their sequelae.
- (2) Lead tetra-ethyl poisoning.
- (3) Manganese poisoning or its sequelae.
- (4) Carbon bisulphide poisoning.
- (5) Benzene poisoning, including poisoning by any of its homologues, their nitre or amide derivatives or its sequelae.
- (6) Anthrax.
- (7) Pneumoconosis.
- (8) Poisoning by halogens or halogen derivatives of the hydrocarbons of the aliphatic series.
- (9) Primary epitheliomatous cancer of the skin.



- (10) Occupational dermatitis.  
 (11) Noise induced hearing loss (exposure to high noise levels).

### SCHEDULE V

#### Articles required for an Ambulance Room

[See Regulation 102(2)]

- (i) A glazed sink with hot and cold water always available.  
 (ii) A table with a smooth top at least 180 cm x 105 cm.  
 (iii) means for sterilizing instruments.  
 (iv) A couch.  
 (v) Two stretchers.  
 (vi) Two buckets or containers with close fitting lids.  
 (vii) Two rubber hot water bags.  
 (viii) A Kettle and spirit stove or other suitable means of boiling water.  
 (ix) Twelve plain wooden splints 900 cm. x 100 cm. x 6 cm.  
 (x) Twelve plain wooden splints 350 cm. x 75 cm. x 6 cm.  
 (xi) Six plain wooden splints 250 cm. x 50 cm. x 12 cm.  
 (xii) Six woollen blankets.  
 (xiii) Three pairs artery forceps.  
 (xiv) One bottle of spiritus annemiacae arumationis (120 ml.)  
 (xv) Smelling sale (60 gm).  
 (xvi) Two medium size sponges.  
 (xvii) Six hand towels.  
 (xviii) Four "Kidney" trays.  
 (xix) Four cakes of toilet, preferably antiseptic soap.  
 (xx) Two glass tumblers and two wine glasses.  
 (xxi) Two clinical thermometers.  
 (xxii) Two tea spoons.  
 (xxiii) Two graduated (120 ml.) measuring glasses.  
 (xxiv) Two minimum measuring glasses.  
 (xxv) One wash bottle (1000 cc) for washing eyes.  
 (xxvi) One bottle (one litre) carbolic lotion 1 in 20.  
 (xxvii) Three chairs.  
 (xxviii) One screen.  
 (xxix) One electric hand torch.

(xxx) Four first-aid boxes or cupboards stocked to the standards prescribed in the Schedule.

- (xxxi) An adequate supply of anti-tetanus toxied.  
 (xxxii) Injections—morphia, pethidine, atrophine, adrenaline, coramine, novocan (6 each).  
 (xxxiii) Coramine liquid (60 ml).  
 (xxxiv) Tablets—antibistamhnie antispasmodic (25 each).  
 (xxxv) Syringes with needles—2 cc, 5 cc, 10 cc and 50 cc.  
 (xxxvi) Three surgical scissors.  
 (xxxvii) Two needle holders, big and small.  
 (xxxviii) Suturing needles and materials.  
 (xxxix) Three dissecting forceps.  
 (xl) Three dressing forceps.  
 (xli) Three scapels.  
 (xlii) One stethoscope.  
 (xliii) Rubber bandage—pressure bandage.  
 (xliv) Oxygen cylinder with necessary attachments.

### SCHEDULE VI

#### Equipment required for a First-Aid box or cupboard

[See Regulation 101(3)]

- (i) Twenty-four small sterilized dressings.  
 (ii) Twelve medium size sterilized dressings.  
 (iii) Twelve large size sterilized dressings.  
 (iv) Twelve large size sterilized burn dressings.  
 (v) Twelve (15 gm) packets of sterilized cotton wool.  
 (vi) One (200 ml) bottle of cetrimide solution (1 per cent) or a suitable antiseptic solution.  
 (vii) One (200 ml) bottle of mercurochrome (2 per cent) solution in water.  
 (viii) One (120 ml) bottle of sal-volatile having the dose and mode of administration indicated on the label.  
 (ix) One pair of scissors.  
 (x) One roll of adhesive plaster (6cm x 1 m).  
 (xi) Two rolls of adhesive plaster (2 cm x 1 m).  
 (xii) Twelve pieces of sterilized eye pads in separate sealed packets.  
 (xiii) A bottle containing 100 tablets (each of 325 mg) of aspirin or any other analgesic.  
 (xiv) One polythene wash bottle (500 cc) for washing eyes.

- (xv) Twelve roller bandages 10 cm. wide.
- (xvi) Twelve roller bandages 5 cm wide.
- (xvii) Six triangular bandages
- (xviii) One tourniquet.
- (xix) A supply of suitable splints.
- (xx) Two packets of safety pins.
- (xxi) Kidney tray.
- (xxii) A snake-bite lancet.
- (xxiii) One (30 ml) bottle containing potassium permanganate crystals.
- (xxiv) One copy of first-aid leaflet issued by the Directorate General of Factory Advice Service and Labour Institutes, Government of India, Bombay.

#### SCHEDULE — VII

(See Regulation 18)

Permissible exposure in cases of continuous noise

Total time of exposure (continuous or a number of short-term exposures) per day in hours.	Sound pressure level in dBA
(1)	(2)
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 1/2	102
1	105
3/4	107
1/2	110
1/4	115

Notes : 1. No exposure in excess of 115 dBA is to be permitted.

2. For any period of exposure falling in between any figure and the next higher or lower figure as indicated in column 1, the permissible sound pressure level is to be determined by extrapolation on a proportionate basis.

#### SCHEDULE VIII

Scale for providing latrines, urinals, washing and bathing facilities in a Dock.

(See Regulations 97 and 100)

Latrines :

one for every 50 dock workers and minimum of 3 in each block.

Urinals :

One for every 100 dock workers and minimum 4 urinals in each block.

Washing facilities :

Washing taps :

Upto 200 dock workers 4 taps

Over 200 dock workers 4 taps plus 1 tap for every 100 workers or part thereof.

Shower baths :

Upto 200 dock workers — 2 shower baths.

Above 200 — upto 500 dock workers — 4 shower baths.

Over 500 dock workers 4 plus one shower bath for every 200 workers or part thereof

with minimum of 2 shower baths in a block.

#### SCHEDULE—IX

Requirements for Canteens

(See Regulation 106)

(1) Plans and site plans of the building to be constructed or adopted for use as a canteen shall be submitted and got approved from the Chief Inspector.

(2) The canteen building shall be constructed according to the approved plans and shall provide accommodation for a dining hall, kitchen, store rooms, pantry and washing places separately for workers and for utensils. The minimum height of the building shall not be less than 4 metres and all the walls and roofs shall be of suitable heat resisting material and shall be water proof.

(3) The canteen building shall be situated not less than 15 metres from any latrine, urinal or any other source of dust, smoke or obnoxious fumes. Provided that the Chief Inspector may in any particular case relax the provisions of this rule to such an extent as may be reasonable in the circumstances and may require measures to be adopted to secure the essential purpose of this provision.

(4) In a canteen, the floor and the inside walls upto a height of 1.25 metres from the floor shall be made of smooth and impervious material, the remaining portion of inside walls shall be made smooth by cement plaster or in any other suitable manner.

(5) The doors, windows and ventilators of a canteen building shall be of fly-proof construction and shall allow adequate ventilation.

(6) The canteen shall be adequately lighted at all times when any person has access to it.

(7) In every canteen —

(a) (i) all inside walls of rooms and all ceilings and passages and staircases shall be

limewashed or colour washed atleast once in each year or painted once, in three years dating from the period when last lime washed or painted, as the case may be;

(ii) all wood work shall be varnished or painted once in three years dating from the period when last varnished or painted;

(iii) all internal structural iron or steel work be varnished or painted once in three years dating from the period when last varnished or painted :

provided that inside walls of the kitchen shall be lime-washed once in every four months.

(b) Records of dates on which lime-washing, colour-washing, varnishing or painting is carried out shall be maintained in a register in a form approved by the Inspector.

(c) The floor of all rooms shall be kept clean at all times by sweeping and mopping.

(8) The precincts of the canteen shall be maintained in a clean and sanitary condition. Waste water shall be carried away in a suitable covered drain and shall not be allowed to accumulate so as to cause a nuisance. Covered receptacles shall be provided and used for the disposal of garbage and the receptacles shall be fully cleaned and disinfected once atleast in every shift.

(9) Dining Hall :

(a) The dining hall shall accommodate at a time atleast 10 per cent of the dock workers at any time in any dock or any part of dock for which the canteen is provided;

Provided that in any particular dock, the Chief Inspector may, alter the percentage of workers to be accommodated in a canteen.

(b) The floor area of the dinning hall, excluding the area occupied by the service counter and any furniture except tables and chairs, shall be not less than one square metre per dinner to be accommodated as prescribed in sub-rule (a).

Provided that where it is impracticable, owing to the lack of space to provide one square metre of floor area for each person, such reduced floor area may be provided as approved in writing by the Chief Inspector.

(c) A portion of the dinning hall and service counter shall be partitioned off and reserved for women workers in proportion to their numbers. Washing places for women shall be separate and screened to secure privacy.

(d) Sufficient tables, chairs or benches shall be available for the number of dinners to be

accommodated as prescribed in sub-rule (a).

(e) Soaps and towels shall be provided at the washing places in the canteen for the use of the workers.

(10) Equipment :

(a) There shall be provided and maintained sufficient utensils, crockery, cutlery, furniture and any other equipment necessary for the efficient running of the canteen. Suitable uniforms for the employees serving in the canteen shall be provided and maintained in clean condition.

(b) Food and food materials shall be stored in flyproof cupboards and handled with the help of woden ladles or suitable metal forceps whichever is convenient. Vessels use once shall be cleaned before being used again.

(c) The furniture, utensils and other equipment shall be maintained in a clean and hygenic condition. The service counter and all the dining tables shall have a top of smooth and impervious materials. Suitable facilities including an adequate supply of hot water shall be provided for cleaning of the utensils and equipment.

## SCHEDULE X

(See Regulation 109)

Rules relating to the appointment of Welfare Officer prescribed under regulation 109 of the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Regulations, 1989.

(1) Number of Welfare Officers :

(a) The Port Authority, Dock Labour Board and every other employer shall appoint at least one Welfare Officer in every port where 500 or more dock workers are ordinarily employed. Provided that, where the number of dock worker exceeds 2000 there shall be additional Welfare Officer, as indicated in the scale given below :—

(i) 2000 to 5000 dock workers—2 Welfare Officers.

(ii) for every additional 500 dock workers or fraction thereof over 500—1 Welfare Officer.

(b) Where there are more than one Welfare Officer appointed, one of them shall be called the Chief Welfare Officer and the others as Welfare Officers.

(2) Qualifications :

No person shall be appointed as a Welfare Officer unless he or she :—

(a) is a graduate from a recognised university,

- (b) has either a degree or diploma in social science from a recognised university or any other institution recognised by Central Government in this behalf, and
- (c) has adequate knowledge of the language spoken by the majority of dock workers in the port to which he/she is attached.

Provided that in the case of a person who has been employed as a Welfare Officer for one year or more before the day of commencement of these regulations, the Chief Inspector may on request from the Port Authority, Dock Labour Board or any other employer, may in writing relax all or any of the aforesaid qualifications, subject to such conditions as he may specify in the order.

(3) Conditions of Service :

- (a) A Welfare Officer shall be given appropriate status as a member of the executive staff of the Port Authority, Dock Labour Board or firm as the case may be.
- (b) The conditions of service of a Welfare Officer shall be the same as those of other members of the staff or equivalent status under the Port Authority, Dock Labour Board or firm, as the case may be :

Provided that in the case of discharge or dismissal, the Welfare Officer shall have a right of appeal to the Chief Inspector whose decision thereon shall be final and binding on the Port Authority, Dock Labour Board or firm, as the case may be. This appeal shall be preferred within thirty days from the date of receipt by the Welfare Officer of the order of discharge or dismissal.

(4) Duties of Welfare Officers :

The duties of the Welfare Officer shall be—

- (a) to ensure fulfilment on the part of the Port Authority, Dock Labour Board or firm of obligations under the provisions of these Regulations and maintaining a liaison with the Inspector;
- (b) to ascertain what further welfare facilities are needed, how best they can be provided and make suggestions for their establishment;
- (c) to make sure that the available welfare facilities provided under the Regulation or otherwise are being properly maintained and utilized;
- (d) to ensure adequate supervision of the amenities provided, especially as regards canteens, rest rooms, washing and toilet facilities and drinking water;
- (e) to examine grievances voiced by the dock workers in respect of welfare facilities and other amenities;
- (f) to ensure first aid, medical treatment and other assistance for dock workers who are injured in the course of their employment in dock work and are in need of vocational rehabilitation due to disablement caused due to injury;

- (g) to assist in the organisation of recreational facilities and educational courses and advise on individual personnel problems and education of children;

- (h) to promote relations between the Port Authority, Dock Labour Board or a firm and dock workers which will ensure productive efficiency as well as amelioration in the working conditions and to help dock workers to adjust and adapt themselves to their working environments;

- (i) to take interest in the working of Safety Committee of the Port; and

- (j) to encourage and assist in the organisation of Safety propagation, Safety Weeks, training courses, suggestion schemes, safety awards, etc. and such other duties as may be assigned by the Port Authority, Dock Labour Board or a firm which have a bearing on the welfare of the Dock workers.

(5) No Welfare Officer shall deal with any disciplinary cases against workers or appear before a conciliation officer in a court or tribunal on behalf of the management against a worker or workers.

(6) Exemption :—

The Chief Inspector may in writing exempt any Port Authority, Dock Labour Board or any other employer or a group of employers from any or all provisions of his regulation subject to compliance with such alternative arrangements as may be approved by him.

SCHEDULE No. XI

Schedule for Medical Examination of dock workers.

[See Regulations 74 (d) and 107 (2) (b)]

1. The employer shall arrange a medical examination of all the dock workers employed as drivers/operators of lifting appliances and transport equipment before employing, after illness or injury if it appears that the illness or injury may affect his fitness and thereafter once in every 2 years upto the age of 40 and once in a year, thereafter.

2. Complete and confidential records of medical examination shall be maintained by the employer or the physician authorised by him.

3. The medical examination shall include :

- (a) full medical and occupational history,
- (b) clinical examination with particular reference to —

(i) General Physique :

(ii) Sight :

- (1) Distant vision, either eye should not be less than Snellen 6/12 corrected or uncorrected and not less than 6/36 uncorrected in the worse eye.

- (2) Near vision; not less than 20/30 corrected or uncorrected (In either eye)
  - (3) Binocular vision.
  - (4) No diplopia.
  - (5) No limitation of visual fields
  - (6) Stereopsis must be column 4,5, or 6 in key-stone vision screening test.
  - (7) Testing of colour vision (especially the ability to distinguish between red and green) by a suitable test.
- (iii) Hearing :

Persons with normal hearing must be able to hear a forced whisper at 24 feet.

- Persons using hearing aids must be able to hear a warning shout under noisy working conditions.
- (iv) Upper limbs. Adequate arm function and grip (both arms)
  - (v) Lower limbs. Adequate leg and foot function.
  - (vi) Spine. Adequate flexible for the job concerned.
  - (vii) General. Mental alertness and stability with good eye, hand and foot co-ordination.
- (c) Any other tests which the examining doctor considers necessary.

FORM I

DOCK WORKERS (SAFETY, HEALTH AND WELFARE) REGULATIONS 1989

Notice to the owner, master or officer-in-charge (name of ship).

[See Regulation 7(4) & 33]

(.....)

I hereby give notice that the dock work involving loading or unloading or coaling have been completed (\* for the time being) at the hatches names below, and that the hatches in question have been—

left fenced or covered as required by Regulation

taken into use by your or on your behalf.

Hatchway	Dock
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

.....

Signature

Time .....

Date .....

£ Delete whichever is required

\* Delete if not required.

## FORM II

## PART-I

Initial and periodical load test of lifting appliances and their annual thorough examination.

[See Regulations 41 and 51]

“Thorough examination” means a detailed visual examination by a competent person; supplemented if necessary by other means such as a hammer test, carried out as carefully as the conditions permit, in order to arrive at a reliable conclusion as to the safety of the parts examined and if necessary for this purpose parts of the machines and gear must be dismantled.

## (A)

## Initial and periodical load tests of lifting appliances

Situation and description of lifting appliances tested with distinguishing number or marks if any).	No. of certificate of test and examination of Competent person	I certify that on the date on which I have appended by signature the lifting appliance shown in Col. (1) was tested and no defects affecting its safe working condition were found other than those shown in Col. (5)	Remarks (To be signed and dated).
1	2	Date and Signature with seal	Date and signature with seal
5	5		
(1)			
(2)			

## (B)

## Annual thorough examination

I certify that on the date to which I have appended my signature, the lifting appliance shown in col. (1) was thoroughly examined and no defects affecting its safe working conditions were found other than those shown in Col. (12)						Remarks to be signed and dated
Date and signature with seal	Date and signature with seal	Date and signature with seal	Date and signature with seal	Date and signature with seal	Date and signature with seal	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(1)						
(2)						

Note:- If all the lifting appliances are thoroughly examined on the same date it will be sufficient to enter in Column (1) “All lifting appliances”. If not, the parts which have been thoroughly examined on the dates stated must be clearly indicated.

## PART-II

Initial and Periodical load test of Loose gears and Annual thorough Examination

[See Regulations 47 and 51]

List of Loose gear:

The following classes of loose gears namely—

1. Chains made of malleable cast iron;
2. Plate link chains;

3. Chains, rings, hooks, shackles and swivels made of steel;
4. Pitched chains;
5. rings, hooks, shackles and swivels permanently attached to pitched chains, pulley blocks, container spreaders; trays; slings; baskets; etc. and any other similar gear.
6. hooks and swivels having screw-threaded parts or ball bearings or other case-hardened parts; and
7. Bordeaux connections

Initial Test and periodical load test of loose gears

Distinguishing No. or marks.	Description of loose gear tested and examined	No. of certificates of Test and examination of Competent Person	I certify that on the date to which I have appended my signature the loose gears shown in Col. (1) & (2) were tested and no defects affecting the safe working condition were found other than those shown in Col. (6)	
			Date and signature with seal	Date and signature with seal
(1)	(2)	(2)	(4)	(5)
(1)				
(2)				
(3)				
(4)				
(5)				

Annual thorough examination of loose gears

Remarks (To be signed and dated)	I certify that on the date to which I have appended my signature the loose gears shown in Col. (1) & (2) were thoroughly examined by me and no defects affecting their safe working condition were found other than those shown in Col. (10).			
	Date and signature with seal	Date and signature with seal	Date and signature with seal	Remarks (To be signed and dated)
6	7	8	9	10
(1)				
(2)				
(3)				
(4)				
(5)				

**PART-III**

**Annealing of Chains, Rings, Hooks, Shackles and Swivels (other than those exempted—  
(See Part-II)**

[See regulation 49 and 51]

12.5 mm and smaller chains rings, hooks, shackles and swivels in general use	If used with lifting appliance driven by power, must be annealed once atleast in every 6 months. If used solely with lifting appliance worked by hand, must be annealed once atleast in every 12 months.
Other chains, rings, hooks, shackles and swivels in general use	If used with lifting appliance driven by power, must be annealed once atleast in every 12 months. If used solely with lifting appliance worked by hand, must be annealed once atleast in every two years.

Note :— It is recommended though not required by the Regulations—that annealing should be carried out in a suitably constructed furnace heated to temperature between 1100° and 1300° Fahrenheit or 600° and 700° Centigrade, for a period between 30 and 60 minutes.

Distinguishing No. or mark	Description of gear annealed	No. of the certificate or test and examination	I certify that on the date to which have appended my signature, the gear described in Cols. (1) and (2) was effectually annealed under my supervision, that after being so annealed every article was carefully inspected and that no defects affecting its safe working condition were found other than those shown in column (7)	Remarks (to be signed and dated)		
				Date and signature with seal	Date and signature with seal	Date and signature with seal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

**FORM-III**

**DOCK WORKERS (SAFETY, HEALTH AND WELFARE), REGULATIONS, 1989**

[See Regulations 41 and 51(2)]

**CERTIFICATE OF INITIAL AND PERIODICAL TEST AND EXAMINATION OF WINCHES, DERRICKS AND THEIR ACCESSORY GEAR**

Test Certificate No.....

(a) In case of Dock, Wharf or Quay—

Name of the Dock, Wharf or Quay where lifting appliances are fitted.....



**(b) In case of Ship—**

Name of the Ship.....  
 Official Number.....  
 Call Sign .....  
 Port of Registry .....  
 Name of owner .....

Situation and Description of lifting appliances and Gear with distinguishing number or marks (if any), which have been tested, thoroughly examined.	Angle to the horizontal of derrick boom at which test load applied.	Test load applied	Safe working load at the angle shown in Col. (2)
(1)	(2)	(3)	(4)
	(Degrees)	(Tonnes)	(Tonnes)

5. Name & address of public service, association, company or firm or testing establishment making the test and examination .....

6. Name and position of the Competent person of public service, association, company or firm or testing establishment .....

I certify that on the ..... day of 19..... the lifting appliance shown in Col.(1) together with its necessary gear was tested in the manner set forth overleaf in my presence that a careful examination of the said lifting appliances after the test showed that it had withstood the test load without injury or permanent deformation and that the safe working load of the said lifting appliance and accessory gear is as shown in Column (4).

Signature of the Competent Person  
 (See Note 3)

Date .....

\*Seal

Registration/Authority number of the Competent person.

### NOTES

1. Column (1)—Sufficient particulars must be given to identify the gear, for example, in the case of a winch or derrick, the number of the hold, etc., should be shown.

2. Column (2)—As a rule, a derrick, should be tested with its boom at the minimum angle to the horizontal for which the derrick system is designed (generally 15°), or at such greater angle as may be agreed.

“competent person” means:—

- (i) a person belonging to a testing establishment in India who is approved by the Chief Inspector for the purposes of testing, examination or annealing and certification of lifting appliances, loose loose gears or wire ropes;
- (ii) any other person who is recognised under the relevant regulations in force in other countries as competent for issuing certificates for any of the purposes mentioned in sub-clause (i) for implementation of the Protection against Accidents (Dockers) Convention (Revised), 1932 (No. 32) and the Convention concerning the Occupational Safety and Health in Dock work (No. 152), 1979, adopted by International Labour Conference.

## INSTRUCTIONS

1. **Lift appliances:-** Every lifting appliance with its accessory gear, shall be subjected to a test load which shall exceed the safe working load (SWL) as follows:

Safe Working Load	Test Load
Upto 20 tonnes	25 per cent in excess
20 to 50 tonnes	5 tonnes in excess
Over 50 tonnes	10 per cent in excess

2. **Ship's derricks:**

- In the case of derrick system the test load shall be lifted with the ship's normal tackle with the derrick at the minimum angle to the horizontal for which the derrick system is designed generally 15 degrees), or at such greater angle as may be agreed. The angle at which the test was made should be stated in the certificate of test. After the test load has been lifted, it should be swung as far as possible in both the directions.
- A derrick boom designed to be raised with power with the load suspended shall in addition to the above tests at (a), be raised (with the load suspended) to its maximum working angle to the horizontal at the two out most positions.
- While test load testing of a heavy lift derrick, the competent person responsible for test using movable weights shall ascertain from the Master that the ship's stability will be adequate for the test.

3. **The derrick tested under clause (2) shall not be used in union purchaserig unless--**

- the derricks rigged in union purchase are tested with the test load appropriate to the SWL in union purchase (at the designed head room and with the derrick booms in their approved working positions).
- the safe working load of that derrick in union purchase rig has also been specified by a Competent Person in a report in Form-III
- any limitations or conditions specified in the said report are complied with, and
- the two hoist ropes are coupled together by a suitable swivel assembly.

Note :— The safe working loads of derricks (for each method of rig including union purchase) shall be shown on the Certificate of test and marked on the derrick booms.

4. **Use of spring or hydraulic balances, etc. for test load testing:**

All tests normally shall be carried on with the help of dead weights. Test load testing on new ships shall always be with dead weights. In case of periodical tests, replacements or renewals, test load may be applied by means of a suitable spring or hydraulic balances. In such case, test load shall be applied with the boom as far out as practicable in both directions. The test shall not be taken as satisfactory unless the balance has been certified for accuracy by competent authority, within  $\pm$  two per cent and the pointer of the machine has remained constant as the test load for a period of at least 5 minutes.

5. **Testing machines and dead weights:**

- A suitable testing machine shall be used for testing of chains, wire ropes, loose gears and other cargo gear.
- Testing machines and balances to be used in test loading, testing and checking shall not be used unless they have been certified for accuracy atleast once in the preceding 12 months by competent authority.
- Movable weights used for the test loading of the lifting appliance, loose gears and lifting device having a safe working load not exceeding 20 tonnes shall be checked for accuracy by means of suitable weighing machine.

## 6. Thorough examination after testing or test loading:

After being tested or tested loaded, every lifting appliance, with their accessory gear shall be thoroughly examined to see that no part has been damaged or permanently deformed during the test. For this purpose, the lifting appliance or gear shall be dismantled to the extent considered necessary by the Competent Person

7. In the case of heavy derricks, care should be taken to ensure that the appropriate shrouds and stays are rigged.

8. The test and examination must be made by a Competent Person.

## FORM-IV

DOCK WORKERS (SAFETY, HEALTH AND WELFARE) REGULATIONS 1989  
[See Regulation 41 and 51(2)]CERTIFICATE OF INITIAL AND PERIODICAL TEST AND EXAMINATION OF CRANES OR  
HOISTS AND THEIR ACCESSORY GEAR

Test Certificate No. ....

(a) In case of dock, wharf or quay---

Name of dock, Wharf or quay  
where lifting appliances are  
fitted.

(b) In case of Ship---

Name of Ship---

Official number---

Call Sign.....

Port of registry .....

Name of Owner .....

Situation & description	For jib cranes radius at the test load was applied	Test load applied	Safe working load for jib cranes at radius shown in Col. (2)
(1)	(2)	(3)	(4)
	(Metres)	(Tonnes)	(Tonnes)

5. Name and address of public service, association or firm or test in establishment making the test and examination .....

6. Name and position of Competent person of public service, association, company or firm or testing establishment .....

I certify that on the ..... day of ..... the above lifting appliance together with its accessory gear, was tested in the manner set forth overleaf that a careful examination of the said lifting appliance and gear after the test showed that it had withstood the test load without injury or permanent deformation; and the safe working load of the said lifting appliance and gear is as shown in column (4).

Signature of the Competent Person  
(See note 3)

\*Seal

Date.....

Registration/Authority number of the Competent Person

## NOTES

1. Column (1) : Sufficient particulars must be given to identify the crane or hoist.
2. Column (2) : If the jib has a variable radius, test loads must be applied at the maximum and minimum radii.

“Competent person” means:—

- (i) a person belonging to a testing establishment in India who is approved by the Chief Inspector for the purposes of testing, examination or annealing and certification of lifting appliances, loose gears or wire ropes;
- (ii) any other person who is recognised under the relevant regulations in force in other countries as competent for issuing certificates for any of the purposes mentioned in sub-clause (i) for implementation of the Protection against Accidents (Dockers) Convention (Revised), 1932 (No. 32) and the Convention concerning the Occupational Safety and Health in Dock Work (No. 152), 1979, adopted by International Labour Conference.

## INSTRUCTIONS

1. Every crane and other hoisting machine with its accessory gear shall be tested with a test load which shall exceed the safe working load (SWL) as follows:

Safe Working Load	Test Load
Upto 20 tonnes.....	2 per cent in excess of SWL
20 to 50 tonnes.....	5 tonnes in excess of SWL
Over 50 tonnes.....	10 per cent in excess of SWL

2. Lifting appliance other than ship's derricks and winches:

- (a) The test load shall be lifted and swung as far as possible in both directions. If the jib or boom of the crane has a variable radius, it shall be tested with test loads at the maximum and minimum radii. In case of hydraulic cranes, when owing to the limitation of pressure it is impossible to lift a test load in accordance with table under paragraph 1, it will be sufficient to lift the greatest possible load.
- (b) The test shall be performed at maximum, minimum and intermediate radius points as well as such points in the arc of rotation as the Competent Person may decide. The test shall consist of hoisting, lowering, braking and swinging through all positions and operations normally performed.
- (c) An additional test shall be made by operating the crane or hoist at maximum working speed with the SWL suspended.

3. Use of spring or hydraulic balances; etc. for test load testing:

All tests normally shall be carried on with the help of dead weights. Test load testing on new ship shall always be with dead weights. In case of periodical tests, replacements or renewals, test load may be applied by means of a suitable spring or hydraulic balances. In such case, test load shall be applied with the boom as far out as practicable in both directions. The test shall not be taken as satisfactory unless the balance has been certified for accuracy by Competent authority within two percent and the pointer of the machine has remained constant at the test load for a period of at least 5 minutes.

4. Testing machines and weights:

- (a) A suitable testing machine shall be used for testing of chains, wire ropes, loose gears and other cargo gear.
- (b) Testing machines and balances to be used in test loading, testing and checking shall not be used unless they have been certified for accuracy at least once in the preceding 12 months by Competent Authority.

- (c) Movable weights used for the test loading of the lifting appliances having a SWL not exceeding 20 tonnes shall be checked for accuracy by means of suitable weighing machine.

5. Thorough examination after testing of test loading:

After being tested or test loaded, every lifting appliance and associated gears shall be thoroughly examined to see that no part has been damaged or permanently deformed during the test. For this purpose, the lifting appliance or accessory gear shall be dismantled to the extent considered necessary by the Competent Person.

6. The test and thorough examination must be made by a Competent Person.

FORM-V

DOCK WORKERS (SAFETY, HEALTH AND WELFARE) REGULATION, 1989

[See Regulations 47 and 51(2)]

CERTIFICATE OF INITIAL AND PERIODICAL TEST AND EXAMINATION OF LOOSE GEARS

Test Certificate No. ....

(1) In case of dock, Wharf or quay—

\_\_\_\_\_  
Name of the dock, Wharf or quay  
where lifting appliances are fitted. ....

(2) In case of Ship—

\_\_\_\_\_  
Name of the Ship .....  
Official Number .....  
Call Sign .....  
Port of Registry .....  
Name of owner .....

Distinguishing Number or Mark	Discreption, diamenson and material of gear/device	Number tested	Date of test	Test load applied (tonnes)	Safe working load (SWL) (tonnes)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

7. Name and address of manufacturer or suppliers. ....

8. Initial test and examination certificate No. and date. ....  
(only in case of periodical test and examination.)

9. Name and address of public service, association, company  
or firm or testing establishment making the test and exa-  
mination .....

10. Name and position of Competent person in public service,  
association, company or firm or testing establishment. ....

I certify that on the.....day of .....19.....the above gear was tested and examined in the manner set forth overleaf; that the examination showed the said gear/device withstood the test load without injury or deformation; and that the safe working load of the said gear/device is as shown in column 6.

Signature of the Competent Person  
(See Note 2)

Seal

Date.....

Registration/Authority number of the Competent Person

#### NOTES

1. Column (2) : The dimensions of the loose gear the type of material of which it is made and where applicable, the heat treatment received in manufacture should be stated (unless Form No. VII is used for the purpose).

“Competent person” means:—

(i) a person belonging to a testing establishment in India who is approved by the chief Inspector, for the purposes of testing, examination or annealing and certification of lifting appliances, loose gears or wire ropes;

(ii) any other person who is recognised under the relevant regulations in force in other countries as competent for issuing certificates for any of the purposes mentioned in sub-clause (i) for implementation of the Protection against Accidents (Dockers) Convention (Revised), 1932 (No. 32) and the Convention concerning the Occupational Safety and Health in Dock Work (No. 152), 1979, adopted by International Labour Conference.

#### INSTRUCTIONS

Loose gear

1. (a) Every ring, hook, chain, shackle, swivel, eye bolt, plate clamps, triangular plate or pulley block (except single sheave block) shall be subjected to a test load which shall not be less than the following:—

S.W.L. (in tonnes)	Test Load (in tonnes)
Upto 25	2 x Safe working load (SWL)
Above 25	(1.22 x SWL) x 20

(b) In the case of a single sheave block, the SWL shall be the maximum load which can safely be lifted by the Block when suspended by its head fitting and the load is attached to a rope which passes around the sheave of the block and test load not less than four times the proposed safe working load shall be applied to the head of the block.

(c) In the case of a multi-sheave block, the test load shall not be less than the following:—

SWL (in tonnes)	Test Load in tonnes
Upto 25	2 x SWL
Above 25 to 160	(0.933 x SWL) + 27
Above 160	1.1 x SWL

(d) In case of hand-operated pulley blocks used with pitched chains and rings, hooks, shackles or swivels permanently attached thereto, a test load not less than 50 percent in excess of the safe working load shall be applied.

- (e) In the case of a pulley block fitted with a bucket, the bucket shall be tested and the test load applied to the bucket while testing that block will be accepted as test loading of the bucket.
- (f) In the case of a sling having two legs, the safe working load shall be calculated when the angle between the legs is 90°. In case of Multi-logged slings, the safe working load shall be calculated as per the national standards.
- (g) Every lifting beam, lifting frame, container spreader, bucket, tub and other such gears shall be subject to a test load which shall not be less than that given in table below :—

Safe working load (in tonnes)	Test load (in tonnes)
Upto 10	$2 \times \text{SWL}$
Above 10 to 160	$(1.04 \times \text{SWL}) + 9.6$
Above 160	$1.1 \times \text{SWL}$

- (h) (i) Before any test is carried out, a visual inspection of the lifting appliances or loose gear or lifting devices involved shall be conducted and any vitiable defective gear shall be replaced or renewed.
- (ii) After being tested, all the loose gear and other such gears shall be examined. All the sheaves and the pins of the pulley blocks shall be removed to see whether any part has been injured or permanently deformed by the test.

2. The test and examination must be made by a Competent Person.

#### FORM VI

#### Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Regulations, 1989 [See Regulations 48 and 51 (2)]

Certificate of test and Examination of wire rope before being taken into use.

Test Certificate No.....

- (1) Name and address of maker or supplier
- (2) (a) Circumference/diameter of rope
  - (b) Number of strands
  - (c) Number of wires per strand
  - (d) Lay
  - (e) Core
- (3) Quality of wire (e.g. Best Plough steel)
- (4) (a) Date of test of sample of rope
  - (b) Load at which sample broke (tonnes)
  - (c) Safe working load of rope (tonnes)  
(Please see Instruction-1)
  - (d) Intended use
- (5) Name and address of public service, association, company or firm or testing establishment making the test and examination.
- (6) Name and position of Competent Person in public service, association, company or firm or testing establishment making the test and examination.

I certify that the above particulars are correct, and that the test and examination were carried out by me and no defects affecting its safe working load (SWL) were found.

Signature of the Competent Person

Seal

Date.....

(See Note below)

Registration/Authority number of the Competent Person.

## NOTES

“competent person” means,—

- (i) a person belonging to a testing establishment in India who is approved by the Chief Inspector for the purposes of testing, examination or annealing and certification of lifting appliances, loose gears or wire ropes;
- (ii) any other person who is recognised under the relevant regulations in force in other countries as competent for issuing certificates for any of the purposes mentioned in sub-clause (i) for implementation of the Protection against Accidents (Dockers) Convention (Revised), 1932 (No. 32) and the Convention concerning Occupational Safety and Health in Dock Work (No. 152), 1979, adopted by International Labour Conference.

## INSTRUCTIONS

1. Wire rope shall be tested by sample, a piece being tested to destruction, and the safe working load of rope is to be determined by dividing the load at which the sample broke by a co-efficient of utilisation determined as follows :

Item	Co-efficient of Utilisation
(a) Wire Rope forming part of a Sling:	
SWL of the Sling :	
SWL upto and equal to 10 tonnes.....	5
SWL above 10 tonnes and upto and equal to 160 tonnes .....	10 <sup>4</sup>
	-----
	(8.85 × SWL) + 1910
SWL above 160 tonnes .....	3
(b) Wire rope as integral part of a Lifting Appliance	
SWL of the lifting appliance	
SWL upto and equal to 160 tonnes.....	10 <sup>4</sup>
	-----
	(8.85 × SWL) + 1910
SWL above 160 tonnes .....	3

2. The test procedure shall be in accordance with recognised national standards.
3. The test must be made by a Competent Person.



## FORM VII

Certificate No. ....

## DOCK WORKERS (SAFETY, HEALTH AND WELFARE) REGULATIONS, 1989

[See Regulations 49 and 51(2)]

## Certificate of Annealing of Loose Gears

(1) In case of dock, wharf or quay

Name of the dock, wharf or quay

Where lifting appliance is fitted.....

(2) In case of ship—

Name of the Ship .....

Official Number .....

Call Sign. ....

Port of Registry .....

Name of owner .....

Distinguishing number or mark.	Description of gear	Number of the certificate of test and examination	Number annealed	Date of annealing	Defects found at careful inspection after annealing
1	2	3	4	5	6

7. Name and address of public service association, company or firm or testing establishment carrying out the annealing and inspection.....

8. Name and position of Competent person in public service association, company or firm or testing establishment .....

I certify that on the date shown in column(5) the gear described in columns (1) to (4) was effectually annealed under my supervision that after being so annealed every article was carefully inspected; and that no defects affecting its safe working condition were found other than those indicated in column (6).

Signature of the Competent Person

(See Note 2)

Seal

Date.....

Registration/Authority of the Competent person.

## NOTES

1. Column (2) : The dimensions of the gear, the type of material of which it is made and the heat treatment received in manufacture should be stated

2. "Competent person" means :—

(i) a person belonging to a testing establishment in India who is approved by the Chief Inspector for the purposes of testing, examination or annealing and certification of lifting appliances, loose gears or wire ropes;

(ii) any other person who is recognised under the relevant regulations in force in other countries as competent for issuing certificates for any of the purposes mentioned in sub-clause (i) for implementation of the Protection against Accidents (Dockers) Convention (Revised), 1932 (No. 32) and the Convention concerning Occupational Safety and Health in Dock Work (No. 152), 1979, adopted by International Labour Conference.

3. For requirements as to annealing see instructions below:

4. This certificate is optional. The above particulars may be entered in Part-IV of the Register (Form II).

## INSTRUCTIONS

1. Chains (other than bridle chains attached to derricks or masks), rings, hooks, shackles and swivels in general use of hoisting or lowering must be effectively annealed at the following intervals:—

Class of Gear	If used on lifting appliance driven by power	If used solely on lifting appliances worked by hand
1	2	3
(12.5 mm) and smaller gear	6 months	12 months
Others gear	12 months	2 years

2. The annealing must be carried out under the supervision of a Competent Person.
3. (a) It is recommended though not required by the Regulations, that annealing should be carried out in a suitably constructed furnace, heated to a temperature between 600° and 700° centigrade, for a period between 30 and 60 minutes.
- (b) It is recommended though not required by Regulations that normalising should be carried out in suitably constructed furnace, heated to a temperature between 920° and 950° centigrade.
4. The requirements of annealing does not apply to bridle chains attached to derricks or masks, and the following classes of gears have been exempted from annealing subject to the conditions stated below:—
- Chains made of malleable cast iron;
  - Plate Link Chains;
  - Chains, rings, hooks, shackles and swivels made of steel;
  - Pitched chains;
  - Rings, hooks, shackles and swivels permanently attached to pitched chains, pulley blocks;
  - Hooks and swivels having screw-threaded parts of ball bearings or other case hardened parts;
  - Bordeaux connections.

These classes of gears have been exempted from annealing subject to the conditions that such gear shall be thoroughly examined by a Competent Person once atleast in every twelve months and that before the gear is subsequently taken into use, the prescribed certificate of such examination shall be attached to the prescribed register (Form II) or alternatively the required particulars may be entered in Part-III of the register.

## FORM-VIII

Certificate No. ....

## DOCK WORKERS (SAFETY, HEALTH &amp; WELFARE) REGULATIONS, 1989

[See regulations 47(2) &amp; 51(2)]

Certificate of Annual Thorough Examination of loose Gears Exempted from Annealing

(1) In case of dock, wharf or quay—

Name of the dock, wharf or quay  
where lifting appliances if fitted .....

(2) In case of ship—

Name of the Ship .....

Official Number .....

Call Sign .....

Port of Registry .....

Name of owner .....

Distinguishing number or mark	Description of Gear	Number of certificate of initial and periodical test and examination	Remarks
1	2	3	4

5. Name and address of public service, association, company or firm or testing establishment making the test and examination .....

6. Name and position of Competent Person in public service, association, company or firm or testing establishment .....

I certify that on the.....day of .....19..... the above gear described in column (2) was thoroughly examined and that no defects affecting its safe working condition were found other than those indicated in column (4).

Signature of the Competent Person

(See Note 2)

Seal

Date.....

Registration/Authority number of the Competent Person.

## NOTES

1. Col (2) : The dimensions of the gear, the type OS material of which it is made and the heat treatment received in manufacture should be stated.

2. "Competent person" means,—

(i) a person belonging to a testing establishment in India who is approved by the Chief Inspector for the purposes of testing, examination or annealing and certification of lifting appliances, loose gears or wire ropes;

(ii) any other person who is recognised under the relevant regulations in force in other countries as competent for issuing certificates for any of the purposes mentioned in sub-clause (i) for implementation of the Protection against Accidents (Dockers) Convention (Revised), 1932 (No. 32) and the Convention concerning Occupational Safety and Health in Dock Work (No. 152), 1979, adopted by International Labour Conference.

3. For list of gear not required to be annealed and definition of "thorough examination" see overleaf.

4. This certificate is optional. The above particulars may be entered in Form-II of the Register.

## INSTRUCTIONS

1. The following classes of gear have been exempted from annealing but require to be thoroughly examined by a competent person once atleast in every twelve months:
  - (a) Chains made of malleable cast iron;
  - (b) Plate link chains;
  - (c) Chains, rings, hooks, shackles and swivels made of steel;
  - (d) Pitched chains;
  - (e) Rings, hooks, shackles and swivels permanently attached to pitched chains, pulley blocks, container spreaders, trays, slings, baskets, etc. and any other similar gear.
  - (f) Hooks and swivels having screws-threaded parts or ball bearings or other case-hardened parts;
  - (g) Bordeaux connections.
2. "Through examination" means a visual examination supplemented if necessary by other means, carried out as carefully as the conditions permit, in order to arrive at a reliable conclusion as to the safety of the parts examined: and if necessary for the purpose, parts of the gear must be dismantled.

## FORM-IX

## PROHIBITION ORDER.

## DOCK WORKERS (SAFETY, HEALTH AND WELFARE) REGULATIONS, 1989

## PART-I

[See Section 5(1) of the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act, 1986 & Regulation 4] Inspectors Notice on Inspection of Dock, Ship, Lifting Appliance, Loose Gears and other such gears, Equipment, Ladders and Stagings. Inspector's notice to the owner, Master, Office-in-charge, or Agents of the ship, Port Authority, owner of lifting appliances, loose gears and lifting devices or the person who, by himself, his agents, or his employers, carried on the dock work; as the case may be.

Name of the dock, ship, lifting appliance, loose gear, lifting device, transport equipment, ladders and stagings	Where situated lying/used	Port of registry of ship	Official No. (if any) of ship
(1)	(2)	(3)	(4)

An inspection of the above named dock, ship, lifting appliances, loose gears, lifting devices, transport equipment, ladders and stagings was made on.....

The activities connected with dock work which are being carried on by you/about to be carried on by you/under your control involve a risk or danger to the life, safety & health of dock workers & involve the following contraventions:

## CONTRAVENTIONS

Therefore, I hereby direct that the said activities shall not be carried on by you or under your control unless the said contraventions and matters mentioned have been remedied to the satisfaction of the Inspector.

This order is being issued without prejudice or any legal action which may be taken for these contraventions.

On hearing from you that the requirements have been complied with the dock/ship/lifting appliance, loose gear or similar gear/transport equipment/ladders/staging shall again be visited with a view to the inspection being completed.

No.....

Dated at.....this.....day of.....19.....

Inspector under the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act, 1986

## REQUIREMENTS

On compliance with all or any of the above contraventions, the Inspector shall be informed in the manner prescribed overleaf, of the date and place at which the dock, ship, lifting appliance, loose gears or similar gear transport equipment, ladders and stagings can be re-inspected.

Sir,

The contravention notified by you have been effectively attended to. The dock, ship, lifting appliance, loose gears or similar gear, transport equipment, ladders and stagings shall be ready for inspection on the date and place named below:

Date of Inspection	Place
Dated at.....this.....day of....19..	
Owner, Master, Officer-in-charge or Agents of the ship, port authority, owner of machinery and gear or the person, who by himself, his agents or his employers, carried on the dock work.	

To

The Inspector under the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act, 1986.

## NOTES

1. Failure to comply with a prohibition order is an offence as provided by Section 21(4) of the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act, 1986 and renders the offender liable to a fine not exceeding Rs. 5,000/- on each conviction or to an unlimited fine as per Section 18 of the Act or to an imprisonment for a term not exceeding 6 months or both fine and imprisonment, and a further fine of not exceeding Rs. 100/- per day, per conviction if the offence is continued as given under Section 16(2) of the Act.
2. As per Section 14(4) of the Act, a person who has been convicted for an offence punishable under any of the provisions of the Act or the Regulations framed thereunder, is again convicted for an offence committed within two years of the previous conviction and involving the contravention of the same provisions, he shall be punishable for each subsequent conviction with double imprisonment to which he would have been liable of the first contravention of such provision.
3. The Chief Inspector has the power to cancel or modify the order or to extend the period specified in the order before the end of the period specified in it without waiting for an appeal from the concerned employer or owner of premises/dock worker.
4. Any person aggrieved by a prohibition order issued under Section 5 of the Act may, within 15 days from the date on which the order is communicated to him prefer an appeal to the Chief Inspector, Directorate General, Factory Advice Service and Labour Institutes, Sion, Bombay-400022, as provided under Section 8 of the Act where such order is by the Chief Inspector, an appeal shall be to the Secretary in the Ministry of Labour, New Delhi.
5. An appeal to the Chief Inspector by any aggrieved person must be commenced by sending in writing to the Chief Inspector a notice, containing the following particulars:
  - (a) the name of the appellant and his address for service of documents.
  - (b) date of a prohibition order or orders appealed against and the addressees of the premises or place concerned.
  - (c) the name and address (as shown in a prohibition order) of the respondent.
  - (d) particulars of the requirements or directions appealed against.
  - (e) the grounds of an appeal.

The entering of an appeal does not have the effect to suspend this prohibition order. The application can be made for the suspension of the prohibition order to the Chief Inspector, but the prohibition order continues in force until the Chief Inspector otherwise direct.

7. The issue of this prohibition order does not relieve the aggrieved person of any legal resting upon him for failure to comply with any provision of this or any other enactment, before order the issue of this order.

**PART-II**

**IMPROVEMENT NOTICE**  
**DOCK WORKERS (SAFETY, HEALTH AND WELFARE) REGULATIONS, 1989**  
 (See Regulation 4)

Inspectors Notice on Inspection of Dock, Ship, Lifting Appliance, Loose Gear or similar other gear, Equipment, Ladders and Stagings.

Inspectors notice to the Owner, Master, Office-in-Charge or Agents of the Ship, Port Authority, Owner of lifting appliances, loose gears and lifting devices or the person, who, by himself, his agents or his employers, carries on the dock work, as the case may be.....

Name of the dock, ship, lifting appliances, loose gear, lifting device, transport, equipment, ladders and stagings	Where situated laying/used	Port of Registry	Official No. (if any) of ship
(1)	(2)	(3)	(4)

An inspection of the above named dock, ship, lifting appliances, loose gears, lifting devices, transport equipment, ladders and stagings was made on.....

The following contraventions were observed. You are required to remedy the said contraventions and send the compliance report in writing within.....days.

This notice is being issued without prejudice to any legal action which may be taken for these contraventions.

On hearing from you that the requirements have been complied with the dock/ship/lifting appliance/ loose gear or similar other gear/transport equipment/ladders/staging will again be visited with a view to the inspection being completed.

**CONTRAVENTIONS**

No.....

Dated.....this.....day of.....19..

Inspector under the Dock Workers,  
 (Safety, Health and Welfare) Act, 1986.

**REQUIREMENTS**

On compliance with all or any of the requirements, the Inspector should be informed in the manner prescribed overlead, of the date and place at which the dock, ship, lifting appliance, loose gear, transport equipment, ladders and stagings can be re-inspected.

Sir,

The requirements noted by you have been effectively fulfilled. The dock, ship, lifting appliance, loose gear, lifting devices transport equipment, ladders and stagings will be ready for inspection on the date and place named below:-

Date of Inspection	Place
--------------------	-------

Dated at.....this.....day of.....19.....

Owner, Master, Officer-in-charge or Agents of the  
 ship, port authority, owner of machinery and gear  
 or the person, who, by himself, his agents or his  
 employers, carried on the dock work.

To

The Inspector under the dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act, 1986.

## FORM-X

ABSTRACTS OF DOCK WORKER'S (SAFETY  
HEALTH AND WELFARE) ACT, 1986.

(See Regulation 113)

3. (1) The appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, against such person as it thinks fit to be the Chief Inspector of Dock Safety and such persons as it thinks fit to be Inspectors subordinate to the Chief Inspector for the purposes of this Act at such ports as may be specified in the notification.

(2) The Chief Inspector shall also exercise the powers of an Inspector.

(3) The Chief Inspector and all Inspectors shall be deemed to be public servants within the meaning of the Indian Penal Code.

4. An Inspector may, at any port for which he is appointed,—

(a) enter, with such assistance (if any), as he thinks fit, any ship, dock, warehouse or other premises, where any dock work is being carried on, or where he has reason to believe that any dock work is being carried on;

(b) make examination of the ship, dock, lifting machinery, cargo gear, stagins, transport equipment, warehouses or other premises, used or to be used, for any dock work;

(c) require the production of any register, muster roll or other document relating to the employment of dock workers and examine such document;

(d) take on the spot or otherwise such evidence of any person which he may deem necessary :

Provided that no person shall be compelled under this section to answer any question or give any evidence tending to incriminate himself;

(e) take copies of registers, records or other documents or portions thereof as he may consider relevant in respect of any offence which he has reason to believe has been committed or for the purpose of any inquiry;

(f) take photograph, sketch, sample, measure or record as he may consider necessary for the purpose of any examination or inquiry;

(g) hold an inquiry into the cause of any accident which he has reason to believe was the result of the collapse or failure of lifting machinery, transport equipment, staging or non-compliance with any of the provisions of this Act or the regulations;

(h) issue show cause notice relating to the safety health and welfare provisions arising under this Act or the regulations;

(i) prosecute conduct or defend before any court any complaint or other proceeding arising under this Act or the regulations;

(j) exercise such other powers as may be conferred upon him by the regulations.

5. (1) If it appears to an Inspector that any place at which any dock work is being carried on is in such a condition that it is dangerous to life, safety or health of dock workers, he may, in writing, serve on the owner or on the person in charge of such place an order prohibiting any dock work in such place until measures have been taken to remove the cause of the danger to his satisfaction.

6. The owner or the person in charge of the place at which any dock work is being carried on, shall afford the Chief Inspector or the Inspector all reasonable facilities for making any entry, inspection, survey, measurement examination or inquiry under this Act or regulations.

13. No Suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

14. (1) Whoever,—

(a) wilfully obstructs an Inspector in exercise of any power conferred by or under this Act or fails to produce on demand by an Inspector any register or other documents kept in pursuance of the regulations or otherwise in connection with any dock work or conceals or prevents or attempts to prevent any person from appearing before, or being examined by, an Inspector; or

(b) unless duly authorised or in case of necessity, removes any fencing, gangway, gear ladder, life-saving, means or appliance, light, mark, stage or other thing required to be provided by, or under, the regulations; or

(c) having in case of necessity removed any such fencing, gangway, gear, ladder, life-saving means or appliance, light, mark, stage or other things, omits to restore it at the end of the period for which its removal was necessary,

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.

(2) If any person, being a person whose duty is to comply with any of the regulations, contravenes such regulations and such contravention results—

(a) in any fatal accident to a dock worker, or

(b) an accident which incapacitates a dock worker from earning his full wages for more than a fortnight.

such person shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which shall not be less than two thousand rupees in a case falling under clause (a) and five hundred rupees in a case falling under clause (b) but which may extend, in either case, to five thousand rupees, or with both, and the court may order the whole or part of the fine to be paid to the dependent of the deceased dock worker or, as the case may be, to the injured dock worker.

Explanation:—The provisions of this sub-section shall be in addition to any provisions which may be made under sub-section (4) of section 21.

### FORM XI

#### ABSTRACTS OF

#### THE DOCK WORKERS (SAFETY, HEALTH AND WELFARE) REGULATIONS, 1989.

(See Regulation 113)

#### PART I

#### GENERAL

#### 2. Definitions :

- (1) "Inspector" means a person appointed by the Central Government under section 3 of the Act and includes the Chief Inspector;

#### 3. Powers of Inspector :

- (a) An Inspector may, at any port for which he is appointed,—
- (i) enter, with such assistance, (if any), as he thinks fit, any ship, dock warehouse or other premises, where any dock work is being carried on, or where he has reason to believe that any dock work is being carried on;
- (ii) make examination of the ship, dock, lifting appliance, loose gear, lifting device, staging, transport equipment, warehouse or other premises, used or to be used, for any dock work;
- (iii) require the production of any register, muster roll or other document relating to the employment of dock workers and examine such document;
- (iv) take on the spot or otherwise such evidence of any person which he may deem necessary :

Provided that no person shall be compelled under sub-regulation 3(a) (iv) to answer any question or give any evidence tending to incriminate himself;

- (v) take copies of registers, records or other documents or portions thereof as he may consider relevant in respect of any offence which he has reason to believe has been committed or for the purpose of any inquiry;

- (vi) take photograph, sketch, sample, weight, measure or record as he may consider necessary for the purpose of any examination or inquiry;
- (vii) hold an inquiry into the cause of any accident or dangerous occurrence which he has reason to believe was the result of the collapse or failure of any lifting appliance, loose gear, transport equipment, staging or non-compliance with any of the provisions of the Act or the regulations;
- (viii) issue show cause notice relating to the safety, health and welfare provisions arising under the Act or the regulations;
- (ix) prosecute, conduct or defend before any court any complaint or other proceedings arising under the Act or the regulations; and
- (x) direct the port authority, dock labour board and other employers of dock workers for getting the dock workers medically examined if considered necessary;

- (b) A person having general management and control of the premise or the owner, master, officer incharge or agents of the ship, as the case may be, shall provide such means as may be required by the Inspector for entry, inspection, examination, inquiry, or otherwise for the exercise of his powers under the Act and the regulations in relation to that ship or premises which shall also include the provision of launch, or other means of transport;

#### 4. Notice of Inspection :

(1) An Inspector may notify any defects or deficiencies which may come to his notice during his inspection and examination which he wishes to point out together with any orders passed by him under the Act or the regulations in Form IX to :—

- (i) the owner, master, officer incharge or agents of the ship, or
- (ii) the port authority, or
- (iii) the owner of lifting appliances, loose gears, lifting devices and transport equipment, or
- (iv) the employer of dock workers

(2) When an Inspector serves notice, under sub-regulation 4(1) above in relation to any dock, lifting appliance, loose gear, lifting device, transport equipment, ladder or staging, he may, in the notice prohibit the dock work where conditions are dangerous to life, safety or health of dock workers and the use of the same in connection with the dock work, and such dock, lifting appliances, loose gears, lifting devices, transport equipment, ladders or stagings shall not be used until the defect or defects specified in the notice have been remedied and the Inspector has withdrawn the prohibitory order.



**6. Penalties :**

Save as is otherwise expressly provided in these Regulations, whoever being a person responsible to comply with any of the regulations commits a breach of such Regulations shall be guilty of an offence and punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to five thousand rupees or with both, and, if the breach is continued after conviction, with a further fine which may extend to One Hundred Rupees for each day on which the breach is so continued.

**PART II  
RESPONSIBILITIES**

**7. Responsibilities.**

(5) It shall be the duty of every dock worker to comply with the requirements of such of these regulations as relate to the performance, of or refraining from, an act by him and to co-operate in carrying out requirements of these regulations and if he discovers any defects in the lifting appliance, loose gear, lifting device, conveying and transport equipment or other equipment to report such defects without unreasonable delay to his employer or foreman or other person in authority.

(6) No person, shall, unless duly authorised or in case of necessity, remove or interfere with any fencing, gangway, gear, ladder, hatch covering, life saving appliance, lighting, or other thing whatsoever required by the Act and these regulations to be provided of the period during which their removal was needed. If removed, such things shall be restored at the cessary, by the persons last engaged in that work was necessitated such removal.

(9) Every dock worker shall use the means of access provided in accordance with these regulations, and no person shall authorise or order another to or off nor shall any person authorise or order in accordance therewith.

(10) No person shall go upon any hatch beam for the purpose of adjusting the gear for lifting them on or off nor shall any person authorise or order another to do so.

**PART III  
SAFETY**

**A. WORKING PLACES****9. Surfaces :**

(1) Every regular approach over a dock which the dock workers have to use for going to or from a working place and every such working place inside the dock shall be,—

- (a) kept clean and free from objects that can cause slipping, stumbling or falling.
- (b) maintained in good repair with due regard to the safety of the dock workers.

(2) All areas of a dock shall be kept properly drained and graded in order to facilitate safe access to sheds, warehouses and store places and safe handling of cargo and equipment.

(3) Drain pools and catch basins shall be properly covered or enclosed.

(4) All areas of a dock and all approaches on which lifting appliances and transport equipment are used shall be soundly constructed, surfaced with good wearing material and sufficiently even and free from holes and cracks to afford safe transport of cargo shall be properly maintained.

(5) Any working area in a dock which is damaged or under repair shall be effectively blocked off from other areas and when necessary, warning lights shall be provided at night.

(6) All landing places used by dock workers for embarking or disembarking from crafts meant for transport by water, shall be maintained in good repair with due regard to the safety of the persons using them.

**10. Fencing of dangerous places :**

(1) The following parts of a dock and approaches shall, as far as practicable having regard to the traffic and working be securely fenced so that the height of the fence shall be in no place less than one metre and the fencing shall be maintained in good condition :—

- (a) all breaks dangerous corners, and other dangerous parts or edges of a dock ;
- (b) both sides of such foot ways over bridges, caissons and dock gates as are in general use by dock workers and each side of the entrance at each end of such foot way for sufficient distance not exceeding 4.5 metres ;

Provided that in case of fences which were constructed before the date of commencement of this regulation, it shall be sufficient if the height of the fence is in no place less than 75 cm.

(2) The ditches, pits, trenches for pipes and cables and other hazardous openings and excavations shall be securely covered or adequately fenced.

(3) Where wharves of quays slope steeply towards the water, the outer edge shall be protected as far as practicable.

**11. Passages to be kept clear :**

(1) Cargo shall not be so stored or transport equipment or lifting appliances so placed on any areas of a dock where dock workers are employed so as to obstruct access to ships, cranes, life saving appliances, fire fighting equipment and welfare facilities provided under these regulations.

(2) Where any space is left along the edge of any wharf or quay, it shall be atleast 90 cms. wide and shall be kept clear of all obstructions other than fixed structures, plant and appliances in use.

(3) Where working areas of a dock are enclosed and the traffic warrants, a separate gate or passage shall be provided for pedestrians.

**12. Railings and fencings :**

(1) All railings for the fencing of Hatchways accommodation ladders, gangways, stairway for embarking, disembarking, and any other dangerous place shall be of sound material, good construction and possess adequate strength and unless specified in these regulations :—

- (a) be atleast one metre in height; and

(b) consist of two rails or two taut ropes or chains supporting stanchions, and toe boards.

(2) Intermediate rails, ropes or chain shall be 50 centimetre high.

(3) Stanchions shall not be more than two metre apart and shall be secured against inadvertant lifting out.

(4) The toe board shall be atleast 15 centimetre high.

(5) Railings shall be free from sharp edges.

(6) Temporary fencing of hatchways, elevated platforms, etc. shall be as far as reasonably practical extend to a height of one metre and consist of either:—

(a) two taut ropes or chains with stanchions; or

(b) a properly rigged and securely fastened safety net.

(7) Stairs giving access to transport vessel shall be equipped with wooden or rubber tinders so that the gap of more than 50 centimetre is maintained between the side of the steps and side of the vessel.

#### 15. Life-saving appliances :

Provision for the rescue from drowning of dock workers shall be made and maintained, and shall include :—

(a) a supply of life-saving appliances, kept in readiness on the wharf or quay, which shall be reasonably adequate having regard to all the circumstances ; and

(b) means at or near the surface of the water at reasonable intervals for enabling a person in water to support himself or escape from the water which shall be reasonably adequate having regard to all the circumstances.

#### 16. Illumination :

(1) All areas in a dock and on a ship where the dock work is carried on and all approaches to such areas and to places to which dock workers may be required to go in the course of their employment, shall be safely and efficiently lighted in an appropriate way.

(2) The general illumination in areas on the dock where dock workers have to pass, shall be at least 10 lux and at places where dock workers are employed, the illumination shall be at least 25 lux without prejudice to the provision of any additional illumination needed at particularly dangerous places.

(3) The means of artificial lighting shall, so far as is practicable, be such and so placed as to prevent glare or or formation of shadows to such an extent as to cause risk of accident to any dock worker.

(4) The portable lights shall be maintained in good condition and shall—

(a) be equipped with substantial reflectors and guards ; and

(b) be equipped with heavy duty electric cords with connection and insulation maintained in safe condition.

#### 18. Excessive noise, etc. :

Adequate precautions shall be taken to protect dock workers against the harmful effects of excessive noise, vibrations and air pollution at the work place. In no case the noise levels shall be exceed the limits laid down in Schedule VII.

#### B. WARE HOUSES AND STORE PLACES

#### 27. Fencing of and means of access to lifting appliances :

(1) Safe means of access to every part of a lifting appliance shall be provided.

(2) The operator's platform on every crane or tip driven by mechanical power shall be securely fenced and shall be provided with safe means of access. In particular, where access is by a ladder,—

(a) the sides of the ladder shall extend to a reasonable distance beyond the platform or some other suitable handhold shall be provided ;

(b) the landing place on the platform shall be maintained free from obstruction and slipping ; and

(c) in case where the ladder is vertical and exceeds six metres in height, a resting place shall be provided, after every six metres and part thereof.

#### D. DECKS, HATCHWAYS, ETC.

#### 29. Bulwarks or Rails :

(1) All upper decks to which dock workers may have access for the purpose of carrying on dock work shall be provided on the outer edge upto a height of one metre above the deck with a bulwark or guard rails so designed, constructed and placed, as to prevent any dock worker from accidentally falling overboard.

(2) The bulwark or guard rails shall be continuous except where sections have to be removed for the purpose of dock work and such sections shall not extend beyond the minimum distance necessary.

#### 33. Fencing around hatchways :

(1) Every hatchway of a hold exceeding 1.5 metres in depth, which is not protected by coming to a clear height of 75 centimetres shall, when not in use, either be effectively fenced to a height of one metre or to be securely covered to prevent dock workers from falling into the hold.

(2) If in any hatch, dock work is carried on simultaneously at two docks, the open end of the hatch in the higher deck shall be protected to a height of one metre by means of planks or nets or in some other suitable manner to prevent fall of dock workers or cargo and the safety nets when rigged shall not be secured to the hatch covers.

(3) When an edge of a hatch section or of stowed cargo more than 2.5 metre high is so exposed that it presents a danger to dock workers falling, the edge shall be guarded by a taut rope, safety net or railing to a height of one metre.

(4) Dock workers employed in a hold on a partly covered hatch or on a stack shall be protected by spreading a net or in some other suitable way, against the danger of falling down.

#### 34. Hatch coverings, hatch beams, etc. :

(1) All fore and aft beams and thwartship beams used for hatch covering shall have suitable gear for lifting them on and off without it being necessary for any dock worker to go upon them to adjust such gear.

(2) All hatch coverings and beams shall be kept plainly marked to indicate the deck and hatch to which they belong and their position therein.

(3) All hatch coverings and beams shall be replaced according to their markings.

Provided that this regulation shall not apply in cases where all the hatch coverings and beams of a ship are interchangeable or, in respect of marking of position, where all hatch coverings of a hatch are interchangeable.

(4) All fore and aft beams and thwartship beams including sliding beams and the tracks used for hatch coverings and all hatch coverings shall be maintained in good condition.

(5) Adequate handgrips shall be provided on all hatch coverings, having regard to their size and weight, unless construction of the hatch or the hatch covering is of a character rendering the provision of handgrips unnecessary.

(6) Hatch coverings shall not be used in the construction of stages or for any other purpose which may expose them to damage.

(7) Hatch covers and beams shall not be removed and replaced while dock work is in progress in the hold under the hatchway. Before loading or unloading take place, any hatch cover or beam that is not adequately secured against displacement shall be removed.

(8) Only an authorised person shall be permitted to open or close power operated hatch covers.

(9) Folding hatch covers shall be fitted with locking devices to prevent covers from folding back.

(10) Hatch covers shall not be opened or closed in such manner as is likely to cause injury to any dock worker.

#### 37. Securing of hatch covering and hatch beams :

(1) Where an hatch beam is fitted with a permanent device for securing it in position in the hatch, that device and its corresponding fitting in the coaming shall be effectively and properly maintained.

(2) The beams of any hatch in use for the dock work shall, if not removed be adequately secured to prevent their displacement.

(3) Any sliding or rolling hatch beams supporting hatch coverings which are left in position in a partly opened hatch shall be adequately secured to prevent any horizontal movement of the hatch beams.

(4) Every sliding or rolling hatch beam and its guides shall be so constructed and maintained that the hatch beam is not liable to be accidentally displaced from its guides.

(5) Mechanically operated hatch coverings shall, when stowed, be adequately secured to prevent movement.

#### E. LIFTING APPLIANCES AND GEAR.

##### 41. Test and periodical examination of lifting appliances :—

(1) Before being taken into use for the first time or after it has undergone any alterations or repairs liable to affect its strength or stability and also once at least in every five years, all lifting appliances including all parts and gears thereof, whether fixed or movable, shall be tested and examined by a Competent Person in the manner set out in Schedule-I.

(2) All lifting appliances shall be thoroughly examined by a Competent Person once at least in every 12 months. Where the Competent Person making this examination forms the opinion that the lifting appliance cannot continue to function safely, he shall forthwith give notice in writing of his opinion to the owner of the lifting appliance or in case of lifting appliance carried on board a ship not registered in India to the Master or Officer-in-charge of the ship.

(3) Thorough examination for the purpose of this regulation shall mean a visual examination, supplemented if necessary by other means such as hammer test, carried out as carefully as the conditions permit, in order to arrive at a reliable conclusion as to the safety of the parts examined and if necessary for this purpose, parts of the lifting appliance and gear, shall be dismantled.

##### 48. Ropes :

(1) No rope shall be used for dock work unless—

(a) it is of suitable quality and free from patent defects and—

(b) as regards wire rope slings, either the and examined by a competent person in the manner set out in Schedule-I.

(2) Every wire rope of lifting appliance or loose gear used in dock work shall be inspected by a responsible person once at least in every three months, provided that after any wire has broken in such rope, it shall be inspected once at least in every month.

(5) A thimble or loop splice made in any wire rope shall conform to the following standard,—

(a) wire rope or rope sling shall have at least three tucks with full strand of rope and two tucks with one-half of the wires cut out of each strand and strands in all cases shall be tucked against the lay of the rope ;

- (b) protruding ends of strands in any splice on wire rope and rope slings shall be covered or treated so as to leave no sharp points ;
- (c) fibre rope or rope sling shall have at least four tucks tail of such tuck being whipped in a suitable manner ; and
- (d) synthetic fibre rope or rope sling shall have at least four tucks with full strand followed by further tuck with one-half filaments cut out of each strand and final tuck with one-half of the remaining filaments, cut-out from strand. The portion of the splices containing the tucks with the reduced number of filaments shall be securely covered with suitable tape or other material :

Provided that this sub-regulation shall not operate to prevent the use of another form of splice which can be shown to be as efficient as that laid down in this regulation.

#### 52. Marking of safe working load :

(1) Every lifting appliance and every item of loose gear shall be clearly marked with its safe working load and identification mark by stamping or where this is impracticable, by other suitable means.

(2) (a) Every ship's derrick (other than derrick crane) shall be clearly marked with its safe working load when the derrick is used ;

(i) in single purchase ;

(ii) with a lower cargo block, and

(iii) in union purchases in all possible block positions ;

(b) The lowest angle to the horizontal, that the derrick may be used shall also be legibly marked.

(3) Every lifting appliance (other than ship's derrick) having more than one safe working load shall be fitted with effective means enabling the operator to determine the safe working load under each condition of use.

(4) Means shall be provided to enable any dock worker using loose gears to ascertain the safe working load for such loose gears under such conditions as it may be used and such means shall consist :—

(a) as regards chain slings, of marking the safe working load in plain figures or letters upon the sling or upon a tablet or ring of durable material attached securely thereto; and

(b) as regards wire rope slings, either the means specified in clause (a) above or a notice or notices so exhibited as can be easily read by any concerned, dock worker stating the safe working load for the various sizes of the wire rope slings used.

(5) No lifting appliance or loose gears shall be used unless marked in accordance with the provisions of this regulation.

#### 54. Pulley blocks :

No pulley blocks shall be used in dock work unless the safe working load and its identification marks are clearly stamped upon it.

#### 56. Knotting of chains and wire ropes :

No chain or wire shall be used in dock work with a knot in it.

### F. TRANSPORT EQUIPMENT AND OPERATIONS

#### 58. Use of internal combustion engines in the holds :

(1) Internal combustion engines shall not be used in connection with the dock work in the holds or cargo spaces unless, —

(a) adequate means of ventilation and, where necessary mechanical ventilation is provided;

(b) suitable fire fighting equipment is readily available ;

(c) exhaust pipes, connections and mufflers are kept tight ;

(d) exhaust is so directed as not to cause inconvenience to the operators and dock workers ;

(e) it is ensured that no explosives inflammable liquids, gases or similar dangerous cargo are present ;

(f) a spark arrestor is fitted on the exhaust of the engine and the bare heated surfaces of the engine, that are liable to ignite spilled fuel, are suitably protected ;

(g) the engine is refuelled above deck ; and

(h) the exhaust does not contain the carbon monoxide above T.L.V. prescribed in the national standards.

(2) The internal combustion engine shall be switched off when not in use in connection with the dock work.

(3) Operators of internal combustion engines in cargo spaces or cargo holds shall not work alone.

(4) Whenever internal combustion engines for use in dock work are to be brought on board, the Master or the Officer-in-charge of the ship shall be notified.

### G. HANDLING OF CARGO

#### 65. Loading and unloading operations :

(1) No cargo shall be loaded or unloaded by a fall or sling at any intermediate deck unless either the hatch at that deck is securely covered or a secure landing perform of a width not less than that of one section of hatch coverings has been placed across it :

Provided that this regulation shall not apply to any loading or unloading work the whole of which may be completed within a period of half an hour.

(2) No loose gear or any other object shall be thrown in or out of the holds.

(3) During the loading and unloading of bulk cargo a record of all dock workers employed in the hold shall be maintained and produced on demand to the Inspector.

(4) Where necessary cargo shall be secured or blocked to prevent its shifting or falling. In breaking down, precautions shall be taken where necessary to prevent the remaining cargo from falling.

(5) (a) Dragging of cargo shall be done with the ship's winches only when the runner is led directly from the derrick heel block; and

(b) pulley blocks shall be used to provide a fair lead for the runner so as to prevent it from dragging against obstructions.

(6) If the head room in the hold of a ship for the purpose of stacking and unstacking is less than 1.5 metres, suitable measures shall be taken to guard against accident.

(7) Loads shall be safely slung before being hoisted. Loose dunnage or debris hanging or protruding from loads shall be removed and suitable means shall be adopted to prevent cargo from falling out.

(8) Cargo handling bridles, such as pallet bridles, which are to remain attached to the lifting appliance while hoisting successive sling loads, shall be attached by shackles, or other positive means shall be taken to prevent them from becoming accidentally disengaged from the hook of the lifting appliance.

(9) When lifting appliance is operating without a load on the slings :—

- (a) slings or chains shall be hooked securely to the appliances before the operators are given signal to move;
- (b) sharp hooks, multiple hooks and claws shall not hang at one end but shall be reeved through slings; and
- (c) the operators shall raise the appliance sufficiently to keep clear off dock workers and objects.

(10) Effective measures shall be taken, by the use of suitable packing or otherwise, to prevent edges of any load from coming in contact with any rope or chain sling which is likely to cause any damage to the rope or chain sling.

(11) Buckets, tubs and similar appliances shall not be loaded above their rims.

(12) No loads shall be lifted at strappings unless such strappings are approved as proper and safe slinging points. Movements of such loads is allowed only if everybody has left the danger zone.

(13) When working with lifting appliances, slope-pulling, horizontal dragging and intentional swing of loads and lifting devices are prohibited.

#### 66. Stacking and unstacking :

(1) Where stacking, unstacking, stowing or unstowing, stuffing or destuffing of cargo or handling

in connection therewith cannot be safely carried out unaided, reasonable measures to guard against accidents shall be taken by shoring or otherwise.

(2) Stacking of cargo shall be made on firm foundation not liable to settle and the weight of the cargo shall be such as not to over-load the floors.

(3) Cargo shall not be stacked against partition or walls of warehouses or storeplaces unless it is known that the partition or the wall is of sufficient strength to withstand the pressure.

(4) Cargo shall not be stacked to such a height and in such a manner as would render the pile unstable.

(5) Where the dock workers are working on stacks exceeding 1.5 metres in height, safe means of access to the stack shall be provided.

(6) Stacking and unstacking work shall be performed under the supervision of authorised person.

68. Hooks for bales, etc. :

When the working space in a hold is confined to the square of the hatch, hooks shall not be made fast in the bands or fastenings of bales of cotton, wool, cork, gunny bags or other similar goods, nor shall can hooks be used for raising or lowering a barrel when, owing to the construction or condition of the barrel or of the hooks, their use is likely to be unsafe.

70. Restrictions on loading and unloading operations :

(1) No other work, for example, maintenance or repair work such as sand-blasting or welding shall be performed at places where dock work is in progress if it is likely to endanger or obstruct the person carrying out dock work.

(2) When more than one gang of dock workers is employed in dock work simultaneously in a hold, it shall be ensured that —

- (a) the operation of loading or unloading is harmonised to avoid dangers to the working gangs from one another;
- (b) the slung cargo of one gang will not endanger the dock workers of the other gang;
- (c) where gangs are working at different levels, a net shall be rigged and securely fastened to prevent dock workers from falling down or cargo falling on to dock workers below;
- (d) over crowding of gangs in a section of the hold is avoided.

#### 71. Dock work at midstream :

No dock workers shall be employed to handle cargo on any ship anchored in midstream whenever the working conditions are considered to be dangerous.

#### 72. Work during berthing and shifting of ships :

(1) While ships are being berthed or shifted, no dock work shall be carried out by dock workers in the holds or hatches and on decks.

(2) When ships are being moored, dock workers shall be kept clear of the mooring ropes and, in particular, shall not be allowed to stand in the bights of ropes being hauled by capstans.

#### 73. Protective equipment :

(1) Where other means of protection against harmful agents are impracticable or insufficient, dock workers shall be provided with adequate protective clothing and personal protective equipment to shield them from the effects of such agents.

(2) Protective clothing and personal protective equipment shall be of suitable quality and maintained in good condition and shall be cleaned and disinfected at suitable intervals.

(3) Where protective equipment and clothing may be contaminated by poisonous or other dangerous goods, it shall be stored in a separate accommodation where it will not contaminate the dock workers' clothing and other belongings.

(4) Suitable protection equipment shall be issued to the dock workers employed in the reefer holds or chambers or reefer containers for affording complete body protection.

### H. HANDLING OF DANGEROUS GOODS

#### 77. General precautions :

(1) Dangerous goods shall be loaded, unloaded, handled and stored under the supervision of a responsible person who is familiar with the risks and the precautions to be taken. In case of doubt as to the nature of the risk or the precautions to be taken, necessary instructions shall be obtained from the Safety Officer appointed under these regulations.

(2) Dangerous goods shall not be loaded, unloaded or stored unless they are suitably packed and labelled showing the danger therefrom. The dock workers shall be given adequate information concerning the nature of the cargo and special precautions to be observed in handling them.

(3) Special precautions, such as provision of mats, sling nets, boxes and high sided pallets shall be taken to prevent breakage or damage to containers of the dangerous goods.

(4) Dock workers employed in loading or unloading or otherwise handling dangerous goods shall be provided with suitable protective equipments.

(5) Dock workers handling dangerous goods shall thoroughly wash their hands and faces with soap or some other cleaning agent before taking any food, drink, pan and supari or tobacco.

(6) Only specially trained dock workers shall be employed for cleaning, sweeping or handling spillages or sweepings of dangerous goods.

#### 79. Other dangerous goods :

(1) Before fumigated cargo such as grain in loaded or unloaded, adequate measures shall be taken to ensure that the cargo is safe to handle.

(2) Where caustic and corrosive substances are handled or stored, special precautions shall be taken

to prevent damage to the containers and to render any spillage harmless.

(3) If skins, wool, hair, bones, or other animal parts have not been certified by competent authority as having been disinfected, especially against anthrax, the dock workers concerned shall be :

- (a) instructed about the risk of infection and the precautions to be taken ;
- (b) provided with suitable type of personal protective equipment ; and
- (c) subjected to special medical supervision.

#### 81. Broken or leaking containers :

(1) When there is danger from broken or leaking containers of dangerous goods, dock workers shall be evacuated from the area involved and the following steps taken before dock work is resumed —

- (a) if the cargo produces dangerous gases or vapours :—
  - (i) suitable respiratory protective equipment shall be made available for dock workers who are to remove the defective containers ;
  - (ii) the area shall be ventilated if necessary and tested to ensure that the concentration of gases or vapours in the atmosphere is safe for dock work ;
- (b) if the cargo is a corrosive substance—
  - (i) suitable personal protective equipment shall be made available to the dock workers engaged in the removal of damaged containers ; and
  - (ii) suitable absorbent or neutralising materials shall be used in cleaning the spillage.

#### 82. Toxic solvents :

Before any solvents are used, the toxic properties of such solvents shall be ascertained and adequate means to safeguard the health of the dock workers exposed to toxic solvents shall be provided.

### J. MISCELLANEOUS

#### 87. Fencing of motors, etc. :

(1) All motors, cogwheels, chains and friction gearing, flywheels, shaftings, every dangerous and moving parts of machinery (whether or not driven by mechanical power) and steam pipes shall be securely fenced or lagged.

(2) The fencing of dangerous parts of machinery shall not be removed while the machinery is in motion or in use, but if removed, shall be replaced before the machinery is taken into normal use again.

(3) No part of any machinery which is in motion and which is not securely fenced shall be examined, lubricated, adjusted or repaired except by persons duly authorised.

(4) Machine parts shall only be cleaned when the machine is stopped.

(5) When machinery is stopped for servicing or repairs, adequate means shall be taken to ensure that it cannot inadvertently be restarted.

#### 88. Electrical equipment :

(1) Only duly authorised person shall be permitted to install, adjust, examine, repair, displace or remove electrical equipment or circuits.

(2) Efficient and suitably located means shall be provided for cutting off all pressure from every part of the system, as may be necessary to prevent danger.

(3) All portable electrical equipment shall be maintained in good working order and inspected by a responsible person at least once every day before it is taken into use.

(4) Portable electric light or equipment used in a confined space shall be of twenty-four volts or less.

(5) Only flame proof electrical equipment shall be used in a confined space where flammable gas, fume or dust is likely to be present.

(6) All non-current carrying metal parts of electrical equipment shall be earthed or other suitable measures shall be taken to prevent them from becoming live.

(7) Portable or flexible electric conductors shall be of heavy duty type and shall be kept clear of loads, running gear and moving equipment.

(8) All live conductors shall be adequately insulated or fenced to prevent danger by accidental contact of dock workers or non-current carrying parts of lifting appliances, conveyors, transport equipment and machinery.

#### 89. Transport of dock workers on land :

Suitable means of safe transport shall be provided for the dock workers for their movement from their place of booking to the working area or between the two working areas when the distance between the points exceeds two kilometres.

#### 90. Transport of dock workers by water :

(1) When any dock workers has to proceed to or from a ship by water for the purposes of carrying on a dock work, proper measures shall be taken to provide for his safe transportation. Vessels used for this purpose shall be in charge of a responsible person, and shall be properly equipped for safe navigation and maintained in good condition;

(2) The means of transport referred to in sub-regulation (1) shall conform to the following :—

(a) adequate protection is provided to the dock workers from inclement weather ;

(b) the vessel shall be manned by adequate and experienced crew, duly authorised by a competent authority ;

(c) if the bulwarks of the vessel are lower than 60 centimetres, the open edges shall be fitted with suitable fencing to a height of at least one metre above the deck. The post stanchions and similar parts used in

the fencing shall not be spaced more than two metres apart ;

(d) The number of life buoys on deck shall be at least equal to the number of persons in the crew and shall not be less than two.

(e) all life buoys shall be kept in good state of maintenance and be so placed that if the vessel sinks they remain afloat, one of the said buoys shall be within the immediate reach of the Steerman and another shall be situated as far as aft part : and

(f) the position of the steerman of the vessel shall be such that he has a reasonably free view of all sides.

(3) Maximum number of person that can be safely carried in the vessel shall be certified by a competent authority and marked plainly and conspicuously on the vessel and such number shall not be exceeded.

## PART IV

### HEALTH

#### 95. Cleanliness :

(1) Every place in the ship, dock and all areas which are in proximity to the place in the dock, where dock workers are employed, shall be kept clean and free from rubbish or effluvia arising from any drain, privy or other nuisance.

(2) All the accumulated gabrages from the ships and the dock area shall be disposed off by burning in an incenerator or by other suitable means.

(3) All the damaged or deteriorated cargo posing hazards to safety or health or nuisance shall be removed or disposed off from the work place where the dock workers are employed.

#### 96. Drinking water :

(1) (a) On board every ship and in every dock, effective arrangement shall be made to provide and maintain at suitable points conveniently situated for all dock workers employed therein, sufficient supply of wholesome drinking water :

Provided that the drinking water point is available within 100 metres of the place where dock workers are employed.

(b) Effective arrangement shall be made to provide and maintain adequate supply of wholesome drinking water on board every ship in mid-stream for all dock workers employed thereon.

(c) The water provided for drinking shall be supplied from the public water supply system or otherwise from any other source approved in writing by the Health Officer of the Port.

(2) All such points shall be legibly marked "Drinking Water" in a language understood by a majority of the dock workers, and no such point shall be situated within six metres of any washing



place, urinal or latrine unless a shorter distance is approved in writing by the Chief Inspector.

(3) In every dock, the drinking water supplied to the dock workers shall, during hot weather, be cooled by ice or other effective means :

Provided that if ice is placed in the drinking water, the ice shall be clean and wholesome and shall be obtained only from a source approved in writing by the Health Officer of the Port.

(4) Every drinking water centre shall be maintained in a clean and orderly condition and if necessary shall be in charge of a suitable person who shall distribute the water. Such a person shall be provided with clean clothes while on duty.

(5) The drinking water centres shall be sheltered from the weather and adequately drained.

(6) Storage tanks or containers for drinking water shall always be kept in clean and hygienic condition.

(7) The Inspector may, by order in writing, direct the Port Authority to obtain, at such time or at such intervals as he may direct, a report from the Health Officer of the Port as to the fitness for human consumption of the water supplied to the dock workers, and in every case to submit to the Inspector a copy of such report as soon as it is received from the Health Officer.

#### 97. Latrines and urinals :

(1) In every dock, latrine and urinal accommodation shall be provided in the scale given in Schedule VIII and shall be conveniently situated and accessible to dock workers at all times while they are at work. Such accommodation and access to it shall be adequately lighted and ventilated.

(2) Separate latrines shall be provided where female dock workers are employed.

(3) The floors and internal walls of the latrines and urinals and the sanitary blocks shall be laid in glazed tiles or otherwise finished to provide a smooth polished impervious surface upto a height of at least 90 centimetre.

(4) All such accommodation shall be maintained in a clean and sanitary condition at all times. The floors, side walls and the sanitary pans of latrines and urinals shall be thoroughly swept and cleaned at least once in a day with suitable detergents or disinfectants or with both.

(5) Every latrine shall be under cover and so partitioned off as to secure privacy and shall have a proper door and fastenings.

(6) The walls, ceilings and partitions of every latrine and urinal shall be white-washed or colour-washed and the white-washing or colour-washing shall be repeated at least once in four months and record maintained.

(7) Where piped water supply is available, sufficient number of water taps, conveniently accessible shall be provided in or near such latrine accommodation.

(8) Where piped water supply is not available, provision shall be made to store adequate quantity of water near the latrine.

99. Ventilation and temperature in dock area including reefer holds on ships :

Effective and suitable provision shall be made in every dock for securing and maintaining in every building or an enclosure or a reefer hold or chamber or reefer container where dock workers are employed, adequate ventilation by the circulation of fresh air and such temperature and air movement as will secure to dock workers therein reasonable conditions of comfort and prevent injury to health.

#### PART V

#### WELFARE

#### 100. Washing facilities :

(1) In every dock, rest shed, call stand and canteen, adequate and suitable facilities for washing shall be provided and maintained for the use of the dock workers and such facilities shall be conveniently accessible and shall be kept in clean and orderly condition. Washing facilities shall include glazed basins with taps attached thereto.

(2) Where dock workers are exposed to skin contamination by poisonous, infection or irritation substances in oil, grease or dust, adequate number of shower-baths enclosed in individual compartments, with entrances suitably screened shall be provided.

(3) These facilities shall be provided in every dock on the scale laid down in Schedule VIII.

(4) The floor or ground under and in the immediate vicinity of every wash basin, stand pipe and shower shall be so laid or finished as to provide a smooth impervious surface and shall be adequately drained.

(5) The water supply to the washing facilities shall be adequate having regard to the number of dock workers employed in the dock, and shall be from a source approved in writing by the Health Officer of the Port.

#### 101. First-aid boxes :

(1) In every dock and on board every ship there shall be provided and maintained so as to be readily accessible during all working hours, sufficient number of first-aid boxes or cupboards :

Provided that the distance of the nearest first-aid box or cupboard shall not be more than 200 metres from any working place.

(2) Nothing except appliances or requisites for first-aid shall be kept in the boxes and cupboards. All such boxes and cupboards shall be so kept that they are protected against contamination by dust or other foreign matters and against penetration of moisture. They shall be kept in the charge of a responsible person who is trained in first-aid treatment and who shall always be readily available during working hours.

(3) Each first-aid box or cupboard shall be distinctly marked "First-Aid" and shall be equipped with the articles specified in Schedule VI.



## 103. Ambulance carriage :

There shall be provided for use at every dock a suitably constructed motor ambulance carriage and launch which shall be maintained in good condition for the purpose of removal of serious cases of accident and sickness.

## 104. Stretchers :

A sufficient number of suitable stretchers including a Neil Robertson Stretcher or any other suitable sling stretcher shall be provided at every dock at convenient places so as to be readily available in an emergency.

## 105. Shelters or rest sheds and lunch rooms :

(1) In every dock wherein more than 150 dock workers are ordinarily employed, adequate and suitable shelters or rest sheds and suitable lunch rooms with provision for drinking water and washing facilities, where dock workers can eat meals brought by them, shall be provided at convenient places and maintained for their use :

Provided that any canteen maintained in accordance with regulation 106 shall be regarded as part of the requirement of this regulation :

Provided further that, where a lunch room is provided no dock workers shall eat any food in the precincts of the dock except in such lunch rooms.

(2) Covered receptacles shall be provided and used for disposal of food and litter in every rest shed. These receptacles shall be emptied at least once in every shift.

(3) The shelters or rest rooms and lunch rooms to be provided under sub-regulation (1) shall be sufficiently lighted and ventilated and shall be maintained in a cool and clean condition.

## 106. Canteens :

(1) In any dock or in any part of a dock wherein more than 250 dock workers are ordinarily employed, or are waiting to be employed, adequate canteen

facilities in or near the work area shall be provided and maintained by the Port Authorities and dock labour boards for the use of all dock workers. The canteen shall function at all times when twenty-five or more dock workers are employed at a time.

(2) The canteens shall conform to the requirements laid down in Schedule IX.

(3) An adequate number of mobile canteens shall be provided at every dock with provision for serving tea and light refreshments.

## PART VI

## SPECIAL PROVISIONS

111. Training of dock workers, responsible persons, etc. :

(1) Initial and periodic training shall be imparted to all categories of dock workers, responsible and authorised persons depending upon their nature if work and skill required for performing their duties. Safety aspects and precautions to be taken in pursuance of the provisions under the Act and the regulations shall be covered in the training.

(2) All first-aid personnel shall be imparted training including refresher courses by a qualified medical officer authorised for the purpose.

112. Emergency action plans :

All the ports shall have an approved emergency action plan acceptable to the Chief Inspector to handle the emergencies like —

- (a) fires and explosions ;
- (b) collapse of lifting appliances, buildings, sheds etc ;
- (c) gas leakages and spillage of dangerous goods ;
- (d) drowning of dock workers, sinking of vessels, retrieval of transport equipment from dock basins ; and
- (e) floods, storms and other natural calamities.

## FORM XII

To be sent to the Inspector, Dock Safety

Address:

## REPORT OF ACCIDENT OF DANGEROUS OCCURRENCE

(Required by Regulation 91 of the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Regulations, 1989 in pursuance of Section 22 of the Dock Workers (Safety Health and Welfare) Act, 1986).

(See Instruction Overleaf)

1. Name of the Employer
2. Address of the Employer
3. Ship, or other exact place where accident or dangerous occurrence happened

4. Date, Shift and hour of accident or dangerous occurrence

Date	Shift	Hour
------	-------	------

5. (i) Name & address of injured person

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Sex	Age	Year	Occupation No.	Experience in the trade
-----	-----	------	----------------	-------------------------

(ii) Nature & extent of injuries, (e.g. fatal, loss of finger, fracture of legs)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(iii) By whom treatment was given?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(v) Was the injured person disabled for more than fortyeight hours?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(v) Type and name of cargo handled.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

6. Hour at which the injured person started work

7. Cause of accident or dangerous occurrence

\_\_\_\_\_

8 Accident:

(a) If caused by machinery, state :

(i) Name of machine and part causing the accident.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(ii) if moved by mechanical power at the time.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(b) State exactly what the injured person was doing?

9. Dangerous occurrence:

(a) Nature of collapse or failure of lifting appliance

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(b) Nature of the breakage of rope, chain or other appliances.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(c) Nature of collapse or failure of means of access to or from a ship.

\_\_\_\_\_

(d) Nature of any other Dangerous Occurrences as covered under Regulation 90 other than 9(a), 9(b) and 9(c) above.

Signature .....

Dated .....

(To be filled in by Inspector)

Port

Date of receipt

Accident/Dangerous Occurrence No.

Causation

Sex

Remarks

## INSTRUCTIONS

### REPORTING OF ACCIDENTS AND DANGEROUS OCCURRENCES

Reporting of accidents :

(1) Notice of any accident in dock which either :

(a) Causes loss of life to a dock worker, or

(b) disables a dock worker from work on which he was employed for the rest of the day or shift in which the accident occurred, shall forthwith be sent by telegram, telephone or special messenger within four hours of the occurrence to

(i) the Inspector;

(ii) the relatives of the workers when the accident causes loss of life to the dock worker or is likely to disable the dock worker from work for more than ten days; and

(iii) in the case of fatal accidents only, the officer-in-charge of the nearest Police Station, and the District Magistrate or if the District Magistrate by order so directs the sub-divisional Magistrate;

(2) In cases of accidents falling under clause (b) of sub-regulation (1), the injured person shall be given first-aid and thereafter immediately conveyed to a hospital or other place of treatment.

(3) Where any accident causing disablement, results in the death of dock worker disabled, notice in writing of the death shall be submitted to the authorities mentioned in sub-regulation (1) within 72 hours after the death occurs and acknowledgement obtained.

(4) The following classes of dangerous occurrences shall be reported to the Inspector, whether death or disablement is caused or not, in the manner prescribed in sub-regulation (1).

(a) collapse or failure of lifting appliances or breakage or failure of ropes, chains or loose gears, including slings, lifting beams, container spreaders, etc. or over turn or displacement of cranes used in dock work, falling of hatchboards or beams or cargo slings, displacement of hatch beam resulting in the fall of hatch beams or coverings;

- (b) collapse or subsidence of any wall, floor, gallery, roof, platform, staging or means of access;
  - (c) explosion of a receiver or vessel used for the storage, at a pressure greater than atmospheric pressure, of any gas or gases (including air) or any liquid or solid resulting from the compression of gas;
  - (d) explosion or fire causing damage to any place in the docks in which dock workers are employed;
  - (e) failure, capsizing, toppling or collision of transport equipment;
  - (f) spillage or leakage of dangerous cargoes or damage to their containers;
  - (g) breakage, buckling or damage of freight containers;
- (5) If a failure of lifting appliance, loose gear or similar other gears and transport equipment has occurred, the concerned shall as far as practicable be kept undisturbed until inspected by an Inspector;
- (6) In addition every notice given under sub-regulation (1) and sub-regulation (4), shall be confirmed within seventy-two hours of the occurrence by submitting a written report to the Inspector in Form XII provided that in case of an accident under clause (b) of sub-regulation (1) such written report need be submitted only when the dock worker is disabled from work on which he was employed for more than forty-eight hours from the time of the accident.

## FORM XIII

## DOCK WORKERS' (SAFETY, HEALTH &amp; WELFARE) REGULATIONS, 1989

(Sec Regulation 110)

## STATEMENT OF ACCIDENTS FOR THE MONTH OF \_\_\_\_\_

1. Name and address of the employer
2. Number of reportable accidents under regulation during the month.
 

Fatal	_____
Non-fatal	_____
3. Number of man-shifts worked during the month (see note 1)
4. Number of man-days lost on account of absence due to reportable non-fatal accidents in case of persons who returned to work (see note 2)
5. Number of man-days lost on account of permanent disabilities (See note 3).

Signature.....

Date.....

Designation.....

To

The Inspector,

## NOTES

1. Item (3) : The total number of man-shifts worked is the sum of the number of persons at work on each shift during the month.
2. Item (4) : Number of mandays lost should include days lost due to injury in previous months, that is, if any accident which occurred in previous month is still causing loss of time in the month under review, such loss of time is also to be included in the month under review.
3. Item (5) : Calculation of man-days should be based on the following :
  - (a) Mandays lost according to schedule of charges for permanent disabilities as given in Appendix B to IS : 3786-1966. In case of multiple injury, the sum of schedule charges shall not be taken to exceed 6000 man-days.
  - (b) If any injury is treated as a lost time injury in one month and subsequently turns out to be a permanent disability, the mandays, charged due to the injury should be subtracted from the schedule charge for the injury when permanent disability becomes known.

## FORM XIV

## DOCK WORKERS' (SAFETY, HEALTH AND WELFARE) REGULATIONS, 1989

[Sec Regulation 92(1)]

To be filled in by the Inspector

No. of case .....

Remarks .....

## NOTICE OF POISONING OR DISEASE

1. Name and address of the employer .....
2. Name of the patient and his work No., if any .....
3. Address of the patient .....
4. Sex and age of the patient .....
5. Precise occupation of the patient .....
6. State exactly what the patient was doing at the time of contracting disease .....
7. Nature of poisoning or disease from which the patient is suffering .....

(Signature of the Employer)

Date .....

## Notification of certain diseases

Extract from Regulation 91 of the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Regulations, 1987

1. When a dock worker contracts any disease specified in schedule-IV, a notice in Form XIV shall be sent forthwith to the Inspector.

## SCHEDULE—IV

## List of Notifiable Diseases

1. Lead poisoning, including poisoning by any preparation or compound of lead or their sequelae.
2. Lead tetra-ethyl poisoning.
3. Manganese poisoning or its sequelae.
4. Carbon bisulphide poisoning.
5. Benzene poisoning, including poisoning by any of its homologues, their nitre or amide derivatives or its sequelae.
6. Anthrax.
7. Pneumoconosis
8. Poisoning by halogens or halogen derivatives of the hydrocarbons of the aliphatic series.
9. Primary epitheliomatous cancer of the skin.
10. Occupational dermatitis.
11. Noise induced hearing loss (exposure to high noise levels).

[F.No. S-65013/1/88-Fac/ISH-II]

R.T. PANDEY, Dy. Secy.